अष्टम माला, खंड 48, अंक 28

शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1989
17 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 48 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 48, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 25, शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1989/17 चैत्र, 1911 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	533,536, और 539 से 542	1—21
अल्प सूचना प्रश्न संख्या :	1	21—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	532क, 534, 535, 537, 538 और 544 से 552	25—32
अतारांकित प्रश्न संख्या :	5171 से 5179, 5181 से 5196, 5198 से 5211, 5213 से 5324 और 5326 से 5404	32—182
सभा पटल पर रखे गए पत्र		183—.84
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति		184
सभा का कार्य		184 189
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1989-90		189—214
ऊर्जा मंत्रालय		
श्री बुद्धि चन्द जैन		189
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर		192
श्रीमती मनोरमा सिंह		195
श्री काली प्रसाद पांडेय		197
कुमारी कमला कुमारी		198
श्री वसुदेव आचार्य		199
श्री सलाउद्दीन		200
श्री वसंत साठे		201

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1989/17 चैत्र, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
24	नीचे से 6	"ओलिए" के स्थान पर "बोलिए" पढ़िये।
32	2	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
49	नीचे से 7	"नरसिंहराज्य" के स्थान पर "नरसिंहराज" पढ़िये।
70	6	"णत्रालय" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये।
86	6	"सर्यवंशी" के स्थान पर "सूर्यवंशी" पढ़िये।
102	नीचे से 4	"(क) से (घ)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये।
116	12	"(क) से (घ)" के स्थान पर "(ख) से (घ)"
126	9	पढ़िये।
147	2	शीर्षक में "रोकन" के स्थान पर "रोकना" पढ़िये।
149	1	"(क) और (ग)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये।
153	नीचे से 10	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
158	नीचे से 5	"1·7·11988" के स्थान पर "1·7·1988" पढ़िये।
160	16	शीर्षक में "रात्ट्रीयकृत" के स्थान पर "राष्ट्रीयकृत"

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	213
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
63वां प्रतिवेदन	214
विधेयक पुरःस्थापित	215—218
	25 —254
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक	
(अनुच्छेद 316 में (संशोधन)	
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	215
(दो) संविधान (संशोधन) (विधेयक)	
(अनुच्छेद 316 में संशोधन)	
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	215
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक	
(अनुच्छेद 198 में संशोधन)	
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	216
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक	
(अनुच्छेद 123 तथा 213 में (संशोधन)	
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	215
(पांच) अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक	
(नई धारा 2 ख से 2 झ का अंतःस्थापन)	
प्रो० मधु दण्डवते	216
(छः) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक	
(धारा 2 आदि में (संशोधन)	
प्रो० मधु दण्डवते	217
(सात) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा 107 तथा 109 का लोप)	
प्रो० मधु दंडवते	217
(आठ) दंड विधि संशोधन (निरसन) विधेयक	
प्रो० मधु दण्डवते	217
(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक	
(नए अनुच्छेद 31 का अन्तःस्थापन)	
श्री शरद दिघे	218

विषय	पृष्ठ

(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 29क आदि का अंतःस्थापन)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 253

असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक 218—252

(श्री बालासाहिब विखे पाटिल द्वारा)

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सोमनाथ रथ 218

श्री राम बहादुर सिंह 222

श्री अजीज कुरेशी 224

श्री हरीश रावत 234

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 236

श्री लक्ष्मण मलिक 238

श्री नारायण चौबे 240

श्री मोतीलाल सिंह 242

श्री उम्मन थामस 245

श्री मानकूराम सोढी 249

श्री महावीर प्रसाद यादव 251

लोक सभा

शुक्रवार, 7 अप्रैल 1989/17 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आन्ध्र प्रदेश में निर्यातोन्मुखी एकक

[अनुवाद]

*533. श्री गोपाल कृष्ण थोटा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1990-91 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कुछ और शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये एकक किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री बिनेश सिंह) : (क) और (ख) सरकार 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की स्कीम के तहत एकक स्थापित नहीं करती है। परियोजनाओं की स्थापना सरकार की अनुमति से आवेदकों द्वारा अपनी पसन्द के उपयुक्त स्थानों पर की जाती है।

श्री गोपाल कृष्ण थोटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों से रुपयों में भुगतान नहीं होता वहां निर्यात किए गए माल का कुल मूल्य कितना है तथा उन क्षेत्रों को कितना निर्यात किया जा रहा है, जहां रुपयों में भुगतान होता है।

श्री बिनेश सिंह : इन इकाइयों के कुल निर्यात का मूल्य 902 करोड़ रुपये है। मेरे पास रुपयों के भुगतान वाले क्षेत्र और रुपयों में भुगतान न करने वाले क्षेत्र को किए गए निर्यात के पृथक्-पृथक् आंकड़े नहीं हैं।

श्री गोपाल कृष्ण थोटा : आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री बिनेश सिंह : मेरे विचार से माननीय सदस्य निर्यात विनियमन क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं। इसे स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और हम आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ पहले ही से इसके गठन के संबंध में पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।

श्री जी० माधव रेड्डी : मंत्री महोदय से जो प्रश्न पूछा गया था, वह शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी

उद्योगों की स्थापना के बारे में था। हो सकता है कि नोटिस देते समय माननीय सदस्य ने इस आशय को समझाने के लिए सही शब्दों का चयन न किया हो। हम सब जानते हैं कि शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उद्योग की स्थापना सरकार नहीं करती। उस संबंध में कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। उस बारे में कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है। प्रश्न यह है कि निर्यातोन्मुखी उद्योग योजना के तहत आन्ध्र प्रदेश में कितने उद्योग स्थापित किए जाने की सम्भावना है? यह प्रश्न वास्तव में उद्योग मन्त्रालय से संबंधित है, वाणिज्य मंत्रालय से नहीं। मैं नहीं जानता कि क्या वाणिज्य मंत्रालय स्वयं ही शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को लाइसेंस देने का काम कर रहा है। किन्तु यदि आपके पास जानकारी हो तो कृपया हमें बताइए कि शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उद्योग योजना के तहत आन्ध्र प्रदेश में अब तक कितने एककों की स्थापना की गई है और कितने एककों की स्थापना की जा रही है।

श्री दिनेश सिंह : आन्ध्र प्रदेश में 13 उद्योगों की स्थापना वेध की स्वीकृति दी गई है। जिन उद्योगों को मंजूरी दी गई है उनकी कुल संख्या काफी अधिक है। किन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि उन सबको स्थापित किया जाएगा। इनकी अनुमति मांगी गई है। 226 उद्योग स्थापित किए गए हैं। आन्ध्र प्रदेश में मैंने जिन 13 उद्योगों को लगाने का जिक्र किया है, इनके लगाए जाने की सम्भावना है।

आय कर का भुगतान

*536. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** . क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी सर्वेक्षण प्रणाली विद्यमान है जिसके अन्तर्गत ऐसे लोगों का पता लगाया जा सके जिन्हें कानून के अधीन आयकर देना चाहिए और जो देते नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी कोई प्रणाली आरम्भ करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढवी) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम की धारा 133-ख के उपबंधों के तहत आयकर अधिकारियों को एक निर्धारित प्रपत्र में कतिपय सूचना एकत्र करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस सूचना को सर्वे दल द्वारा एक व्यावसायिक परिसर से दूसरे व्यावसायिक परिसर में जाकर एकत्र किया जाता है और इसकी सहायता से आयकर विभाग उन लोगों का पता लगा सकता है जिनकी आय कर-योग्य है परन्तु वे कर की अदायगी नहीं कर रहे हैं।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को इन्कम टैक्स पे करना चाहिए, वे भी इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की ओर से जो रेड्स वगैरह की कार्यवाही की गई है, वह जितनी सफलीभूत होनी चाहिए, उतनी सफलीभूत नहीं हो रही है और अभी तक इन्कम टैक्स इवेजन का कार्यक्रम चल रहा है और सैंट्रल गवर्नमेंट के इन्कम टैक्स के एरियर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बड़े-बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं, उनमें एरियर्स बढ़ रहे हैं। सिनेमा के जो एक्टर और

एक्ट्रैसेस हैं, उनमें भी बढ़ रहे हैं और उनके बारे में आप ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। इस संबंध में सरकार का क्या कहना है ?

श्री डी० के० गडवी : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो लोग इनकम टैक्स देने के पात्र हैं, वे इनकम टैक्स नहीं देते हैं। इसीलिए सरकार ने लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए सर्वे किया है। इनकम टैक्स पड़ने पर जो लोग इवेड करते हैं, उनके लिए हम सर्चेज और सीजर्स करते हैं। यह कहना दुरुस्त नहीं है कि सरकार इस संबंध में ठोस कार्यवाही नहीं कर रही है। आंकड़ों से पता चलेगा, 1988-89 में 28 फरवरी, 1989 तक जो हमने सर्च की थी, उसमें 141.24 करोड़ रुपए वैल्यू के एसेट्स सीज किए थे और लोगों ने अपने आप 216.80 करोड़ रुपए सरेन्डर किए थे। इसका मतलब यह है कि हर सर्च में अमुमन दो लाख नौ हजार रुपए पकड़े गए। यह काम जारी है और हम सर्वे भी करते हैं और सर्वे करके बहुत से लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ-साथ जो बड़े-बड़े टैक्स इवेड करते हैं, वहां सर्चेज वगैरह करके उनको टैक्स नेट में लाते हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि एफर्ट्स और अभी बढ़ाने चाहिए और सरकार उसके ऊपर कान्स्टैंट कार्यवाही कर रही है।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाहें निश्चित होती हैं, इसलिए उनको टैक्स देना पड़ता है। सरकारी एम्पलाइज की यह शिकायत है कि वे बराबर इनकम टैक्स देते हैं। महंगाई बढ़ने के साथ-साथ उनकी तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं, परन्तु अभी तक इनकम टैक्स की सीमा, 18 हजार रुपए ही है। आप इस सीमा को बढ़ा रहे हैं, इस वजह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस संबंध में आप क्या कदम उठा रहे हैं, क्या 25 हजार रुपए तक की सीमा को आप मान्यता दे रहे हैं, जो एक डिमांड है ?

श्री डी० के० गडवी : अध्यक्ष महोदय, इस डिमान्ड का उत्तर तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण में दे दिया है। सरकार यह नहीं सोचती है कि 18 हजार की सीमा को बढ़ाया जाए। 18 हजार के साथ जो डिडक्शन एलाउ करते हैं, सभी को मिलाकर सब्जैक्ट-टू-कन्फर्मेशन यदि किसी की 32-33 हजार रुपए की आय है, तो उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है।

[अनुवाद]

यदि आप वास्तविक परिस्थिति को ध्यान में न रखते हुए विशुद्धतः सैद्धान्तिक रूप से गणना करें तो यदि किसी व्यक्ति की आय 70,000 रु० तक की है तो उसे कोई कर नहीं देना है। इस देश में निवल प्रभावी कर केवल 28 प्रतिशत ही है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, बार्डर एरियाज जितने भी हैं, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, पंजाब, गुजरात और समुद्र के किनारे जितने क्षेत्र हैं, इन सब जगहों पर स्मगलिंग के जरिए ड्रग्स, सोना-चांदी या दूसरी चीजें आती हैं। इन लोगों के पास ज्यादा ब्लैकमनी है और ऐसे लोगों के खिलाफ अभी तक आपने रेड नहीं की है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर रेड की है, लेकिन जो लोग बार्डर पर रहते हैं उन्होंने सोना दबा रखा है, दूसरा रुपया दबा रखा है, ब्लैकमनी दबा रखी है, आप क्या इस प्रकार के लोगों पर रेड कर रहे हैं ? आपकी इनकम टैक्स व्यवस्था में कमी नजर आ रही है और आप 25 हजार रुपए इनकम टैक्स की सीमा नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि

सरकार इस प्रकार के लोगों को पकड़ें, ताकि 25 हजार तक की लोगों को छूट मिल सके और आपकी आमदनी बढ़े।

श्री बी० के० गढवी : अध्यक्ष महोदय, जैसे यह प्रश्न स्मगलिंग से रिलेटिड नहीं है, मगर व्यास जी जैसे सीनियर व्यक्ति जब प्रश्न पूछते हैं, तो मैं निरुत्तर नहीं रह सकता हूं। मैं यह जरूर कहूंगा कि स्मगलिंग होता है, तो उनको कस्टम वाले या और तरीके से उनको सीज करते हैं। अखबारों में आप पढ़ते हैं कि इतना सोना पकड़ा गया, इतनी नार्कोटिक पकड़ी गई और इतने लोगों को कोफेपोसा में ले गए। अलग-अलग कार्यवाही करते हैं। जहां-जहां हमें कोई इन्फार्मेशन मिली है कि ऐसे आदमियों ने टैक्स इवेजन किया है और काला धन है, तो इनकम टैक्स के तहत और दूसरे कानूनों क तहत जरूर कार्यवाही करते हैं। हालांकि आप जानते हैं, लोग यह कहते हैं कि सबसे ज्यादा सोना तो राजस्थान वालों के पास है।

एक माननीय सदस्य : वहां तो रेत है।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास दोनों चीजें हैं, रेत भी है और माल भी है।

श्री बी० तुलसीराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे के नाम पर जो अधिकारी हैं, वे छोटे-छोटे लोगों के पास जाकर उनको तंग करके उनसे पैसे लेते हैं और जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनके पास तो वे जाते ही नहीं हैं क्योंकि वे उनसे पहले से मिले रहते हैं और उनसे पैसा लेते रहते हैं। जो बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस और पचास-पचास लाख रुपया कमा रहे हैं, अफसर लोग उनका सर्वे कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे है?

श्री बी० के० गढवी : अध्यक्ष महोदय, सर्वे के दो तरीके हैं। सेक्शन 133-ए के जो एसेसी हैं, उनके कागजात वगैरह देखते हैं और उनकी प्रोपर्टी वगैरह देखते हैं और उसमें यह देखते हैं कि उन्होंने कुछ छिपाया है या नहीं। दूसरा जो सर्वे होता है, वह सेक्शन 133-बी में होता है। उसमें जो टैक्स नट में अभी तक नहीं आए हैं। उनके बिजनेस प्रीमीसेज, बिजनेस सेन्टर को देखने के बाद उनसे पूछताछ करते हैं कि वे क्या बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, उनकी बिक्री क्या है और उनका मुनाफा क्या होगा। यह दूसरी तरह का सर्वे है। जो लोग हमारे पास एसेसी हैं, उनका जो सर्वे है, उसमें उनके हिसाब-किताब की स्क्रूटिनी करते हैं। जो एसेसी नहीं हैं और जो नये लेने हैं, उनके लिए सर्वे खास तौर से करते हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब बाजार में जाते हैं, तो देखने में व्यापारी छोटे लगते हैं मगर जब सर्वे होता है और बाद में कुछ गलती होती है, तो माल भी कभी-कभी निकल आता है। कभी-कभी ऐसी शिकायतें भी आती हैं···

श्री बी० तुलसीराम : मैं अफसरों के बारे में पूछ रहा हूं और वह आप बता नहीं रहे हैं।

श्री बी० के० गढवी : कभी-कभी अधिकारी कुछ ज्यादा उत्साह दिखाते हैं और जहां से हमारे पास शिकायत आती है, तो हम उसकी खोज करते हैं और करक्टिव मेजर्स भी लेते है।

श्री बी० तुलसीराम : कितने लोगों पर एक्शन लिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री पूजन पटेल — अनुपस्थित।

श्री एम० रघुमा रेड्डी — अनुपस्थित।

श्री महेश्वर नाती — अनुपस्थित।

आज तांती जी भी नहीं हैं।

श्री देबी घोषाल, प्रश्न संख्या 539।

पश्चिम बंगाल के तूफान-पीड़ितों के लिए केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

*539. श्री देबी घोषाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में आए तूफान से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए धनराशि दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा कितनी दे दी गई है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने उसमें से कितनी राशि के व्यय होने की सूचना दी है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) । (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा 13.54 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा स्वीकृत की गई थी। राज्य सरकार ने मार्च, 1989 तक प्रत्याशित व्यय सहित कुल 13.48 करोड़ रुपए के व्यय की सूचना दी है। प्राकृतिक आपदाओं के राहत संबंधी वित्त प्रबंधों के लिए अनुमोदित पैटर्न के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को तूफान राहत के लिए अब तक 762.51 लाख रुपए दिए हैं। राज्य सरकार को और राशि व्यय-विवरण प्राप्त होने के बाद ही देय होगी।

श्री देबी घोषाल : महोदय, आपको पता होगा कि तूफान से पीड़ित अधिकतर लोग साउथ 24 परगना और मिदनापुर के हैं। इन दो जिलों के लोग सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। जहां तक हमें रिपोर्ट मिली है—साउथ 24 परगना का क्षेत्र बहुत बड़ा है—अधिकतर क्षेत्रों में राहत कार्य या तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है अथवा यदि शुरू हुआ भी है तो इसकी गति इतनी धीमी है कि हम केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि में से कोई राहत मिलने की आशा ही नहीं कर सकते। क्या सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए और अधिक निगरानी रखेगी कि जो धन अभी तक स्वीकृत हुआ है, उसे वास्तव में अब तक खर्च किया गया है और यदि नहीं तो वे उन पर धन खर्च करें और लोगों को यथाशीघ्र पैसा दें। उन लोगों को राहत देने में पहले ही काफी देर हो चुकी है।

श्री बी० के० गढवी : महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस चिंता को समझता हूं कि लाभार्थियों के लिए स्वीकृत राशि उन्हें अवश्य मिलनी चाहिए। केन्द्र सरकार इसकी कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है। लेकिन हम राज्य सरकार द्वारा दिए गए व्यय-विवरण पर ही निर्भर करते हैं और उसी आधार पर हम राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित अधिकतम सीमा के अनुरूप धनराशि देते हैं और इस संबंध में, जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं, अब तक राज्य सरकार की सूचना के अनुसार 13.48 करोड़ रुपये के व्यय का ब्यौरा प्राप्त हुआ है जिसमें उनका मार्च 1989 तक का कुछ अनुमानित व्यय भी शामिल है और उस आधार पर सीमान्त धनराशि और अन्य बातों को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार को पहले ही 762.51 लाख रुपए दिये जा चुके हैं और अपने मुख्य उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूं कि और व्यय का विवरण मिलने पर, शेष राशि भी उन्हें दे दी जाएगी। किन्तु मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार को भी यह सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए कि लाभार्थियों को

वास्तव में लाभ पहुंचे। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रभावित लोगों को प्रत्यक्ष राहत देने के लिए 2.73 करोड़ रुपये, उनके पुनर्वास के लिए 8.91 करोड़ रुपये तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों, सड़कों आदि की मरम्मत के लिए 2.90 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक खंड, हिंगालगंज में तूफान के कारण विशेषरूप से बहुत विनाश हुआ था और कुछ समय बाद हमेशा की तरह यहां से एक निरीक्षण दल भेजा गया था। कलकत्ता में राजभवन में पहले हमारा एक सम्मेलन हुआ था जहां राज्य मंत्रियों के साथ केन्द्रीय मंत्री, और विभिन्न अधिकारी तथा स्थानीय जनता के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार के अनुसार आवश्यक राहत कार्यों के लिए जरूरी अनुमानित व्यय कितना था, उन्होंने कितनी धनराशि मांगी थी। केन्द्र सरकार 13.54 करोड़ रुपये की जिस राशि को स्वीकृति दे रही है और जिसे अधिकतम सीमा बताया जा रहा है, उसका अर्थ है वे इससे अधिक धनराशि देने को तैयार नहीं हैं, 13.54 करोड़ रुपये की इस राशि की गणना कैसे की गई है, इसे किन शीर्षों पर खर्च किया जाना है ? अभी बताये गये शीर्षों तथा उन पर खर्च की जाने वाली राशि भी कुल मिलाकर इस राशि जितनी नहीं है।

श्री बी० के० गढवी : इतनी राशि वितरित की जा चुकी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार की मांग कितनी थी, उन्होंने कितने धन की मांग की थी। महोदय, इस तूफान में 70000 से 80000 से भी अधिक पशु मर गए थे। लाखों घर नष्ट हो गए थे। मैं वहां गया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वहां बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है, सभी फसलें नष्ट हो गई हैं, खेत अब खेती करने योग्य नहीं रह गए हैं, सचमुच वहां इतनी अधिक क्षति हुई है कि उसके लिए इस राशि से कहीं अधिक धनराशि की जरूरत है। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कितनी धनराशि मांगी थी और उसके बदले सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है तथा उन्होंने इसकी गणना कैसे की है।

श्री बी० के० गढवी : इस सभा के बहुत वरिष्ठ सदस्य होने के नाते माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को इतनी राशि दी जाती है कि राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जनता की मदद करने में सक्षम हो सके। राहत देना राज्य सरकार का कर्तव्य भी है। लेकिन वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत कुछ मानदंड निर्धारित किये गये हैं। राज्य सरकार ने शुरू में 52.92 करोड़ रुपये के लिए कहा था और बाद में 1,10,00,000 का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और जो टीम वहां गई थी उन्होंने स्थान देखने के बाद राहत के लिए 15.23 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी। लेकिन कुछ सिफारिशें मानदंडों से परे थी और इसलिए राहत के लिए उच्चस्तरीय समिति ने यह निष्कर्ष दिया है कि 13.50 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और जब कभी खर्च आता है हम उसी के अनुसार धन देते हैं। सीमान्त धन का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। लोगों को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष कर के बारे में जो पहले आंकड़े दिए हैं जो वास्तव में 13.54 करोड़ रुपए निर्धारित किये हैं और वह सीमा उच्च स्तरीय समिति ने भी स्वीकार की थी मैं सहमत हूं कि दो जिले अर्थात् उत्तर 24-परगना और दक्षिण 24-परगना प्रभावित जिले थे और बड़ी संख्या में मनुष्यों और जानवरों की जानें गई थी। लेकिन यही प्रणाली सभी राज्यों—पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों पर भी लागू की गई है।

क्योंकि 1988 में 21 राज्य बाढ़ से प्रभावित हुए थे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप कोई ऋण देने के लिए तैयार हो ?

श्री देवी घोषाल : दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगनास जिले में सुरन्दरबन का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत अधिक प्रभावित हुए और कम से कम 12-15 ब्लाक अभूतपूर्व बवण्डर से प्रभावित हुए थे ये तूफान 29-11-1988 को आया था उसके बाद, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री ने लगभग सभी स्थानों का दौरा किया और राज्य सरकार के मंत्रियों से बातचीत की कुछ दिनों बाद मैंने 24-परगना जिले का दौरा किया और पश्चिम बंगाल सरकार के कुछ मंत्रियों से मिला ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यद्यपि इस समय 30.5 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है, भारत सरकार द्वारा आबंटित कुल धन का 5 % तक पश्चिम बंगाल सरकार को वितरित नहीं किया गया । इस संबंध में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह शीघ्र ही एक केन्द्रीय दल सभी ब्लाकों में यह देखने के लिए भेजेंगे कि क्या स्वीकृत धन का राज्य प्रशासन द्वारा उचित समय पर सही प्रयोग किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये बातचीत न करें ।

श्री देवी घोषाल : भारत सरकार ने दिसम्बर 1988 में धन की मंजूरी दी थी और आज अप्रैल 1989 है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या धन का उचित इस्तेमाल किया गया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये । मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री देवी घोषाल : आबंटित धन को समय पर और उद्देश्यपूर्ण ढंग से वितरित नहीं किया गया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको सदन का सारा समय नहीं लेना चाहिए । आप प्रश्न पूछिये । इस तरह नहीं ।

श्री देवी घोषाल : मुझे कुछ स्त्रोतों से पता चला है कि राशि चुनावों के समय वितरित की जाएगी···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वह चाहते हैं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार के राहत कार्य में हस्तक्षेप करे ?

श्री वसुदेव आचार्य : वह वक्तव्य दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । मैं अनुमति नहीं दे सकता । इसे निकाल दिया है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? या मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूं ।

काजू की गिरी के निर्यात सम्बन्धी नीति

*540. श्री तरुण चाकस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान काजू की गिरी के निर्यात में लगातार गिरावट आयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए कोई नीति तैयार की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) वर्ष 1988-89 के दौरान इस नीति के कारण कितना अधिक निर्यात किया जा सका है और आने वाले वर्षों में कितना अधिक निर्यात किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

काजू गिरी से भारत की निर्यात आय वर्ष 1985-86 के 225.11 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 1986-87 में 334.11 करोड़ रु० हो गई किन्तु वर्ष 1987-88 में यह मामूली घटकर 332.71 करोड़ रु० दर्शायी गई है। वर्ष 1988-89 के प्रथम 11 महीनों में 254.80 करोड़ रु० (अनन्तिम) मूल्य के निर्यात हुए। वर्ष 1988-89 के दौरान आई गिरावट के मुख्य कारण ये हैं : अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इकाई मूल्य वसूली में 8 प्रतिशत की गिरावट ब्राजील द्वारा अपेक्षाकृत कम कीमत के काजू का अधिक उत्पादन, केरल में काजू की खरीद सम्बन्धी नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप व्यापार में हुआ व्यवधान और बादाम, पिस्ता से प्रतिस्पर्धा आदि।

सरकार स्थिति की सतत समीक्षा कर रही है और जहां कहीं सम्भव हो वहां उपाय कर रही है। इन उपायों में शामिल हैं : पुस्तिकाओं और अन्य प्रचार सामग्री द्वारा विदेशों में प्रचार, विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मेलों में भाग लेना और परम्परागत तथा संभाव्य बाजारों के दौरे पर व्यापार प्रतिनिधिमण्डल प्रायोजित करना। निर्यात हेतु प्रोसेसिंग के लिए काजू की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय ने काजू उत्पादक राज्यों में योजनाएं आरम्भ कर दी हैं। काजू के उत्पादन, प्रोसेसिंग और निर्यात सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के लिए एक काजू बोर्ड के गठन पर विचार किया जा रहा है। चूंकि काजू से देश को होने वाली निर्यात आय उपरोक्त बातों पर निर्भर करेगी और उनमें से कुछ बातें परिवर्तनशील और भारत सरकार के वश के बाहर हैं, अतः भावी निर्यात के वास्तविक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

श्री तम्पन थामस : महोदय, विवरण से दो बातें सामने आई हैं। प्रथम भारत में काजू की कीमत थोड़ी अधिक है जैसाकि आपने कहा था ब्राजील में काजू सस्ता मिलता है और वहां मूल्यवृद्धि वसूली 8 प्रतिशत कम है। निर्यात में कमी का एक कारण यह है। अन्य मुद्दा यह है पिछले वर्षों में निर्यात में काफी गिरावट आई है। 1988-89 के प्रथम 11 वर्षों में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 80 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वर्ष 1986-37 में कुछ वृद्धि हुई थी। लेकिन 1987-88 में और 1988-89 के प्रथम 11 वर्षों में लगभग 80 करोड़ रुपए का कम निर्यात हुआ। अगर आप मानते हो कि प्रतिमाह 20 करोड़ रुपए की आमदनी होती है तो वर्ष 1983-89 में 60 करोड़ रुपए की कम आमदनी हुई।

केरल में, काजू धन कमाने का मुख्य साधन है और बहुत से गरीब लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए काजू उद्योग में काजू प्रसंस्करण का कार्य करते है। लाखों लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं। अब यह एक बड़ी समस्या बन गयी है। एक ओर तो केरल में उत्पादित वस्तुओं को दूसरे राज्यों में भेजकर केरल की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने का एकजुट प्रयास किया गया है और दूसरी ओर काजू का निर्यात कम हो रहा है। उससे काजू का प्रसंस्करण रुक गया है और श्रमिकों के पास कार्य नहीं है। उन्हें वहां काम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हाल ही में विधानसभा में 10 विपक्षी विधायकों ने भूखे रहकर सत्याग्रह के लिए कहा है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। वे काजू की कीमत अधिक करने की मांग कर रहे हैं। ये सब हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के एकजुट प्रयास हैं। मैं केवल प्रश्न पूछ रहा हूं। इस बारे में भारत सरकार की क्या नीति है। मैं सीधा उत्तर चाहता हूं। मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं। एक तरफ, इसे बाहर भेजा जा रहा है कर्नाटक सरकार बिक्री कर पर 5 करोड़ रुपए मूल्य वसूली कर रही है। इसे अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी दल अधिक खरीद मूल्य की मांग कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की एकाधिकार खरीद के बारे में क्या नीति है क्योंकि आपने उत्तर में एकाधिकार खरीद के बारे में कुछ कहा था। आपका दृष्टिकोण क्या है? आपका खरीद मूल्य क्या है? अगर इसमें वृद्धि हुई है तो इसका निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

श्री विनेश सिंह : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि काजू के निर्यात में काफी कमी हुई है। लेकिन उन्होंने जो कारण दिए हैं उनमें एक कारण बहुत कम है। केरल राज्य सरकार की खरीद नीति के कारण यह विघटन हुआ है। वे संसाधकों और उत्पादकों से सलाह किये बिना या हम से सलाह किए बिना खरीद मूल्य निर्धारित करते हैं जिसके फलस्वरूप प्रसंस्करण की समस्या हुई थी। प्रोसेसर इसे लेने से इन्कार कर देते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि खरीद में कुछ कमियां थी और काजू की फसल नष्ट हो गई थी। तब केरल सरकार ने प्रसंस्करण के लिए 36 प्रसंस्करण इकाइयों का अधिग्रहण किया और वह प्रसंस्करण तथा निर्यात के लिए कुछ काजू आयात करने के लिए अत्याधिक उत्सुक थी। भारत सरकार ने उन्हें सहायता दी। राज्य व्यापार निगम को उनके लिए आयात तथा निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। हमने काजू के आयात तथा स्थानीय खरीद के लिए केरल सरकार के निगम के लिए धनराशि दे दी थी लेकिन गड़बड़ी के कारण नुकसान हुआ है। अब केरल सरकार की नीति पर टिप्पणी करना मेरा कार्य नहीं है। यह तो उन्हीं को देखना है कि उत्पादक के सर्वोच्च हित में क्या है। लेकिन यदि वे हमारी, उत्पादकों तथा प्रसंस्करणकर्ताओं की सलाह ले तो इससे उन्हें मदद मिलेगी और ऐसी नीति तैयार हो सकेगी जिसमें उनकी नीति के उद्देश्यों तथा उत्पादकों के हितों को भी ध्यान में रखा जा सकेगा। जैसाकि होता है, उत्पादक को सबसे अधिक घाटा होता है। इसलिए वे कह रहे हैं कि यह नीति उत्पादकों के हित में शुरू की गई है जबकि उत्पादकों को नुकसान हो रहा है और इसी वजह से कुछ आन्दोलन हुए हैं। उत्पादक केरल सरकार द्वारा उन्हें दिए जाने वाले मूल्य से अधिक की मांग कर रहे हैं। यदि केरल सरकार हमारे साथ विचार-विमर्श करना चाहे तो हमें सहायता देने में बहुत खुशी होगी।

श्री तरुण गोगोई : मन्त्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है क्योंकि एक उत्तर तो यह दिया गया है कि विदेश में भारतीय काजू का मूल्य अधिक है और हमें 80 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है क्योंकि हमारे द्वारा निर्यात किए जा रहे काजू का मूल्य अधिक है और मैं नहीं समझ सकता कि मन्त्री महोदय आगे क्या कह रहे हैं। यदि उत्पादकों को और अधिक मूल्य दिया जाता है तो इससे निर्यात

को कैसे मदद मिलेगी। इस भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। इसके साथ-साथ मैं जानना चाहूंगा कि बैंक अपनी भूमिका कैसे अदा कर रहे हैं। मुझे ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे काजू के प्रसंस्करणकर्त्ताओं को केरल की बजाय दूसरी जगह अपना उद्योग प्रारम्भ करने की सलाह दें। वे केवल तभी उन्हें वित्तीय सहायता देंगे। इन बैंकों को हिदायतें जारी की गई। आप इस कार्य का समन्वयन कैसे करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : ऐसी कोई हिदायतें जारी नहीं की गई हैं। वास्तव में, पिछली बार बैंकों ने केरल सरकार के निगम को सहायता दी थी और काजू के आयात के लिए ऋण दिया था। जहां तक मूल्यों का संबंध है, यह सिर्फ यही प्रश्न नहीं है कि उत्पादकों को क्या मूल्य मिलता है। इसमें प्रसंस्करण, पैकेटों में भरना और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त करने के मुद्दे भी निहित हैं। पिछले वर्ष हमारे घाटे का एक कारण यह भी था कि हम बाजार में काफी देरी से गए। नीति के कारण उत्पन्न हुई गड़बड़ी के फलस्वरूप हम विश्व बाजार में काफी देरी से पहुंचे। इससे कठिनाई उत्पन्न हो गई। जहां तक काजू की सामान्य किस्म के मूल्य में सुधार लाने का संबंध है, भारत सरकार ने एक काजू निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है जो उत्पादकों को अच्छी किस्म की फसल लेने के लिए तथा सामान्य रूप में भी लगभग उसी प्रकार से सहायता देगा जैसे हम केरल में रबड़ उत्पादकों की सहायता कर रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय सदस्य श्री तम्पन थामस ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि केरल से काजू अन्य राज्यों में ले जाया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अन्य राज्यों में काजू का अधिक मूल्य दिया जाता है जबकि केरल में मूल्य बहुत कम है जोकि राज्य सरकार की खरीदने की गलत नीति के कारण है। महोदय, स्वयं मन्त्री महोदय ने कहा है कि इस नीति के फलस्वरूप व्यवधान उत्पन्न हुआ है और इससे हमारा निर्यात बुरी तरहप्रभावित हुआ है। आप जानते हैं कि तीन विधायक 10 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। उन्हें कल गिरफ्तार करके हटाया गया। राज्य में आन्दोलन चल रहा है। इससे काजू का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा और इससे पुन: हमारे निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके देश की निर्यात से होने वाली आय पर सीधा असर पड़ेगा इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय इस मामले पर राज्य सरकार से बात करेंगे और इस गलत नीति को ठीक करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे ताकि किसानों को बेहतर मूल्य दिए जा सकें और निर्यात में सुधार हो।

श्री दिनेश सिंह : हमने पहले ही केरल सरकार के पास यह सन्देश भेज दिया है कि हम जिस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं वैसा करने में हमें खुशी होगी और हमने उनसे पूछा है कि वे किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैंने इस संबंध में केरल सरकार के मंत्रियों से कुछ मंत्रणा की थी। लेकिन वे ऐसी नीति अपना रहे हैं जो न तो कृषकों और न ही उत्पादकों को पूर्णतया स्वीकार्य है और हम इसी कठिनाई का अब सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार समझती है कि सहायता देने के अतिरिक्त हम कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन एक बार काजू बोर्ड गठित होने के बाद हम संभवत: उन्हें और अधिक ठोस सहायता देने में समर्थ हो सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री बशीर···

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया केरल के बाहर के सदस्यों को भी अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बाद प्रो० दंडवते को अनुमति दूंगा ।

श्री टी० बशीर : महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में भारत के काजू निर्यात में कमी के लिए एक कारण यह बताया है कि केरल में काजू की खरीद की नीति में केरल सरकार ने परिवर्तन किया है । जैसाकि मेरे माननीय मित्रों ने सही कहा है, केरल सरकार की इस क्रय नीति के कारण काजू उत्पादक दुविधा में हैं । काजू उद्योग संकट में है । यही मुद्दा केरल के लोगों, काजू उत्पादकों और इस उद्योग के श्रमिकों को सता रहा है । महोदय, कुछ विधायक पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कौनसी नयी बात है ?

श्री टी० बशीर : केरल सरकार इस पर अड़ी हुई है । वह इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे और इस राज्य में काजू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए हल निकालने का प्रयास करे । इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक सरकार ने क्या सहायता दी है और क्या सफलता मिली है । माननीय मन्त्री ने कहा है कि वह राज्य सरकार के साथ सलाह मशविरा करने के लिए तैयार हैं । इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुके हैं ।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं । मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मैंने यह कहा था कि हम काजू बोर्ड गठित कर रहे हैं तो मैंने संभवतः 'नियम' कहा था। फिर भी माननीय सदस्य ने मुझे याद दिलाया है । हमारा काजू बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव है ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या माननीय मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र कोंकण में, जहां कुछ ही उद्योग हैं, अधिकांश उद्योग काजू प्रसंस्करण उद्योग हैं, वे आवश्यक निर्यात करते हैं और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं ? क्या यह सच है कि कोंकण क्षेत्र में काजू प्रसंस्करण उद्योगों को निश्चित मात्रा में कच्चा काजू उपलब्ध नहीं होता है और जिसके कारण इन उद्योगों को हानि उठानी पड़ती है और वे लगातार इसकी मांग करते आ रहे हैं । आप कुछ काजू बाहर से मंगवाते हैं और उसे अनेक प्रसंस्करण उद्योगों को देते हैं । लेकिन जहां तक कोंकण का सवाल है वहां कुछ तकनीकी मुद्दे उठाए गए हैं । इसके कारण न तो उन्हें स्वदेशीय काजू की पर्याप्त पूर्ति हो पाती है और न ही उन्हें आयातित काजू ही मिल पाता है । क्या आप इस बात पर ध्यान देंगे और इस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक स्वदेशी काजू का सवाल है, माननीय सदस्य अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय मोर्चे में चर्चा कर सकते हैं···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : इसके लिए आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है ।

श्री दिनेश सिंह : जहां तक आयातित काजू का प्रश्न है, मैं इस मामले की जांच करूंगा और महाराष्ट्र के प्रसंस्करण उद्योग की सहायता करूंगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, केरल सरकार द्वारा काजू उद्योगों को तबाह करने के निरन्तर प्रयास को ध्यान में रखते हुए, क्या केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करना उचित समझती है कि काजू उत्पादक केरल सरकार की कृपा पर न रहें जोकि काजू उद्योग पूर्णतया नष्ट

करने पर लगी है ? केरल सरकार के इस जिद्दी रवैये के कारण क्या केन्द्र सरकार वहां की वामपंथी सरकार को बर्खास्त करने पर विचार करेगी ? (व्यवधान)

श्री सन्तम नामल : अब सच्चाई सामने आ गई है। इस बात के लिये यहां प्रयत्न जारी है।

(व्यवधान)

सामान्य बीमा निगम और हिन्दुजा नेशनल अस्पताल के बीच समझौता ज्ञापन

***541. श्री के० एस० राव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम और हिन्दुजा नेशनल अस्पताल, बम्बई ने किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अन्तर्गत पालिसीधारकों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ;

(ख) क्या सामान्य बीमा निगम की चार सहायक कंपनियां—नेशनल इंश्योरेंश कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी—भी पालिसीधारकों को यह सुविधा उपलब्ध करने के लिए अस्पताल के प्राधिकारियों के साथ अलग-अलग समझौते कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के संबंध में पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी, हां। भारतीय साधारण बीमा निगम और हिन्दुजा नेशनल अस्पताल ने एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार हिन्दुजा नेशनल अस्पताल "मेडीक्लेम" पालिसीधारकों से अस्पताल के शुल्क लिए बिना ही उन्हें पालिसी के अंतर्गत उपलब्ध लाभों की सीमा तक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। अस्पताल चिकित्सा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए बिल बीमा कंपनी को सीधे ही भेजेगा। यदि चिकित्सा संबंधी खर्च पालिसी के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ-सीमा से अधिक बैठता है तो खर्च की उस अतिरिक्त राशि को अस्पताल सीधे ही बीमित व्यक्ति से वसूल कर लेगा।

उपरोक्त सहमति ज्ञापन के आधार पर, साधारण बीमा निगम की चार सहायक कंपनियों ने 27-3-1989 को हिन्दुजा नेशनल अस्पताल के साथ अलग-अलग करार निष्पन्न किए हैं जो पहली अप्रैल, 1989 से लागू हो गए हैं।

श्री के० एस० राव : मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार ने एक स्वास्थ्य बीमा नीति आरम्भ की है। मुझे खुशी इसलिए है कि एक ओर तो तीव्र गति से अनुसंधान जारी है, और दूसरी ओर अनेक बिमारियों का बारीकी से निदान करने के लिए आधुनिक उपकरण और मशीनें हैं। दुर्भाग्यवश, इलाज ज्यादा महंगा होने के कारण, यह आम लोगों के पहुंच के बाहर है। इस स्वास्थ्य बीमा को लागू करने से सामान्य लोगों को इससे फायदा हुआ है और वे अपनी जांच करा सकते हैं जिससे मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ बीमा कम्पनियों द्वारा रोग निदान केन्द्रों और अस्पतालों को स्वीकृति प्रदान करने में भेदभाव अपनाया जाता

है और उसे केवल रोग निदान तक ही सीमित रखा जाता है, क्योंकि अगर कोई रोगी एक अस्पताल और एक रोग निदान केन्द्र से की नीति को अपनाते हुए, कंट-स्केनिंग किसी रोग निदान केन्द्र करवाता है, जिससे उसे पुनः इलाज करवाने की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसी स्वास्थ्य बीमा नीति का अन्य लोगों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है जिससे अन्य लोगों के साथ न्याय नहीं होता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास इस तरह के भेदभाव की कोई मिसाल है?

श्री एडुआर्डो फैलेरो : हां, कोई भेदभाव नहीं है और न ही भेदभाव का कोई प्रश्न उठता है। मेरे विचार से मुझे माननीय सदस्य को इस नीति के सम्बन्ध में उपलब्ध सारी जानकारी और पैम्पलेट और दूसरी सूचनाएं देनी चाहिए जिससे वे इसे भली-भांति समझ सकें। जहां तक इस मामले विशेष का सम्बन्ध है, हमने पहले भी विभिन्न अस्पतालों से सम्पर्क स्थापित किया है। हम बम्बई अस्पताल, पारसी अस्पताल, जसलोक, ब्रीचकैंडी, हरिकिशनदास, नानावती और भाटिया जनरल अस्पताल से सम्पर्क स्थापित किया है। लेकिन अभी तक केवल एक ही अस्पताल से जवाब आया है। लेकिन हम दूसरे अस्पतालों से भी बातची। कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हम उसी तरह का समझौता दूसरे अस्पतालों से भी करेंगे जैसे—बम्बई अस्पताल और जसलोक अस्पताल। बातचीत हरकिशनदास और भाटिया जनरल अस्पताल से भी चल रही है?

जहां तक रोग-निदान का संबंध है, तो माननीय सदस्य मानेंगे कि यह बीमा योजना है। रोग निदान का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति वहां जाकर अपनी जांच प्रतिदिन करा सकता है या एक दिन में कई बार भी करा सकता है अगर उसके पास वक्त है। अब यह बीमा मूलतः से दैवयोग पर निर्भर करता है। यह एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिससे जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तभी उसे यह बीमा प्राप्त हो; अन्यथा नहीं। रोग-निदान पर, बीमारी होने पर विचार किया जा सकता है, केवल रोग निदान पर नहीं। यह बीमा नीति के क्षेत्र में नहीं आता क्योंकि वहां दैवयोग की कोई बात नहीं है।

श्री० के० एस० राव : मैं मंत्री महोदय के दृष्टिकोण की प्रशंसा करता हूं क्योंकि मेरा भी यही दृष्टिकोण है। लेकिन दुर्भाग्यवश, मंत्री महोदय इस बात से अवगत नहीं हैं कि बीमा केवल रोग निदान के लिए ही किया जाता है, अन्य के लिए नहीं। और, मैं यह मामला यहीं छोड़ता हूं, परन्तु मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि वे इसकी विस्तृत रूप से जांच करेंगे।

मैं यह जानता हूं कि सरकार को इस बीमा नीति से प्रारम्भ में नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि दावे की रकम प्रीमियम से ज्यादा होगी, लेकिन जब यह ज्यादा प्रचलित हो जाएगी तो इससे सरकार तथा लोगों को ज्यादा फायदा होगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस दावे की राशि का क्या होता है जो दावे की राशि से ज्यादा होती है। क्या वे इस संबंध में संबंधित अस्पताल से कोई आश्वासन लेंगे कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल वास्तविक रोगियों का ही उपचार हो जिससे वे उस घाटे की उस रकम की भरपाई कर सकें जो अतिरिक्त राशि देने से होगा।

क्योंकि पहले हमने पाया कि कई मामले सही नहीं थे और कई लोग इस स्थिति का लाभ उठा रहे थे। क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि आवश्यक हुआ तो वह एक समिति नियुक्त करेंगे ताकि कुछ लोग इस नीति का दुरुपयोग न कर सकें और बाद में वह इससे बचें?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हमने एक विज्ञापन दिया है जिसमें सभी अस्पतालों के अधिकारियों को इसमें योगदान देने को कहा है । कोई भी अस्पताल जो इस योजना के दायरे मे आता है इस योजना का लाभ उठा सकता है । जहां तक दावों के उचित होने का संबंध है यह सामान्य बीमा स्थिति है कि केवल सही दावों का भुगतान होगा अन्यों का नहीं । यदि वह जाली है तो जाहिर है कि उनका भुगतान नहीं होगा । जहां तक मेडिक्लेम का संबंध है इसमें कुछ विशेष नहीं है । प्रत्येक बीमा योजना के संबंध में यही स्थिति है जहां तक बीमा की सीमा से बाहर अस्पताल के खर्च का संबंध है, रोगी को वह खर्च स्वयं वहन करना होगा । बीमा द्वारा उतना ही खर्च वहन किया जाएगा जितना उस रोगी के साथ किए गए करार में उपबन्धित है ।

आदर्श रेलवे स्टेशन

*542. श्री टी० बशीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिये चुने गये प्रत्येक रेलवे स्टेशन के विकास पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ;

(ख) प्रत्येक स्टेशन का विकास कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक स्टेशन के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई ; और

(घ) प्रत्येक स्टेशन के लिए आबंटित धनराशि में से स्टेशन-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई ?

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (घ) 67 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है । अनुमानित लागत, 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के लिए आबंटित धनराशि तथा 1986-87 और 1987-88 के दौरान प्रत्येक स्टेशन पर किये गये खर्च को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । 1988-89 के दौरान किये गये खर्च का ब्यौरा जून, 1989 में लेखे बन्द करने के बाद ही उपलब्ध हो पायेगा ।

धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप इन सभी 67 स्टेशनों के कार्यों में प्रगति हो रही है और इनके आठवीं योजना के मध्य तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

विवरण

(आंकड़े लाख रुपयों में)

क्रम सं०	आदेश स्टेशन	अनुमानित लागत	परिव्यय			खर्च	
			1986-87	1987-88	1988-89	1987-88	1987-88
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अकोला	119.34	20.37	9.14	24.68	11.39	17.05
2.	बम्बई वी० टी०	129.51	5.65	5.67	61.58	5.85	5.67
3.	पुणे	118.85	12.87	8.15	21.85	3.62	9.32
4.	ग्वालियर	218.12	22.07	3.01	58.35	12.31	27.50
5.	भोपाल	154.24	26.66	25.60	29.78	3.03	30.07
6.	जबलपुर	207.02	10.82	3.25	14.30	9.92	6.95
7.	नागपुर	166.71	26.65	25.85	33.67	24.60	22.31
8.	सोलापुर	76.80	[illegible].03	7.80	18.13	0.13	10.14
9.	सियालदह	297.72	16.20	52.16	91.63	16.20	52.16
10.	हवड़ा	496.13	51.60	60.95	112.55	51.60	60.95
11.	दुर्गापुर	56.62	8.38	10.62	18.08	8.39	10.62

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	धनबाद	177.56	5.90	0.94	25.60	5.90	0.94
13.	गया	106.76	21.37	24.70	11.50	21.37	24.70
14.	पटना	310.35	31.99	43.74	34.79	31.99	43.74
15.	माल्दा टाउन	93.48	11.50	15.39	39.24	11.50	15.39
16.	शिमला	32.75	...	1.50	4.00	...	1.50
17.	नयी दिल्ली	15.80	...	5.80	10.00	...	5.80
18.	मेरठ सिटी	249.43	...	34.88	75.79	...	34.88
19.	भिवानी	45.00	...	...	10.50	...	...
20.	लखनऊ	30.00	...	...	20.00	...	10.00
21.	इलाहाबाद	69.82	...	16.46	14.26	...	16.46
22.	मुरादाबाद	141.47	63.81	15.50	33.00	60.04	15.50
23.	जम्मूतवी	216.00	...	17.50	16.64	2.99	7.50
24.	जालंधर	55.02	30.96	18.82	11.00	19.70	18.82
25.	बीकानेर	169.86	9.50	12.50	22.47	...	12.50
26.	जोधपुर	120.07	18.50	1.60	22.82	16.90	1.60
27.	लखनऊ जं०	62.58	10.40	21.35	19.00	10.40	12.35
28.	गोरखपुर	402.00	...	25.00	38.27	...	25.00
29.	काठगोदाम	118.06	...	22.00	24.25	...	8.54

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	इलाहाबाद सिटी	67.48	0.75	5.80	2.48	0.75	5.88
31.	समस्तीपुर	95.39	3.85	30.00	20.99	3.85	30.00
32.	मुजफ्फरपुर	160.78	4.25	14.85	19.67	4.25	14.83
33.	कटिहार	137.70	...	29.00	32.50	5.18	25.62
34.	न्यू बोंगाईगांव	100.00	...	...	2.00	...	...
35.	गुवाहाटी	621.00	...	16.25	15.22	...	12.00
36.	लमडिंग	155.00	...	...	8.00	...	...
37.	तिनसुकिया	190.00	...	...	14.00	...	...
38.	मद्रास सेंट्रल	249.80	...	...	8.00	...	...
39.	तिरुचिरापल्ली	78.12	5.57	22.19	12.24	5.57	30 22
40.	मदुरै	30.53	...	5.52	10.08	...	7.57
41.	मैसूर	97.61	...	...	3.84	...	...
42.	बेंगलूरू सिटी	241.57	...	1.45	7.24	...	21.45
43.	तिरुवनन्तपुरम	227.77	...	...	25.57	...	...
44.	कोयम्बतूर	158.32	...	14.63	53.81	...	25.12
45.	तिरुपति	182.03	...	9.52	19.84	...	10.00
46.	बेल्लारी	93.60	...	17.85	16.09	...	6.00
47.	विजयवाडा	164.95	...	29.40	8.99	...	6.02
48.	नांदेड	79.90	...	...	8.12	...	...

1	2		4	5	6	7	8
49.	हैदराबाद	30000	...	...	...	...	...
50.	बिलासपुर	207.00	23.20	5.00	60.00	64.69	4.94
51.	रायपुर	55.90	0.23	0.60	8.50	...	...
52.	जबलपुर	138.00	...	5.40	15.66	...	...
53.	विशाखापत्तनम	101.50	2.50	2.00	23.66	...	...
54.	बोंदिया	159.58	0.60	1.00	11.10	...	...
55.	दुर्ग	55.58	0.50	0.50	6.06	...	...
56.	टाटानगर	105.00	...	...	21.36	...	...
57.	भुवनेश्वर	163.00	2.00	2.00	26.25	...	0.90
58.	रांची	210.32	4.50	5.00	5.26	4.36	5.58
59.	अहमदाबाद	13.87	...	6.50	3.00	...	0.60
60.	इंदौर	63.79	7.00	26.50	19.11	...	29.15
61.	भरतपुर	44.47	...	12.00	16.62	...	6.19
62.	आगरा फोर्ट	59.25	...	2.00	31.75	...	0.32
63.	जयपुर	57.60	...	6.90	17.96	...	14.71
64.	जूनागढ़	7.01	...	2.50	0.51	...	...
65.	अजमेर	47.12	12.00	11.00	11.00	...	13.42
66.	राजकोट	30.60	...	0.25	15.33	...	5.48
67.	बम्बई सेंट्रल	102.46	...	10.50	5.51	...	...

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि इन सभी 67 स्टेशनों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। मेरा अनुपूरक प्रश्न त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन के बारे में है। त्रिवेन्द्रम स्टेशन की अनुमानित लागत 227.77 लाख रुपए है। परन्तु 1986-87 और 1987-88 के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया था और 1988-89 के लिए 25.57 लाख रुपए का आबंटन किया गया है। वर्ष 1986-87 में त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन पर कोई खर्च नहीं किया गया, 1987-88 में भी कोई खर्च नहीं हुआ। इस प्रकार उत्तर से यह पता चलता है कि त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन के विकास के संबंध में कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है ? वहां की वर्तमान स्थिति क्या है ?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद : श्रीमन्, मैंने माननीय विद्वान सदस्य को पहले ही बताया कि हमने 67 स्टेशन लिए हैं और काम की हमारी सतत प्रक्रिया है, एक बार ही नहीं हम धीरे-धीरे काम करते रहते हैं। हम त्रिवेन्द्रम को आदर्श स्टेशन बना रहे हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि इसके लिए 1986-87 और 1987-88 में कोई धन आबंटित नहीं किया गया है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमने 25.57 लाख रुपया 88-89 में त्रिवेन्द्रम के लिए आबंटित किया है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो 67 स्टेशन लिए हैं उस पर 100 करोड़ रुपए के खर्च का हमने विचार किया है। सबको मिलाकर 1986-87 में हमने 27 स्टेशन लिए जिन पर 4.1 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रयास किया, 1987-88 में 24 स्टेशन लिए और 7.74 करोड़ खर्च का प्रावधान किया और 1988-89 में 16 स्टेशन लिए हैं और 15.04 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान है।

जब कोई काम हो जाता है फिर उस पर हम पैसा खर्च करते हैं। जब तक वह पूरा स्टेशन कार्यरूप में परिणात नहीं हो जाता, चूंकि स्टेशन तो पहले से बना हुआ है, कुछ अतिरिक्त सुविधाएं हम उसमें देते हैं। इसलिए आबंटित करने का प्रश्न अंतिम दम तक जब तक हम उसको पूरा नहीं कर लेते तब तक हम सतत रूप से काम करते हैं। इन 67 स्टेशनों के अलावा भी हम और स्टेशनों को आदर्श रूप में सुधारेंगे, यह माप-दण्ड हमने बनाया है।

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर : महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यह सच है कि 1988-89 में त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन के लिए 25.57 लाख रुपए का आबंटन किया गया, किन्तु उस राशि में से खर्च कुछ भी नहीं किया गया। त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन के विकास के लिए अभी तक खर्च कुछ भी नहीं किया गया। त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन के विकास के लिए अभी तक कुछ भी न करने का क्या कारण है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मॉडल रेलवे स्टेशन में ऐसी कौन-सी विशेषताएं हैं जो आम स्टेशनों से भिन्न हैं ? त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करके क्या सुविधाएं दी जाएंगी ?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद : मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बता दिया था कि सही आंकड़े हम तभी दे पाएंगे जब 1988-89 के खर्च के ब्यौरे के लेखे बन्द हो जाएंगे कि कितना हमने खर्च किया और कितना नहीं किया।

दूसरा प्रश्न यह पूछा कि क्या मानदंड हमने आदर्श स्टेशनों के लिए रखे हैं। जितने हमारे नियमित और फ्लैग स्टेशन हैं, उसके लिए हम कुछ मौलिक सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं देते रहते हैं उसके अतिरिक्त भी हम उनमे आवश्यक काम करते रहते हैं जैसे प्रतीक्षालय हम विशेष रूप से बनवाते हैं, बैंचों की व्यवस्था हम अधिक करते हैं, बैंचों की व्यवस्था वहां अधिक करते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था हम अधिक कर देते हैं, बेहतर स्वचालक व्यवस्था अलग से करते हैं, समुचित बुकिंग व्यवस्था अतिरिक्त रूप में करते हैं, प्रतीक्षालय कक्ष भी वहां हो इसको हम देखते हैं और उसमें बढ़ोत्तरी करते हैं। इसी प्रकार से अगर वहां प्लेटफार्म की व्यवस्था कम होती है तो उसमें सुधार करते हैं और विश्राम कक्ष के लिए अलग से व्यवस्था करते हैं व स्नानागार की व्यवस्था भी हम वहां करते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : सिद्धान्त रूप में सरकार ने राज्य मुख्यालयों के रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाने का निर्णय लिया है तथा रेलवे डिविजन के एक रेलवे स्टेशन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। चूंकि सरकार ने उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर को मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नत किया है, क्या सरकार उड़ीसा के खोराड़ा रेलवे डिविजन में गंजम जिले में बरहामपुर रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने के बारे में विचार करेगी ?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद : श्रीमन्, जैसाकि मैंने पहले ही स्पष्ट कहा है कि भारतीय रेलों के प्रत्येक मंडल में कम से कम एक स्टेशन आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए हम काम करते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने भी बताया कि हम क्षेत्रीय मुख्यालय, मंडल मुख्यालय, राज्य की राजधानियां, जिला मुख्यालय, महत्वपूर्ण जंकशन, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों आदि को इसमें जोड़ते हैं। लेकिन जहां तक भुवनेश्वर का प्रश्न है वह आदर्श स्टेशनों में से है और भी काम वहां हम करवा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : बरहामपुर के निकट एक छावनी भी है। क्या सरकार बरहामपुर को भी एक मॉडल स्टेशन बनाएगी ? मेरा प्रश्न यह है।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि यह प्रक्रिया हम बंद नहीं करने वाले हैं। भुवनेश्वर के बाद और कई स्टेशन आदर्श स्टेशन के रूप में बनेंगे और उसी के आधार पर दूसरे स्टेशनों का हम सुधार करेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्ष जी, यह जो आदर्श स्टेशन चुने जाते हैं उसके पीछे क्या नीति है और कैसे आप आदर्श स्टेशन चुनते हैं। दक्षिण पूर्व ओर पूर्वी रेलवे में किन-किन स्टेशनों को आपने आदर्श स्टेशन चुना है ?

श्री महावीर प्रसाद : श्रीमन्, मैं इसकी अलग से सूचना भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : लिख कर भेज देना।

श्री नारायण चौबे : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने हमें यह सूचना दी थी कि हम खड़कपुर स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन बनायेंगे लेकिन डेढ़-दो साल बीत चुके हैं और वहां अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह कब से वहां कार्य शुरू करवायेंगे ? इसके साथ ही यह भी जानना चाहूंगा कि जिन जगहों में आप आदर्श स्टेशन बनाते हैं, उसके लिए वहां के एम० पी०, एम०

एल० ए०, कमिशनर और चेयरमैन आदि से कोई सलाह मश्वरा लेते हैं या फिर खाली रेलवे बोर्ड से सलाह लेकर वहां आदर्श स्टेशन बना देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : चौबे जी पहले आप यह बतायें कि आप अपने दर्शन इतने दुर्लभ क्यों कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद : माननीय चौबे जी बहुत चालाक और विज्ञ पुरुष हैं मैं उन्हें खड़कपुर स्टेशन के विषय में अलग से सूचना दे दूंगा और इसमें और क्या करना चाहिए इस विषय में भी विचार-विमर्श कर लूंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष जी, 'चालाक' शब्द अनपार्लियामेंटरी है। अतः इसको निकलवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रकरण दूसरा है।

अल्प सूचना प्रश्न

प्याज के मूल्यों में गिरावट

[अनुवाद]

अ०सू०प्र० 1. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के लिए प्याज के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या समस्त देश में, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में, प्याज के मूल्यों में अभूतपूर्व गिरावट आई है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या 1988-89 के लिए प्याज निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ;

(घ) क्या किसानों की यह जोरदार मांग है कि प्याज निर्यात का कार्य नेफेड की बजाय अन्य एजेंसियों द्वारा सीधे ही किया जाना चाहिए ; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) प्याज के मूल्यों में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्याज उत्पादन किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) वर्ष 1988-89 के आरम्भ में यह निर्णय लिया गया था कि प्याज के निर्यात के उस स्तर को बनाए रखा जाए जोकि पिछले वर्ष (1987-88) के दौरान प्राप्त किया गया था अर्थात् 1.41 लाख मी० टन०। लेकिन प्याज की अच्छी उपलब्धता और उसकी उचित कीमत को ध्यान में रखते हुए अक्तूबर, 1988 में यह निर्णय लिया गया कि 3 लाख मीटरी टन तक प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाए।

(ख) ऐसा सूचित किया गया है कि विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में प्याज की कीमतों में गिरावट आई है।

(ग) उपलब्ध अनन्तिम जानकारी के अनुसार वर्ष 1988-89 के दौरान प्याज के निर्यात 2.24 लाख मीटरी टन के स्तर तक पहुंच जायेंगे जिनसे 65 करोड़ रु० की वसूली होगी जो कि अब तक किसी भी वर्ष में की गई वसूली से सार्वाधिक होगी।

(घ) महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ और गुजरात कृषि उद्योग निगम द्वारा किए गए अनुरोध पर अभी हाल ही में इन संगठनों में प्रत्येक को 25 हजार मी० टन प्याज के निर्यात का कोटा देने पर सहमति हुई है।

(ङ) भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से पहले ही अनुरोध किया है कि वह किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के प्रस्ताव भेजें।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : स्पीकर सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र के प्याज उपज करने वाले किसान और देश के किसान की भी हालत बहुत खराब है। मेरे पास सबूत है कि 20 रुपये क्विंटल प्याज कापरगांव मार्केट खासगांव या आनन्द, पुणे में बिक रही है, लोगों ने प्याज वैसे ही छोड़ दी है। वहां काफी आन्दोलन किसान छेड़ रहे हैं। 20 रुपये क्विंटल यानी क्या दाम किसान को मिलना चाहिए जबकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपये क्विंटल आ रही है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट करने के लिए क्या नाफेड से एसोसिएट करना जरूरी है? अगर खुलेआम एक्सपोर्ट करने के लिए हर स्टेट फैडरेशन या किसी को दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा क्योंकि नाफेड एक सफेद हाथी की तरह है, वहां इतनी धांधली है कि न कोई इन्क्वायरी होती है न कुछ होता है तो सरकार इस बारे में कुछ सोचेगी? आप अक्टूबर में बहुत देर से एक्सपोर्ट करने के लिए सोच रहे हैं। क्या आप कोई दीर्घकालीन नीति बनाएंगे जिससे शुरू से ही एक्सपोर्ट ठीक रहे और अगले साल अप्रैल से आप कितना एक्सपोर्ट प्याज करना चाहेंगे, उसकी क्या नीति आप बना रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार ने आपको लिखा है तो कब लिखा है और क्या सुझाव भेजे हैं? तीन साल पहले स्टेट गवर्नमेंट और केन्द्र सरकार ने 75 रुपये, 85 रुपये क्विंटल के रेट पर कांदा खरीद लिया, प्याज खरीद लिया और 28 करोड़ का घाटा पाया। अभी सरकार कोई सपोर्ट प्राइस तय करने जा रही है या नहीं? अगर नहीं तो क्या कारण है? नाफेड ने 30 रुपये 24 रुपये क्विंटल पर कांदा खरीदने की कोशिश की थी, नाफेड किसानों के हित में काम नहीं कर रहा तो इन दोनों चीजों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? यह प्रश्न एग्रीकल्चर से सम्बन्धित है, मै मानता हूं कि यह आपका सवाल नहीं है लेकिन हम मजबूर हैं। आप क्या कर रहे हैं, यह बताइये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास भी कापरगांव से 20-25 आदमियों का एक डैलीगेशन पूरा का पूरा आया था, वह भी कह रहे हैं कि हमारी प्याज नहीं बिकती।

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके पास जो सूचना आई है, जो माननीय ने भी कही है, वह बात सही है कि इस वर्ष एक तो प्याज की पैदावार कुछ बढ़ गई और कुछ पानी बरसने से महाराष्ट्र में, विशेषकर नासिक में काफी नुकसान हो गया। उसकी वजह से प्याज का, जो पानी से खराब हो चुकी है, दाम गिर गया है। उसके दाम के बारे में हमारे पास सूचना आई है कि करीब 330 रुपये क्विंटल पड़ रहा है।...

प्रो० मधु दंडवते : 30 के नीचे जा रही है।

श्री दिनेश सिंह : जो अच्छे किस्म की प्याज है, जो भीगी नहीं है, उसकी कीमत 50 रुपये से लेकर 75 रुपये पर क्विंटल मिल रही है। जहां तक निर्यात का सवाल है, निर्यात के लिए अभी तक जो एजेंसी थी, माननीय सदस्य उससे संतुष्ट नहीं हैं, उसकी जो कमियां हैं, उसके लिए मैं जिस मंत्रालय से सम्बन्धित हूं, उससे कहूंगा कि वह उसको देखे। लेकिन सब

लोगों को अलग-अलग निर्यात करने की इजाजत देने से जो निर्यात की कीमत है, वह गिरेगी और उससे कोई लाभ नहीं होगा । लाभ तो इसमें होगा कि सबको मिलाकर एक साथ उसका निर्यात किया जाए । फिर भी जैसा मैंने कहा, हमने महाराष्ट्र और गुजरात के फैडरेशन को निर्यात करने की इजाजत दी है और देखें कि वे किस तरह से काम करते हैं । आगे की नीति का निर्धारण उसके हिसाब से देखा जा सकता है । हम अगले साल कितना निर्यात करेंगे, आज यह कहना मुश्किल है । उस वक्त कितनी बाहर भेजने के लिए पैदावार उपलब्ध होगी, उस पर निर्भर करता है । निर्यात ही इसका खाली हल नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा निर्यात हो गया तो यहां की कीमतें बढ़ जायेंगी । उस वक्त अगर प्याज व्यापारियों के हाथ में आ गया तो उससे किसानों को लाभ नहीं हो पाएगा । हमने महाराष्ट्र सरकार से कहा है, अगर वे चाहें तो मार्केट इन्टरवैंशन किया जा सकता है, जिसमें कि जो कुछ भी नुकसान होगा, उसका पचास फीसदी केन्द्रीय सरकार देगी और पचास फीसदी महाराष्ट्र सरकार को देना चाहिए ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, हमने प्रश्न पूछकर गलती की है । अगले साल निर्यात की नीति निर्धारित नहीं है, और दाम गिर जाएगा । कोई लेने वाला नहीं रहेगा । मेरा सरकार से आग्रह है कि तुरन्त आदेश दिया जाए कि कुछ न कुछ एक्सपोर्ट हो जाए, नहीं तो फिर और कीमतें गिर जायेंगी । मैं यह मानता हूं कि उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन आपके आंकड़ों से साबित होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार ही प्याज के लिए अच्छा बाजार है । महाराष्ट्र, नाफेड और कृषि मंत्रालय खरीद की है, दो-तीन दिन में तुरन्त आदेश दिया जाए और खरीद शुरू हो जाए । खाली फैडरेशन से काम चलने वाला नहीं है । किसान बिल्कुल घाटे में है, किसान रो रहा है और बहुत से किसान तो बीमार भी हो गए हैं ।

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं माननीय सदस्य ने जो कठिनाई बताई है, वह है । हमने टैलक्स द्वारा महाराष्ट्र सरकार को फिर भी कहा है कि वे इस बारे में जल्दी फैसला करें ।

[अनुवाद]

डा० विद्या सामन्त : महोदय, मुझे नासिक और सासन गांव से कई शिकायतें मिली हैं । किसानों को एक किलो प्याज खरीदने के लिए 20 पैसे खर्च करने पड़ते हैं जबकि बम्बई में यह 2 से 3 रुपये प्रति किलो और दिल्ली में 3 रुपये प्रति किलो बेचे जाते हैं । इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है हमारे देश में । किसानों को अपने प्याज फैंकने पड़ते हैं, इसलिए नहीं कि अधिक वर्षा के कारण प्याज खराब हो गए थे बल्कि इसलिए कि किसानों और विक्रेताओं के बीच सहयोग नहीं है । बिचौलिए पैसा हड़प रहे हैं । इसके निर्यात के बारे में कोई नीति नहीं है क्योंकि किस किस्म की फसल हो रही है इस बारे में कोई अग्रिम आयोजना नहीं है । इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और अगले वर्ष वह प्याज नहीं उगाएंगे ।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना, इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करेगी और प्याज का निर्यात जो इस समय 25,000 टन है, को बढ़ाएगी ? दूसरे क्या सरकार प्याज को संरक्षित करने के लिए कोई नई नीति तैयार करेगी और यह देखेगी कि उन्हें ठीक प्रकार से शहरों में बेचा जा सके ?

[हिन्दी]

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप खुद एक किसान हैं, इसलिए समझ सकते हैं कि कितनी पैदावार अगले साल होगी, इसका जायजा आज नहीं लगाया जा सकता । हम यह कहें कि

हम इतना प्याज अगले साल निर्यात कर देंगे और उतनी पैदावार न हुई तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। यह सब जानते हैं, अगर निर्यात के लिए हमको सामान मिलेगा तो उसका हम निर्यात के लिए पूरा इस्तेमाल करेंगे। हमारी पूरी नीति इस वक्त ऐसी बनी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें। अगर अगले साल प्याज की अच्छी पैदावार हुई तो उससे ज्यादा निर्यात कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप पालिसी बना लीजिए, हम पैदा कर देंगे।

श्री दिनेश सिंह : बहुत अच्छा, अध्यक्ष महोदय। आप जैसा आदेश दे रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चौबे जी, बीच में मत बोला करिए। आप आए हैं देर से, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : चौबे जी का किसानों से कोई मतलब नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : हमारा मतलब प्याज से है। मैं पांच रुपये खाता हूं और 50 रुपये क्विंटल बेचते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इनको भोजन पर बुला लेंगे, चौबे जी को।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : जैसा आपने आदेश दिया है। आप जितने निर्यात का आदेश देंगे, उतना कर देंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि जेना : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को प्रति एकड़ प्याज उगाने पर होने पर होने वाले व्यय की जानकारी है। माननीय मन्त्री ने अभी बताया कि किसानों को दिए जाने वाला मूल्य 50 से 75 रुपए प्रति क्विंटल रहता है। क्या यह लाभकारी है? या क्या इसे लाभकारी मूल्य माना जा सकता है? यदि नहीं तो किसानों को लाभकारी मूल्य देने के बारे में सरकार का क्या इरादा है। यहां मैं लाभकारी मूल्य की बात नहीं कर रहा। किसानों को उनके प्या ; का समर्थन मूल्य मिले, इस बारे में सरकार के समक्ष क्या योजना है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आप इसको लटकाया मत कीजिए। इससे क्वेश्चन की सारी इम्पोरटेंस खत्म हो जाती है।

श्री चिंतामणि जेना : किसानों को कम कीमत मिल रही है। आप इनको बोलिए कि इस पर ध्यान दें। हम लोगों ने ग्रीन रिव्यूलूशन कराकर किसानों को बोला है कि अपनी पैदावार बढ़ाओ और मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि पैदावार ज्यादा हो गई ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं मन्त्री महोदय को अनुरोध करता हूं कि किसानों को कम से कम समर्थन मूल्य तो मिलना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लटकाया मत कीजिए । यह इतना लटक जाता है कि लटका ही रहता है ।

श्री विनेश सिंह : हमारा कृषि मन्त्रालय इस पर अवश्य पूरा विचार करेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बुक स्टालों संबंधी संविदाएं

[अनुवाद]

*532क. डा० एस० जगतरक्षकन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण, दक्षिण मध्य और पूर्व, उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे में बुक स्टालों सम्बन्धी संविदाओं की शर्तें अलग-अलग हैं ; और

(ख) क्या दक्षिण, पश्चिम और पूर्व रेलवे में ठेकेदारों को संविदा की शर्तों के अनुसार बुक स्टालों पर लेखन-सामग्री बेचने की अनुमति प्राप्त है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) कुछ भिन्नताएं हैं ।

(ख) दक्षिण रेलवे पर, बुक स्टाल ठेकेदारों को लेखन-सामग्री की मदें बेचने की अनुमति नहीं है । पूर्व तथा पश्चिम रेलों पर इन मदों के बेचने की अनुमति नहीं है ।

कोका कोला परियोजना से संभावित लाभ

*534. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वाणिज्य मन्त्री 8 जनवरी, 1989 के 'इकानामिक टाइम्स' में कोका कोला प्रोजेक्ट टु जनरेट सुपर प्राफिट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला को 3.5 करोड़ रुपए के पूंजी-निवेश पर 18.7 करोड़ रुपए का लाभ होने जा रहा है ;

(ख) क्या कम्पनी द्वारा अर्जित पूरा लाभ पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्यावर्तन की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री विनेश सिंह) : (क) से (ग) इस योजना को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है। कम्पनी ने अपने आवेदन पत्र में 3.5 करोड़ रुपए निवेश करने पर पांच वर्ष की अवधि में 18.76 करोड़ रुपए का लाभ होने का अनुमान लगाया है। उस लाभ में से लाभांश के रूप में केवल 5.56 करोड़ रुपए की राशि प्रत्यावर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है।

"शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण शहरी समन्वित विकास आयोजना" के प्रवर्तकों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का कथित उल्लंघन

*535 श्री राम बहादुर सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण-शहरी समन्वित विकास आयोजना" के कुछ प्रवर्तकों का 24 नवम्बर, 1988 को बंबई में कुछ विदेशियों द्वारा कला प्रदर्शन के संदर्भ में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करके अवैध रूप से भुगतान करने के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में और क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) प्रवर्तन विदेशालय ने "प्लानिंग रूरल अरबन इंटेग्रेटेड डवलपमेंट थ्रू एज्यूकेशन" बंबई के परिसरों और उसके प्रमुख अधिकारी के रिहायशी परिसरों की 31-12-88 को तलाशी ली थी। उक्त संगठन के प्रमुख अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। जांच पड़ताल की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाने के बारे में विश्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण

[हिन्दी]

*537. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने फूलपुर क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु नलकूप लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा किया जाएगा और नलकूपों को लगाने का कार्य कब आरम्भ किया जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) विश्व बैंक ने नहीं, बल्कि राज्य सरकार ने सर्वेक्षण संचालित किया है ।

(ख) और (ग) परियोजना के अन्तर्गत 3300 नलकूपों की प्रतिष्ठापना के कार्यक्रम सहित अधिकतर 44 जिलों में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है, जिसमें फूलपुर क्षेत्र भी शामिल है ।

पश्चिम जर्मन के साथ व्यापार

[अनुवाद]

*538. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** :

श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पश्चिम जर्मन के बीच व्यापार बढ़ाने की सम्भावना के बारे में इन दोनों देशों के बीच कोई बातचीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) इन दोनों देशों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकी के जिन विषयों के सम्बन्ध में बातचीत हुई उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) भारत तथा पश्चिम जर्मनी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्धों के विकास के लिए एक संयुक्त आयोग है इस संयुक्त आयोग की पिछली बैठक मार्च, 1988 में नई दिल्ली में हुई थी जिसमें इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों देश व्यापार में व्यापक संतुलन लाने के उद्देश्य से व्यापार को बढ़ाने हेतु कदम उठायेंगे। कम्प्यूटर, साफ्टवेयर दूर-संचार वैकल्पिक ऊर्जा, आदि सहित कई क्षेत्रों में भारत-जर्मन सहयोग के बारे में चर्चा की गयी।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*544. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

श्री राज कुमार राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को संसद सदस्यों से स्टेट बैंक आफ इन्दौर के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्टेट बैंक आफ इन्दौर के कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का सम्बन्ध अन्य बातों के साथ-साथ, वैयक्तिक मामलों, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं से था।

(ग) शिकायतों की जांच की गई थी और उन पर उचित कार्रवाई की गई है।

पालिएस्टर चिप्स की खेप को जहाज द्वारा भेजना

*515. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में सीमाशुल्क अधिकारियों ने भारतीय नौवहन निगम पर ओर्के सिल्स द्वारा आयातित पालिएस्टर चिप्स की खेप को धोखाधड़ी से जहाज से भेजने के लिए इसके विदेशों में स्थित कुछ एजेंटों द्वारा किए गए कपटपूर्ण प्रयास का पता लगाने और इसकी जानकारी देने का आरोप लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने ओर्के सिल्क मिल्स के विरुद्ध इस बीच कोई कार्यवाही करने का विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) मैं० ओर्के सिल्क मिल्स लि०, बम्बई, ने 1985 के अप्रैल महीने में लगभग 106 लाख रुपए मूल्य के

पोलिएस्टर चिप्स का आयात किया था। यह माल भारतीय जहाजरानी निगम के "एस०एस० स्टेट आफ वैस्ट बंगाल" नामक जलयान से पहुचा था। कुल मिलाकर 14 खेपें थीं। इन खेपों के संबंध में, आयातकर्ता ने युगोस्लाविया को मूल देश के रूप में घोषित किया था और शुल्क की रियायती दर के लाभ का दावा किया था जो शुल्क की प्रभावी दर का 50 प्रतिशत है। युगोस्लाविया और संयुक्त अरब गणराज्य से आयातित माल पर शुल्क की प्रभावी दर के 50% की रियायती शुल्क दर लागू होती है। राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा की गई जांच-पड़ताल से इस बात की पुष्टि हुई कि वास्तव में माल का निर्माण ओरिस्टैनो (इटली) में किया गया था और वहीं से उसको भारत के लिए पोत में लादा गया था और यह माल इटली मूल का था तथा इस माल पर शुल्क की रियायती दर लागू नहीं होनी थी। जांच-पड़ताल के पश्चात्, आयातकर्ता, मैं० ओर्के सिल्क मिल्स को रियायती दर तथा सामान्य दर के बीच विभेदी शुल्क के सिलसिले में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था क्योंकि वह माल युगोस्लाविया-मूल का नहीं था और कम्पनी, इसके अध्यक्ष और अन्य निदेशकों, भारतीय जहाजरानी निगम (वाहक) और मैं० एच० सेलिएक्स एड कंपनी (इंडेंटिंग एजेंट) को भी अर्थ-दण्ड लगाए जाने के सिलसिले में भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस मामले का न्यायनिर्णयन सीमा शुल्क समाहर्ता, बम्बई ने अपने दिनांक 4-10-88 के आदेश द्वारा किया था। न्यायनिर्णयन अधिकारी ने अपने इस आदेश में यह अभिमत प्रकट किया है कि भारतीय जहाजरानी निगम और इसके विदेश स्थित संबंधित एजेंटों ने उचित और वास्तविक तरीके से कार्य नहीं किया था और यह कि भारतीय जहाजरानी निगम को स्वयं ही इस मामले के बारे में सीमाशुल्क अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था। तथापि, भारतीय जहाजरानी निगम अथवा उसके विदेश स्थित एजेंटों द्वारा कृताकृत कार्य संबंधित माल पर सीमाशुल्क की चोरी करने की मंशा से किये गए थे अथवा नहीं, इस बारे में किसी साक्ष्य के न होने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाहियां बन्द कर दी गई थीं। मैं० ओर्के सिल्क मिल्स और इसके निदेशकों पर अर्थदंड लगाए जाने के सिलसिले में लगाया गया आरोप भी समाप्त कर दिया गया था क्योंकि प्रत्यक्षतः उनको इस आरोप के लिए दोषी ठहराये जाने का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया था। तथापि, जैसाकि रिकार्ड से प्रमाणित हो गया था कि उक्त माल युगोस्लाविया मूल का नहीं था, अतः सीमा शुल्क समाहर्ता, बम्बई द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि उक्त माल पर शुल्क की रियायती दर लागू नहीं होती। अतः मैं० ओर्गे सिल्क मिल्स को उनके द्वारा आयातित और निकासित पोलिएस्टर चिप्स के संबंध में 1,06,53,744.00 रुपए का विभेदी शुल्क अदा करने के लिए कहा गया था। अब मैं० ओर्के सिल्स मिल्स ने 6-1-89 को समस्त विभेदी शुल्क अदा कर दिया है।

मलयेशिया और भारत के बीच व्यापार सम्बन्ध

*546. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया भारत के साथ व्यापार-सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने का इच्छुक है तथा सहयोग के अवसर बढ़ाना चाहता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस योजना तैयार की गई है ;

(ग) क्या हाल ही में मलयेशिया के एक उच्चस्तरीय दल ने भारत का दौरा भी किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मलयेशिया से पाम आयल, प्राकृतिक रबड़, टिन, अपरिष्कृत हीरे, टिम्बर आदि के आयातों के बदले मलेशियाई सरकार द्वारा भारतीय कम्पनियों को समझौता आधार पर परियोजनाएं प्रदान करने के लिए प्रबंध किए गए हैं। व्यापारिक स्तर पर अन्योन्य क्रियाकलाप द्वारा दुतरफा व्यापार बढ़ाने के लिए एक संयुक्त व्यापार सहयोग समिति भी स्थापित की गई है।

(ग) और (घ) हाइड्रो पावर केन्द्रों तथा लम्बी सुरंग निर्माण कार्य के डिजाइन/निर्माण के क्षेत्र में भारतीय निर्माण कम्पनियों की क्षमता जानने के लिए हाल ही में 4-12 मार्च, 1989 के दौरान मलयेशिया के ऊर्जा, दूरसंचार तथा डाक मंत्री ने भारत की यात्रा की। ऐसी आशा है कि परिणामस्वरूप भारतीय कम्पनियों को मलयेशिया में निष्पादन हेतु परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी ।

मध्य प्रदेश की भैंसाटोरी और बुधना सिंचाई परियोजनाएं

[हिन्दी]

*547. श्री महेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजी गई मध्य प्रदेश के गुना और शिवपुरी जिलों की भैंसाटोरी और बुधना सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी के लिए अभी भी लम्बित पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) लघु सिंचाई परियोजना होने के कारण भैंसाटोरी परियोजना का केन्द्र में तकनीकी मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि बुधना सिंचाई परियोजना वर्ष 1980 में अनुमोदित की गई थी ।

पुणे-अहमदाबाद एक्सप्रेस

[अनुवाद]

*546. श्री सांभाजीराव कक्काडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेल यात्री संगठनों से पुणे-अहमदाबाद रेलगाड़ी का नाम बदलकर "अहिंसा एक्सप्रेस" करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ग) प्रस्तावित पुणे-अहमदाबाद रेल लाइन कब तक प्रारम्भ की जाएगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) साप्ताहिक एक्सप्रेस मई, 1989 से चलेगी ।

रुग्ण एककों को पुनः चालू करना

*549. श्री अतीश चंद्र सिन्हा :

श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनः चालू करने सम्बन्धी रियायतों को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या इन एककों का बड़े, माध्यम और लघु उद्योगों में वर्गीकरण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि यह कार्य जिन प्रबंधकों को सौंपा गया है वे सरकार की रियायतों का दुरुपयोग न करें ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) संभावित अर्थक्षम रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित पुनरुद्धार सहायता कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक के समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार संबद्ध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अलग-अलग मामलों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। बैंक और वित्तीय संस्थाएं समय-समय पर रुग्ण औद्योगिक एककों के प्रबन्धन द्वारा पुनरुद्धार सहायता के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है उपचारात्मक कार्रवाई करते हैं।

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के अंत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले एककों के सम्बन्ध में निरोधात्मक, सुधारात्मक, उपचारात्मक तथा अन्य उपाय सुनिश्चित करने के वास्ते आवश्यक कार्रवाई करने तथा चालू करने वाले प्रबंधनों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने सहित ऐसे उपाय शीघ्र लागू करने के वास्ते औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को शक्तियां प्राप्त हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान सूचना प्रणाली के अन्तर्गत रुग्ण औद्योगिक एककों को जून 1987 से "लघु रुग्ण औद्योगिक एकक", "गैर-लघु रुग्ण औद्योगिक एकक" और "गैर-लघु कमजोर औद्योगिक एकक" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

शत-प्रतिशत निर्यात करने वाले एककों द्वारा देश में अपने उत्पादों की बिक्री

*550. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत-प्रतिशत निर्यात करने वाले एककों को देश में ही अपने 25 प्रतिशत उत्पाद बेचने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह आवश्यक है कि ऐसे एककों से घरेलू बाजार में उत्पाद खरीदने के लिए क्रेताओं के पास वैध आयात लाइसेंस हों ;

(ग) क्या सरकार का इन एककों को 75 प्रतिशत निर्यात करने वाले एककों के रूप में वर्गीकृत करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को यह अनुमति है कि वे बैंक आयात लाइसेंस के आधार पर तथा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली मदों के अनुसार अपने उत्पादन को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेच सकते हैं ।

ये एकक आयात क्षेत्र से बाहर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अपने 25 प्रतिशत उत्पादन को भी बेच सकते हैं । यह सुविधा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एक संबंधी योजना के पुनरुद्धार के एक उपाय के रूप में दी गई थी ताकि परियोजनाओं की अर्थक्षमता में सुधार लाया जा सके और प्रमुख निवेश और बड़े उद्यमों को आकर्षित किया जा सके जिससे निर्यात उपार्जन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी । घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री सीमाशुल्क के लागू स्लैब के अध्यधीन होती है तथा इसके लिए अलग-अलग मामले में सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है । सरकार सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए घरेलू बिक्रियों की मात्रा 25 प्रतिशत के स्तर तक निर्धारित कर सकती है । इन एककों को 75% निर्यातोन्मुख एककों में वर्गीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा ऋण की शर्तों का पुनः निर्धारण

*551. श्री एस० एम० गुरुड़ी :

श्रीमती वसव/राजेश्वरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व बैंक से अनुरोध किया है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दिए जाने वाले ऋण की शर्तों को पुनः निर्धारित करे ;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत व्यापार केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव

*552. श्री पी० एम० सईद :

श्री एच० ए० डोरा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात संगठन संघ सरकार से, भारतीय निर्यातकों और विदेशी निर्यातकों के बीच सम्पर्क बनाये रखने के लिए टोक्यो और अन्य प्रमुख नगरों में, भारत व्यापार केन्द्रों की स्थापना करने के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) (क) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ ने टोक्यो सहित चुनिन्दा स्थानों पर भारतीय व्यापार केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। उद्देश्य यह है कि ये केन्द्र निर्यातकों तथा आयातकों को जानकारी का वितरण करने हेतु एकीकृत केन्द्र बिन्दुओं के रूप में कार्य करेंगे। प्रस्तावित सुविधाओं में शामिल हैं, प्रदर्शन कक्ष, जन सम्पर्क, इंफारमेशन डेस्क तथा सम्मेलन कक्ष, आडिटोरियम, टेलैक्स आदि सामान्य सुविधाएं।

(ग) सरकार ने चुनिन्दा स्थानों पर भारतीय व्यापार केन्द्र स्थापित करने के लिए स्वयं सिद्धान्तरूप में निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री द्वारा इस आशय की घोषणा भी की जा चुकी है।

वकीलों द्वारा छात्रों की अंक तालिकाओं को अनुप्रमाणित करना

5171. श्री एन० डेनिस : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वकीलों को शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों की अंक तालिकाओं को अनुप्रमाणित करने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 या उसके अधीन बनाये गये नियमों में, अंक सूचियां सत्यापित करने के लिए अधिवक्ताओं को प्राधिकृत किए जाने संबंधी कोई उपबंध नहीं है। तथापि, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की अंक सूचियां सत्यापित करने के लिए शिक्षण संस्थाओं द्वारा अधिवक्ताओं के प्राधिकृत किए जाने पर कोई विधिक रोक नहीं है।

फरक्का बांध-परियोजना प्राधिकरण के विरुद्ध आन्दोलन

5172. श्री आयनश अबेदिन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जनवरी, 1989 से फरक्का बांध परियोजना प्राधिकरण के विरुद्ध गंगा कटाव संरक्षण समिति के नेतृत्व में एक आन्दोलन चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) यह मांगें बराज के अनुप्रवाह पर गंगा नदी के दाएं तट पर सुरक्षा कार्य, प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा गाइड बंध के निर्माण से संबंधित हैं।

(ग) जबकि फरक्का बराज परियोजना मुख्यतः बराज की सुरक्षा तथा भागीरथी-हुगली नदी

प्रणाली के नीचे के प्रवाह का सफल नियमन सुनिश्चित करने के लिए इसके आसपास तट स्थिरीकरण के लिए अपेक्षित प्रबंधों से संबंधित है, बाढ़ प्रबंध और तट सुरक्षा के पहलुओं पर राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिया जाता है।

महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा डिबेंचर बांड जारी करना

5173. **श्री गुरुदास कामत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को डिबेंचर बान्ड जारी करने की अनुमति देने के संबंध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का निदेशक मंडल

5174. **श्री एच० जी० रामुलु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उनके निदेशक मंडल का पुनर्गठन कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सरकार के विचारार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें वर्तमान स्कीमों में की गई व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों के ढांचे में कोई परिवर्तन करने की बात हो।

भारतीय रिजर्व बैंक के सिविल इंजीनियरी ठेके

5175. **डा० वी० वेंकटेश :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन का कार्य सिविल इंजीनियरी के ठेकेदारों से किया जा रहा है ;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक उनको मूल्य वृद्धि के कारण आने वाली अधिक लागत का लाभ भी दे रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे सिविल इंजीनियरी कार्यों के लिए लागत वृद्धि की गणना के लिए अपनाए जा रहे सिद्धांतों/नियमों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों और/अथवा सरकारी उपक्रमों/कंपनियों द्वारा भी इन नियमों का पालन किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके टेंडर फार्मों में, ऐसे बड़े-बड़े निर्माण कार्यों के लिए जिनमें निर्माण-कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक होती है, "मूल्य समायोजन खण्ड" नामक खण्ड होता है। इस मूल्य समायोजन फार्मूले से, मूल्य वृद्धि के कारण लागत में होने वाली वृद्धि की कुछ हद तक क्षतिपूर्ति हो जाती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे बड़े-बड़े निर्माण-कार्यों के लिए अपनाए गए मूल्य समायोजन फार्मूले का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 12(2) और 14(2) (तथा उसके अन्तर्गत निर्णयों/टिप्पणियों) में संविदा करने के सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं। सामान्य वित्तीय नियमावली में किए गए प्रावधानों का, केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी विभागों/प्राधिकरणों को, नियमों में बताई गई सीमा को छोड़कर, समान रूप में पालन करना होता है।

विवरण

बतायी गई दरें निश्चित होंगी और मजदूरी की शर्तों रेल भाड़े में कमी बेशी अथवा अन्य शर्तों चाहे जो भी हो में कोई भी फेर-बदल नहीं होगा। इस खण्ड के अन्तर्गत सामान के मूल्यों और मजदूरी की दरों में कोई भी वृद्धि अथवा कमी, निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर समायोजित की जायेगी :

$$\text{I. सामान वी०एम०} = \frac{70}{100}\,[0.88\ \text{वी०} - [\text{सी०} + \text{एस०}] \times \frac{[\text{डब्ल्यू० आई०} - \text{डब्ल्यू०आई०ओ०}]}{\text{डब्ल्यू० आई० ओ०}}$$

उपर्युक्त फार्मूले में :

वी० एम० = सामान की लागत में फेर बदल अर्थात्, रुपयों में भुगतान की जाने वाली अथवा वसूल की जाने वाली रकम में वृद्धि अथवा कमी।

वी० = गणना की अवधि में किये गये कार्य का मूल्य सामान के लिए दिए गए अग्रिमों को यदि कोई हो, छोड़कर।

सी० = निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए गए सीमेंट की लागत — ठेकेदार के लिए सामान्य अनुदेशों के खण्ड खण्ड 23 तथा विशेष शर्तों के अन्तर्गत।

एस० = निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए गए इस्पात की लागत

डब्ल्यू० आई० = गणना की अवधि में सभी वस्तुओं के लिये औसत अखिल भारत थोक मूल्य सूचकांक जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में प्रकाशित किया गया हो।

डब्ल्यू० आई०ओ० = टेंडर खोलने के महीने के दौरान, सभी वस्तुओं के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में प्रकाशित किया गया हो।

$$\text{II. मजदूरी : वी० एल०} = \frac{30}{100} \times [0.88\ \text{वी०} - [\text{सी०} + \text{एस०}] \times \frac{[\text{आई०} - \text{आई० ओ०}]}{\text{आई० ओ०}}$$

डी० एल० = मजदूरी की लागत में परिवर्तन अर्थात्, रुपयों में भुगतान की जाने वाली अथवा वसूल की जाने वाली रकम में वृद्धि अथवा कमी ।

डी० सी० एण्ड एस० जैसा कि उपर्युक्त (1) में बताया गया है ।

आई० = संगणना की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में प्रकाशित श्रम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक कर्मचारियों के लिए चोयित औसत अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

आई०ओ० = टेंडर खोलने के महीनों के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में प्रकाशित श्रम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक कर्मचारियों के लिए चोयित अखिल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

पेनिसिलीन बी० की कमी के कारण एककों का बन्द किया जाना

5176. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री पेनिसिलीन के आयात लाइसेंस स्वीकृत करने के बारे में शिकायतों के बारे में 3 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न सं० 1337 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एकक पेनिसिलीन-बी की कमी के कारण बन्द पड़े हैं ;

(ख) ये एकक कब से बन्द पड़े हैं ; और

(ग) तकनीकी निरीक्षण की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जायेगी और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) सामान्यतः औषध विनिर्माण एकक कई औषधियों के उत्पादन में लगे हैं । पेनिसिलीन-बी की गैर-उपलब्धता के कारण किसी एकक के बंद होने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ग) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग से इस विषय पर तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसकी जांच की जा रही है ।

स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनायें

5177. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक राज्य-वार कितनी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का पता लगाया गया है ;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग ने मंजूरी दे दी है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग ने 4 सिंचाई बहुप्रयोजनी परियोजनाओं का अन्वेषण किया है और 14 और योजनाएं अन्वेषणाधीन हैं केवल दो योजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु प्राप्त हुई हैं । राज्य

सरकारों द्वारा इन दो योजनाओं के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के प्रेक्षणों की अनुपालना की प्रतीक्षा है । इनका निर्वाधन राज्य सरकारों से अनुपालना रिपोर्ट पर निर्भर करेगा ।

मध्य प्रदेश में लिफ्ट सिंचाई की क्षमता

5178. श्री के० एम० प्रधान :

श्री महेन्द्र सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में लिफ्ट सिंचाई की कुल क्षमता कितनी है और मार्च, 1989 तक कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है; और

(ख) उक्त राज्य में बकाया लिफ्ट सिंचाई क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या केन्द्रीय सरकार उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) मध्य प्रदेश की लिफ्ट सिंचाई स्कीमों को मिलाकर चरम लघु सिंचाई क्षमता 42 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से मार्च, 1989 तक 24.61 लाख हेक्टेयर की क्षमता सृजित किए जाने की आशा है ।

(ख) लघु सिंचाई के विकास में तेजी लाने के लिए, केन्द्र सरकार केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से मध्य प्रदेश सहित राज्यों को सहायता प्रदान करती है । विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में 20,000 उथले नलकूपों/खुदाई कुओं के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 50% बराबर-बराबर केन्द्रीय सहायता के रूप में 450 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए हैं ।

पटना रेलवे स्टेशन

5179. श्री विजय कुमार यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में पटना जंक्शन सुविकसित नहीं है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्टेशन के विकास के लिए वर्ष-वार कितना धन आबंटित किया गया और अब तक कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ग) इस स्टेशन के विकास का भावी कार्यक्रम क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं । पटना स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने के लिए चुना गया है। इस कार्य में पीने के पानी की सफाई, शौचालय बेहतर रोशनी जैसी सुविधाओं में विविध सुधार एवं व्यवस्था करने तथा प्लेटफार्मों, प्रतीक्षालयों, प्रतीक्षा कक्षों, परिचलन क्षेत्रों, ऊपरी पैदल पुलों आदि का विस्तार तथा सुधार करने की व्यवस्था है । प्लेटफार्म नं० 1 और 2 का सुधार, परिचलन क्षेत्र का सौन्दर्यवर्धन तथा अतिरिक्त निकास कक्ष आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं । स्टेशन इमारत तथा तीसरे ऊपरी पैदल पुल का विस्तार कार्य प्रगति पर है ।

(ख) पटना स्टेशन के विकास के लिए 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान

आवंटित की गयी राशि तथा 1986-87 और 1987-88 के दौरान खर्च की गयी राशि इस प्रकार है :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

	परिव्यय			खर्च	
	1986-87	1987-88	1988-89	1986-87	1987-88
पटना	31.99	43.74	34.79	31.99	43.74

1988-89 के दौरान किया गया खर्च, जून, 1989 में लेखे बन्द होने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगा।

(ग) पटना स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य चरणों में किया जा रहा है और इसके आठवीं योजना के मध्य तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

रेलगाड़ी की रफ्तार

5181. श्री परशराम भारद्वाज : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधुनिक रेल लाइनों, डीजल और इलैक्ट्रिक इंजनों, आधुनिक रेल डिब्बों और रालर बियरिंग बाक्स-बेगन, के डिजाइनों, स्वीकृत और बुक की गई रफ्तार का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान यात्री रेलगाड़ियों की अनुमानतः वास्तविक रफ्तार कितनी थी ; और

(ग) कम रफ्तार के कारण रनिंग स्टाक और रेल लाइन के पूर्ण उपयोग के लिए इन वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख)

गाड़ियां	1985-86	1986-87	1987-88
	बड़ी लाइन		
मेल/एक्सप्रेस	47.5	47.1	47.1
पैसेंजर	27.6	27.3	27.2
	मीटर लाइन		
मेल/एक्सप्रेस	35.6	36.0	36.9
पैसेंजर	24.6	25.8	25.1

(ग) यह सही नहीं है कि चल स्टाक का कम उपयोग हो रहा है। वस्तुतः चल स्टाक के

उपयोग में काफी सुधार हुआ है जैसाकि कई वर्षों के शुद्ध टन किलोमीटर/माल डिब्बा/दिन के कुशलता सूचकांक में सुधार से देखा जा सकता है । पिछले चार वर्षों के आंकड़े नीचे दिए गये हैं :—

वर्ष	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
1984-85	1150	565
1985-86	1296	677
1986-87	1420	703
1987-88	1449	731

विवरण

1. आधुनिक रेलपथ

बड़ी लाइन के ट्रंक मार्गों तथा मुख्य लाइनों की निर्धारित रेलपथ संरचना में कंक्रीट/इस्पात/लकड़ी के स्लीपरों पर 60 कि० ग्रा०/52 कि० ग्रा० की पटरियां बिछी होती हैं । सामान्यतया लाइनों पर गाड़ियों की अधिकतम अनुमेय रफ्तार 100 कि० मी० प्रति घंटा है सिवाय तेज रफ्तार वाले कुछ नामित मार्गों के जहां तेज रफ्तार वाली गाड़ियां 140/120 कि०मी० प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलती हैं ।

मीटर लाइन के ट्रंक मार्गों तथा मुख्य लाइनों की रेलपथ संरचना में कंक्रीट/सी० एस० टी०/लकड़ी के स्लीपरों पर 90 आर० /75 आर पटरियां बिछायी गयी हैं जिन पर अधिकतम अनुमेय रफ्तार 75 कि० मी० प्रति घंटा है । तथापि, कुछ नामित मार्गों पर तेज रफ्तार की गाड़ियां 100 कि० मी० प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं ।

2. बिजली रेल इंजन

(क) बड़ी लाइन :

रेल इंजन की टाइप तथा अधिकल्प	अनुमेय अधिकतम रफ्तार (कि० मी० प्रति घंटा)
डब्ल्यू० ए० पी० 1	120
डब्ल्यू० ए० पी० 3	140
डब्ल्यू० ए० जी० 5	75
डब्ल्यू० ए० एम० 4 (पार्श्वीय सम्पर्क के बिना)	110
डब्ल्यू०ए० एम० 4 (पार्श्वीय सम्पर्क सहित)	100
डब्ल्यू० ए० एम० 1/डब्ल्यू० ए० एम० 2/डब्ल्यू० ए० एम० 3	100
डब्ल्यू० ए० जी० 1/डब्ल्यू० ए० जी० 2/डब्ल्यू ए० जी० 3	80
डब्ल्यू० सी० ए० एम० 1	100

रेल इंजन की टाइप तथा अभिकल्प	अनुमेय अधिकतम रफ्तार (कि० मी० प्रति घंटा)
(ख) मीटर लाइन :	
वाई० ए० एम० 1	80
डीजल	
बड़ी लाइन	
डब्ल्यू० डी० एम० 1 को-को डीजल बिजली	104
डब्ल्यू० डी० एम० 2 को-को डीजल बिजली (डी० रे० का०)	120
डीजल डी० एम० 4 को-को डीजल बिजली (जी० एम०)	120
डब्ल्यू० डी० एम० 7 को-को डीजली बिजली (डी० रे० का०)	100
डब्ल्यू० डी० एस० 4 ओ-सी-ओ डीजल हाइड्रालिक (वि० रे० का०)	65
डब्ल्यू० डी० एस० 6 को-को डीजल बिजली (डी० रे० का०)	71
मीटर लाइन	
वाई० डी० एम० 1 बी''-बी'' डीजल हाइड्रालिक	88

रेल इंजन की टाइप तथा अभिकल्प	अनुमेय अधिकतम रफ्तार (कि० मी० प्रति घंटा)
वाई० डी० एम० 2 बी"-बी" डीजल हाइड्रालिक (वि० रे० का०)	75
वाई० डी० एम० 3 1बी"-बी"1 डीजल बिजली	80
वाई० डी० एम० 4 को-को डीजल बिजली (डी० रे० का०)	100
वाई० डी० एम० 5 सी"-सी" डीजली बिजली	80
छोटी लाइन	
एन०/जैड० डी० एम० 1 बी"-बी" डीजल हाइड्रालिक	33
जैड० डी० एम० 2 बी"-बी" डीजल हाइड्रालिक	50
जैड० डी० एम० 3 बी"-बी" डीजल हाइड्रालिक	32
जैड० डी० एम० 4-ए 1बी-बी 1 डीजल हाइड्रालिक	50
जैड० डी० एम० 5 बी०-बी० डीजल हाइड्रालिक	50
एन० डी० एम० 5 बी०-बी० डीजल हाइड्रालिक	50

3. सवारी डिब्बे

सवारी डिब्बों की टाइप	अधिकतम अनुमेय रफ्तार
बड़ी लाइन	
सभी इस्पात सं० डि० का० सवारी डिब्बे	110 कि० मी० प्रति घंटा
सभी इस्पात तेज रफ्तार टाइप के स० डि० का० सवारी डिब्बे	130 कि० मी० प्रति घंटा बचवा 140 कि० मी० प्रति घंटा
मीटर लाइन	
सभी इस्पात स० डि० का० सवारी डिब्बे	75 कि० मी० प्रति घंटा
सभी इस्पात तेज रफ्तार टाइप के स० डि० का० सवारी डिब्बे	100 कि० मी० प्रति घंटा
4. रोलर बेयरिंग बी० ओ० एक्स० माल डिब्बे	75 कि० मी० प्रति घंटा

5. निर्धारित रफ्तार

सवारी गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार भिन्न-भिन्न खंडों पर भिन्न-भिन्न है जो गाड़ी की टाइप पर निर्भर करती है। बड़ी लाइन पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए यह 100 कि० मी० प्रति घंटा या 110 कि०मी० प्रति घंटा है। तेज रफ्तार वाली एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए यह 120 या 140 कि० मी० प्रति घंटा है। मीटर लाइन पर अधिकांश मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 75 कि० मी० प्रति घंटा है तथा तेज रफ्तार की एक्सप्रेस गाड़ियां 100 कि० मी० प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चल रही हैं।

सामान्यतया गाड़ियों की निर्धारित रफ्तार उस गाड़ी की अधिकतम अनुमेय रफ्तार से 10 प्रतिशत कम रखी जाती है।

बैंकों द्वारा लघु क्षेत्र के एककों को सहायता

5182. श्री एच० डी० पाटिल :

श्री प्रताप राव जी० भोसले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक लघु क्षेत्र के उद्योगों को विपणन से संबंधित कार्यों पर खर्च के लिए भी ऋण देते हैं ;

(ख) क्या बैंक इन एककों को ऐसे कार्यों के लिए ऋण देने में संकोच करते हैं ;

(ग) क्या सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि बैंक लघु क्षेत्र के एककों की अपने उत्पादों के विपणन कार्यों जैसे विज्ञापन और विपणन कार्यालयों आदि पर खर्च हेतु सहायता प्रदान करें ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक माल के उत्पादन, संसाधन और परिरक्षण में लगे लघु औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण प्रदान करते हैं। लेकिन बैंक, वित्तीय निवेश अर्थात् लघु औद्योगिक एककों द्वारा शेयर आदि खरीदने के वास्ते ऋण नहीं देते।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान मानदण्डों में इस समय विपणन को शामिल नहीं किया गया है और इसे कार्यशील पूंजी का हिसाब लगाने के लिए भी शामिल नहीं किया जाता। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष, श्री एस० एल० नाडकर्णी की अध्यक्षता में गठित कृतिक बल का विचार है कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाए जा रहे वित्त पोषण के मानदण्डों में विशेष रूप से नए उत्पादों के मामले में, विपणन की आरम्भिक लागत पर विचार किया जा सकता है, यद्यपि उत्पादन की प्रकृति और कार्य की किस्म को जाने बिना ऐसे वित्त पोषण के लिए किसी प्रकार के मानदण्ड निर्धारित करना संभव नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने इस मामले पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

निर्यात संवर्धन क्षेत्र के लिए कोका कोला का आवेदन-पत्र

5183. श्री अमर सिंह राठवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन क्षेत्र के लिए एक आवेदन पत्र को 90 दिन के अन्दर स्वीकृति देनी होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोका कोला का आवेदन-पत्र अभी सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या निर्णय लेने में इस विलम्ब का निर्यात संवर्धन क्षेत्रों, विशेष रूप से विदेशी निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) ऐसा बताया गया कि निर्यात संसाधन जोन में परियोजनाओं के लिए आवेदन-पत्रों पर निर्णय सामान्यतया 45 से 60 दिनों में लिया जायेगा। कोका-कोला का आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन है क्योंकि इसमें उन महत्वपूर्ण मामलों की गहनता से जांच की आवश्यकता है जो कम्पनी द्वारा किये गये इस अनुरोध से उठते हैं कि उसे घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 25 प्रतिशत तक उत्पाद की बिक्री की सुविधा प्रदान की जाए। ऐसे मामलों में विनिर्दिष्ट समय सीमा का पालन करना व्यवहार्य अथवा संभव नहीं होता।

कर अपवंचन के मामले

[हिन्दी]

5184. श्री डाल चन्द जैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान उनके मंत्रालय के राजस्व गुप्तचर निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कर अपवंचन के कितने मामले दर्ज किए गए ;

(ख) इनमें से कितने मामलों में कानूनी कार्यवाही की गई ; और

(ग) इनमें से कितने मामलों में सजा दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :—

	प्रवर्तन निदेशालय 19888-89 (फरवरी, 1988 तक)	राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय 1988-89
पंजीकृत मामलों की संख्या	4,636	141
उन मामलों की संख्या जिनमें कानूनी कार्रवाई की जानी है	289	5 मामलों में शास्ति/जुर्माना लगाया गया और 4 मामलों में अभियोजन की कार्यवाही आरम्भ की गई।
उन मामलों की संख्या जिनमें दण्ड दिया गया	92	

सीमाशुल्क विभाग के पास पड़े लावारिस सामान की बिक्री

[अनुवाद]

5185. श्री सी० सम्बु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने सीमाशुल्क विभाग के गोदामों में छह महीने से भी अधिक से पड़े लावारिस सामान को बेचने के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(ख) उक्त सामान की सहकारी समितियों के माध्यम से बिक्री करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) और (ख) जिस निषिद्ध माल को अदावाकृत माल के रूप में अभिगृहीत किया गया है उसका निपटान, जांच-पड़ताल करने, संभावित मालिकों/दावेदारों को नोटिस देने, विभागीय न्यायनिर्णयन में जब्ती करने संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद और अपील के लिए प्रदान की गई अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही किया जा सकता है।

अभिगृहीत/जब्तशुदा माल के निपटान की कार्यविधि और तरीके की समय-समय पर पुनरीक्षा की गयी है और अभिगृहीत/जब्तशुदा माल का शीघ्र निपटान करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। निपटान के तरीकों माध्यमों की वृद्धि 1983 में की गई थी। 1984 में जब्तशुदा माल को चार श्रेणियों में बांटा गया था ताकि जिस माल के शीघ्र क्षतिग्रस्त होने अथवा शीघ्र ही अप्रचलित होने की आशंका हो उसका निपटान जल्दी किया जा सके। 1985 में, अभिग्रहणों से संबंधित सीमाशुल्क

अधिनियम, 1962 की धारा 110 को संशोधित किया गया था ताकि सरकार द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर करके अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट अधिगृहीत माल का तत्काल निपटान किया जा सके।

जिस माल को अदावाकृत माल के रूप में अभिगृहीत किया गया हो उस माल सहित समस्त जब्तशुदा माल का निपटान करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। परिणामतः 1988 के दौरान लगभग 351 करोड़ रुपए मूल्य के जब्तशुदा माल का निपटान किया गया था जबकि 1987 के दौरान लगभग 149 करोड़ रुपए मूल्य के माल का निपटान किया गया था।

अभिगृहीत/जब्तशुदा उपभोक्ता माल को बड़ी मात्रा में बिक्री (बल्क सेल) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित और सहकारी समिति अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत सभी सहकारी समितियों को और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम/राज्य सहकारी संघ और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को की जाती है ताकि उस माल को उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपर-बाजारों, सहकारी, भण्डारों, आदि के माध्यम से वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचा जा सके। 1984-85 से 1987-88 के वित्तीय वर्षों के दौरान लगभग 66% जब्तशुदा माल का निपटान राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया था।

परिवार न्यायालयों में निपटाये गए मामले

5186. डा० दिग्विजय सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री परिवार न्यायालयों की स्थापना के बारे 2 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3193 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों में स्थापित किए गए परिवार न्यायालयों में निपटाये गए मामलों से संबंधित आंकड़ों का रिकार्ड न रखे जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) अगर ये परिवार न्यायालय केवल सीमित रूप से ही कार्य कर रहे हैं तो क्या सरकार विवाह विधि संशोधन विधेयक, 1982 की समीक्षा करेगी ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की स्कीम के अनुसार, कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना और पर्यवेक्षण राज्य सरकारें करती हैं। अतः कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा विनिश्चित मामलों की बाबत आंकड़ें, केन्द्र सरकार के पास नहीं होते हैं।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा स्थापित कुटुम्ब न्यायालय पूर्णतः क्रियाशील हैं, अतः विवाह विधि संशोधन विधेयक, 1982 को पुनर्विलोकन का प्रश्न ही नहीं उठता।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा वस्तुओं की खरीद

5187. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, पश्चिम बंगाल अभी भी कुछ सामान एवं कलपुर्जों का आयात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा कुल कितने मूल्य के सामान का आयात किया गया ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा स्वदेशी सामान की खरीद पर कितनी धन राशि खर्च की गई ;

(घ) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों से कितने मूल्य का सामान खरीदा गया ; और

(ङ) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को विभिन्न प्रकार के सामान की सप्लाई करने के लिए गत छः महीने दौरान सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों की सूची तैयार की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के दौरान 103.10 करोड़ रुपये।

(ग) 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के दौरान 299.22 करोड़ रुपये।

(घ) 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के दौरान 15.21 करोड़ रुपये।

(ङ) एक।

कोयला खान कामगारों के लिए जीवन बीमा योजना

5188. श्री श्री० बंचालैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय जीवन बीमा निगम भविष्य में कोयला खान कामगारों के खतरे को न्यूनतम करने के लिए कोई सुरक्षा योजना आरंभ करने जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : जी, नहीं। कोयला खान कामगारों के जोखिम को कम करने के लिए कोई सुरक्षा योजना शुरू किए जाने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव भारतीय जीवन बीमा निगम के विचाराधीन नहीं है।

त्रिपुरा और बारक घाटी क्षेत्र में रेल परिवहन सुविधाएं

5189. श्री सुदर्शन दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा और असम के बारक घाटी क्षेत्र में तेल, गैस पाये जाने और औद्योगिकीकरण होने के कारण यातायात बहुत बढ़ गया है किन्तु वहां इसके लिए परिवहन सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में रेल द्वारा परिवहन सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर विभाग द्वारा अपराधात्मक दस्तावेजों का पकड़ा जाना

5190. श्री कमल नाथ : क्या वित्त मंत्री आयकर विभाग द्वारा पूर्वी दिल्ली में सहकारी

आवास निर्माण समिति को नोटिस जारी करने के बारे में 22 सितम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2997 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1986 में आयकर अधिकारी, विकास भवन, नई दिल्ली ने सहकारी भवन निर्माण समिति, निर्माण विहार, दिल्ली से निर्माण और आवास मंत्रालय से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज पकड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसमें किस प्रकार की विसंगतियां पाई गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) क्या इस मामले में की गई कार्यवाही के बारे में समिति को भी सूचित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित मामले में आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा दिल्ली में सितम्बर, 1986 के दौरान कोई भी तलाशी नहीं ली गई थी अथवा न ही सर्वेक्षण की कोई कार्यवाही की गई थी। इसलिए, सितम्बर, 1986 के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त मामले के संबंध में किसी भी दस्तावेज (चाहे अपराध-आरोपीय हो अथवा अन्यथा) को एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इनके प्रश्न ही नहीं उठते।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आरक्षित चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन

5191. डा० बी०एल० शेलेश : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदीय चुनाव क्षेत्रों के पिछले परिसीमन के पश्चात् जनसंख्या में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए और अधिक चुनाव क्षेत्र आरक्षित रखने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का नया परिसीमन आयोग नियुक्त करने या स्वयं ही इस कार्य को करने का प्रस्ताव है, ताकि आगामी आम चुनावों से पूर्व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनकी बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुकूल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन के प्रयोजन के लिए जनसंख्या के आंकड़े, 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश करते हैं, और जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आंकड़े प्राप्त नहीं हो जाते तब तक राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन का या प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या का या प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। अतः परिसीमन का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, विद्यमान संवैधानिक उपबंधों को संशोधित करना होगा।

नया परिसीमन आयोग स्थापित करने या परिसीमन का कार्य किसी अन्य रीति में प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यदि विधि संशोधित कर भी दी जाती है तो भी यह इसी वर्ष होने वाले आगामी साधारण निर्वाचन के पूर्व पूरा करना संभव नहीं होगा ।

केरल से 'कोकोआ' का निर्यात

5192. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान केरल से कितने मूल्य और मात्रा में 'कोकोआ' का निर्यात किया गया है ; और

(ख) वर्ष 1989 के प्रथम तीन महीनों के दौरान स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 'कोकोआ' की कीमतों में कितना अंतर था ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । वर्ष 1987-88 के दौरान भारत से कोकोआ तथा उसके उत्पादों के निर्यात का अनुमान 151 मै० टन आंका गया है जिनका मूल्य 78 लाख रु० बैठता है ।

(ख) वर्ष 1989 की प्रथम तिमाही के दौरान घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोको फली की कीमतें नीचे दी गई हैं :—

घरेलू	अन्तर्राष्ट्रीय
(मूल्य : रु० प्रति किग्रा०)	
26	22

बोफोर्स के साथ समझौते के अन्तर्गत निर्यात

5193. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वाणिज्य मंत्री बोफोर्स के साथ प्रति-व्यापार के बारे में 10 मार्च, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 226 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समझौते के अन्तर्गत कितने मूल्य का निर्यात किया जाएगा तथा किन-किन देशों को एवं निर्यात की जाने वाली मदों की श्रेणी तथा इसे पूरा करने की अवधि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) समझौते के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 1989 तक किए गए निर्यात का वास्तविक मूल्य कितना था तथा यह निर्यात किन देशों को किया गया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) ने मैसर्स बोफोर्स के साथ जिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, उसके तहत मार्च, 1996 तक 4.2 बिलियन डेक मूल्य के निर्यात किए जाने हैं । हाल ही में संलग्न विवरण में उल्लिखित मदों और बाजारों के अलावा इस समझौता ज्ञापन के तहत निर्यात के लिए अन्य मदों और बाजारों की भी अनुमति दी गई है ।

(ख) दिनांक 31-32-1988 तक स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर 66.15 करोड़ रुपए के

वास्तविक लदान हुई थे। इसके अलावा, दिनांक 31-12-1988 से पहले लदान किए गए 30.69 करोड़ रुपए के माल के लिए दिनांक 1-1-1989 के बाद प्रवेश प्राप्त किए गए और स्वीकृत किए गए हैं। इन निर्यातों के लिए गंतव्य स्थानों में शामिल हैं: पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य-पूर्व।

विवरण

प्रति व्यापार के तहत निर्यात के लिए मदें

(क) जो अर्हता प्राप्त नहीं हैं

1. अर्ध-संसाधित चमड़ा

2. अफीम

3. चीनी

4. आयोडीन युक्त नमक

5. नीम्बू घास तेल

6. हीरे

7. नैफ्था

8. सोयाबीन चावल } दिनांक 13-3-1989 से प्रभावी
9. सायाबीन मील }

(ख) बजारा प्रतिभ्रक्षण हेतु

1. उत्तरी अमेरिका को कालीन अस्तर कपड़ा

2. जापान और संयुक्त राज्य अमरीका को श्रिम्प

3. संयुक्त राज्य अमरीका को काजू गिरियां
(वर्ष 1989 में लदान के लिए अनुमति प्राप्त)

4. कोटा देशों को काफी

5. ब्रिटेन को चाय (बल्क)

6. रुपया भुगतान क्षेत्र को निर्यात

7. वस्त्र (कोटा मदें/देश)

8. सिले सिलाए परिधान (कोटा मद/देश)

9. इजरायल और दक्षिण अफ्रीका को निर्यात

पश्चिम रेलवे, महाराष्ट्र में बिना कर्मचारी वाले रेल फाटक क्रासिंग

5194. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जोनल रेलवे के अन्तर्गत बिना कर्मचारी वाले कितने रेल फाटक हैं;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान उनमें से कितने फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त किए गए ; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान कितने फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त किए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) महाराष्ट्र राज्य में 1,276 समपार बिना चौकीदार वाले हैं ।

(ख) एक समपार ।

(ग) 5 समपारों पर चौकीदार तैनात किए जाने की संभावना है ।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

5195. श्री कस्तूरी नारायण स्वामी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गयीं ;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1989-91 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की संख्या बढ़ाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में ऐसी कितनी शाखाएं और कहां-कहां खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1988-89 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आंध्र प्रदेश में 85 शाखाएं खोली हैं । 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने शाखाएं खोलने के वास्ते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित बैंकों को 440 ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी एवं महानगरीय केन्द्र आबंटित किए हैं । आबंटित किए गए बैंकों में से, बैंकों ने अब तक 283 केन्द्रों में शाखाएं खोल ली हैं । ग्रामीण ऋणों के सम्बन्ध में सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन मामलों को छोड़कर, जहां न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, बाकी केन्द्रों में जून 1989 से पहले अविलम्ब शाखाएं खोल देंगे ।

काफी उत्पादकों को आरम्भिक भुगतान की दर

5196. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी काफी फसल के लिए काफी उत्पादकों को भुगतान की जाने वाली अग्रिम राशि की दर में कोई संशोधन करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) उत्पादकों को अग्रिम भुगतान की दर के बारे में अन्तिम निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) अक्टूबर, 1988 में न्यूनतम रिलीज कीमत के ऊर्ध्वमुखी संशोधन के परिणामतः 1986-87 और 1987-88 मौसम के दौरान बड़े उपजकर्ताओं को प्रारम्भिक भुगतान 5.50 रु० प्रति प्वाइंट से बढ़ाकर 7.00 रु० प्रति प्वाइंट तथा छोटे उपजकर्ताओं को प्रारम्भिक भुगतान 6.50 रु० प्रति प्वाइंट से बढ़ाकर 7.50 रु० पहले ही कर दिया गया है।

विदेशी राजनयिकों को शुल्क मुक्ति प्रमाण-पत्र

5198. श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

श्रीमती ऊषा चौधरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी राजनयिकों द्वारा की गई तस्करी को देखते हुए सरकार ने उन्हें "शुल्क मुक्ति प्रमाण-पत्र" जारी करने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रतिबन्ध लगाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) विदेशी राजनयिकों को शुल्क छूट प्रमाण-पत्र राजनयिक सम्बन्धों (डिप्लोमैटिक रिलेसन्ज) पर वियना अभिसमय, 1961 में विहित मानदण्डों के अनुसार दिए जाते हैं। हाल ही के जिन मामलों में कुछ राजनयिकों द्वारा घोषित की गई मदों और वास्तविक रूप से आयात की गई मदों में विसंगतियां पाई गई थी, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे छूट प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा करने में अपेक्षाकृत और अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

नेपाली नागरिकों की भारत में सम्पत्ति

5199. श्री शान्ति लाल पटेल :

श्री बी० एस० बासवराजू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आयकर आयुक्तों को निदेश दिया है कि भारत में नेपाली नागरिकों की सम्पत्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर आयुक्तों ने तत्सम्बन्धी सूची सरकार को प्रस्तुत कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो अतुल सम्पत्ति वाले नेपाली नागरिकों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) कुछ समय पूर्व, सरकार के सुझाव पर मुख्य आयकर आयुक्तों से कहा गया था कि वे भारत में नेपाली नागरिकों के स्वामित्व वाली सम्पत्तियों के बारे में उतनी सूचना एकत्र करें जितनी उन नागरिकों द्वारा दायर की गई धनकर विवरणियों में उपलब्ध है। इस तरह का प्रयास सांख्यिकीय प्रयोजन से

एक सीमित प्रयास है । यह उल्लेखनीय है कि आयकर विवरणी सम्बन्धी फार्म में नागरिकता के बारे में कोई कालम नहीं है । तथापि धनकर विवरणी सम्बन्धी फार्म में एक कालम ऐसा है जिससे केवल इस बात का संकेत मिलता है कि क्या सम्बन्धित व्यक्ति भारत का नागरिक है अथवा नहीं किन्तु वास्तविक नागरिकता की हैसियत को घोषित करना उसके लिए आवश्यक नहीं है । अतः उक्त सीमित सांख्यिकीय से एक मुकम्मल चित्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें ऐसे नेपाली नागरिकों के स्वामित्व वाली सम्पत्तियां शामिल नहीं होंगी जिनकी धनराशि कराधेय सीमा से कम है अथवा ऐसे नेपाली नागरिकों के स्वामित्व वाली सम्पत्तियां शामिल नहीं होंगी जिनकी पहचान नेपाली राष्ट्रिकता के बारे में एक निश्चित घोषणा के नहीं होने से उनके नामों से नेपाली राष्ट्रिकों के रूप में नहीं की जा सकती है ।

जब्त विदेशी माल का निपटान

5200. श्री एल० डोम्बी सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों द्वारा जब्त विदेशी माल का निपटान किसी किये जाने संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है और इस माल का वितरण करते समय किन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है ;

(ख) क्या पंजीकृत सहकारी सोसाइटियों से इस माल के वितरण में गड़बड़ी किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांडा) : (क) से (ग) अधिगृहीत/जब्त-सुदा माल की बड़ी मात्रा में बिक्री, उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के माध्यम से इसे वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित और सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत् रूप से पंजीकृत सभी सहकारी समितियों और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम/राज्य सहकारी संघ तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को की जाती है । वर्ष 1984-85 से वर्ष 1987-88 तक के वित्तीय वर्षों के दौरान निपटान के विभिन्न चैनलों से बेचे गए जब्त शुदा माल का मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है :—

(मूल्य लाख रुपयों में)

वर्ष	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ	सहकारी समितियां	खुदरा	अन्य
1	2	3	4	5
1984-85	1332.01	273.41	280.88	253.67

1	2	3	4	5
1985-86	1263.47	454.70	388.18	305.28
1986-87	1389.51	665.51	399.86	523.49
1987-88	1322.98	1437.78	499.36	1375.50

जब्त किए गए माल के निपटान/बिक्री का राज्यवार ब्यौरा अलग-से नहीं रखा जाता है।

इन अनुदेशों के उल्लंघन के बारे में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच की जाती है और उपचारी कार्रवाई की जाती है।

राज्यों से सहायता प्राप्त रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता देना

5201. श्री हुसैन दलवाई : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई रेल लाइनें बिछाने पर आने वाली भारी लागत को ध्यान में रखते हुए ऐसे रेल-निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने का विचार है जिसमें भूमि के अर्जन और रेल-पथ का समतल बनाने पर आने वाले खर्च को वहन करने के लिए राज्य सरकारें तैयार हों ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों ने ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सुझाव दिया है कि वह उक्त राज्य में पहले से अनुमोदित आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित धनराशि के कुछ भाग की व्यवस्था ऋण पत्र आमन्त्रित करके करना चाहती है। यह प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है।

पिथौरागढ़ स्थित रेल-व-सड़क आरक्षण काउन्टर पर शायिकाओं (बर्थस) का कोटा

5202. श्री हरीश रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिथौरागढ़ स्थित रेल-व-सड़क आरक्षण काउन्टर पर टनकपुर-पीलीभीत-लखनऊ एक्सप्रेस रेलगाड़ी में पिथौरागढ़ जिले के यात्रियों के लिए प्रतिदिन कितनी शायिकाओं (बर्थस) का आरक्षण कोटा निर्धारित है ;

(ख) क्या उन्हें जन प्रतिनिधियों से इस कोटे में वृद्धि करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना कोटा बढ़ाया जाएगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) आरक्षण कोटों का जिला-वार आवंटन नहीं किया जाता । तथापि, पिपौरागढ़ रेल-एवं-सड़क आरक्षण काउंटर पर 148/7 अप टनकपुर-पीलीभीत लखनऊ एक्सप्रेस में पहले दर्जे की 2 तथा दूसरे दर्जे की 20 शायिकाओं का कोटा उपलब्ध है ।

(ख) जी हां ।

(ग) से (ङ) मौजूदा आरक्षण कोटे का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है । अतः इस समय इसमें वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है ।

सरकार द्वारा मठों का नियंत्रण

5203. श्री आर० श्रीधरन्नम : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विभिन्न मठों की धन-सम्पत्ति को अपने नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या सरकार इन मठों की धन-सम्पत्ति की देखरेख करने के लिए एक ट्रस्ट नियुक्त करेगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं की प्रगति

5204. श्री वी० तुलसीराम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कौन-कौनसी परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ की गई हैं तथा प्रत्येक मामले में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलेरो) : (क) और (ख) ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा जो इस समय विश्व बैंक ग्रुप के ऋणों/उधारों के साथ कार्यान्वित की जा रही हैं, संलग्न विवरण में दिया गया है । इनमें आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजनाएं भी शामिल हैं ।

विवरण

1. विश्व बैंक समूह के ऋणों/उधारों की सहायता से क्रियान्वित की जा रही परियोजना का विवरण :—

(राशि लाख संयुक्त राज्य अमेरिकी डालरों में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	ऋण/उधार की राशि	28-2-89 तक ऋण उधार की उपयोग की गई राशि
	2	3	4
1.	द्वितीय गुजरात सिंचाई परियोजना	1750.0	1486.26
2.	गुजरात मध्यम सिंचाई परियोजना-2	1720.0	797.37
3.	हरियाणा सिंचाई परियोजना-2	1500.0	1090.61
4.	कर्नाटक तालाब सिंचाई परियोजना	540.0	468.69
5.	महानदी बैराज परियोजना	830.0	685.95
6.	उड़ीसा सिंचाई परियोजना-2	1050.0	685.49
7.	परियर बेडगई सिंचाई-2 परियोजना	350.0	240.09
8.	द्वितीय उ०प्र० सार्वजनिक ट्यूबवैल परियोजना	1010.0	789.06
9.	अपर गंगा आधुनिक सिंचाई परियोजना	1250.0	293.47
10.	मध्य प्रदेश सिंचाई परियोजना	2200.0	1411.29
11.	मध्य प्रदेश (चंबल) सिंचाई परियोजना	310.0	272.06
12.	कल्लाडा सिंचाई तथा वृक्षारोपण विकास परियोजना	803.0	708.85
13.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना	990.0	41.68
14.	बिहार सार्वजनिक ट्यूबवैल परियोजना	680.0	62.92
15.	सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना (इसमें बिहार तथा उड़ीसा भागीदार राज्य हैं)	1270.0	1310.55
16.	नर्मदा नदी विकास (गुजरात) जल वितरण तथा जल निकासी परियोजना	1500.0	260.24
17.	नर्मदा नदी विकास (गुजरात) सरदार सरोवर बांध तथा विद्युत परियोजना (इसमें गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश भागीदार राज्य हैं)	3000.0	297.08

1	2	3	4
18.	राष्ट्रीय जल-प्रबंध परियोजना (इसमें महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु भागीदार हैं)	1140.0	84.30
19.	मध्य प्रदेश कृषि विस्तार परियोजना-2	370.0	326.31
20.	पश्चिम बंगाल सामाजिक वनपालन	290.0	195.22
21.	जम्मू/कश्मीर तथा हरियाणा सामाजिक वनपालन	330.0	249.27
22.	हिमालय वाटरशेड प्रबंध परियोजना	462	104.89
23.	वर्षा वाले क्षेत्रों में जल विभाजन विकास परियोजना	310.0	47.32
24.	कर्नाटक सामाजिक वनपालन परियोजना	270.0	167.48
25.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-3 परियोजना	2200.0	701.76
26.	केरल सामाजिक वनपालन परियोजना	318	149.54
27.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-1	391	66.42
28.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-2	721	149.83
29.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-2	490.0	198.33
30.	राष्ट्रीय सामाजिक वनपालन	1650.0	540.63
31.	नाबार्ड-1	3750.0	3135.12
32.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-3	850.0	49.20
33.	राष्ट्रीय डेयरी-2 परियोजना	3600.0	467.55
34.	राष्ट्रीय बीज परियोजना-3	1500.0	—
35.	द्वितीय सिंगरौली तापीय विद्युत	3000.0	2855.94
36.	फरक्का तापीय बिजली	2500.0	2159.35
37.	कोरबा-2 तापीय	4000.0	3076.95
38.	अपर इन्द्रावती	3260.0	990.42
39.	इन्द्रा सरोवर	428.3	55.04
40.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम-3	3045.0	2955.12
41.	दक्षिण बेसिन अपतटीय गैस	1393.00	1349.37

1	2	3	4
42.	केन्द्रीय विद्युत परियोजना	2507.00	328.27
43.	काम्बे बेसिन पेट्रोलियम परियोजना	2135.00	877.98
44.	द्वितीय फरक्का तापीय	3008.0	397.93
45.	रिहन्द विद्युत	2500.0	1148.08
46.	केरल विद्युत	1760.00	130.47
47.	संयुक्त आवर्त विद्युत	4850.0	1454.43
48.	आयल इंडिया पेट्रोलियम	1400.0	128.53
49.	राष्ट्रीय राजधानी विद्युत आपूर्ति	4850.0	635.0
50.	कर्नाटक विद्युत (2827-आई०एन०)	3300.0	140.00
51.	तलचर तापीय विद्युत	3750.0	180.00
52.	पश्चिम गैस विकास	2950.0	250.00
53.	उत्तर प्रदेश विद्युत	3500.0	253.05
54.	तमिलनाडु पोषाहार	320.0	287.5
55.	राजस्थान जल आपूर्ति और मल निकासी	800.0	796.9
56.	बिहार ग्रामीण सड़कें	350.0	285.2
57.	गुजरात जल आपूर्ति	720.0	277.6
58.	तीसरी कलकत्ता शहरी विकास	1470.0	683.3
59.	मध्य प्रदेश शहरी विकास	241	102.1
60.	तीसरी जनसंख्या	700.0	327.9
61.	तमिलनाडु जल आपूर्ति	730.0	166.8
62.	केरल जल आपूर्ति तथा सफाई	410.0	106.3
63.	पश्चिम बंगाल जनसंख्या	510.0	125.7
64.	गुजरात शहरी विकास	620.0	538
65.	गुजरात ग्रामीण सड़कें	1196	93.9
66.	उत्तर प्रदेश शहरी विकास	1500.0	422.2
67.	मद्रास जलपूर्ति	690.0	43.3
68.	तमिलनाडु शहरी विकास	3002	192.3

1	2	3	4
69.	पांचवीं (बम्बई तथा मद्रास) जलसेवा	570.0	28.6
70.	आवास विकास वित्त कम्पनी (एच० डी० एफ० सी०)	2500.0	989.5
71.	कर्नाटक रेशमकीट पालन	540.0	483
72.	हजीरा उर्वरक	3991	3193
73.	रेलवे आधुनिकीकरण तथा रखरखाव-II	4000.0	730.0
74.	न्हावा सेवा पत्तन	2500	1638
75.	दुधिचुआ कोयला	1510.0	500.0
76.	मध्य प्रदेश उर्वरक	2036	1503
77.	रेलवे विद्युतीकरण	2807	995
78.	झरिया कोकिंग कोयला	2480.0	391
79.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग	2000.0	378
80.	औद्योगिक निर्यात विकास वित्त	900.0	148
81.	आई०सी०आई०सी०आई०-औद्योगिक निर्यात विकास वित्त	1600.0	280.0
82.	सीमेंट उद्योग	2000.0	513
83.	सहकारी उर्वरक	3022	2046
84.	कोयला खनन तथा किस्म गुणवत्ता	2400.0	1281
85.	दूर-संचार-IX	3450.0	207
86.	औद्योगिक वित्त तथा तकनीकी सहायता	3600.0	400.0
87.	तीसरी रेलवे आधुनिकीकरण	3900.0	300.0
88.	राज्य सड़क परियोजना (यह एक बहुराज्यीय परियोजना है जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार शामिल हैं)	2500.0	—
89.	कर्नाटक विद्युत-II (2638-आई० एन०)	2600.0	200.0

II. आंध्र प्रदेश में परियोजनायें :—

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	ऋण/उधार की राशि	28-2-89 तक ऋण/उधार की उपयोग की गई राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश कृषि विस्तार	60.0	45.3	
2.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई-II	2710.0	—	
3.	द्वितीय रामगुंडम तापीय बिजली	3000.0	2116.0	
4.	कृष्णा गोदावरी पेट्रोलियम अन्वेषण	1650.0	1450.0	
5.	राष्ट्रीय जल-प्रबंध	1140.0	84.3	यह एक बहुराज्यीय परियोजना है जिसमें आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा कर्नाटक भागीदार हैं।
6.	वर्षा वाले क्षेत्रों में जल विभाजक विकास	310	47.3	इस बहुराज्यीय परियोजना में आन्ध्र प्रदेश एक भागीदार राज्य है।
7.	राष्ट्रीय बीज परियोजना-III	1500.0	—	इस बहुराज्यीय परियोजना में आन्ध्र प्रदेश एक भागीदार राज्य है।

III. महाराष्ट्र में परियोजनाएं :—

1.	महाराष्ट्र जल उपयोगिता	547.00	227.6	
2.	महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई-III	1600.0	157.5	
3.	चन्द्रपुर तापीय विद्युत	3000	868.1	
4.	बंबई शहर विकास	1380.0	386.6	
5.	तीसरी बंबई जलपूर्ति तथा मल निकासी	1850.0	107.1	
6.	महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स	3000.0	223.8	

1	2	3	4	5
7.	नर्मदा नदी विकास (गुजरात) सरदार सरोवर बांध तथा विद्युत परियोजना	3000.0	297.1	इस बहुराज्यीय परियोजना में गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश भागीदार राज्य हैं।
8.	वर्षा वाले क्षेत्रों में जल विभाजक विकास परियोजना	310.0	47.3	इस बहुराज्यीय परियोजना में महाराष्ट्र एक भागीदार राज्य है।
9.	पांचवीं (बंबई तथा मद्रास) जनसंख्या	570.0	28.6	—

मसालों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु कार्यकारी योजना

5205. **श्री जी० वासवराजू :**

श्री शांति लाल पटेल :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक मात्रा में मसालों का उत्पादन तथा उनके निर्यात के बारे में योजनायें तैयार की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ; और

(घ) इनका निर्यात तथा इससे होने वाली आय पर क्या प्रभाव होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) मसालों, विशेषकर काली मिर्च का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि मन्त्रालय द्वारा 7वीं योजना के दौरान 435.17 लाख रु० की कुल लागत से मसालों के विकास हेतु एक समन्वित कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. एच० वाई० वी० एस० काली मिर्च की 150 लाख कलमों का उत्पादन तथा वितरण।

2. सरकारी फार्मों में काली मिर्च की अधिक उपज की किस्मों के 20 माडल बागानों की स्थापना तथा रख-रखाव।

3. छोटे तथा सीमांत किसानों में 1.8 लाख मसाले के बीजों के थैलों का वितरण।

4. पौधों की सुरक्षा करने वाले 800 फुहारों का 50 प्रतिशत की अर्थ-सहायता पर वितरण।

5. गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रैयत बागानों में काली मिर्च के 360 प्रदर्शन प्लाटों का विन्यास तथा रख-रखाव।

6. केरल में 2500 हैक्टेयर के वर्तमान काली मिर्चों के बागानों का सुधार।

7. केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में 1.9 लाख लौंग के पौधों का 50 प्रतिशत अर्थसहायता प्राप्त लागत पर उत्पादन तथा वितरण।

8. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह मे लौंग, अखरोट तथा इलायची के 11 हैक्टेयर सन्तति बागानों का रख-रखाव।

9. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में 100 लौंग के प्रदर्शन प्लाटों का विन्यास।

10. काली मिर्च, हल्दी तथा मिर्च संसाधन के वैज्ञानिक तरीकों को प्रदर्शन के जरिए लोकप्रिय बनाना।

मसाला बोर्ड 1987-88 से किसानों को 45 लाख कलमों की सप्लाई के जरिए काली मिर्च के विकास हेतु किए गए प्रयासी में मदद कर रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इलायची को प्रतियोगी बनाने के लिए इसकी उत्पादन लागत को कम करने हेतु मसाला बोर्ड इलायची का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक विकास स्कीमों को लागू कर रहा है। स्कीमों में शामिल हैं: पुनर्रोपण योजना, सिंचाई सहायता योजना, विस्तार सलाहकार योजना तथा विभागीय, सहायिक्त तथा पोलिबैग नर्सरियों के जरिए उच्च क्वालिटी की रोपण सामग्री किसानों को उपलब्ध कराना, आदि।

विभिन्न मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए, आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों तथा नकद मुआवजा सहायता, व्यस्ततम अवधि के दौरान मध्य पूर्व देशों में इलायची के हवाई भाड़े पर अर्थ सहायता, कुछ मूल्यवर्धित मदों को उपकर से छूट तथा काली मिर्च पर निर्यात शुल्क से छूट के अतिरिक्त, मसाला बोर्ड निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रहा है जिनमें शामिल हैं: विदेशों में प्रचार अभियान, क्वालिटी के प्रतीक रूप में लोगों विकसित करने की स्कीम क्वालिटी का अच्छा स्तर तथा लोगों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना।

उपरोक्त प्रयोजन के लिए योजना में मसाला बोर्ड ने धनराशि का वर्षवार आबंटन किया है। वर्ष 1985-86 से 1987-88 के लिए योजना के अन्तर्गत खर्च तथा 1988-89 तथा 1989-90 के लिए आबंटन नीचे दिया गया है:

वास्तविक व्यय

वर्ष	लाख रु० में
1985-86	241.90
1986-87	293.45
1987-88	334.11

आबंटन

वर्ष	लाख रु० में
1988-89	392 (30 लाख रु० की आन्तरिक प्राप्ति सहित)
1989-90	403 (23 लाख रु० की आन्तरिक प्राप्ति सहित)

लगातार सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद, भारत से 1983-84 के वित्त वर्ष तथा उसके बाद के वर्षों के दौरान मक्खनों के निर्यात के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष	मात्रा	मूल्य
	(मि० टन में)	(लाख रु० में)
1983-84	85834	11166
1984-85	89155	20902
1985-86	74501	28252
1986-87	82825	28198
1988-89 (अप्रैल-फरवरी)	64021	20684

सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग

5206. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सिंचाई क्षेत्र में उन निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, जो लगभग पूरा होने वाली है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भी उपलब्ध भूतल जल को खोजने और उसका उपयोग बढ़ाने के लिए क्षेत्र जलभरों का निर्माण करके भूमि को समतल बनाकर और बाढ़बंदी शुरू करके सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अब तक की राज्यवार क्या उपलब्धि रही है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा की गई सिफारिशें मुख्यतः बाढ़ प्रबंध से संबंधित हैं।

(ग) सातवीं योजना के 184 वृहद तथा 433 मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं में से 41 वृहद तथा 186 मध्यम परियोजनाओं के सातवीं योजना के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना

5207. श्री एस्कम पुरुषोत्तमन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं, वचनबद्ध की गई सहायता की राशि और इन परियोजनाओं, की स्थिति इस प्रकार है :—

परियोजना का नाम	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि की ऋण राशि (करोड़ डालर)	31-3-1989 की स्थिति के अनुसार संवितरण (करोड़ डालर)	वर्तमान स्थिति
1. भीम कमान क्षेत्र विकास	5.00	—	पूरी राशि का संवितरण कर दिया गया और ऋण सहायता समाप्त हो गई है।
2. राजस्थान सी० ए० डी० और सेटलमेंट	5.50	4.717	सहायता समाप्त हो गई, परन्तु राशि का संवितरण 30-6-89 तक जारी रहेगा।
3. सुन्दर वन विकास	1.750	1.077	—चल रही है—
4. मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई	2.5066	—	पूरी राशि संवितरित कर दी गई और ऋण सहायता समाप्त हो गई।
5. द्वितीय उत्तर प्रदेश सार्वजनिक ट्यूब वैल	3.530	2.137	—चल रही है—
6. उड़ीसा आदिवासी विकास	1.220	0.011	—चल रही है—

कनाडा की खनिज और धातु व्यापार निगम को पेशकश

5208. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने खनिज और धातु व्यापार निगम को कनाडा की खनन कम्पनी के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कनाडा की पेशकश की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने इसे स्वीकार कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) एम० एम० टी० सी० को पोटाश खनन कार्यों में सहभागिता के लिए कनाडा से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, इन प्रस्तावों के ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

वैशाली एक्सप्रेस में खानपान सेवा

5209. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वैशाली एक्सप्रेस में यात्रियों को दिए गए भोजन के पैकटों में निर्धारित मात्रा से कम और घटिया भोजन पाए जाने के कितने मामले सामने आए हैं ;

(ख) सप्लायरों के नाम सहित उक्त मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इस अवधि के दौरान, एक मामले में भोजन के पैकेट का वजन कम पाया था तथा घटिया भोजन के बारे में छः शिकायतें मिली थी । 154 डा० में भोजन की आपूर्ति विभागीय आधार रसोई, नयी दिल्ली द्वारा तथा 153 अप में विभागीय आधार रसोई, गोरखपुर द्वारा की जाती है ।

(ग) कम वजन के लिए दोषी पाए गए निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है। शिकायत के अन्य मामलों में कर्मचारियों को चेतावनी दे दी गयी है ।

विजयवाड़ा में यात्रियों के लिए कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण

5210. **श्री डी० बी०रमैया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग का विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण प्रणाली लागू करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्पनियों द्वारा अंशधारियों को जारी किए जाने वाले नए शेयर

[हिन्दी]

5211. **श्री शांति धारीवाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शेयर जारी करने के अधिकार के कारण शेयर जारी करके अपनी कार्य पूंजी बढ़ाने के लिए अनमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों द्वारा अंशधारियों को जारी किए जाने वाले नए शेयर जारी करने के लिए अनुमति देने में क्या मानदण्ड अपनाया गया है ;

(ग) उन कंपनियों के नाम और संख्या क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान दो बार से अधिक राइट शेयर जारी करने के लिए अनुमति की मांग की है ; और

(घ) गत तीन महीनों के दौरान कितनी कंपनियों ने राइट शेयर जारी करने के लिए अनुमति की मांग की गई है और ऐसे प्रत्येक कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्आर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) मार्ग-निर्देशों की एक प्रति संलग्न है ।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

नई शेयर-पूंजी जारी करने के संबंध में मार्ग-निर्देश

पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अंतर्गत, ऐसी समस्त कंपनियों से, जिनके शेयर -पूंजी निगमों को पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969, के द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अपवर्जित नहीं किया गया है, पूंजी निर्गम नियंत्रक का अनुमोदन एक अभिस्वीकृति सूचक पत्र अथवा सहमति पत्र के रूप में प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है। ऐसी समस्त कंपनियों के मार्ग-निर्देशन के लिए बोनस शेयरों से भिन्न शेयर-पूंजी निर्गमों से संबंधित मार्ग-निर्देश नीचे दिए गए हैं।

(1) समस्त सम्बद्ध आवेदन-पत्रों को निर्धारित प्रपत्र में सरकार पूंजी निर्गम नियंत्रक के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, जिनके साथ अधिनियम के अंतर्गत देय शुल्कों की पूर्ति से सम्बन्धित मांगदेय ड्राफ्ट (जो कि पूंजी-निर्गम नियंत्रक के पक्ष में अभिलिखित हो और जिसकी अदायगी भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय सचिवालय शाखा में होनी निर्धारित हो) भी संग्लन होनी चाहिए।

(2) आवेदन-पत्रों के साथ जहां कहीं पर आवश्यक हो, औद्योगिक लाइसेंस की सत्यापित प्रतिलिपि अथवा महानिदेशक तकनीकी विकास के पास परियोजना विषयक पंजीयन की सनद संलग्न होनी चाहिए।

(3) परियोजना की लागत के यथार्थिक अनुमान के साथ-साथ वित्तपोषण की सही योजना का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता के मामले के उन पत्रों कि प्रतियां भी अग्रेषित की जानी चाहिएं जिसमें पूंजीगत लागत के वित्तपोषण में दिए जाने वाले उनके योगदान का विवरण दर्ज हो।

(4) जिस मामले में सारवान राशि का निर्गम जारी किए जाने का प्रस्ताव हो अथवा जिस मामले में वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में सूचीबद्ध कराए जाने की शर्त रखी गई हो उस मामले में कंपनी को शेयर जनता में जारी करवा देने चाहिएं और उनको एक या एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करवा देना चाहिए, किन्तु यह व्यवस्था उस सूचीबद्ध कंपनी के मामले में लागू नहीं होगी जिसमें शेयरों को अधिकारिक शेयरों के रूप में जारी किए जाने का प्रस्ताव हो।

(5) जिस मामले में सामान्य शेयर-पूंजी जारी करने के प्रतिफलस्वरूप जनता को पहली बार अभिदान की पेशकश की गई हो, उस मामले में संवर्धकों, निदेशकों और उनके मित्रों द्वारा निजी तौर पर अभिदत्त सामान्य शेयर पूंजी का मूल्य ऐसी दशा में जबकि सामान्य शेयर पूंजी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो, कुल निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी के 15 प्रतिशत भाग से, कम नहीं होनी चाहिए। और ऐसी दशा में जबकि सामान्य शेयर पूंजी दो करोड़ रुपए से ज्यादा की न हो, साढ़े बारह प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए तथा ऐसी दशा में जबकि उक्त मूल्य दो रुपए से ज्यादा हो, 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

(6) सामान्य रूप से नकदी से भिन्न एवं जाने के लिए शेयरों के निर्गम की अनुमति नहीं दी जाती। किन्तु कुछ एक विशेष मामलों में जहां पर पक्ष यह इच्छा करे कि अंतरित परिसम्पत्तियों के एवज में शेयरों को जारी करने की अनुमति दे दी जाए, ऐसी परिसम्पत्तिय के मूल्यों निर्धारण की विस्तृत जानकारी आवश्यक मूल्य निर्धारण रिपोर्टों की प्रतिलिपियों सहित भेद दी जानी चाहिए।

(7) एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध कंपनियों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस आशय की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि पूंजी निर्गम निर्धारण को आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने से पहले एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

(8) परियोजना की पूंजीगत लागत का वित्तपोषण करने के मामले में पूंजी की व्यवस्था इस रीति से की जानी चाहिए कि सामान्य शेयर पूंजी और ऋण के बीच 1:2 का अनुपात रहे जो कि सही और उचित अनुपात समझा जाता है। जहां तक पूंजी प्रधान उद्योगों का सम्बन्ध है उनके मामले में प्रत्येक प्रस्ताव के गुणावगुणों के आधार इससे अधिक सामान्य शेयर पूंजी और ऋण के अनुपात की व्यवस्था करने के मामले पर विचार किया जा सकता है।

(9) सामान्य रूप से 3:1 का सामान्य और शेयर पूंजी प्राथमिकता अनुपात प्रवर्त्य होगा।

(10) तरजीही शेयरों के लाभांश की दर ऐसी अधिमतम सीमा के भीतर रहनी चाहिए जिसको समय-समय पर पूंजी निर्गम नियंत्रण के द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

(11) ऐसी नई कंपनी के सम्बन्ध में, जो कि पहली बार शेयर जारी कर रही हो, कोई प्रीमियम निर्धारित नहीं हो सकेगा।

(12) नए निर्गमों के सम्बन्ध में हामीदारी के संतोषजनक प्रबंध होने चाहिए और अधिकारिक शेयरों के मामले को छोड़कर अन्य मामलों में हामीदारों के नाम और वे सभी राशियां आवेदन पत्र में दर्ज की जानी चाहिए जिनके सम्बन्ध में हामीदारी की जानी हो।

(13) कोई भी कंपनी भारत सरकार अथवा रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना अनिवासियों को शेयरों का आवंटन नहीं कर सकेगी और यदि अनिवासियों को शेयरों का आवंटन किए जाने का प्रस्ताव हो, तो ऐसे अनुमोदन की एक प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

(14) यदि सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के पक्ष में कोई निश्चित आवंटन किया जाने का इरादा हो, तो उसका विवरण आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(15) पूंजी निर्गम से पहले कंपनी द्वारा तय किया गया कोई भी प्रबन्ध अथवा दिया गया कोई भी वचन जोकि पूंजी निर्गम पर उल्लेखनीय प्रभाव रखता हो आवेदन पत्र के साथ प्रकट कर दिया जाना चाहिए।

(16) आवेदन पत्र के साथ कंपनी के सचिव और/अथवा निदेशक के द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना चाहिए जिसमें यह बताया गया हो

कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत जानकारी सम्पूर्ण और सही है । इसी प्रकार से कंपनी के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत जानकारी उनके द्वारा सत्यापित एंव परीक्षित की जा चुकी है और उन्होंने उस जानकारी को अपने सर्वोत्तम ज्ञान और अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और ठीक पाया है ।

काजीपेट (आंध्र प्रदेश) में "इलैक्ट्रिक लोको शेड' को स्थानान्तरित करना

[अनुवाद]

5213. **डा० टी० कल्यमा चेची** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में स्थित काजीपेट जंक्शन में प्रस्तावित इलैक्ट्रिक लोको शेड को हैदराबाद के निकट चेरलापल्ली क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) इस समय, काजीपेट में बिजली रेल इंजन शेड की स्थापना का कोई स्वीकृत कार्य नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य तेल का आयात और निर्यात

[हिन्दी]

5214. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री विनेश गोस्वामी :

श्री हरिहर सोरन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू तेल वर्ष (अक्तूबर-नवम्बर) के दौरान खाद्य तेलों और उनके उत्पादों का उतना ही निर्यात किया गया था जितना कि पहले तेल वर्षों के दौरान किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेल और उनके सम्बद्ध उत्पादों का कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का निर्यात किया गया तथा इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में इसका ब्यौरा क्या है और वर्ष 1989-90 के दौरान इनका अलग-अलग कितना निर्यात किए जाने का विचार है ;

(ग) क्या देश में खाद्य तेल का प्रतिवर्ष भारी मात्रा में आयात भी किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से खाद्य तेलों का आयात किया जाता है तथा इस वर्ष अलग-अलग कितने मूल्य के खाद्य तेलों का आयात किया गया ; और

(ङ) खाद्य तेलों का किस प्रकार निर्यात किया जा रहा है और जिन खाद्य तेलों का आयात किया जाता है क्या वे इनसे भिन्न हैं और इस प्रकार निर्यात और आयात किए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) खाद्य तेल और उनके उत्पादों के निर्यात के के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं न कि तेल वर्ष के आधार पर ये आंकड़े वर्ष 1987-88 तक के उपलब्ध हैं। वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान निर्यातित खाद्य तेल और उनके उत्पादों की मात्रा और मूल्य संलग्न-1 विवरण में दिया गया है। प्रमुख मदें नहीं होने के कारण इनके निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जावें।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० द्वारा आयातित खाद्य तेल की मात्रा और मूल्य संग्लन विवरण-2 दिया गया है।

(ङ) चूंकी वर्ष 1988-89 के दौरान खाद्य तेल के निर्यात के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं इसलिए इस समय इसकी तुलना करना सम्भव नहीं है।

विवरण-1

वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान निर्यातित खाद्य तेल और उनके सम्बद्ध उत्पादों की मात्रा और मूल्य

मात्रा—टनों में
मूल्य—लाख रु० में

क्रम सं०	मद	1985-86		1986-87		1987-88	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	सोयाबीन	4619	377	2035	104	उ०न०	उ०न०
2.	सरसों का तेल	—	—	5	1	उ०न०	उ०न०
3.	पाम आयल	56	3	246	16	उ०न०	उ०न०
4.	नारियल तेल	33	8	शून्य	शून्य	उ०न०	उ०न०
5.	सोयाबीन निस्सारण	484028	9981	577919	13100	310120	8574
6.	मूंगफली के तेल का निस्सारण	35908	405	53083	681	22747	452
7.	बिनौले की खली	12428	113	70	1	—	—
8.	चावल की भूसी का निस्सारण	297650	1515	389603	3065	346009	2741
9.	रेपसीड निस्सारण	135000	1105	128462	1132	43531	394
10.	सूरजमुखी के बीज का निस्सारण	22200	141	18887	168	39295	391
11.	साल बीज निस्सारण	14500	36	19485	97	22520	

विवरण-2

वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० द्वारा किए गए खाद्य तेल का आयात

क्रम सं०	तेल	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1.	सोयाबीन का तेल	201293	135.26
2.	रेपसीड आयल	189582	130.69
3.	सूरजमुखी के बीज का तेल	78800	43.91
4.	रिफाइण्ड ब्लीच्ड डियोडराइज्ड पाम आयल	17980	10.76
5.	रिफाइण्ड ब्लीच्ड डियोडराइज्ड पोमोलीन	533860	332.62
6.	न्यूटरलाइज्ड पाम आयल	112572	76.95
7.	रिफाइण्ड रेपसीड आयल	16913	17.75
8.	रिफाइण्ड सोयाबीन का तेल	10936	15.12
	योग :	1161936	763.06

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, दिल्ली द्वारा निपटाए गए मामले

[अनुवाद]

5215. श्री पराग चालिहा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 और 1983 के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित और नियंत्रित निगमों/सोसाइटियों के गैर-केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कितने सेवा सम्बन्धी मामलों पर अपना निर्णय दिया है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : वर्ष 1987 और 1988 के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित ऐसे मामलों की संख्या क्रमशः 40 और 106 है।

गैर-आवश्यक वस्तुओं का आयात

5216. डा० ए० के० पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-आवश्यक खाद्य पदार्थ, आइसक्रीम, स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान श्रृंगार प्रसाधन आदि के लिए सहायक उपकरणों के आयात हेतु अन्य देशों के साथ किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किन-किन समझौतों के अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग को स्वीकृति दी गई ;

(ख) इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ;

(ग) निर्यात करने वाले देशों के अलावा बहुराष्ट्रीय कंम्पनियों के मद-वार नाम क्या हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में कितने-कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) विभिन्न मंत्रालयों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

द्वारका-वाराणसी एक्सप्रेस

5217. श्री सोमजी भाई डामर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारका और वाराणसी के बीच बरास्ता भोपाल और झांसी एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी ।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा व्यापार में विविधता लाना

5218. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने खनिज और धातु व्यापार निगम को निर्यात में विविधता लाने का निदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 में खनिज और धातु व्यापार निगम ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां ।

(ख) खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क जैसे सरणीकृत निर्यातों के सम्बन्ध में अपने निर्यातों को विविध बाजारों में भेजने के लिए उपाय किये हैं । इसके अनुसार कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य और मध्य पूर्व लौह अयस्क के लिए, ताइवान, फिलिपीन्स और स्वीडन क्रोम अयस्क के लिए और ताइवान तथा पाकिस्तान मैंगनीज अयस्क के लिए नए बाजार हैं । गैर-सरणीकृत निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने निगम के अन्दर ही कई निर्यात समूह बना लिए हैं और इंजीनियरी परियोजनाओं के निर्यात पर भी ध्यान दिया जा रहा है । एक आंकड़ा-बैंक भी बनाया गया है । खनिज एवं धातु व्यापार निगम अपनी प्रति व्यापार नीति भी जारी रखे हुए है जिसमें अतिरिक्त निर्यात होते हैं । वर्ष 1988-89 के दौरान खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने 464.50 करोड़ रु० के सरणीकृत निर्यात और 341.50 करोड़ रु० के गैर-सरणीकृत निर्यात किये थे (अनन्तिम आंकड़े) ।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में ग्रन्थालय बुक-स्टाल

5219. श्री पी० सेलवेन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बी दूरी तक जाने वाली प्रत्येक रेलगाड़ी में चलते-फिरते ग्रन्थालय व बुकस्टाल की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लेने के क्या कारण थे ;

(ख) भविष्य में किसी भी रेलगाड़ी में चलते-फिरते नये ग्रन्थालय व बुकस्टाल की सुविधा उपलब्ध न किये जाने के बारे में निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) यात्री जनता को उनकी यात्रा के दौरान पठन सामग्री मुहैया कराने के लिए पहले कुछ चुनिंदा गाड़ियों में चलता-फिरता पुस्तकालय-एवं बुकस्टाल सेवा शुरू की गई थी ।

(ख) पुनरीक्षा करने पर यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित को दृष्टिगत रखते हुए चलते-फिरते पुस्तकालय एवं बुकस्टाल का कोई नया ठेका आवंटित न किया जाये :—

(1) सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बुकस्टाल उपलब्ध हैं ।

(2) ठेकेदार शायिकाएं घेर लेते हैं जिनका यात्रियों के लिए बेहतर उपयोग हो सकता है ।

(3) गाड़ी में वेंडरों का स्वच्छंद विचरण हर समय वांछनीय नहीं होता ।

मध्य प्रदेश की बीना नदी सिंचाई परियोजना के संबंध में सर्वेक्षण

[हिन्दी]

5220. श्री नंद लाल चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्रस्तावित बीना नदी सिंचाई परियोजना के लिए सबसे पहला सर्वेक्षण कार्य किस वर्ष शुरू किया गया था ;

(ख) सर्वेक्षण कार्य पर अब तक वर्ष-वार कुल कितना खर्चा हुआ है ;

(ग) क्या सर्वेक्षण कार्य अभी भी शेष है ;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार का सर्वेक्षण कार्य शेष है और इसे कब तक पूरा कर दिया जाएगा ; और

(ङ) यदि सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है तो परियोजना को अन्तिम स्वीकृति कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जैसाकि वर्ष 1982 में तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट में बताया गया है, ये सर्वेक्षण 1975 में प्रारम्भ किए गए थे ।

(ख) ये ब्यौरे केन्द्र में नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार को आशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे अनुरोध किया गया है ।

पश्चिम रेलवे (गुजरात) में ऊपरि पुल

[अनुवाद]

5221. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में गुजरात के कई बड़े शहरों में ऊपरि पुलों के निर्माण की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात के प्रत्येक शहर में ऊपरि पुलों के निर्माण के लिए बनाई गई योजनाओं, परियोजनाओं और प्राक्कलनों का क्या ब्यौरा है ; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) स्वीकृत निर्माण कार्यों का पूरा होना मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा पहुंचमार्गों के पूरे किए जाने पर निर्भर करेगा ।

विवरण

(ख) और (ग) गुजरात राज्य में स्वीकृत/निर्माणाधीन ऊपरि सड़क पुलों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	स्थान	कार्य की लागत
1.	भियागाम कर्जन के निकट	132.39
2.	प्रतापनगर (बडोदरा) के निकट	140.61
3.	असर्वा के निकट	144.48
4.	भड़ौच के निकट	173.94
5.	रनोली (बडोदरा) के निकट	230.73
6.	वापी के निकट	309.04
7.	बडोदरा के निकट छायापुरी तथा पिपलीव स्टेशनों के बीच	153.20
8.	आणंद के निकट (अहमदाबाद-बडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर)	120.83

इसके अलावा, लखवाल, मणीनगर तथा चंदेनिया (अहमदाबाद के निकट) ऊपरि सड़क पुलों के प्रस्ताव निक्षेप कार्यों के रूप में तैयार किए जा रहे हैं।

समपार संख्या 220 तथा 7 के बदले में क्रमश: राजकोट तथा भावनगर में ऊपरि सड़क पुलों की व्यवस्था की मांग भी की गई है : जिस पर रेलों द्वारा स्वीकृति के लिए तभी विचार किया जाएगा जब नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा लागत में हिस्सेदारी की सहमति के साठ ठोस प्रस्ताव प्रायोजित किया जाये।

पूर्व रेलवे से रेलगाड़ियों को बन्द किया जाना और पुनः चालू किया जाना

5222. श्री गदाधर साहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहिब गंज लूप लाइनों के रास्ते से होकर हावड़ा से चलने वाली अपर इण्डिया एक्सप्रेस—अप और डाउन रेलगाड़िया और ए० के० (एन० जी०) लाइन-पूर्व रेलवे पर चलने वाली दो रेलगाड़ियों को बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यात्रियों की सुविधा के लिए इन रेलगाड़ियों को पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब से चालू किया जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस लूप लाइन पर "अपर इण्डिया एक्सप्रेस" अब 33/34 गाड़ी के रूप मे वाराणसी तक चलती है। पूर्व रेलवे की ए० के० लाइन पर एक जोड़ी गाड़ियां (छो० ला०) वापिस ली गई थीं।

(ख) गाड़ी सेवाओं को युक्ति संगत बनाने तथा छोटी लाइन खंड की हानि पर नियंत्रण रखने के लिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यातायात के वर्तमान स्तर के लिए मौजूदा गाड़ी सेवाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

कालिन्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को अनियमित रूप से चलाया जाना

5223. श्री खुर्शीद आलम खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और फर्रुखाबाद के बीच कालिन्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नियमित रूप से नहीं चलायी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को नियमित रूप से चलाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) 1-5-1989 से इस गाड़ी को डीजल इंजन से चलाने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता

5224. श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने परिवारों को नकदी के रूप में तथा सामान के रूप में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई तथा उड़ीसा में कितने परिवारों को सहायता दी गई ;

(ख) इस अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों एवं कितनी महिलाओं को राज्यवार लाभ प्राप्त हुआ ;

(ग) इस अवधि के दौरान इस कार्यक्रम पर सरकार ने उड़ीसा में कितनी धनराशि खर्च की ; और

(घ) इस अवधि के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी धनराशि संचारित की गई तथा इसमें से कितनी धनराशि राज्य में ऋण के रूप में दी गई ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्आर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से नकद राशि और सामान के रूप में हिताधिकारियों को प्रदान की गई सहायता के सम्बन्ध में अलग-अलग सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 (फरवरी, 1989 तक) के दौरान समग्र रूप से देश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या 109.51 लाख थी जबकि इसी अवधि के दौरान उड़ीसा में सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या 6.73 लाख थी। इसी अवधि के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला हिताधिकारियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण I, 2 और 3 में दी गई हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पता लगाए गए हिताधिकारियों को अर्थक्षम परियोजनाएं आरंभ करने के वास्ते सहायता दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है और बैंकों द्वारा ऋण दिए जाते हैं। उड़ीसा में इसी अवधि में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी तथा बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों की रकम क्रमशः 93.08 करोड़ रुपए और 113.46 करोड़ रुपए थी।

(घ) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वर्ष 1986, 1987 और 1988 की जमाराशियों और उनके द्वारा दिए गए अग्रिमों की रकम निम्नानुसार थी :—

(करोड़ रुपए)

माह तथा वर्ष	जमाराशियां	अग्रिम
सितम्बर 1986	1026.22	865.20
सितम्बर 1987	1281.34	1052.72
सितम्बर 1988	1531.45	1255.67

विवरण-1

वर्ष 1986-87 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक प्रगति

(संख्या)

क्रम सं०	राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि			
			कुल	जिसमें से		
				अनु०जा० परिवार	अनु०ज०जा० परिवार	महिलाहिताधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	241500	25694	105764	28273	42631
2.	अरुणाचल प्रदेश	16600	13702	—	13702	2763
3.	असम	70500	68059	5353	15883	7798
4.	बिहार	460000	535155	143771	79328	53148
5.	गुजरात	122500	147527	18511	35490	30166
6.	हरियाणा	54000	54020	18706	—	14996
7.	हिमाचल प्रदेश	31100	36955	18661	4065	542
8.	जम्मू और कश्मीर	38500	26718	1982	—	1254
9.	कर्नाटक	145500	145275	35811	4057	24437
10.	केरल	128500	143399	42177	4210	44978
11.	मध्य प्रदेश	335000	363582	80919	108717	26595
12.	महाराष्ट्र	220000	238118	58964	37630	46297

1	2	3	4	5	6	7
13.	मणिपुर	8800	13673	48	9376	3032
14.	मेघालय	8800	11970	—	11738	4082
15.	मिजोरम	12100	8438	—	8438	1742
16.	नागालैण्ड	13500	4318	—	4318	40
17.	उड़ीसा	234000	207873	47631	53320	15021
18.	पंजाब	91500	99935	53035	—	14039
19.	राजस्थान	155900	164472	63623	30625	9138
20.	सिक्किम	2300	2728	132	909	421
21.	तमिलनाडु	246500	258823	113803	6110	86921
22.	त्रिपुरा	15000	15779	2017	5687	614
23.	उत्तर प्रदेश	632000	666474	318621	2203	86813
24.	पश्चिम बंगाल	189500	243921	75176	14283	39115
25.	अण्डमान नि० द्वीप०	1800	2303	—	358	286
26.	चण्डीगढ़	2500	120	31	—	32
27.	द०और न० हवेली	1000	1080	45	1004	314
28.	दिल्ली	5100	4380	996	—	523
29.	गोवा दमन और द्वीव	9300	9050	438	90	2844
30.	लक्षद्वीप	1300	444	—	444	51@
31.	पांडिचेरी	4000	5675	566	1	873
	अखिल भारत	3500000	3747269	1199811	480259	567050

@अक्तूबर 1986 तक की सूचना

विवरण-2

वर्ष 1987-88 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक प्रगति

(संख्या)

क्रम सं०	राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम		लक्ष्य	उपलब्धि		
				कुल		जिसमें से
				अनु०जा० परिवार	अनु०ज०जा० परिवार	महिलाहिताधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	289909	163559	85878	31126	51948
2.	अरूणाचल प्रदेश	18860	11683	—	11683	3012
3.	असम	81256	66144	9069	14835	6355
4.	बिहार	536427	657334	181410	96253	90483
5.	गोवा	5210	5350	129	19	2496
6.	गुजरात	150281	154124	20017	45539	46977
7.	हरियाणा	61438	53197	1757[illegible]	—	18996
8.	हिमाचल प्रदेश	27930	32481	17837	2924	6863
9.	जम्मू और कश्मीर	37745	29803	2359	—	3068
10.	कर्नाटक	1[illegible]1239	160135	36088	4988	36275
11.	केरल	115419	110684	31498	2561	38029
12.	मध्य प्रदेश	384078	404358	90688	137702	65844

1	2	3	4	5	6	7
13.	महाराष्ट्र	276970	292603	67765	45687	57369
14.	मणिपुर	7741	6556	13	4617	1819
15.	मेघालय	9718	3606	—	3606	1245
16.	मिजोरम	7568	4495	—	4495	1435
17.	नागालैण्ड	15120	5719	—	5719	1244
18.	उड़ीसा	208680	304732	71774	74282	58100
19.	पंजाब	55158	74367	39056	—	178,2
20.	राजस्थान	198.62	214323	73236	41131	32897
21.	सिक्किम	2417	2167	123	574	351
22.	तमिलाडु	269380	276415	123144	4277	79534
23.	त्रिपुरा	26662	20932	3022	6446	1219
24.	उत्तर प्रदेश	706663	793923	377384	2991	130162
25.	पश्चिम बंगाल	239674	2882.7	90560	14920	62592
26.	अडमान नि०द्वीप०	1640	1588	—	225	235
27.	चण्डीगढ़	60	61	15	—	13
28.	द० और न० हवेली	445	455	12	435	100
29.	दिल्ली	3038	3062	908	—	979
30.	दमन और दीव	1042	595	13	142	190
31.	लक्षद्वीप	900	459	—	459	198
32.	पांडिचेरी	3480	4829	1516	—	1637
	अखिल भारत	3963510	4247296	1341090	557637	829555

विवरण-3

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक प्रगति (1988-89) (जनवरी 1989 तक)

(संख्या)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि			
			कुल	जिसमें से		
				अनु०जा० परिवार	अनु०ज०जा० परिवार	महिला हिताधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2349,5	213324	78141	22431	47658
2.	अरूणाचल प्रदेश	18554	2239	—	2239	297
3.	असम	69690	41850	3390	8770	3264
4.	बिहार	430492	328128	92956	56124	53321
5.	गोवा	4282	3743	49	—	1488
6.	गुजरात	114472	99605	11708	34669	24235
7.	हरियाणा	45802	39836	12976	—	16997
8.	हिमाचल प्रदेश	21174	21482	10988	2271	4917
9.	जम्मू और कश्मीर	28030	13484	1043	—	2127
10.	कर्नाटक	137794	101979	24014	2793	24102
11.	केरल	84054	64954	21216	1475	24415
21.	मध्य प्रदेश	300717	257968	59160	87881	51593

1	2	3	4	5	6	7
13.	महाराष्ट्र	226410	197594	44407	31120	42826
14.	मणिपुर	5630	3574	17	1863	1168
15.	मेघालय	8547	3220	—	3220	1254
16.	मिजोरम	7160	3029	—	3029	789
17.	नागालैण्ड	9073	2233	—	2233	581
18.	उड़ीसा	169345	137171	31204	43580	33364
19.	पंजाब	40133	40130	20868	—	10204
20.	राजस्थान	149596	118526	36187	24464	23190
21.	सिक्किम	1712	1283	88	419	142
22.	तमिलनाडु	224928	229310	109211	3422	77505
23.	त्रिपुरा	8272	13663	1997	3952	1670
24.	उत्तर प्रदेश	610642	511192	236130	1826	81600
25.	प० बंगाल	233988	194802	61563	10972	61956
26.	अंडमान नि० द्वीप	1742	1217	—	176	265
27.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—
28.	द० और न० हवेली	385	280	10	274	58
29.	दिल्ली	2360	1429	502	—	590
30.	दमन और दीव	732	513	10	49	76
31.	लक्षदीप	370	335	—	335	157
32.	पांडिचेरी	1905	1474	377	—	404
	अखिल भारत	3193546	2649567	858512	349587	595213

परभनी-मुदखेड-आदिलाबाद रेल लाइन को बदलना

4225. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परभनी-मुदखेड-आदिलाबाद रेल लाइन को बदलने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गयी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस परियोजना के लिए वित्तीय आबंटन में वृद्धि करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) परभनी-मुदखेड़-आदिलाबाद मीटर लाइन का आमान परिवर्तन आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। संसाधनों की भारी तंगी के कारण इस परियोजना के लिए आबंटन बढ़ाना कठिन है।

फैजाबाद रेलवे स्टेशन

[हिन्दी]

5226. श्री निर्मल खत्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कार्य शुरू किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) यह कार्य कब शुरू किया जाएगा और इस कार्य को पूरा करने संबंधी चरण-वार समय अनुसूची क्या है तथा इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) क्वार्टरों का काम शुरू हो गया है।

(ख) फैजाबाद स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफार्म और कोचिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने से सम्बन्धित अनुमोदित योजना की अनुमानित लागत 251 लाख रुपये है और इसके दिसम्बर, 1991 तक पूरा होने की संभावना है।

केरल में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋण

[अनुवाद]

5227. श्री ए० चार्ल्स : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1988-89 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों ने कुल कितने व्यक्तियों को ऋण मंजूर किए ;

(ख) इस प्रकार कुल कितनी धनराशि दी गई तथा सहायता और ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई ; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु चालू वर्षों के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, केरल राज्य में स्थित वाणिज्यिक बैंकों के नाम, जून 1988 के अंत तक, 20सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, 10.94 लाख ऋण खातों में बकाया अग्रिमों की राशि 376.96 करोड़ रुपए थी ।

काफी का उत्पादन और निर्यात

5228. श्री बी० कृष्ण राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान काफी के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान काफी के निर्यात में वृद्धि हुई है ;

(घ) यदि हां, तो एक गत वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष काफी का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इससे विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई ; और

(ङ) भारत मुख्यत: किन-किन देशों को काफी का निर्यात कर रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) काफी की फसल चक्रीय प्रवृत्ति की है, जहां भारी फसल मौसम के बाद के मौसम में आमतौर पर कम फसल होती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान काफी का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

1985-86	1.22 लाख मी० टन (लगभग)
1986-87	1.92 लाख मी० टन (लगभग)
1987-88	1.22 लाख मी० टन० (लगभग)

(ग) से (ङ) भारत से काफी का आयात करने वाले प्रमुख देश हैं : सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, पश्चिमी जर्मनी, इटली आदि ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित काफी की मात्रा और अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु० में)
1985-86	96,298	274.98
1986-87	86,666	362.83
1987-88	92,533	260.10

गया और पारसनाथ स्टेशनों पर तीर्थ यात्री-कर

5229. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गया और पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से प्रतिवर्ष कितना तीर्थ यात्री-कर एकत्र किया जाता है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : पिछले चार वर्षों के दौरान गया स्टेशन पर तीर्थयात्री कर की राशि नीचे नीचे दी गई है :—

1985-86	—	1,13,929.00 रुपये
1986-87	—	1,87,343.00 रुपये
1987-88	—	1,17,205.00 रुपये
1988-89	—	1,95,929.00 रुपये

(फरवरी, 89 तक)

तीर्थयात्री कर के प्रयोजन के लिए पारसनाथ स्टेशन तीर्थ-स्थल के रूप में अधिसूचित स्टेशन नहीं है।

इंफ्रास्ट्रक्चरल डवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में चाय बागान लगाना

5230. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल डवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड ने उड़ीसा के कुछ भागों में चाय बागान लगाने का कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड ने उड़ीसा के किन-किन क्षेत्रों में चाय बागान लगाने का कार्य आरम्भ किया है ; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में कुल कितने हेक्टेयर भूमि में चाय बागान लगाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य में एक परियोजना का कार्य अपने हाथ में लेने के उद्देश्य से चाय बोर्ड ने उड़ीसा सरकार के परामर्श से मै० औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम उड़ीसा तथा चाय विनिर्माण और विपणन कंसल्टेंट्स प्रा० लि० के सहयोग से मै० उड़ीसा चाय बागान लि० नामक एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की है। उस परियोजना में उड़ीसा राज्य के 400 हेक्टेयर चाय क्षेत्र को सम्मिलित करने का उद्देश्य है । कार्यक्रम के प्रथम चरण में अब तक उड़ीसा में क्योंझर जिले में 170 हेक्टेयर भूमि को चाय रोपण के अन्तर्गत लाया जा चुका है।

बंगलौर में जीवन बीमा निगम के एजेंट

5231. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार बंगलौर नगर में जीवन बीमा निगम के कितने एजेंट कार्यरत हैं ;

(ख) जीवन बीमा निगम का एजेंट बनने के लिए लाइसेंस शुल्क कितना है ;

(ग) जीवन बीमा निगम के एजेंट को एक वर्ष में कम से कम कितना कारोबार करना होता है ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जीवन बीमा निगम के एजेंट द्वारा न्यूनतम कारोबार न किए जाने पर भी उसे कमीशन दिया जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) इसका जीवन बीमा निगम के अन्य एजेंटों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में वार्षिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार बंगलौर शहर में जीवन बीमा निगम के 4169 एजेंट थे।

(ख) जीवन बीमा निगम का एक एजेंट बनने के लिए 15/- रुपए लाइसेंस शुल्क के रूप में लिए जाते हैं।

(ग) जीवन बीमा निगम के एजेंट को एक वर्ष में जो न्यूनतम कारोबार करना होता है जिसके आधार पर उसे कमीशन दिया जाता है, वह निम्न प्रकार से है :—

निम्नलिखित जनसंख्या वाले नगर, शहरी समूह या टाउन में कार्यरत एजेंट	पहले एजेंसी वर्ष में		द्वितीय और उत्तरवर्ती एजेंसी वर्षों में	
	विभिन्न व्यक्तियों को दी गई पालिसियों की कम से कम संख्या	न्यूनतम बीमित राशि	विभिन्न व्यक्तियों को दी गई पालिसियों की कम से कम संख्या	न्यूनतम बीमित राशि
5 लाख और उसके अधिक	12	75000	12	100000
1 लाख और उसके अधिक लेकिन 5 लाख से कम	12	60000	12	75000
1 लाख से कम	12	40000	12	60000

लेकिन यदि किसी एजेंट ने निम्नलिखित अवधि के लिए निगम के साथ लगातार एजेंट के रूप में काम किया हो तो उसे अपेक्षित कारोबार करने के मामले में छूट दी जाती है :—

(क) कम से कम 21 वर्ष ; या

(ख) कम से कम 15 वर्ष और उसकी आयु कम से कम 45 वर्ष की हो ; या

(ग) 15 वर्ष और उसके बाद निगम के खातों में उसकी एजेंसी के अंतर्गत किए गए चालू कारोबार के नवीकरण से प्रतिवर्ष कम से कम 40000 रुपए की प्रीमियम आय प्राप्त होती हो ।

(घ) न्यूनतम कारोबार की अपेक्षा को पूरा करना एजेंसी जारी रखने के लिए आवश्यक है न कि उस वर्ष में पहले वर्ष का प्रीमियम प्राप्त करने के लिए है जिसमें नया कारोबार प्राप्त किया गया है । इस तरह पहले वर्ष का कमीशन वर्ष के दौरान प्राप्त कारोबार के लिए दिया जाता है चाहे उस एजेंट ने वर्ष के अंत में इस शर्त को पूरा न किया हो । यदि एजेंट किसी वर्ष में इस शर्त को पूरा नहीं करता है तो उसकी एजेंसी को सामान्यतः समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद तब तक कोई नवीकरण कमीशन नहीं दिया जाता है जब तक कि एजेंसी 5 वर्षों तक चालू न रहे और एजेंट नवीकरण कमीशन जारी रखने के लिए अपेक्षित अन्य शर्तों को पूरा न करे ।

(ङ) जी, नहीं । सभी एजेंटों पर वहीं नियम लागू होते हैं ।

(च) नियमों में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है क्योंकि मौजूदा नियम संतोषप्रद ढंग से काम कर रहे हैं ।

कारों के आयात संबंधी नीति

[हिन्दी]

5232. श्री जितेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयात नीति के इस उपबंध के दुरुपयोग किए जाने की जानकारी है जिसमें किसी देश से बिना शुल्क की अदायगी किए मोटर वाहन लाया जा सकता है परन्तु छः महीने की अवधि के पश्चात उसे वापिस साथ ले जाना होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपबंध के अंतर्गत आयात किये गए कई मोटर वाहनों को जब्त किया गया है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या सुधारात्मक उपाय कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों तथा किये गये अभिग्रहणों से कतिपय बेईमान व्यक्तियों द्वारा आयात नीति के उन उपबंधों के दुरुपयोग किये जाने के संकेत मिलते हैं जिनके तहत मोटर वाहन विदेशों से छः महीने की अवधि के लिए लाय जा सकते हैं तथा उनका पुनः निर्यात किसी शुल्क की अदायगी किए बिना किया जा सकता है। यह सूचित किया गया है कि पिछले एक वर्ष के दौरान अर्थात् 1 मार्च, 1988 से 28 फरवरी, 1989 के बीच ऐसे दुरुपयोग के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा लगभग 29 लाख रुपये मूल्य के चार मोटर वाहन जब्त किए गए हैं ।

(ग) उपर्युक्त किस्म की तस्करी संबंधी कार्यवाही सहित तस्करी संबंधी सारी कार्यवाहियों के लिए आसूचना का इस्तेमाल किया जाता है । ऐसे मोटर वाहन पकड़ लिये जाते हैं तथा उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क की आटोमोबाइल एसोसियेशन से मांग की जाती है । उनमें ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों पर विभागीय न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों द्वारा अर्थदण्ड लगाये जाते हैं तथा उपयुक्त मामलों

में न्यायालयों में उनके खिलाफ मुकदमें भी चलाये जाते हैं। यदि आवश्यक समझा जाता है तो उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के तहत नजरबन्द भी किया जाता है।

बैंकों के कार्यकरण में सुधार

[अनुवाद]

5233. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंकों ने बैंकों में बेहतर ग्राहक सेवा प्रबन्ध व्यवस्था ऋण व्यवस्था ऋण का आदान बनाए रखने तथा आर्थिक व्यवहार्यता बनाए रखने पर विशेष बल दिया है जैसाकि 4 जनवरी, 1989 को "देक्कन हैराल्ड" में प्रकाशित समाचार से विदित होता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों ने उसके अनुदेशों के अनुसार अपने कार्यकरण में समग्र सुधार लाने के वास्ते कार्य योजनाएं तैयार की हैं। कार्य योजनाओं में अन्य क्षेत्रों के अलावा, ग्राहक सेवा, लेखा संबंधी आंतरिक कार्य, प्रशिक्षण, बैंक में ऋण प्रबंध तथा वित्तीय अर्थक्षमता के क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। बैंकों द्वारा कार्य योजना को अमल में लाने से संगठनात्मक ढांचे, प्रशिक्षण, ग्राहक सेवा, लेखा संबंधी आन्तरिक कार्य तथा समूचे कार्यकरण में व्यापक सुधार हुआ है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रगति की बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के शीर्षस्थ स्तरों पर समय-समय पर निगरानी की जाती है।

तस्करों की गिरफ्तारी

[हिन्दी]

5234. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 के दौरान अब तक सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किये गये तस्करों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकारी कोष में कितनी मात्रा में सोना जमा किया गया तथा न्यायालय द्वारा कितनी मात्रा में सोना लौटाया गया और उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें यह सोना लौटाया गया ; और

(ग) क्या जब्त सोने को कोष में जमा करने में हेराफेरी के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांडा) : (क) वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 (27 मार्च तक) में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का उल्लंघन करने के अपराध में गिरफ्तार

किये गये व्यक्तियों की संख्या नीचे सारणी में दी गयी है :—

वर्ष	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
1987	2480
1988	3255
1989* (27-3-1988 तक)	681*

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(ख) और (ग) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान भारत सरकार की टकसाल में जमा किए गए सोने की मात्रा नीचे सारणी में दी गयी है :—

वर्ष	सरकारी टकसाल में जमा किये गये सोने की मात्रा (किलोग्राम में)
1986-87*	1,832.996
1987-88*	2,481.854

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

उपलब्ध रिपोर्टों से ऐसा संकेत नहीं मिलता है कि जब्त किये गये सोने को भारत सरकार की टकसाल में जमा कराने में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा कोई हेराफेरी की गई है ।

जिस सोने के बारे में यह सिद्ध हो जाता है कि यह विदेशी मार्क वाला है और जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत जब्त किया गया हो, उसे उस व्यक्ति को लौटाया नहीं जाता है जिसके पास से उसे पकड़ा गया हो ।

सालबोनी में करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करना

[अनुवाद]

5935. श्री सत्य गोपाल मिश्र :

डा० सुधीर राय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सालबोनी पश्चिमी बंगाल में एक टकसाल करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना में इसकी अनुमानित लागत, भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य, मशीनरी की स्थापना आदि सहित प्रगति का ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) इस परियोजना के पूरा होने के लिए क्या तारीख निर्धारित की गई है ; और

(घ) यदि अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्आर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल में सालबोनी में 723.40 करोड़ रु ए की अनुमनित लागत से एक नई नोट प्रेस की स्थापना से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मूल्यांकन अभिकरणों को टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई है ताकि सरकार इस संबंध में अपेक्षित निवेश निर्णय ले सके । सालबोनी में 495 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्रवाई भी की गई है। निवेश निर्णय लेने के बाद प्रेस को चालू करने में 48 महीने का समय लगेगा।

भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा बासमती चावल का निर्यात

5235. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार निगम में 20,000 मीट्रिक टन भारतीय बासमती चातल सप्लाई करने हेतु कुवैत की एक फर्म से ठेका किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम ने इसकी सप्लाई हेतु आगे उपठेका दे दिया है ;

(घ) ठेके में उल्लेखित बासमती चावल का गुणवत्ता संबंधी कोई मानदण्ड रखा गया है ; और

(ङ) क्या निर्यात निरीक्षण एजेंसी नई दिल्ली ने जांच प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले सुनिश्चित किया था कि सभी निर्धारित मानदण्डों को पूरा किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) कुवैत को 20,000 मीट्रिक टन "बी" ग्रेड मशीन से कुटा बासमती चावल के निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम ने 1987 में कुवैत की एक फर्म के साथ संविदा की। संविदा के अधीन आपूर्ति करने के लिए एस०टी० सी० ने पूर्ववर्ती समझौते के अनुसरण में मै० अब्दुल्ला हाजी रहमत उल्ला ग्रुप आफ कम्पनीज, नई दिल्ली से एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) संविदा में उल्लिखित गुणवत्ता सम्बन्धी मानदण्ड निम्नलिखित हैं :—

(1) मिल में मशीनों द्वारा कुटा ग्रेड "बी" बासमती चावल ।

(2) विशेष गुण (वजन द्वारा प्रतिशतत के आधार पर सहनशीलता की अधिकतम सीमा) ।

—बाहरी तत्व	—	2%
—टूटे हुए और टुकड़े	—	10%
—लाल दोनों सहित अन्य चावल	—	20%
—टूटे-फूटे, रंगहीन और खड़िया जैसे दाने	—	3%
—नमी	—	14%

(ङ) जी हां।

केरल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिया जाना

5237. प्रो० के० वी० थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम ने केरल के विभिन्न परियोजना विकास कार्यों और संस्थानों को कुल कितनी सहायता प्रदान की है ;

(ख) क्या ऋण की वापसी इस बारे में की गई व्यवस्था के अनुसार की जा रही है ;

(ग) क्य जीवन बीमा निगम ने केरल के अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों को ऋण देना बंद कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जीवन बीमा निगम को अपने निर्णय पर पुन: विचार करने के लिए कहने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क)

वर्ष		राशि (करोड़ रुपए)
1986-87	—	32.45
1987-88	—	37.20
1988-89	—	37.14

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

गुन्टुपल्ली में रेल डिब्बों की मरम्मत के लिए वर्कशाप

5238. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुन्टुपल्ली में रेल डिब्बों की मरम्मत के लिए स्थित वर्कशाप की क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) गुन्तपली स्थित माल डिब्बा मरम्मत कारखाने की क्षमता बढ़ाने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) माल डिब्बों का आवधिक ओवरहालिंग के लिए उपलब्ध तथा पहले से नियोजित क्षमता वर्तमान तथा भावी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त है । मांग तथा माल डिब्बों की मरम्मत के लिए उपलब्ध क्षमता की निरन्तर समीक्षा की जाती है । आवश्यक होने पर रेलों की समग्र मांग तथा धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त क्षमता सृजित की जाती है ।

विधिक जानकारी का कम्प्यूटरीकरण

5239. **श्री विजय एम० पाटिल** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विधि के क्षेत्र में शोध-कार्य को सुगम बनाने तथा कानूनों संबंधी सेवायें शीघ्र उपलब्ध करने हेतु विधि जानकारी को कम्प्यूटरीकृत करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या सरकार का मुकदमा लड़ने वालों को कम्प्यूटर के कानून संबंधी सलाह लेने हेतु कोई स्वचालित व्यवस्था आरम्भ करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस व्यवस्था को कब तक लागू किया जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां ।

(ख) विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए योजना आयोग के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (नेशनल इनफार्मेटिक्स सेंटर) ने निम्नलिखित विधिक आधार सामग्री विकसित की है :—

1. विधि और न्याय मंत्रालय के लिए संविधान संबंधी जानकारी के लिए पुनः-प्राप्ति पद्धति ।

2. उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए निर्णयज विधि संबंधी जानकारी के लिए पुनः—प्राप्ति पद्धति ।

3. उच्चतम न्यायालय के लिए केवियट अनुरूप जानकारी के लिए पुनः—प्राप्ति पद्धति ।

4. उच्चतम न्यायालय के लिए सूचीकरण प्रोफार्मा जानकारी पद्धति ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की छठी और सातवीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही

5240. **श्री के० राममूर्ति** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की छठी और सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक में क्या निर्णय लिये गये और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहो) : छठी और सातवीं वार्षिक सामान्य बैठकों में लिए गए निर्णय; तापी के दक्षिणी और पश्चिम-प्रवाही नदियों के जल-विज्ञान और जल संतुलन अध्ययन, सीमान्त बेसिन राज्यों की जल आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्यकलापों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अन्य तकनीकी संस्थानों से तकनीकी विशेषज्ञों के शामिल होने से संबंधित हैं ।

मूरिया-उचैयस्थान रेलवे लाइन (बिहार)

5241. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रैयाम चीनी फैक्टरी को तेल सम्पर्क से जोड़ने के लिए बिहार में मूरिया उचैयस्थान बारस्ता रैयाम रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसी कोई विशिष्ट परिवहन आवश्यकता नोटिस में नहीं आई है जिसके लिए सुझायी गयी रेल लाइन की व्यवस्था करना आवश्यक हो ।

मछली पकड़ने वाली कम्पनियों को सहायता

5242. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा** : क्या वित्त मंत्री मछली पकड़ने वाली कम्पनियों को भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी के ऋण के बारे में 10 मार्च, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 230 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी द्वारा मछली पकड़ने वाली कम्पनियों के पुनः स्थापना के लिए दी जाने वाली सहायता निश्चित करने के लिए कोई मार्गनिर्देश उपलब्ध हैं ;

(ख) पुनः स्थापित मछली पकड़ने वाले एककों से भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी द्वारा ब्याज की क्या दर वसूल की जाएगी ; और

(ग) क्या भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी सभी आवेदक कम्पनियों की सूची पुनः तैयार करने और उनकी पुनः स्थापना के लिए नई इक्विटी देने पर जोर दे रही है ?

वित्त मंत्रालय में वार्षिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) चूककर्ता मत्स्यन कम्पनियों से प्राप्त पुनरुद्धार प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले में गुण-दोषों के आधार पर विचार

किया जाता है। भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी ने सूचित किया है कि अलग-अलग मत्स्यन कम्पनियों की भिन्न-भिन्न समस्याओं को देखते हुए उनके पुनरूद्धार कार्यक्रम तैयार करने के लिए कोई मानकीकृत मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) उन मामलों में जहां पुनरूद्धार प्रस्ताव अर्थक्षम पाए जाते हैं, ऋण तथा ब्याज की बकाया किस्तों के पुनर्निर्धारण पर दस्तावेजों में निर्धारित ब्याज दर के आधार पर विचार किया जाता है तथा चूक के मामले मे दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाता है।

(ग) चूंकि पुनरूद्धार के अधिकतर प्रस्तावों में मत्स्यन कम्पनियों का इक्विटी आधार समाप्त हो गया दिखाया जाता है, इसलिए भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी ने सूचित किया है कि वित्तीय असन्तुलनों को ठीक करने तथा प्रस्तावों की अर्थक्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से मत्स्यन कंपनियों को अतिरिक्त इक्विटी लाने की सलाह दी जाती है।

पेंसिलिन के लिए आयात लाइसेंस जारी करने पर लगाई गई शर्तें

5243. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंसिलिन के लिए आयात लाइसेंस जारी करनें के लिए आयात की तुलना में स्वदेशी सामग्री के प्रयोग के लिए 30:70 का अनुपात निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुपात को किस आधार पर निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या इस नीति का उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) पेन्सिलीन-जी के आयात के लिए अनुपूरक लाइसेन्स प्रदान करने हेतु 30 (देसी) : 70 (आयातित) का अनुपात निर्धारित किया गया है। यह निर्धारण देसी स्रोतों से पेन्सिलीन-जी के पूर्वानुमानित उत्पादन की तुलना में अनुमानित घरेलू आवश्यकता को दृष्टि में रखकर किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अर्नाकुलम त्रिवेन्द्रम रेल मार्ग का निरीक्षण

5244. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित कर्मचारियों ने हाल ही में अर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच के रेलमार्गों का निरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मण्डल और मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त निरीक्षणों के दौरान कोई बड़ी खराबी नहीं पाई गई। पाई गई छोटी-मोटी कमियों/खराबियों को अधिकांशत: ठीक कर दिया गया है।

पंजाब में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

5245. **श्री कमल चौधरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 को पंजाब में किन-किन बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य पूरा हो चुका था/पूरा होने वाला था ;

(ख) इनसे सिंचाई क्षमता में कितनी वृद्धि हुई/वृद्धि की जा रही है ; और

(ग) निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) पंजाब में 31-12-1988 को 319.60 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 16 वृहद और मध्यम परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। इसके अलावा 323.1 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 7 वृहद और मध्यम परियोजनाएं पंजाब सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) वृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं से पंजाब राज्य की चरम सिंचाई क्षमता 30 लाख हेक्टेयर आंकी गई है जिसमें से 24.63 लाख हेक्टेयर क्षमता छठी योजना के अन्त तक सृजित की गई है। पंजाब द्वारा सातवीं योजना के दौरान सृजित की जाने वाली क्षमता का लक्ष्य 1.38 लाख हेक्टेयर है।

(ग) पंजाब सरकार का लगभग 59 करोड़ रुपए की लागत पर 4 नई परियोजनाओं नामश: भूतपूर्व मलेरकोटला राज्य को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना, नहरों का आधुनिकीकरण, दून नहर और सोपान-II की नहरों को पक्का करना, को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

मद्रास के लिए मेट्रो रेल सिस्टम

5246. **श्री पी० कुलनवईवेलू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने फरवरी 1989 में केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें मद्रास की मेट्रो रेल सिस्टम के लिए और अधिक धन देने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो रेल विभाग द्वारा उस परियोजना के लिए चालू वर्ष में कितना धन आबंटित किया गया है ; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) 9.85 करोड़ रुपए।

(ग) यह आने वाले वर्षों में धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कानपुर में रेल सेवाओं का निलंबन

[हिन्दी]

5247. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में कपड़ा मजदूरों द्वारा रेल पटरियों पर धरना दिये जाने की अवधि के दौरान कानपुर होकर जाने वाली गाड़ियां रद्द करने के कारण रेलवे को हुए नुकसान का कोई आकलन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) यद्यपि हानि की सही मात्रा बता पाना संभव नहीं है तथापि यात्री और माल परिचालन की लगभग 5 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

लाख का न्यूनतम सांविधिक मूल्य

[अनुवाद]

5248. श्री वसुदेव आचार्य : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लाख उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है ;

(ख) क्या सरकार को लाख का न्यूनतम सांविधिक मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान कच्ची लाख की कीमतों में कमी होने के कारण देश में लाख उत्पादकों को लाभकारी कीमतें नहीं मिल रही हैं फिर भी कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्रिफेड) राज्य जनजातीय विकास संघ के साथ यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहा है कि लाख उत्पादित करने वाली जनजातियों के लोगों को लाभकारी कीमतें मिलें।

विकलांग व्यक्तियों के लिए कोटा

5249. डा० फूलरेणु गुहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटों का कोई आरक्षित कोटा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) मांग की तुलना में आरक्षित स्थान की अत्यधिक कमी के कारण विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से कोटा निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है।

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को रियायतें

5250. श्री हेतराम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियोंको कोई रियायतें दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की संख्या का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री वृंदुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों को समाज के कमजोर वर्गों को दिया गया अग्रिम माना जाता है। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को विशिष्ट लक्ष्य दिया जाता है । अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यवसायियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को दिए गए सावधि और अन्य अग्रिमों पर क्रमशः 13.5 प्रतिशत वार्षिक और 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तैयार की गई संयुक्त ऋण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उद्यमी लघु उद्योग इकाइयों के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से 50,000 रुपए तक ऋण ले सकते हैं । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सामान्य पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के ग्रामीण कारीगर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 30,000 रुपए तक संयुक्त ऋण ले सकते हैं । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों को लघु उद्योग इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए गए 5 लाख रुपए तक के ऋणों पर पुनर्वित्त भी उपलब्ध कराता है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी आंकड़ा सूचना प्रणाली से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसी वर्ष विशेष में वित्तीय सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों की संख्या से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होती है । अलबत्ता, दिसम्बर 1988 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत 81.41 लाख ऋण खातों के अधीन अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अग्रिमों की कुल 2502 39 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी ।

मारीशस में निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना

5251. श्री प्रतापराव बी० भोंसले : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारीशस से, वहां निर्यातोन्मुख इकाइयां स्थापित करने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु चुनी गई औद्योगिक इकाईयों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) मारीशस भारतीय उद्यमियों को मारीशस में निर्यात अभिमुख उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता रहा है ।

(ख) ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए अब तक सुझाए गए क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

(1) प्लास्टिक के खिलौने ; (2) नेकटाइयां ; (3) आटोमोबाइल पार्टस ; (4) जेवरात ;

(5) कम्प्यूटर साफ्टवेयर ; (6) हाथ के औजार ; (7) धातु फर्नीचर ; (8) ग्लासवेयर तथा बोतल ; (9) लकड़ी से बने दरवाजों के लिए ताले तथा चाबियां ; (10) ट्रेक्टर के पुर्जे जोड़ना ।

(ग) से (ङ) यह भारतीय उद्यमियों के मतलब की बात है कि उन क्षेत्रों का चुनाव करें जिनसे वे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं ।

जब कभी उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सरकार उस पर विचार करती है तथा स्वीकृति प्रदान करती है ।

हाल ही में, मारीशस में कताई मिल स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है ।

बैंकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष

5252. डा० पी० वल्लल पेरुमल :

श्री सीताराम जे० गावली :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों को निदेश दिया गया है कि क्षेत्रीय/जोनल कार्यालय में सम्पर्क अधिकारियों की अध्यक्षता में और केन्द्रीय कार्यालय में मुख्य सम्पर्क अधिकारी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सैल स्थापित किए जाएं, यदि हां, तो अधिकारी वर्गीकरण ढांचे में सम्पर्क अधिकारियों और मुख्य सम्पर्क अधिकारी के पद के दर्जे का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या संपर्क अधिकारी और मुख्य सम्पर्क अधिकारी के पद पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोगों को ही तैनात/नियुक्त किया जाता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के केन्द्रीय कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सैल में आई० आर० पी० सैल, आर० एण्ड पी० सैल जैसे अन्य सैलों के समान पदों के कर्मचारी दिए गए हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय/जोनल कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सैलों में किन-किन पदों के कर्मचारी हैं ; और

(घ) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के ऐसे क्षेत्रीय और जोनल कार्यालयों के नाम क्या हैं जहां अब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सैल स्थापित नहीं किए गए हैं और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कहा है कि बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में उप महाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक के स्तर का एक अधिकारी संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए जो बैंक के नियंत्रणाधीन सभी प्रतिष्ठानों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बद्ध मामलों को देखें । इसी प्रकार बैंक के प्रत्यक्ष अंचल/क्षेत्रीय कार्यालय में उसके अधीन कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बद्ध मामलों पर कार्रवाई करने के लिए एक संपर्क अधिकारी नामित किया जाना होता है । बैंकों से यह भी कहा गया है कि संपर्क अधिकारी के कार्यों में सहयोग देने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिकायतों अथवा अभ्यावेदनों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए कक्ष बनाए जाएं जिनमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हों । सेंट्रल बैंक आफ

इंडिया ने सूचित किया है कि उसने अपने केन्द्रीय, आंचलिक तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष स्थापित कर दिये हैं। बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के कक्ष में एक सहायक महाप्रबन्धक, कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड स्केल-एक का एक अधिकारी तथा एक लिपिक हैं। यह सहायक महाप्रबन्धक सम्पर्क अधिकारी भी है। आंचलिक कार्यालय में स्थापित कक्ष में सम्पर्क अधिकारी के रूप में एक मुख्य प्रबन्धक, तथा कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड स्केल एक का एक अधिकारी है। क्षेत्रीय कार्यालय के कक्ष में सम्पर्क अधिकारी के रूप में एक क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा एक लिपिक हैं।

जैसाकि सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है, इन कक्षों में सम्बद्ध सम्पर्क अधिकारियों की सहायता करने के लिए सामान्यतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्य तैनात किए जाते हैं।

मंगोलिया के साथ व्यापार

5253. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंगोलिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या भारत और मंगोलिया ने संयुक्त उद्यम लगाने सहित सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) भारत तथा मंगोलिया के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए खालें तथा चमड़ियां वस्त्र मशीनें तथा समुद्र उत्पाद जैसे नए क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ भारतीय कम्पनियों ने मंगोलिया में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में रुचि दिखाई है।

बड़ौदा के लिए बर्थों का कोटा

5254. **श्री रणजीतसिंह गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद की ओर जाने वाली तथा दक्षिण एवं पूर्वी रेलवे की लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में बड़ौदा के यात्रियों के लिए बर्थों/सीटों का आरक्षण कोटा पुनः निश्चित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो बड़ौदा से होकर गुजरने वाली या यहां से बनकर चलने वाली रेलगाड़ियों में बड़ौदा में इस समय उपलब्ध आरक्षण कोटे का ब्यौरा क्या है और मौजूदा कोटे में प्रस्तावित परिवर्तन का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) केवल दिल्ली जाने वाली कतिपय गाड़ियों से संबंधित बड़ोदरा के आरक्षण कोटे में संशोधन किया जा रहा है।

(ख) 1-5-89 से मौजूदा गाड़ियों के कोटे में किये जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन तथा नई गाड़ियों में आवंटित किये जा रहे अतिरिक्त कोटे का ब्यौरा इस प्रकार है :—

गाड़ी नं०	मौजूदा कोटा प्रतिदिन				संशोधित कोटा प्रतिदिन			
	वाता० 2-टियर	पहला दर्जा	वाता० कुर्सीयान	दूसरा दर्जा	वाता० 2-टियर	पहला दर्जा	वाता० कुर्सीयान	दूसरा दर्जा
25 वाता० एक्सप्रेस	14	—	15	46 (5 दिन) 24 (दो दिन)	14	—	—	56*
181 सर्वोदय एक्सप्रेस	13	—	—	166	9	—	—	72
171 बम्बई-जम्मू एक्सप्रेस	8	2	—	32	6	—	—	72
997 हापा -जम्मू एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	—	—	72

*15-6-89 से बढ़ाकर दूसरे दर्जे की शायिकाएं की जा रहीं हैं।

25 वाता० एक्सप्रेस में वातानुकूल कुर्सीयान कोटा समाप्त किया जा रहा है क्योंकि इस दर्जे का डिब्बा हटा लिया गया है। 181 सर्वोदय एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे के स्थान में कटौती इस दर्जे के स्थान की उपलब्धता में समग्र कमी के कारण की गई है। तथापि, 171 बम्बई-जम्मूतवी सुपर-फास्ट एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोटा आबंटित करके इस कटौती की प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

दिल्ली में रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुल

5255. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अभी भी कुछ ऐसे रेलवे फाटक हैं, जहां या तो ऊपरी पुलों अथवा अन्डर ब्रिजों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रेलवे फाटकों का स्थानवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन पुलों के निर्माण का कोई कार्यक्रम तैयार किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। पहले से स्वीकृत निर्माण कार्यों के अलावा बजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र (अशोक बिहार) में दिल्ली परिहार लाइन पर समपार संख्या 14, विवेक बिहार में समपार संख्या 156 तथा बादली के निकट समपार संख्या 9 के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण की आवश्यकता है।

(ग) से (ङ) दिल्ली नगर निगम इस समय उपर्युक्त स्थानों पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के

निर्माण की व्यावहारिकता की जांच कर रहा है। नियमानुसार, दिल्ली नगर निगम द्वारा लागत में हिस्सेदारी के लिए यथोचित सहमति के साथ ठोस प्रायोजित किये जाने के बाद ही रेलें अगली कार्रवाई कर सकेंगी।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में पति और पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात करना

5256. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पति और पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात करने की नीति का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस सम्बन्ध में कुछ संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है ;

(घ) क्या इस मामले में कोई उपचारी कदम उठाये गए हैं ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) ऐसे दंपतियों की परेशानियां कब तक दूर किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) से (च) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उन मामलों में जहां पति और पत्नी दोनों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में कार्यरत हों, उन्हें एक ही स्थान पर रखने की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। उन मामलों में जहां पति या पत्नी किसी अन्य संस्थान में कार्यरत हों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक उन अधिकारियों को यथासम्भव एक ही स्थान पर रखने का प्रयत्न करता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संसद सदस्यों और विभिन्न व्यक्तियों से पति और पत्नी को एक ही स्थान पर नियुक्त करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। जब भी ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तब उन पर उपर्युक्त नीति के अनुसार विचार किया जाता है और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन पर उचित निर्णय लिए जाते हैं।

पालघाट डिवीजन पर लोको शेडों का पुनर्निर्माण

5257. **श्री रेजु पद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पालघाट डिवीजन पर पहले के स्टीम लोको शेडों का जिन्हें डीजल शेड में बदल दिया गया है, पुनःनिर्माण करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में उपनगरीय रेल सेवाएं

5258. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में उपनगरीय रेल सेवाओं के लिए धन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण इन सेवाओं की स्थिति खराब होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे का उपनगरीय रेल सेवाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गोलपाड़ा, असम में शिक्षित बेरोजगार युवकों को बैंक ऋण

5259. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला उद्योग केन्द्र गोलपाड़ा, असम द्वारा वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान कितने शिक्षित बेरोजगार युवकों के ऋण संबंधी आवेदन पत्र ऋण मंजूर करने की सिफारिश सहित जिले में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं के पास भेजे गए थे ;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं ने जिला उद्योग केन्द्र द्वारा भेजे गए सभी आवेदन पत्रों पर ऋण मंजूर किया था ;

(ग) यदि नहीं, तो आवेदन पत्रों को किन कारणों से अस्वीकृत किया गया ; और

(घ) सरकार द्वारा उन व्यक्तियों की सहायता के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है जिनके आवेदन पत्र राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा अस्वीकृत कर दिए गये थे ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) वर्ष 1987-88 में, जिला गोलपाड़ा, असम में स्थित जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बैंकों को, शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत, ऋणों की मंजूरी के लिए 163 आवेदन भेजे गए थे । वर्ष 1988-89 से संबंधित समनुरूप स्थिति अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है ।

(ख) जिले के वास्ते वर्ष 1987 के लिए निर्धारित 135 आवेदनों के वास्तविक लक्ष्य की तुलना में, बैंकों ने, शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कुल मिलाकर 138 आवेदन मंजूर किये ।

(ग) और (घ) चूंकि मंजूर किये गये आवेदनों की संख्या लक्ष्य से अधिक थी, अतः शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत, ऋणों के लिए प्राप्त अन्य आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सका ।

सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा बाण्ड जारी करना

5260. **श्री नारायण चौबे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी प्रतिष्ठान/निगम को कर मुक्त बाण्ड जारी करके बजट के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिष्ठानों अथवा निगमों का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक ने कुल कितनी धनराशि के ऐसे बाण्ड जारी किए हैं ; और

(ग) इस आधार पर सरकार को कितने कर राजस्व की हानि होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यमों को वर्ष 1988-89 के दौरान कर-मुक्त बाण्ड जारी करने की अनुमति प्रदान की गई हैं :—

उद्यम का नाम	राशि
राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम लिमिटेड	650.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि०	650.00
नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि०	210.00
आवासन नगर विकास निगम लि०	80.00
न्यूक्लीय विद्युत निगम लि०	100.00
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि०	272.00
भारतीय रेल वित्त निगम	600.00
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	300.00

(ग) कर राजस्व की किसी भी हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह धारणा कि ऐसे बाण्ड किसी कर संबंधी लाभ के बिना पूरी तरह अभिदत्त किए जा सकते थे स्वयं में यथार्थ नहीं होगी ।

कंकरीट स्लीपर निर्माताओं को संशोधित मूल्य वर्धित कर के लाभ

5261. श्री राम स्वरूप राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को कोई ऐसे निर्देश दिये गये हैं कि कंकरीट स्लीपर निर्माताओं जिनमें से अधिकांशतः लघु उद्योग के एकक हैं, को उपलब्ध कराये जा रहे संशोधित मूल्य वर्धित कर लाभों को रेलवे द्वारा क्रेता के रूप में वापिस ले लेना चाहिए ;

(ख) क्या रेलवे द्वारा आवश्यक उपकरणों के अन्य निर्माताओं और सप्लायरों तथा रेलवे वैगनों के निर्माताओं जोकि रेलवे के प्रमुख विक्रेता हैं, को ऐसे ही निर्देश जारी किये जाते हैं ;

(ग) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्टों की जानकारी है कि विभिन्न जोनों में क्रियादेश देने में संशोधित मूल्य वर्धित कर के लाभ वसूल करने में पक्षपात किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या जांच करने का विचार है ; और

(ङ) रेलवे द्वारा ऐसे उद्योगों की संशोधित मूल्य वर्धित कर के लाभ उपलब्ध कराने के पीछे क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) रेलवे के कहने पर इस उद्योग को कोई मॉडवेट सुविधा नहीं दी जा रही है ।

देशों का ब्यौरा, जिनसे मुख्य वस्तुओं का आयात किया जाता है

5262. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनसे वर्ष 1986, 1987 और 1988 में भारत ने मुख्य वस्तुओं का आयात किया और प्रत्येक देश से भारत द्वारा आयात की गई प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना है ; और

(ख) क्या किसी वस्तु का आयात एक देश से बदलकर किसी दूसरे देश से कर के इन वस्तुओं के आयात में उल्लेखनीय परिवर्तन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) व्यापार के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर संकलित किए जाते हैं । इस समय गन्तव्य स्थानवार आयात का ब्यौरा केवल 1986-87 वित्त वर्ष तक ही उपलब्ध है तथा ये ब्यौरे भारतीय विदेश व्यापार के मासिक सांख्यिकी के खंड II (1987-88 के लिए वार्षिक नम्बर) में दिए गए हैं, जो लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) चूंकि आंकड़े विनिर्दिष्ट अवधि के केवल एक वर्ष यानि 1986-87 के लिए ही उपलब्ध हैं, इसलिए 1986-87 से 1988-89 की अवधि में आयात में हुए परिवर्तनों पर टिप्पणी करना संभव नहीं है ।

करेंसी नोट छापने में प्रयोग की जाने वाली स्याही का आयात

5263. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक और देवास प्रैसों में करेंसी नोट छापने में प्रयोग की जाने वाली स्याही का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है ;

(ख) क्या भारत को स्याही का निर्यात करने वाले देश स्याही तैयार करने में प्रयोग होने वाले कच्चे माल का भारत से ही आयात करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके आयात पर गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ; और

(घ) देश में इन स्याही का उत्पादन करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) से (घ) नासिक और देवास में करेंसी नोटों के मुद्रण के लिए सापान्यतया जिन स्याहियों का इस्तेमाल होता है उनका उत्पादन बैंक नोट प्रैस, देवास स्थित स्याही फैक्ट्री में किया जाता है। तथापि, नई करेन्सी नोट प्रैस, नासिक और बैंक नोट प्रैस, देवास में नई इन्टेग्लियो मशीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के

लिए पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित मात्रा में स्याही का आयात किया गया :—

वर्ष	मात्रा, मीट्रिक टन में	विदेशी मुद्रा में व्यय
1985-86	400	5·84 करोड़ रुपए
1987-88	160	4.06 करोड़ रुपए
1988-89	39.3	1.35 करोड़ रुपए

आयातित स्याहियां त्वरित सैट होने वाली इंटेग्लियो स्याहियां हैं जिनका देशीय रूप में उत्पादन नहीं होता है। चूंकि इंटेग्लियो स्याहियों के निर्माण के लिए सम्मिश्रण ज्ञात नहीं है, इसलिए यह निश्चित करना संभव नहीं है कि क्या उत्पादन के लिए आवश्यक किसी कच्ची सामग्री का इन स्याहियों का उत्पादन करने वाले देशों द्वारा भारत से आयात किया गया है।

(घ) बैंक नोट प्रैस, देवास में इंटेग्लियो स्याही का उत्पादन करने हेतु प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए किसी विदेशी पार्टी के साथ प्रबन्ध करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पगला बांसलोई नदी बेसिन योजना का कार्यान्वयन

5264. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पगला बांसलोई नदी बेसिन योजना के पूरा हो जाने के बाद फरक्का बांध परियोजना की "फीडर" नहर के दक्षिणी किनारे की जलप्लावित भूमि के केवल एक छोटे भाग पर ही एक वर्ष में केवल एक फसल की खेती की जा सकेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का शेष जलप्लावित भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने तथा उस पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने के लिए कोई अन्य कदम उठाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का जलप्लावित भूमि का प्रयोग कृषि के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रबंध करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) पगला, बांसलोई नदी नियामकों में मानसून के बाद की अवधि में भागीरथी में निश्चल जल की निर्मुक्ति की परिकल्पना की गयी है ताकि परम्परागत कृषि-कार्यों को जारी रखा जा सके।

जहाजों द्वारा की जा रही तस्करी को रोकना

5265. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारतीय पत्तनों पर रुकने वाले यात्री मालवाहक जहाजों द्वारा की जा रही तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : भारतीय पत्तनों तक पहुंचने वाले यात्रियों और माल (कार्गो) पोतों की तस्करी संबंधी गतिविधियों सहित तस्करी की सभी गतिविधियों के विरुद्ध आसूचना का इस्तेमाल किया जाता है। छिपाये गए निषिद्ध माल का पता

लगाने के लिए संदिग्ध यात्रियों की तलाशी ली जाती है और माल (कार्गो) पोतों की छानबीन की जाती है। तस्करी निवारण और तस्करी का पता लगाने में सभी संबंधित अभिकरणों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है। एक्सरे असबाब मशीनों और धातु खोजी यंत्रों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जा रहा है। तस्करी की गतिविधियों में ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों को विभागीय न्यायनिर्णयन में दण्डित किया जाता है और उचित मामलों में उन पर न्यायालयों में मुकदमें भी चलाए जाते हैं। यदि आवश्यक समझा जाता है तो, ऐसे व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के तहत नजरबन्द भी किया जाता है।

निर्यात में वृद्धि करने के लिए भुवनेश्वर में कार्यशाला

5266. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा से किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि करने और इस संबंध में एक योजना तैयार करने के लिए उक्त राज्य में भुवनेश्वर में 1 फरवरी से 2 फरवरी, 1989 तक एक कार्यशाला आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यशाला में की गई चर्चा का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या कार्यशाला में समुद्री उत्पादों के निर्यात और उससे सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा की गई थी ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों में राज्य सरकारों को भी सम्मिलित करने के प्रयास में वाणिज्य मंत्रालय ने उड़ीसा, बिहार और सिक्किम से निर्यात संवर्धन के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई कार्य योजना को अन्तिम रूप देने और दीर्घावधि निर्यात समिति तैयार करने के उद्देश्य से भुवनेश्वर में 1 और 2 फरवरी, 1989 को एक संगोष्ठी आयोजित की। कार्य योजना में निर्यात के लिए सम्भाव्यता वाली विशिष्ट उत्पादों, संबंधित उत्पाद ग्रुप में निर्यात योग्य एककों और बैंक ऋण समर्थन के लिए आवश्यक अवस्थापनात्मक सुविधाओं को अभिज्ञात करने का विचार किया गया था और विदेश बाजार में अपनाई जाने वाली विशेष निर्यात विकासात्मक क्रिया का सुझाव भी दिया गया था। समुद्री उत्पादों के निर्यात से संबंधित मामलों और उससे संबंधित समस्याओं पर संगोष्ठी की बैठक के दौरान विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया।

2. उड़ीसा राज्य में अभिज्ञापित कुछ वृस्ट उत्पादों में शामिल हैं हथकरघा, सिलेसिलाए परिधान, चमड़ा उत्पाद, हस्तशिल्प, सॉफ्टवेयर, काजू, चाय, पालिश युक्त ग्रेनाइट, चार्ज क्रोम, काटन यार्न और साल बीज, नियर सीड, केन्दु पत्तियां, इमली, अगरबत्ती, सवाई रस्सी जैसे जनजातीय उत्पाद और ससुद्री उत्पाद।

3. निर्यात संवर्धन निगम/निदेशालय, व्यापार विकास प्राधिकरण, राज्य व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम व्यापार और उद्योग आदि जैसी विभिन्न राज्य और केन्द्रीय स्तर अभिकरणों को कार्य योजना कार्यान्वित करने के लिए अभिज्ञात किया गया है।

उड़ीसा में सिंचाई क्षमता निर्धारित लक्ष्य से पीछे

5267. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सिंचाई के क्षेत्र में क्षमता उत्पादन राष्ट्रीय औसम से कम है ;

(ख) उड़ीसा में कितनी अनुमानित भूमि पर सिंचाई की जा सकती है ;

(ग) अब तक की उपलब्धियां क्या हैं और बड़ी और मध्यम सिंचाई क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी भूमि पर सिंचाई की जा सकी है ;

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी और भूमि पर सिंचाईकिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए, इस हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) देश की चरम सिंचाई क्षमता 113 मिलियन हेक्टेयर आंकी गई है, जिसमें से उड़ीसा की चरम सिंचाई क्षमता 5.9 मिलियन हेक्टेयर है । छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में लगभग 60% चरम सिंचाई क्षमता सृजित की गई है जबकि उड़ीसा के लिए संगत आंकड़े 44% है ।

(ग) देश में छठी योजना के अन्त तक वृहद और मध्यम स्रोतों के जरिए सृजित की गई 30.91 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में से 25.33 मिलियन हेक्टेयर का उपयोग किया गया है ।

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान 12.9 मिलिबन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने का लक्ष्य है ।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

स्वदेशी पेंसिलिन की उपलब्धता

5268. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक एककों ने मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक से स्वदेशी पेंसिलिन की अनुलब्धता के बारे में शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों के नाम क्या हैं और इस संबंध में की गई शिकायतें और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) अधिकांश 6-ए० पी० ए० निर्माताओं ने, स्वदेशी उत्पादकों से पेन्सिलिन "जी" की आपूर्ति में कमी की शिकायत की है । इस पृष्ठभूमि में स्वदेशी उठान के आधार पर पेन्सिलिन "जी" के आयात की अनुमति का अनुपात 60 (आयातित) : (40 स्वदेशी) से बदलकर वर्ष 1988-89 में 70 (आयातित) : 30 (स्वदेशी) कर दिया गया था ।

किसानों को ऋण

5269. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक ने अपनी शाखाएं तथा कितने ग्रामीण बैंक खोले और ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन किसानों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रत्येक राष्ट्रीय बैंक द्वारा कितनी धनराशि वितरित की गई ;

(ख) क्या ऋण की राशि वितरित करने के संबंध में कोई अनियमितताएं सरकार के ध्यान में लाई गई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण निर्धन लोगों को और अधिक लाभ प्राप्त हो सके ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अलग-अलग राज्यों में 1895 शाखाएं खोली हैं तथा साथ ही 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत 3 वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि ऋणों की बकाया राशि (छोटे तथा सीमांतिक किसानों को दिए गए अग्रिमों सहित) नीचे दी गई है :—

(खातों की संख्या लाखों में)
(धनराशि करोड़ रुपए में)

दिसम्बर में समाप्त वर्ष	खातों की संख्या	बकाया धनराशि
1986	168.58	10,137.91
1987	188.07	11,712.50
1988	203.87	13,501.87

(बैंकवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं)

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऋणों के संवितरण से संबंधित कोई अनियमितताएं उसके ध्यान में नहीं लाई गई हैं। संबंधित बैंकों को जब कभी इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं वे उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए उन पर गौर करते हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कमजोर वर्गों (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों सहित) को ऋण सहायता देने के संबंध में बैंकों को समय-समय पर मार्गनिर्देश/अनुदेश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों में साथ-साथ ऋण आवेदन मंजूर करने की अवधि, मार्जिनों से संबंधित मामले, जमानत के मानदंडों आदि दिए गए हैं तथा ग्रामीण शाखाओं में एक ऐसा दिन रखा गया है जिस दिन शाखा में जनता के साथ कोई लेन-देन नहीं किया जाता ताकि उस दिन का उपयोग ग्राहकों के साथ सम्पर्क सुदृढ़ करने, अग्रिमों की वसूली आदि के लिए किया जा सके।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बैंक-वार खातों की संख्या और बकाया कृषि अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	बैंक का नाम	खातों की संख्या (लाखों में)	बकाया राशि (करोड़ रुपए)	खातों की संख्या (लाखों में)	बकाया राशि (करोड़ रुपए)	खातों की संख्या (लाखों में)	बकाया राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारतीय स्टेट बैंक	47.97	2689.50	54.98	3078.00	63.00	3488.82
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1.61	164.47	1.92	190.94	2.39	228.06
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	3.76	183.16	4.47	217.96	3.50	248.20
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	1.01	67.40	1.10	85.23	1.52	117.66
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	2.13	123.53	2.39	138.82	2.48	150.29
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1.40	147.51	1.44	172.00	1.52	190.00
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	0.72	66.49	0.89	81.43	2.27	119.12
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	4.16	128.95	4.42	158.16	4.24	152.46
	कुल "क"	62.76	2371.02	71.61	4122.16	79.63	4694.61
1.	इलाहाबाद बैंक	2.67	222.03	3.29	253.11	3.91	344.01
2.	आन्ध्र बैंक	4.81	247.61	5.10	288.33	5.99	332.56

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बैंक आफ बड़ौदा	7.77	578.25	8.60	655.00	9.12	757.83
4.	बैंक आफ इंडिया	8.18	615.71	9.33	764.00	9.80	902.92
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	2.11	193.00	2.45	215.00	2.80	250.00
6.	केनरा बैंक	14.41	724.99	15.51	889.85	15.17	880.42
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	9.93	673.00	10.74	691.00	11.85	809.24
8.	कारपोरेशन बैंक	1.31	86.73	1.29	91.81	1.37	114.99
9.	देना बैंक	2.37	142.45	2.60	190.30	2.99	247.33
10.	इंडियन बैंक	5.78	280.37	6.71	353.05	7.09	421.80
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	7.51	299.00	8.91	363.80	9.11	420.80
12.	न्यू बैंक आफ इंडिया	0 84	125.65	0.97	130.08	1.06	157 94
13.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	1.04	105.04	1.13	128.82	1.32	177.85
14.	पंजाब नेशनल बैंक	7.98	669.30	9.21	848.60	9.69	1007.50
15.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1.05	132.81	1.21	145.96	1.24	151.31
16.	सिंडिकेट बैंक	8.05	445.00	7.72	464.00	8.35	498.00
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	5.52	368.60	6.00	404.19	6.43	447.87
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	6.69	290.00	6.83	299.00	8.43	315 00
19.	यूको बैंक	5.58	296.82	6.38	341.63	6.81	399.64
20.	विजया बैंक	2.25	121.00	2.48	152.43	2.71	188.25
	कुल "ख"	105.82	6566.90	116.46	7589.96	124.24	8807.96
	कुल "क"+"ख"	168.58	10137.91	188.07	11712.50	203.87	13501.87

दामोदरगंज गुमटी पर रेलवे ऊपरि पुल

5270. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक यातायात को ध्यान में रखते हुए पटना (पूर्व रेलवे) के निकट पटना-रांची उप-मार्ग पर दामोदरगंज गुमटी में ऊपरि पुल के निर्माण का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं । इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

जसिडीह स्टेशन (पू० रे०) के लिए टिकटें

5271. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के जसिडीह स्टेशन पर हिमगिरी एक्सप्रेस और पंजाब मेल रुकती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त स्टेशन से उपर्युक्त रेलगाड़ियों के लिए आने जाने की टिकटें जारी नहीं की जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) पंजाब मेल और हिमगिरि एक्सप्रेस गाड़ियां मुख्यतः लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए हैं । अतः जसीडिह से/तक इन गाड़ियों में लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए टिकट तो जारी किए जाते हैं लेकिन कम दूरी के यात्रियों की यात्रा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । इस प्रतिबन्धों को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ऋण शिविरों के लाभार्थियों के चयन हेतु अपनाए गए मानदण्ड

5272. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण शिविरों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले बैंक ऋणों के लिए व्यक्तियों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ;

(ख) क्या ऐसे मामलों में राज्य सरकार के अधिकारियों से प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है ;

(ग) अब तक ऐसे ऋणों की वसूली का अनुपात कितना है ; और

(घ) क्या ऐसे ऋणों की वसूली करने की जिम्मेदारी संबद्ध क्षेत्र के ऋण वितरण अधिकारियों की है ?

वित्त मंत्रालय में वार्षिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती

क्योंकि केन्द्रीय स्तर पर ऋण शिविरों की निगरानी न तो व्यवहार्य है और न ही आवश्यक है। बैंकों से कहा गया है कि वे ऋण शिविरों के द्वारा या अन्यथा छोटे उधारकर्ताओं को ऋण मंजूर करने में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

उत्पाद और सीमा शुल्क के मामलों को निपटाने के लिए उच्चस्तरीय न्यायाधिकरण

5273. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्पाद और सीमा शुल्क के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए एक उच्चस्तरीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) सीमा शुल्क राजस्व अपील अधिकरण की स्थापना, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क राजस्व अपील अधिकरण अधिनियम, 1986 लागू हो जाने तथा अधिसूचना जारी होने, इसके प्रभावी होने की तारीख अधिसूचना होने, सदस्यों की नियुक्ति होने, आदि जैसी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के उपरान्त ही की जाएगी।

राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान से नशीले पदार्थों की तस्करी

5274. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों के दौरान राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान से तस्करी की गई हेरोईन, चरस और अन्य नशीले पदार्थ भारी मात्रा में पकड़े गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये उक्त पदार्थों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या निवारक कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) भारत-पाक सीमा का राजस्थान क्षेत्र विशेषतः हेरोइन और चरस की तस्करी के लिए सुगम्य बना हुआ है। अक्तूबर, 1988 से मार्च, 1989 तक राजस्थान राज्य में पकड़े गए औषध-द्रव्यों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

नशीले औषध-द्रव्य का नाम	मामलों की संख्या	मात्रा (किलोग्राम में)
हेरोइन	5	235.385
हशीश	2	17.265
(आंकड़े अनन्तिम हैं)		

(ग) सरकार ने विभिन्न जोरदार प्रत्युपाय शुरू किए हैं, जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ ये उपाय भी शामिल हैं – नशीले औषध-द्रव्यों का अवैध-व्यापार करने वालों के लिए कठोर दण्ड देने की व्यवस्था करना, निवारक और आसूचना तंत्र को कारगर बनाना (विशेषतः सीमाओं और तस्करी के सुगम्य बने हुए क्षेत्रों के आस-पास), अधिकारियों और मुखबिरों दोनों के लिए उदार पुरस्कार योजना

अपनाना, पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग (सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग सहित) को मजबूत बनाना। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में नशीले औषध-द्रव्यों संबंधी अपराधों के लिए अधिक-से-अधिक दो वर्ष की निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था है। उक्त अधिनियम के तहत अब तक 250 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है।

इस अधिनियम के तहत व्यवस्थित अधिकतम अवधि के लिए निवारक नजरबन्दी के प्रयोजनार्थ गुजरात, पंजाब तथा राजस्थान के राज्यों में भारत-पाक सीमा से 100 कि० मी० चौड़ाई के अन्तर्देशीय क्षेत्र को "नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध-व्यापार के लिए अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों" के रूप में सीमांकित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, संसद द्वारा हाल ही में पारित स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 में अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, जिनमें कतिपय नशीले औषध-द्रव्यों की विनिर्दिष्ट मात्रा भी शामिल हो, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर मृत्यु-दण्ड दिए जाने और नशीले औषध-द्रव्यों का गैर-कानूनी धंधा करने वाले अपराधियों को संपत्ति जब्त किए जाने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा, औषध-द्रव्य संबंधी सभी अपराधों को संज्ञेय और अजमानतीय बना दिया गया है। सभी सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालयों में और देशभर के राज्य पुलिस संगठनों में विशेष नार्कोटिक कक्षों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार को विशेष रूप से यह सलाह दी गई है कि वे नशीले औषध-द्रव्यों से संबंधित अपराधों के विरुद्ध आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई करें।

इस मामले की सतत समीक्षा भी की जाती रहती है ताकि समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसियों के प्रीमियम पर ब्याज की वसूली

5275. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम, कलकत्ता की सिटी ब्रांच संख्या 17 और 18 नवम्बर के पालिसीधारकों को इन शाखाओं के खाते अधूरे होने के कारण छूट की अवधि के भीतर प्रीमियम की अदायगी पर भी ब्याज देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीने के दौरान कितने पालिसीधारकों से ब्याज वसूल किया गया है ; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में, यदि कोई पिछला प्रीमियम भी बकाया न हो, तो छूट की अवधि के दौरान कोई ब्याज अदा नहीं करना पड़ता यदि किसी मामले में छूट की अवधि के दौरान किसी प्रीमियम के लिए ब्याज लिया गया है तो इसका कारण शाखा कार्यालय के रिकार्डों में

पिछले प्रीमियम को बकाया दिखाया जाना है। तथापि, ऐसे मामले में भी यदि पालिसीधारक यह सिद्ध कर दे कि पिछला प्रीमियम पहले ही अदा किया जा चुका है तो यदि कोई ब्याज लिया गया हो तो उसे उचित संशोधन के पश्चात्, पालिसीधारक को वापस कर दिया जाता है।

कलकत्ता मैट्रो रेल

5276. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैट्रो रेल परियोजना कलकत्ता में टिकटों की बिक्री से प्राप्त हुई धनराशि में तेजी से वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की नियुक्ति

5277. श्री एन० डेनिस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के भर्ती बोर्डों का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 और 1980 के अन्तर्गत निर्धारित मानदंडों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। इन स्कीमों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नामांकित करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

जीवन बीमा निगम द्वारा तमिलनाडु में निजी क्षेत्र के आवास निकायों को सहायता

5278. श्री एन० डेनिस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने तमिलनाडु में निजी क्षेत्र के आवास निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च न्यायालयों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

5279. श्री एन० डेनिस : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उच्च न्यायालयों का ब्यौरा क्या है जहां कार्यकारी मुख्य न्यायधीश नियुक्त हैं ; और

(ख) मुख्य न्यायाधीशों की स्थायी रूप से नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्री तथा लोक संसाधन मंत्री (श्री वी० संकरानंद) : (क) मध्य प्रदेश, मद्रास और सिक्किम उच्च न्यायालयों में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति कार्य कर रहे हैं क्योंकि वहां मुख्य न्यायमूर्ति के पद रिक्त हैं।

(ख) इन उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के लिए संबंधित संवैधानिक प्राधिकारियों के परामर्श से आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा उत्पादित मदों को देश में बिक्री के लिए अनुमति न देना

5280. श्री अमरसिंह राठवा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संसाधन क्षेत्र/मुक्त व्यापार क्षेत्र के शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा उत्पादित उन मदों का ब्यौरा क्या है जिन मदों की देश में बिक्री के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी ; और

(ख) इन मदों की देश में बिक्री के लिए अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) निम्नलिखित मदों की प्रकृति अत्यधिक संवेदनशील है इसलिए इन मदों की निर्यात संसाधन जोन/मुक्त व्यापार जोन में स्थित एककों द्वारा स्वदेशी टेरिफ क्षेत्र में बिक्री के लिए अनुमति नहीं दी जाती है :

(1) सभी किस्म के आभूषण

(2) हीरे, मूल्यवान और अर्ध-मूल्यवान पत्थर, जवाहरात

(3) मोटर कार

(4) रिकार्ड किए गए वीडियो तथा आडियो कैसेटस और

(5) सिल्वर बुलियन।

कॉफी बोर्ड की कैंटीन खोलने का प्रस्ताव

5281. श्री सी० सम्बु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी बोर्ड द्वारा देश के प्रत्येक जिले में एक कैंटीन खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कॉफी बोर्ड के विभिन्न संवर्धनात्मक एककों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें बिना लाभा-लाभ आधार पर चलाया जाए। परन्तु समय-समय पर इन एककों में आय से व्यय हुआ है। इस

कारण और ऐसे एकक खोलने पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पड़ी । नए एकक खोलने का प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है जबकि संबंधित विभाग/संगठन जिनके लाभ के लिए ये एकक खोले जाने हैं, इन एककों के प्रचालन से होने वाले सारे घाटों को उठाने के लिए तैयार हों ।

राज्य सहकारी केन्द्रीय बैंकों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सहायता

5282. **श्री सी० सम्बु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्य सहकारी केन्द्रीय बैंकों को सहायता के लिए कितनी धनराशि दी गई थी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों को मंजूर की गई ऋण सीमाएं नीचे दी गई हैं :—

(करोड़ रुपए)

ऋण सीमाएं	1987-88	1988-89
अल्पावधिक	2391.21	2829.52*
मध्यावधिक	356.22	119.67*
दीर्घावधिक और योजनाबद्ध	196.29	106.18

*जनवरी 1989 तक ।

प्रगति मैदान में कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान

5283. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एक कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण और इस संस्थान के बीच हुए अनुबंध का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस संस्थान के आरम्भ होने से भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को क्या वित्तीय लाभ हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने प्रगति मैदान काम्पलैक्स में एक "इंस्टीट्यूट फार कम्प्यूटर ऐडिड नालिज" स्थापित करने के लिए आलमी उर्दू कान्फैंस से एक समझौता किया है । इस उद्देश्य के लिए भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा हाल सं० 12 आलमी उर्दू कान्फैंस को तीन वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस पर दे दिया गया है । भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को भुगतान किए जाने वाला वार्षिक किराया 2,53,400 रु० है ।

धनबाद में पी० क्यू० आर० एस० चेंगमैनों के लिए मुख्यालय

5284. श्री हरीश रावत : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक कार्यों हेतु मुख्यालय निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में काम करने वाले पी० क्यू० आर० एस० चार्जमैन आदि कर्मचारियों के लिए भी मुख्यालय निर्धारित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों के लिए मुख्यालय कब तक निर्धारित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां। सामान्यतः विभिन्न स्थापना प्रयोजनों के लिए सभी रेल कर्मचारियों के लिए एक नियत प्रधान कार्यालय है।

(ख) पी० क्यू० आर० एम० नामक मशीनें होती हैं जिन्हें चलाने के लिए फोरमैन, चार्जमैन, फिटर, वेल्डर, खलासी की कोटियों के कर्मचारी हैं और उनके नियत प्रधान कार्यालय हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैं० आई० टी० सी० लिमिटेड के निदेशकों और अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाना

5285. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री के० एन० प्रधान :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलक्टर केन्द्रीय उत्पाद विभाग, कलकत्ता ने लगभग 804 करोड़ रुपए के कर अपवंचनों के लिए मैं० आई० टी० सी० लिमिटेड के निदेशकों और अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया है, जिसके सम्बन्ध में डायरेक्टर एन्टी इवेजन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह निर्णय लिया गया है कि न्यायनिर्णयन संबंधी कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के पश्चात् ही मुकदमे चलाने के बारे में विचार किया जाएगा।

विदेशी ऋण

5286. प्रो० मधु दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1988-89 के प्रारंभ में भारत का विदेशी ऋण 55,000 करोड़ रुपए था और जिसकी ऋण अदायगी बाध्यता चालू प्राप्तियों के लगभग 24 प्रतिशत है ;

(ख) क्या विभिन्न देशों में ऋण संकट पर निगरानी रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान ने इस वर्ष के अंत तक भारतीय विदेशी ऋण का 90,000 करोड़ रुपए हो जाने तथा ऋण भुगतान अनुपात का लगभग 30 प्रतिशत हो जाने का आकलन किया है ;

(ग) क्या आर्थिक सर्वेक्षण ने निम्न आकलन का कारण इसमें भारतीय बैंकों में अनिवासी भारतीयों की जमा राशि का शामिल न किया जाना है ; और

(घ) यदि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान द्वारा किए गए विदेशी ऋण और ऋण भुगतान अनुपात के उच्च आकलन सही हैं तो भविष्य में ऐसे ऋण संकट से बचने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संभवतः यह प्रश्न इंडिया कंट्री रिपोर्ट के बारे में है जो इंस्टिट्यूट आफ इंटरनेशनल फाइनेंस वाशिंगटन डी० सी० द्वारा तैयार की गई है। यह रिपोर्ट, इंस्टिट्यूट आफ इंटरनेशनल फाइनेंस का एक गोपनीय दस्तावेज है जिनका उपयोग केवल इसके सदस्य ही कर सकते हैं। इसलिए, सरकार के लिए यह उपयुक्त नहीं समझा जाता है कि वह इसकी विषय सामग्री पर टिप्पणी करे। वैसे यह बता देना उपयुक्त होगा कि देश के विदेशी ऋण स्तर और ऋण परिशोधन के संभावित भार पर निरन्तर नजर रखी जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऋण परिशोधन देयता विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर ही रहे।

जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर रेलवे पुल

5287. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचरत्न के साथ जुड़ने वाली घोपा से गुवाहाटी तक बड़ी रेल लाइन के जोगी घोपा नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पुल का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) पीलपायों के निर्माण के लिए कूप/बक्से बनाए जा रहे हैं। फरवरी, 1989 तक हुई कार्य की समग्र प्रगति 15 प्रतिशत है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिचूर-कोचे विकास योजना

5288. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979 में आरम्भ त्रिचूर-कोले विकास योजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है ;

(ख) लागत का कितना अंश सरकार ने वहन किया है और शेष लागत किन स्रोतों से वहन की जानी है ;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए किसानों को धनराशि वितरित करने की भारतीय स्टेट बैंक की मूल नीति में कोई परिवर्तन किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो परिवर्तन का ब्यौरा क्या है और ऐसा किए जाने के कारण क्या हैं ;

(ङ) क्या भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को इस परियोजना के संबंध में अपने रुख में परिवर्तन करने का निदेश दिया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस परियोजना के अन्तर्गत कितने किसान लाभान्वित होंगे और कितने भूक्षेत्र का विकास किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि आरम्भ में, वर्ष 1979 में, त्रिचूर कोले भूमि विकास परियोजना की कुल अनुमानित लागत 904.91 लाख रुपए थी जिसमें से 612.48 लाख रुपए की रकम बैंक ऋण के रूप में और बकाया रकम राज्य सरकार के हिस्से के रूप में आंकी गई थी ।

(ग) से (च) भारतीय स्टेट बैंक ने आगे चलकर बताया है कि केरल भूमि विकास निगम ने, त्रिचूर कोले भूमि विकास परियोजना के लिए 2141 लाख रुपए का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया था और परिव्यय को देखते हुए परियोजना को अर्थक्षम नहीं समझा गया था । तदुपरांत परियोजना की अनुमानित लागत में और संशोधन करके उसे 3765 लाख रुपए कर दिया गया राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त परियोजना की संशोधित लागत को देखते हुए यह अर्थक्षम नहीं है । अतः भारतीय स्टेट बैंक की नीति में परिवर्तन मुख्यतः परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण हुआ है जिससे परियोजना आर्थिक रूप से लाभप्रद हो गई है । आशा है कि त्रिचूर कोले भूमि विकास परियोजना से 15.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा जिसके अन्तर्गत 60 गांव आते हैं ।

बुक स्टालों के ठेकेदार

5289. डा० एस० जयतरक्षकन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बुक स्टाल ठेकेदारों के साथ किये गये समझौतों की शर्तें एक समान हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो भिन्न-भिन्न शर्तों का ब्यौरा क्या है और शर्तें भिन्न-भिन्न होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) क्षेत्रीय रेलें बुक स्टाल के करारों के लिए शर्तें निश्चित करने के लिए सक्षम हैं और इसीलिए, विभिन्न क्षेत्रीय रेलों द्वारा निष्पादित करारों की भाषा तथा शर्तों में कुछ भिन्नता होती है। बेरोजगार स्नातकों को दिए गए ठेकों पर अन्य की अपेक्षा देय लाइसेंस शुल्क कम है। दक्षिण रेलवे पर ठेकेदारों को लेखन-सामग्री की मदें भी बेचने की अनुमति है। दक्षिण-मध्य रेलवे पर भी कुछ ठेकेदार लेखन-सामग्री की बिक्री की व्यवस्था करते हैं। मैं० ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी तथा मैं० हिग्गिन बोथमस के ठेकों में ठेके की अवधि नौ वर्ष है जबकि अन्य के सम्बन्ध में यह पांच वर्ष है।

तिरुपति और जम्मू-तवी के बीच "सुपरफास्ट" रेलगाड़ी

5290. **श्री गोपाल कृष्ण चोटा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति और जम्मू-तवी के बीच "बालाजी एक्सप्रेस" नाम से एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी।

पकाला-धर्मवरम रेल लाइन (आन्ध्र प्रदेश) को बड़ी लाइन में बदलना

5291. **श्री गोपाल कृष्ण चोटा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के गुन्तकल जिले में पकाला और धर्मवरम के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पकाला और धर्मवरम के बीच मीटर लाइन का सीधा सम्बन्ध दक्षिण क्षेत्र के मीटर लाइन नेटवर्क से है। इसके आमान परिवर्तन से परिचालनिक कठिनाइयां होंगी।

अनंतपुर रेलवे स्टेशन (आंध्र प्रदेश) में यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय

5292. **श्री गोपाल कृष्ण चोटा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में मीटर गेज लाइन के अनन्तपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए एक प्रतीक्षालय उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस तरह का प्रतीक्षालय कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा और

(ग) यहां शीघ्र ही प्रतीक्षालय उपलब्ध कराने में क्या कठिनाइयां हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) अनन्तपुर रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षाकक्ष की व्यवस्था संबंधी कार्य चालू वर्ष के दौरान शुरू किया जा रहा है।

(ग) धनराशि की तंगी तथा सभी स्टेशनों पर मानदण्डों के अनुसार मूल सुविधाएं जुटाने को प्राथमिकता दिए जाने के कारण इस कार्य को पहले शुरू नहीं किया जा सका।

आयकर की बकाया राशि

5293. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के अन्त में आयकर की बकाया धनराशि कितनी थी ; और

(ख) सरकार ने इस बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० पांडा) : (क) वर्ष 1987-88 के अन्त में आयकर की बकाया राशि 3993.56 करोड़ रुपये थी।

(ख) इन बकाया धनराशियों में से, एक बहुत बड़ी धनराशि की वसूली को न्यायालयों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा स्थगित कर दिया गया है। कुछ मामलों में किश्त-योजनाएं मंजूर की गई हैं। अन्य मामलों में, कर की बकाया राशि को वसूलने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनमें ये भी शामिल हैं – दंड लगाना, तीसरी पार्टी को आयकर अधिनियम की धारा 226(3) के तहत गार्निशी आदेश जारी करना ताकि वे चूककर्ताओं को उनकी तरफ से देय राशि को चुकता करें और वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना ताकि कर वसूली अधिकारी परिसम्पत्तियों की कुर्की/बिक्री करके रकम की वसूली कर सके। उपयुक्त मामलों में चूककर्ताओं को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें सिविल कारावास में रखा जाता है। प्रशासनिक तौर पर बकाया धनराशि को कम करने के लिए कार्य-योजना लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है। बकाया मांग की प्रत्येक मद की जांच करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट निरीक्षण निर्धारित किए गए हैं कि प्रत्येक मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। ये उपाय सतत प्रक्रिया हैं और उनके कारण बकाया धनराशि की वसूली होगी। दिनांक 1-7-88 से 30-9-88 तक एक "टाइम विण्डो" स्कीम का आयोजन किया गया ताकि बकाया करों की अदायगी हो सके। यह स्कीम दिनांक 31 मार्च, 1986 तक प्रमाणीकृत मांगों पर लागू थी। जिस व्यक्ति ने उक्त अवधि के दौरान अदायगी की थी उसे कर की देरी से अदा करने पर भी उद्ग्रहणीय ब्याज के 50% की छूट दी गई थी।

राजस्थान की चम्बल कमान एरिया विकास चरण-दो परियोजना

5294. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने वर्ष 1987 में केन्द्रीय सरकार को चम्बल कमान एरिया विकास चरण-दो परियोजना प्रस्तुत की थी ;

(ख) क्या यह परियोजना आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से विश्व बैंक को भेज दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार को परियोजना के कुछ तकनीकी ब्यौरों को स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया है। इन स्पष्टीकरणों के बगैर, विश्व बैंक के वित्त पोषण हेतु परियोजना पर विचार करना सम्भव नहीं है।

नशीले औषधों का प्रयोग, खरीद तथा बिक्री के लिए दंड

[हिन्दी]

5295. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अफीम, हेरोइन और हशीश के प्रयोग, खरीद तथा बिक्री के लिए कोई कानून बनाकर समान दंड देने का प्रावधान किया है ;

(ख) क्या अफीम का प्रयोग हेरोइन और हशीश की तुलना में कम हानिकारक है ;

(ग) यदि हां, तो अफीम की खरीद, बिक्री और प्रयोग के लिए समान दंड का प्रावधान करने के क्या कारण हैं ;

(घ) अफीम की जब्त की गई मात्रा को नजरअन्दाज करके अफीम संबंधी अपराध के लिए समान दंड देने का क्या औचित्य है ;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का इन कानूनों को संशोधित करने और इन्हें तर्कसंगत बनाने का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (च) अफीम, हेरोइन और चरस, नारकोटिक्स औषध द्रव्य, 1961 के एकल अभिसमय की अनुसूची-I में शामिल हैं जिन पर एक समान नियंत्रण रखा जाता है। हालांकि इन नशीले औषध-द्रव्यों के हानिकारक प्रभावों की स्पष्ट तुलना कर पाना सम्भव न हो, फिर भी यह ध्यान देने योग्य बात है कि अफीम, मार्फीन और हेरोइन के लिए मूल स्रोत औषध-द्रव्य है। इन नशीली औषधियों के प्रयोग से इनके प्रयोक्ताओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों तथा संगत अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय में व्यवस्थित नियंत्रण को मद्देनजर रखते हुए, इन नशीले औषध-द्रव्यों से संबंधित बड़े अपराधों के लिए स्वापक औषध-द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत एक समान दण्ड लगाए जाने की व्यवस्था की गई है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है।

इलाहाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली रेल गाड़ियों में आरक्षण

5296. श्री राम पूजन पटेल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयागराज एक्सप्रेस चलाये जाने के कारण इलाहाबाद से दिल्ली जाने वाली विभिन्न रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण सुविधा समाप्त कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण इलाहाबाद के यात्रियों को कठिनाई हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इलाहाबाद से यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए उक्त आरक्षण सुविधा को पुनः प्रारम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) इलाहाबाद में केवल 155 अप गुवाहाटी-दिल्ली तिनसुकिया मेल में उपलब्ध आरक्षण कोटा वापिस लिया गया है क्योंकि यह गाड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस के चलने के कुछ ही समय बाद चलती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रयागराज को चलाने के बाद इलाहाबाद में विभिन्न दर्जों में 248 अतिरिक्त शायिकाओं/सीटों की व्यवस्था की गई है।

विदेशी ऋण को कम करने के उपाय

[अनुवाद]

5297. श्री के० एस० राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान, वाशिंगटन ने इस वर्ष के अन्त तक भारत का विदेशी ऋण 90,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है जो "इकोनोमिक टाइम्स" में अप्रैल, 1988 के लिए दिए गए आंकड़ों से 80 प्रतिशत अधिक है ;

(ख) क्या इस आधार पर ऋण चुकाने के लिए 90 प्रतिशत से अधिक का निर्यात करना पड़ेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार व्यापार-संतुलन में सुधार करने तथा विदेशी ऋण को कम करने के लिए आयात पर रोक लगाने तथा खुले सामान्य लाइसेंस की सूची में से मदों में भारी कटौती करने और निर्यात को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) से (घ) सम्भवतः यह प्रश्न इंडिया कंट्री रिपोर्ट के बारे में है जो इंस्टिट्यूट आफ मेशवल फाइनेंस, वाशिंगटन, डी० सी० द्वारा तैयार की गई है। यह रिपोर्ट इंस्टिट्यूट आफ इंटरनेशनल फाइनेंस का एक गोपनीय दस्तावेज है जिसका उपयोग केवल इसके सदस्य ही कर सकते हैं। इसलिए, सरकार के लिए यह उपयुक्त नहीं समझा जाता है कि वह इसकी विषय सामग्री पर टिप्पणी करे। वैसे यह बता देना उपयुक्त होगा कि देश के विदेशी ऋण स्तर और ऋण परिशोधन के संभावित भार पर निरन्तर नजर रखी जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऋण परिशोधन क्षमता विवेकपूर्ण-सीमाओं के भीतर ही रहे।

वृद्धों और खिलाड़ियों को रियायतें

[हिन्दी]

5298. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 1988-89 के बजट के आधार पर इस बात का मूल्यांकन किया है कि वृद्धों और खिलाड़ियों को कितनी रियायतें दी जाएंगी ;

(ख) यदि हां, तो इन रियायतों का स्वरूप क्या है, और किन परिस्थितियों में ये रियायतें दी जाएंगी ; और

(ग) ये रियायतें देने के लिए ऐसे व्यक्तियों के चयन का मानदंड क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) 1988-89 का रेल बजट प्रस्तुत करते समय अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए घोषित की गई रियायत दूसरे दर्जे में 50% है। 1989-90 का रेल बजट प्रस्तुत करते समय 65 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 500 कि० मी० से अधिक दूरी की यात्रा के लिए तथा खेलों तथा खेल-कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रख्यात प्रशिक्षकों को दूसरे दर्जे में घोषित रियायत क्रमशः 25% तथा 50% है। खिलाड़ी भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों के आधार पर इस रियायत का लाभ उठा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक भी टिकट खरीदते समय अपनी आयु घोषित करके इस रियायत का लाभ उठा सकेंगे। इन रियायतों के वित्तीय फलितार्थ उनके उपयोग पर निर्भर करेंगे।

(ग) रियायतें उन लोगों को दी गई हैं जो सहायता तथा प्रोत्साहन के पात्र थे।

ब्रिटेन को गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात

5299. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने हाल ही के ब्रिटेन के दौरे के दौरान ब्रिटिश सरकार के साथ भारत से गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के बारे में उन्होंने बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात की जाने वाली गैर-परम्परागत वस्तुओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) दिनांक 20 और 21 फरवरी, 1989 को नई दिल्ली में हुई भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार और साथ ही उसके विविधीकरण की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया था। एक सुझाव यह था कि ब्रिटेन भारत से इंजीनियरी, इलैक्ट्रानिक, रसायन और भेषजीय, साफ्टवेयर आदि गैर-परम्परागत मदों के आयात को प्रोत्साहित करने में सहायता दे सकता है। इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों पक्ष व्यापार स्तर बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे व्यापार असंतुलन को ठीक किया जा सके।

संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात करने के बारे में व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण

[अनुवाद]

5300. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री एस० एम० गुरुडी :

श्रीमती बसवाराजेश्वरी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात भारत को निर्यात बढ़ाने के व्यापक अवसर प्रदान करता है ;

(ख) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में किसी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) संयुक्त अरब अमीरात भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए अच्छी संभावना वाला बाजार है, जैसे संसाधित खाद्य, चाय, मांस तथा मांस से बनी वस्तुएं, मसाले, सिलेसिलाए परिधान आदि। व्यापार विकास प्राधिकरण इस बाजार मे विभिन्न उत्पादों के लिए बाजार सर्वेक्षण करता रहा है। व्यापार बढ़ाने के लिए ये कदम उठाये गए हैं : सरकारी स्तर पर द्विपक्षी बातचीत, व्यापार मेलों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेना, भारतीय कम्पनियों को संयुक्त अरब अमीरात के अपने जैसे संगठनों के साथ सीधे संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना, आदि।

(घ) और (ङ) भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ संयुक्त आयोग है। संयुक्त आयोग की, अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक तथा व्यापार क्षेत्र में द्विपक्षी सहयोग बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं।

रियायती दरों पर अधिक आर्थिक संसाधन प्राप्त करने के लिए प्रयास

5301. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्रीमती बसवाराजेश्वरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व बैंक की बैठक में रियायती आर्थिक संसाधन प्राप्त करने के लिए भारी दबाव डाला है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ये प्रयास कितने सफल सिद्ध हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विकास समिति की, हाल ही में हुई बैठक में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-9 पुनर्भरण संबंधी प्रस्तावों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने का अनुरोध किया था तथा कम आय वाले देशों को दी जाने वाली रियायती सहायता बढ़ोत्तरी करने का आग्रह किया था। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-8 के पुनर्भरण की अवधि 1 जुलाई, 1987 से 30 जून, 1990 है। जिसके लिए दाता देशों ने 12.4 अरब डालर राशि की वचनबद्धता की थी। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-9 की मात्रा का अनुमान जिसके लिए अभी परामर्श चल रहा है, दाता देशों द्वारा अपनी-अपनी वचनबद्धताओं को सुनिश्चित करने के पश्चात् ही लग सकेगा।

सरकारी उपक्रमों के बांडों और डिबेंचरों पर आयकर/धनकर

5302. श्री अतीश चंद्र सिन्हा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन सरकारी उपक्रमों के बांड और डिबेंचर आय-कर और धन-कर से मुक्त है ;

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 और धनकर अधिनियम, 1957 के किन-किन उपबन्धों के अन्तर्गत उक्त बांड/डिबेंचर आय-कर तथा धन-कर से मुक्त है ;

(ग) क्या 1 जून, 1988 के बाद 5 लाख रुपए से अधिक राशि अर्थात् अनिश्चित सीमा तक की राशि के खरीदे गए बांडों/डिबेंचरों पर धनकर से छूट देय नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या बान्डों/डिबेंचरों के संबंध में निर्धारित मूल नियमों और शर्तों के अनुसार वर्तमान समय में अर्थात्, 1 जून, 1988 के बाद खरीदे गये और किसी अन्य के नाम में अन्तरित किए जाने पर इन बांडों पर आय-कर और धन-कर से छूट प्रदान की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : : (क) सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कर-मुक्त बंधपत्रों तथा ऋणपत्रों को वर्ष 1988-89 (दिनांक 1-4-1988 से दिनांक 31-3-1989 तक) के दौरान आयकर और धनकर से मुक्त घोषित किया गया है :—

(i) आवास और शहरी विकास निगम द्वारा जारी किए गए 10 वर्षीय-9% (कर-मुक्त) बंधपत्र।

(ii) नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमि० द्वारा जारी किए गए 10 वर्षीय-9% (कर-मुक्त) बंधपत्र (सी-शृंखला)।

(iii) 10 वर्षीय 9% (कर-मुक्त) एन०टी०पी०सी० बंधपत्र (IV-निर्गम) (निजी निवेशन)।

(iv) 10 वर्षीय-9% (कर-मुक्त) पी०एफ०सी० बंधपत्र-II शृंखला (निजी निवेशन)।

(v) भारतीय रेल वित्त निगम का 10 वर्षीय-9% (कर-मुक्त) रेल बंधपत्र (II-निर्गम)।

(vi) नेवेली लिगनाइट कार्पोरेशन लिमि० द्वारा जारी किए 10 वर्षीय-9% (कर-मुक्त) बंधपत्र (सी-शृंखला)।

(vii) 10 वर्षीय-9% (कर-मुक्त) आर०ई०सी० बंधपत्र ।

(viii) भारतीय रेल वित्त निगम के 10 वर्षीय-9% (कर-मुक्त) रेल बन्धपत्र ।

(ix) 10 वर्षीय-9% (कर-मुक्त) आर०ई०सी० ऋणपत्र (19वीं श्रृंखला) (निजी नियोजन) ।

(x) 10 वर्षीय-9% (कर-मुक्त) एच०यू०डी०सी०ओ० शेल्टर बंधपत्र (श्रृंखला-II) ।

(ख) उक्त बंधपत्र तथा ऋणपत्र क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15)(iv)(एच०) तथा धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1)(xvi ई०) के उपबंधों के अन्तर्गत आयकर धनकर से मुक्त हैं। दिनांक 1 जून, 1988 के बाद से अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) (xvi ई०) उक्त अधिनियम की धारा 5(1ए) के साथ पढ़ी जाएगी ।

(ग) जी, हां । सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा दिनांक 1 जून, 1988 को अथवा उसके बाद जारी किए गए बंधपत्रों/ऋणपत्रों को धनकर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1ए) में उल्लिखित अन्य निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों के साथ 5 लाख रु० की सीमा तक छूट दी जाएगी । ऐसा वित्त अधिनियम, 1988 के तहत किया गया है ताकि सरकार की किसी प्रतिभूति और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों जैसी विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बंधपत्रों के कर सम्बन्धी समाधान में समरूपता लाई जा सके ।

(घ) जी, हां । सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा दिनांक 1 जून, 1988 से पहले जारी किए गए बंधपत्र, यदि बाद में किसी अन्य तारीख को वे किसी अन्य व्यक्ति के नाम अन्तरित किए जाते हैं, धनकर से बिना किसी सीमा के छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

मगध एक्सप्रेस और तिनसुकिया मेल की गति को बढ़ाना

5303. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मगध एक्सप्रेस और तिनसुकिया मेल के यात्रा-समय को कम करने के लिए इन रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या मगध एक्सप्रेस के रवानगी समय में परिवर्तन करने और इसे नई दिल्ली तथा पटना दोनों स्थानों से सायं 6 बजे चलाने का भी कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

उड़ीसा में अपेक्षित जलशक्ति विकास परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना

5304. श्री जगन्नाथ पटनायक :

श्री राधाकांत दिगाल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समेकित जनजाति विकास परियोजना के अन्तर्गत जनजाति तथा सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने को उच्च प्राथमिकता दी है ;

(ख) क्या उड़ीसा में कुछ और नये क्षेत्रों का चयन किया गया है जहां सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को सिंचाई परियोजनाओं हेतु सम्मिलित किये जाने का विचार है ; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां ।

(ख) (क) से (घ) उड़ीसा में छः वृहद और 18 मध्यम योजनाएं समेकित जनजाति विकास परियोजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही हैं । ये परियोजनाएं इस प्रकार हैं :—अपर कोलाब, अपर इन्द्रावती, सुवर्णरेखा, पोत्तेरू, कानूपुर, आईबी, सराफगढ़, तालासारा, रेमाला, पिलासल्की, बोन्डापिपली, सुनेई, कन्झारी, बारसुआन, हरभंगी, बड़ानाला, रूकुरा, देव, कुशी, अपर समाकोई, भासकल, कम्सबहल, बंकाबाल और बाधासहाटी ।

कल्याण मंत्रालय ने कोरापुत और कालाहांडी जिलों के समेकित जनजाति विकास परियोजना के क्षेत्रों में 45 लिफ्ट सिंचाई स्कीमों की पूंजीगत लागत के भुगतान के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से 115.775 लाख रुपए की राशि के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया है ।

राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं

[हिन्दी]

5305. श्री शान्ति धारीवाल : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की कितनी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी हेतु सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार चालू सिंचाई परियोजनाओं को धनाभाव के कारण निर्धारित समयावधि के अनुसार पूरा करने में असमर्थ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का है और यदि हां, तो कितनी ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 6 वृहद तथा 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं ।

(ख) वित्तीय बाधाओं से कुछ निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर प्रभाव पड़ा है ।

(ग) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना-II के लिए वर्ष 1989-90 हेतु सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान के रूप में 26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सोपान-I, माही बजाज सागर

तथा चंबल परियोजनाओं के संबंध में उपयुक्त मदों पर राज्य सरकारों को बराबर-बराबर आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

चीनी का निर्यात

[अनुवाद]

5306. श्री शांति धारीवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88, और 1988-89 के दौरान कितनी चीनी का निर्यात किया गया और इससे प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1989-90 के दौरान चीनी का निर्यात किये जाने की सम्भावना है और प्रत्येक देश को कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया जायेगा और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी का निर्यात निम्नलिखित रहा :

वर्ष	मात्रा (लाख एम० टी०)	मूल्य (करोड़ रु०)
1986-87	0.339	18.48
1987-88	0.218	13.93
1988-89	0.318 (अनन्तिम)	20.33

स्रोत : भारतीय राज्य व्यापार निगम।

(ख) इस समय यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को, भारत के लिए उसके अधिमानात्मक कोटे के बदले 10,000 एम०टी० और संयुक्त राज्य अमरीका को, भारत के लिए उसके अधिमानात्मक कोटे के बदले 8424 एम० टी० निर्यात होने की आशा है। इससे 14.3 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है।

निर्माणाधीन रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण

5307. प्रो० नारायण चंद पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की निर्माणाधीन परियोजनाओं (नई रेल लाइनों) के लिए भूमि के अधिग्रहण में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी निर्माणधीन परियोजनाओं का ब्योरा क्या है, जहां सातवीं योजना के दौरान भूमि अधिग्रहण का काम बहुत धीमा रहा, परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब हुआ और किन राज्यों में भूमि अधिग्रहण में विलम्ब हुआ ; और

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है कि परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब न हो और इन परियोजनाओं के लिए भूमि पहले से ही अधिग्रहण कर ली

जाए और रेलवे निर्माण यूनिटों के अन्दर भूमि अधिग्रहण कक्ष स्थापित किए जाए, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में केन्द्रीय सरकार को स्वयं ही भूमि अधिग्रहण करने के लिए कदमों को उठाने का अधिकार है बशर्ते राज्य सरकारें अपने प्रशासनिक के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में बैंकों की शाखाएं खोलना

5308. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना जिलों के प्रमुख बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने वर्ष 1988-89 के दौरान शाखा लाइसेंसिंग नीति और सेवा क्षेत्र अभिगम (सर्विस एरिया अपरोच) के अंतर्गत अपनी तथा अन्य राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए सर्वेक्षण किया है और तदनरूप केन्द्रों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रत्येक जिले में अलग-अलग रूप से ऐसे किन-किन केन्द्रों का पता लगाया गया है ;

(ग) इन केन्द्रों में से किन-किन केन्द्रों को बैंक शाखा खोलने हेतु लाइसेंस जारी किए गए हैं और किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों को उन केन्द्रों का आबंटन किया गया है तथा शेष अन्य केन्द्रों को लाइसेंस कब तक जारी कर दिए जाएंगे ;

(घ) क्या कोई केन्द्र रद्द कर दिए गए हैं, यदि हां, तो प्रत्येक मामले में ऐसा करने के क्या कारण हैं और क्या सरकार अपर्याप्त जनसंख्या और प्राकृतिक कठिनाइयों निहित इन केन्द्रों के दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इन केन्द्रों में बैंक शाखा खोलने पर चाहे इनमें परस्पर दूरी कम हो पुनः विचार करेगी ; और

(ङ) ऐसा कब तक किए जाने की सम्भावना ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ङ) सातवीं योजना अवधि की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत नए बैंक कार्यालय खोलने के वास्ते, केन्द्रों का चयन, जिले में अग्रणी जिम्मेवारी वाले बैंक द्वारा किया जाता है। जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा अनुमोदित केन्द्रों की सूची भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित करने हेतु राज्य सरकार को भेजी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे हिमाचल प्रदेश में नई बैंक शाखाएं खोलने के वास्ते यूको बैंक से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अलबत्ता, पंजाब नेशनल बैंक ने, वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, कांगड़ा तथा ऊना जिलों में निम्नलिखित केन्द्रों पर शाखाएं खोलने का प्रस्ताव भेजा है :—

जिले का नाम	केन्द्र का नाम
1	2
हमीरपुर	नवती
कांगड़ा	कढोग

1	2
	बानखण्डी
	नूरपुर
	संसारपुर टैरेस
	चामुण्डा
	परौर
	महाकाल
	छल्लौर
उना	नांगरां
	टिहुरी
	नंगल कलां
	मानवाड़ी
	लहरानी
	बहडाल

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उपर्युक्त केन्द्रों में से, निम्नलिखित केन्द्रों में नए बैंक कार्यालय खोलने के वास्ते लाइसेंस जारी किए गए हैं। प्रत्येक केन्द्र के सामने बैंकों के नाम दिखाए गए हैं।

जिले का नाम	केन्द्र का नाम	बैंक का नाम
हमीरपुर	नलती	पंजाब नेशनल बैंक
कांगड़ा	बानखण्डी	तदैव —
	संसारपुर टैरेस	—तदैव —
	छल्लौर	—तदैव—
	महाकाल	—तदैव—
	चामुण्डा	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
उना	बहडाल	पंजाब नेशनल बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अग्रणी बैंक समूह/राज्य सरकार द्वारा कठोय तथा नंगल कलां का चयन नहीं किया गया था और नूरपुर केन्द्र में स्टेट बैंक आफ इंडिया पटियाला की एक शाखा काम कर रही है। परौर, नांगरां, टिहुरी, मानवाड़ी तथा लहरानी नामक केन्द्र, शाखा लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित शर्तों के अनुसार, नई बैंक शाखा खोलने के वास्ते, उपयुक्त नहीं पाए गए।

परिचालन व्यय का अनुपात

5309. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के परिचालन व्यय के अनुपात में गिरावट आई है और वर्ष 1985-

86 और 1986-87 के आंकड़ों की तुलना में वित्त वर्ष 1987-88 में व्यय गिर कर 92.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट के क्या कारण हैं और वर्ष 1985-86,86-87 और 1987-88 के संबंध में समस्त रेलवे की तथा प्रत्येक जोनल रेलवे के परिचालन व्यय के अनुपात का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस गिरावट को रोकने तथा केन्द्रीय तथा जोनल स्तर पर रेलवे की वित्त व्यवस्था का बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

यह स्पष्ट किया जाता है कि परिचालन व्यय का अनुपात सही रूप में वित्तीय निष्पादन का द्योतक नहीं है क्योंकि मूल्यह्रास आरक्षित निधि तथा पेंशन निधि के प्रावधानों की मात्रा से प्रभावित होने के अलावा इस अनुपात पर वृद्धि के कारण साधन सामग्रियों की लागत तथा रेल मंत्रालय के नियंत्रण से बाहर के अन्य कारकों और इसी प्रकार [मालभाड़ा तथा यात्री टैरिफ निश्चित करने में रखे गए नियंत्रण का भी असर पड़ता है।

भारतीय रेलों के वित्तीय वर्ष 1987-88 के परिचालन व्यय का अनुपात पिछले वर्ष के 90.2% तथा 1985.86 के 90·6% की तुलना में 92.5% था। वृद्धि का मूलतः कारण मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 1985-86 के 920 करोड़ रुपए के वार्षिक विनियोग को बढ़ाकर 1986-87 में 1250 करोड़ रुपए कर देना तथा 1987-88 में 1350 करोड़ रुपए कर देना था ताकि रेल परिसम्पतियों के बदलाव तथा नवीकरण के लिए पर्याप्त योजना निधि सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा पेंशन भुगतान दायिताओं में हुई पर्याप्त वृद्धि के कारण पेंशन निधि में विनियोग 1985-86 के 260 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1986-87 में 350 करोड़ रुपए तथा 1987-88 में 450 करोड़ रुपए करना आवश्यक हो गया। अतः मूल्यह्रास आरक्षित निधि तथा पेंशन निधि में बढ़ाए गए विनियोगों के परिणामस्वरूप परिचालन व्यय के अनुपात में हुई वृद्धि वित्तीय निष्पादन में गिरावट की द्योतक नहीं है। "राजस्व खर्च पर सभी स्तरों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है तथा सकल आमदनी से साधारण संचालन व्यय के प्रतिशत में इस अवधि के दौरान वास्तव में थोड़ा-सा सुधार हुआ है अर्थात् यह प्रतिशत 1985-86 के 72.3% से घटाकर 1987-88 में 71.2% रह गया है।

1985-86 से 1987-88 तक के तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के परिचालन व्यय का अनुपात नीचे की तालिका में दर्शाया गया है :—

रेलवे का नाम	संबंधित वर्ष के परिचालन व्यय का अनुपात		
	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4
समग्र भारतीय रेलें	90.6%	92.2%	92.5%
क्षेत्रीय रेलें			
मध्य रेलवे	76.1%	76.7%	78.5%

1	2	3	4
पूर्व रेलवे	101.1%	105.8%	110.3%
उत्तर रेलवे	86.6%	83.7%	82.5%
पूर्वोत्तर रेलवे	166.9%	170.5%	168.0%
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	195.8%	187.8%	196.1%
दक्षिण रेलवे	119.6%	127.2%	129.5%
दक्षिण मध्य रेलवे	82.1%	89.5%	91.3%
दक्षिण पूर्व रेलवे	2.9%	74.8%	74.0%
पश्चिमी रेलवे	79.6%	80.9%	79.1%

त्रिवेन्द्रम में एसोसिएट बैंक आफीसर्स एसोसिएशन की केन्द्रीय परिषद की बैठक में पारित संकल्प

5310. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एसोसिएट बैंक आफीसर्स एसोसिएशन की केन्द्रीय परिषद् की 23 तथा 24 अक्तूबर, 1988 को त्रिवेन्द्रम में हुई बैठक में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित हुआ था जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के पूर्वनिश्चित पुनर्गठन तथा उनकी संबद्धता समाप्त करने और सात छोटे बैंकों का सहायक बैंकों का दर्जा समाप्त करने तथा उन्हें बीस राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह सरकार के स्वामित्व वाले बैंक के रूप में गठित करने की मांग की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस एसोसिएशन द्वारा कारपोरेट स्लेवरी—"दि ट्रेजिक एंड अनटोल्ड स्टोरी आफ 7 एसोसिएटेड बैंक्स आफ दि स्टेट बैंक आफ इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का भी अवलोकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संकल्प और प्रकाशन के प्रति केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का मत है कि इस समय भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक से अलग करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा । भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक समूह के सदस्य के रूप में कार्य करने में कई लाभ हैं ।

विधि की पुस्तकों आदि का हिंदी में उपलब्ध होना

5311. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार हिन्दी भाषी राज्यों में न्यायधीशों, एडवोकेटों और न्यायालय के

कर्मचारियों के लिए विधि की पुस्तकें, सन्दर्भ पुस्तकें, न्यायिक निर्णय संबंधी पत्रिकाएं आदि हिन्दी में उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज : (क) और (ख) विधि और न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग, विधि के छात्रों, शिक्षकों, वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के उपयोग के लिए वर्ष 1975 से ही हिन्दी में मानक विधि पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है। अभी तक हिन्दी में मूल रूप से लिखी गयीं 25 विधि पुस्तकें, तथा इनमें से 5 पुस्तकों के द्वितीय पुनरीक्षित और परिवर्धित संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त हिन्दी में तीन मासिक विधि पत्रिकाएं अर्थात "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका", "उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका" और "उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका" प्रकाशित की जा रही हैं। इन पत्रिकाओं में क्रमशः उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट करने योग्य सभी निर्णय, और सभी उच्च न्यायालयों के दांडिक और सिविल मामलों के चुने हुए निर्णय होते हैं। इन पत्रिकाओं के चार डाइजैस्ट भी प्रकाशित किए जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त "विधि साहित्य समाचार" नामक एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की जा रही है जिसमें विधि के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा हिन्दी में विधि संबंधी लेख और नवीनतम निर्णयों पर टिप्पण तथा विधि साहित्य प्रकाशन के विभिन्न क्रियाकलापों और प्रकाशन के संबंध में विस्तृत जानकारी होती है।

केरल में शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण

5312. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान केरल में शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को ऋण प्राप्त हुआ ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए ; और

(ग) वर्ष 1989-90 में इस योजना के अन्तर्गत केरल के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

वित्त मंत्रालय में वार्षिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1987-1988 के दौरान केरल में शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 9407 व्यक्तियों को 1759.56 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई थी। वर्ष 1988-89 के दौरान मंजूर किए गए ऋणों का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

(ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वास्तविक लक्ष्य राज्य-वार निर्धारित किए जाते हैं और इस प्रकार धनराशियां निर्धारित नहीं की जातीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1989-90 के लिए वास्तविक लक्ष्यों की सूचना अभी उन्हें नहीं दी गई है। अलग-अलग मामलों में योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार ऋण मंजूर किए जाते हैं और परियोजना लागत का 25 प्रतिशत सरकार द्वारा पूंजीगत सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है।

मुकदमों के निपटारे में विलम्ब होना

5213. श्री हुसैन दलवाई :

श्री सैफुद्दीन अहमद :

डा० सुधीर राय :

क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुकदमों के निपटाने में असाधारण देरी होती है और उनके परिणामस्वरूप मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति न्याय मिलने में असाधारण विलम्ब के कारण हतोत्साहित हो जाते हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार न्याय देने की पुरानी पद्धति में सुधार लाने के लिए विधि आयोग से प्राप्त किन्हीं सुझावों पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के सुझाव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो मुकदमों के निपटाने में होने वाली असाधारण देरी को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) मामलों के शीघ्र निपटारे से संबंधित नौवें विधि आयोग की 77वीं और 79वीं रिपोर्ट कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को पहले ही भेज दी गई हैं।

न्यायिक सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। न्यायालयों के कार्यकरण को और कारगर बनाने तथा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार ने न्यायिक सुधारों का अध्ययन कार्य ग्यारहवें विधि आयोग को सौंपा है।

विधि आयोग ने 18 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं और अपना कार्य पूरा कर लिया है। ये सभी रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई हैं। इन रिपोर्टों में से छह रिपोर्टें राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणी के लिए भेज दी गई हैं।

राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति की दर

5314. श्री हुसैन दलवाई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 में राष्ट्रीय आय की विकास दर 10 प्रतिशत तक होने की संभावना है ;

(ख) उक्त वर्ष में मुद्रास्फीति की दर क्या रही है ; और

(ग) इसी वर्ष के दौरान निर्यात की वृद्धि दर क्या रही है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) यद्यपि वर्ष 1988-89 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि के संबंध में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, फिर भी यह आशा की जाती है कि 1988-89 में राष्ट्रीय आय की

वास्तविक वृद्धि दर लगभग 9 प्रतिशत हो सकती है, बिन्दु प्रति बिन्दु आधार पर थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर के 6 प्रतिशत होने का अनुमान है और जनवरी 1989 तक डी० जी० सी० एण्ड आई० एस० के नवीनतम उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 1988-89 के प्रथम दस महीनों के दौरान पिछले वर्ष की तदनरूप अवधि के मुकाबले निर्यातों में 26.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

कलकत्ता मैट्रो रेलवे परियोजना

[हिन्दी]

5315. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता मैट्रो रेलवे परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) इस परियोजना के शेष भाग के पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) 28-2-1989 तक 621.30 करोड़ रुपए।

(ख) परियोजना की वर्तमान स्वीकृत लागत के आधार पर 242.07 करोड रुपए।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा इसके निर्माण हेतु अपेक्षित शेष भू-खण्डों को उपलब्ध करा देने के बाद परियोजना को पूरा करने का सम्भावित समय 33 महीने है।

वाणिज्यिक ऋण

5316. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 तक विदेशी वाणिज्यिक ऋण की राशि के 4000 करोड़ रुपए तक हो जाने की संभावना है ;

(ख) क्या ऋण की यह राशि गत वर्ष की राशि से काफी अधिक है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान यह राशि कितनी थी और तत्संबंधी वर्ष-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस राशि में लगातार वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) जी, हां, । वर्ष 1988-89 में कुल 4314 करोड़ रुपए (अनन्तिम) के विदेशी वाणिज्यिक उधार मंजूर किए गए थे । वर्ष 1987-88 में मंजूर की गई यह राशि 2654 करोड़ रुपए थी ।

वाणिज्यिक उधारों में बढ़ोतरी का कारण एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स, जो नए विमान खरीद रहे हैं, की बढ़ी हुई जरूरतों, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गवेषणा संबंधी प्रयोजनों के लिए आयात की बढ़ी हुई जरूरतों और निजी क्षेत्र से पूंजीगत वस्तुओं के वित्तपोषण की बढ़ी हुई जरूरतों को, जो विकासात्मक वित्तीय संस्थानों द्वारा पूरी की जाती हैं, का होना है ।

बीड़ी उद्योगपतियों के विरुद्ध आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा तलाशियां और अभिग्रहण

[अनुवाद]

5317. श्री विजय कुमार यादव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में बीड़ी उद्योगपतियों ने अत्यधिक लेखाबाह्य आय एवं धन संचित कर रखी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर विभाग के अधिकारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान सर्वेक्षण तलाशी और अभिग्रहण के कार्य किए हैं तथा इसके उद्योगपतिवार, क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) और (ख) इस प्रकार का कोई सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता । तथापि, बीड़ी निर्माताओं/व्यापारियों द्वारा कर अपवंचन के कुछ उदाहरण जानकारी में आए है । ऐसी रिपोर्ट मिली है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी निर्माताओं/व्यापारियों के कुछ मामलों में तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही की गई है । उसके संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है :—

कर-निर्धारिती का नाम	तलाशी का वर्ष	प्रथमदृष्टया पकड़ी गई लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां	तलाशी के दौरान छिपाई गई निम्नलिखित आय समर्पित की गई
1	2	3	4
(i) श्याम बीड़ी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड/ बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में मामलों के समूह	1988-89	37,78,616 रु०	1,10,89000 रु०

1	2	3	4
(ii) पवन कुमार अग्रवाल एंड अदर्स बिलासपुर (म० प्र०)	1986-87	3,58,000 रु०	—शून्य—
(iii) जगदीश प्रसाद साहू एंड बृन्दाबन साहू, जबलपुर (म० प्र०)	1988-89	26,19,403 रु०	6,50,000 रु०

सर्वोदय एक्सप्रेस को दाहोद पर रोकना

5318. **श्री सोमजी भाई डामर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोदय एक्सप्रेस को मध्य प्रदेश स्थित दाहोद पर रोकने की काफी समय से मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस अनुरोध की जांच की गयी है किन्तु इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भूटान में लघु पन बिजली परियोजनाओं का कार्यान्वयन

5319. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने भूटान में कुछ लघु पन बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य प्रारम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जल आयोग उस देश में यह कार्य किस तिथि से कर रहा है ;

(ग) भूटान में इस समय केन्द्रीय सरकार की सहायता से किन-किन सिंचाई परियोजनाओं का कार्य चल रहा है ; और

(घ) भूटान में जल स्रोतों का विकास करने में केन्द्रीय जल आयोग का क्या योगदान है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहो) : (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग ने भूटान में वर्ष 1961 से एक सिंचाई तथा 15 से अधिक लघु जल विद्युत परियोजनाओं की जांच की है । दो लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है । भूटान में शहरों की सुरक्षा के लिए नदी नियंत्रण कार्यों की आयोजना तथा अभिकल्प तैयार करने में सहायता भी प्रदान की गई है ।

पुर्तगाल सरकार द्वारा गोवा को सोने के जेवरात लौटाना

5320. **श्री जी० एस० वासवराजू :**

श्री शांति लाल पटेल :

श्रीमती वसवाराजेश्वरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुर्तगाल सरकार पर जोर डाला है कि वह गोवा की सोने के जेवरात लौटाने के लिए पहले ही किए गए समझौते को अविलम्ब कार्यान्वित करे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सोने के जेवरात लौटाने में विलम्ब होने के प्रमुख कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या सोने के जेवरात लौटाने के लिए पुर्तगाल सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) सरकार इस समय बैंकों नेशनल अल्ट्रामरीनों (बी०एन०यू०), लिस्बन के पास रखे स्वर्ण आभूषणों से संबंधित मामले को राजनयिक माध्यमों के जरिए संबंधित पुर्तगाली प्राधिकारियों के साथ उठाती रही है। मई 1984 में भारतीय स्टेट बैंक का एक प्रतिनिधिमंडल लिस्बन गया था और बी० एन० यू० के साथ, इस संबंध में दोनों बैंकों के बीच होने वाले करार के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया था। तत्पश्चात्, 1987 में, पुर्तगाली प्राधिकारियों ने करार के प्रारूप में कुछ संशोधन किए जाने का सुझाव दिया जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इस मामले को लिस्बन स्थित भारतीय दूतावास ने भी पुर्तगाली प्राधिकारियों के साथ उठाया है। हमें पुर्तगाल सरकार से बार-बार ये आश्वासन प्राप्त हुए थे कि वह इस मामले को यथाशीघ्र निपटाना चाहती हैं। लेकिन, भारतीय स्टेट बैंक और बैंकों नेशनल अल्ट्रामरीनों, लिस्बन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने सम्बन्धी क्रियाविधियों पर पुर्तगाली प्राधिकारियों की सहमति के सम्बन्ध में उनसे औपचारिक पत्र नहीं मिला है जिससे स्वर्ण आभूषण वापस मिल सकें। हाल में पुर्तगाली प्राधिकारियों ने एक और संशोधित प्रारूप का सुझाव दिया है जिस पर विचार किया जा रहा है।

यूरोपीय देशों का कोटा बढ़ाने के प्रयास

5321. **श्री जी० एस० वासवराजू :**

श्री शांति लाल पटेल :

श्रीमती वसवाराजेश्वरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामान्य अधिमानता पद्धति (जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज) के अन्तर्गत मामले में यूरोपीय देशों को विभिन्न उत्पादों का कोटा बढ़ाने के प्रयास कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सामान्य अधिमानता पद्धति

योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पादों को शामिल करने का भारत का अनुरोध स्वीकार कर लिया है ;

(ग) क्या भारत और इंग्लैंड ने संयुक्त उद्यमों की स्थापना में सहयोग पर भी सहमति जाहिर की है ; और

(घ) यदि हां, तो इंग्लैंड ने वर्ष 1989-90 के दौरान भारत को क्या सहायता देना स्वीकार किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) नई दिल्ली में 20-21 फरवरी, 1989 को आयोजित भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति की बैठक यूरोपीय बाजार में सामान्य अधिमानता पद्धति जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज के अन्तर्गत कुछ निर्यात उत्पादों को बेहतर पहुंच प्राप्त सहायता में बढ़ोतरी मदें कम्यूनिटी की जी० एस० पी० योजना के अन्तर्गत कुछ अतिरिक्त उत्पादों को शामिल करने के भारतीय पक्ष के अनुरोध पर ब्रिटिश पक्ष ने नोट कर लिया।

(ग) और (घ) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि दोनों देशों में उपलब्ध क्षमताओं के आधार पर संयुक्त उद्यम स्थापित करने की पर्याप्त गुंजाइश है। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों पक्ष दोनों राष्ट्रों के व्यापार संगठनों के बीच सम्पर्क को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे ताकि इस क्षेत्र में बढ़े हुए सहयोग को सुगम बनाया जा सके।

प्रत्यक्ष तथा केन्द्रीय करों संबंधी अपीलों को निपटाने के लिए पृथक न्यायालय की स्थापना

5322. **श्री जी० एस० वासवराजू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्रत्यक्ष और केन्द्रीय करों सम्बन्धी अपीलों के मामलों को निपटाने के लिए पृथक न्यायालय स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही योजना तैयार की गई है ; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां। सरकार, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायाधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है जोकि स्थापित होने पर उच्च न्यायालयों से, प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित कार्यों को अपने अधिकार में ले लेगा।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु विधेयक तैयार किया जा रहा है और आशा है कि वर्षाकालीन सत्र मे संसद में पेश कर दिया जाएगा।

जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशें

5323. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और अन्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय पीठों की स्थापना के सम्बन्ध में जसवन्त सिंह आयोग की सिफारिशों से सम्बन्धित कोई पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के लिए भी कोई निर्णय लिया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई पत्र नहीं भेजा है तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये हैं ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क), (ख) और (ङ) जी, हां। राज्य सरकार, मुख्य न्यायमूर्ति और राज्यपाल के विचार अभिनिश्चित कर रही है और तत्पश्चात् अपने विचार सूचित करेगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं। किसी भी राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिशों के बारे में अभी तक अपने विनिर्दिष्ट विचार और सम्पूर्ण प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में शेयर-धारकों पर कर की देयता

5324. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र की लिमिटेड कम्पनियों में शेयर-धारकों को दोहरे कर का अर्थात् कम्पनी में स्रोत पर कर तथा वैयक्तिक तौर पर कर का भुगतान करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो और किन देशों में दोहरे कर की व्यवस्था की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) किसी कम्पनी द्वारा करों की अदायगी करने के पश्चात् अपने लाभों में से अदा किए गए लाभांशों के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त करने वाले शेयरधारकों पर आयकर प्रभारित किया जाता है। चूंकि लाभांश अदा करने वाली कम्पनी तथा उसे प्राप्त करने वाले शेयर-धारक अलग-अलग कराधेय सत्ता हैं, इसलिए लाभांशों पर इस आधार पर कराधान किए जाने के मामले को, कानून के अनुसार आय पर दोहरा कराधान करना नहीं कहा जा सकता है।

कम्पनियों को, उनके द्वारा अदा किए गए लाभांश के ऐसे मामलों में विनिर्दिष्ट दरों पर आयकर की कटौती करना अपेक्षित होता है, जिन मामलों में किसी शेयरधारक को अदा की गई सकल राशि किसी वित्त वर्ष के दौरान 2500 रु० से अधिक हो। इस प्रकार की कटौती की गई तथा केन्द्रीय सरकार को अदा की गई राशि को शेयरधारक की ओर से कर की अदायगी किया जाना समझा जाएगा तथा शेयरधारक को अपना कर-निर्धारण तैयार करने में उसका लाभ (क्रेडिट) दिया जाता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कम्पनियों के शेयरधारक दोहरे कर की अर्थात् स्रोत पर कर तथा पुनः अपने-अपने कर-निर्धारणों में कर की अदायगी करते हैं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा मंजूर किया गया ऋण

5326. श्री राज कुमार राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1988 से अब तक स्टेट बैंक आफ इन्दौर को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण मंजूर करने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और शाखावार कितने व्यक्तियों को ऋण मंजूर किया गया और कितने आवेदन पत्र रद्द किये गये ;

(ख) इस प्रकार मंजूर की गई धनराशि में कितनी राशि राजसहायता के रूप में तथा कितनी ऋण के रूप में दी गई ; और

(ग) क्या इन मामलों में कोई अनियमितता बरतने का पता चला है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। फिर भी, स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने वर्ष 1986 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 29403 हिताधिकारियों को वित्तीय सहायता दी थी। इस अवधि के दौरान बैंक द्वारा कुल 1445.39 लाख रुपये के ऋण दिए गए तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत 133.16 लाख रुपये की सब्सिडी का भुगतान किया गया।

(ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनियमितताओं का कोई मामला उसकी जानकारी में नहीं आया है।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं में जमा राशि और उनके द्वारा दिए गए ऋण

[हिन्दी]

5327. श्री राज कुमार राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं में वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान मार्च तक कुल कितनी राशि जमा की गई और इसमें से कितने प्रतिशत राशि इन राज्यों के लोगों को ऋण के रूप में दी गई ; और

(ख) कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ऋण के रूप में अलग-अलग दी गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता वर्ष 1986-87 और 1988 के अन्त में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, स्टेट बैंक आफ इन्दौर की कुल जमाराशियों और रिण जमा अनुपात का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(रकम : लाख रुपये)

वर्ष	मध्य प्रदेश		उत्तर प्रदेश	
	जमाराशियां	ऋण जमा अनुपात	जमाराशियां	रिण जमा अनुपात
1986	40929	72.3%	651	80.2%
1987	53864	71.5%	955	78.3%
1988	64353	73.6%	1270	78.7%

(ख) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के अन्त में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को दिए गये अग्रिमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(रकम : लाख रुपये)

	मध्य प्रदेश		उत्तर प्रदेश	
वर्ष	कृषि क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्र	कृषि क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्र
1986	6734	13311	—	355
1987	8511	17564	—	385
1988	11750	20960	—	556

हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना की स्थापना

[अनुवाद]

5328. श्री सनत कुमार मंडल :

कुमारी ममता बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को हल्दिया पैट्रो-रसायन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय से पिछले महीने के मध्य तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए धनराशि स्वीकृत करने में क्या कठिनाईयां हैं ; और

(ग) इस समय इस मामले पर किस स्तर पर विचार हो रहा है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने हल्दिया परियोजना का मूल्यांकन करने के बाद सूचित किया था कि एथिलीन प्लान्ट, जो परियोजना का एक भाग था, का आकार न्यूनतम लाभकर आकार से काफी नीचा है और परिणामस्वरूप उत्पादन लागत अलाभकर होगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वित्तपोषण में भी पर्याप्त अन्तर पाया था। इसे देखते हुए, हल्दिया पेट्रोरसायन लिमिटेड से, प्रथम चरण में, अनुगामी परियोजना (डाऊन स्ट्रीम प्रोजेक्ट) को कार्यान्वित करने की संभावना पर विचार करने के लिए कहा गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को कम्पनी से इस संबंध में अभी तक कोई अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

पश्चिम रेलवे की राजकोट और भावनगर डिवीजन में रेलवे उपरिपुलों का निर्माण

5329. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावनि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राजकोट और भावनगर डिवीजनों में अनेक रेलवे ऊपरि पुलों का निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है ; और

(ग) प्रत्येक पुल पर अब तक कितना खर्च हुआ है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजकोट और भावनगर मण्डलों में कोई भी ऊररी/निचला सड़क पुल नहीं बनाया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजकोट डिवीजन के अन्तर्गत चलने वाली रेलगाड़ियों के रेल डिब्बों की स्थिति

5330. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावनि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट डिवीजन के अन्तर्गत चलने वाली अधिकांश रेलगाड़ियों में पुराने रेल डिब्बे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन-किन रेलगाड़ियों से ऐसे रेल डिब्बों को हटाने का विचार है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए क्या चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सवारी डिब्बों को उनकी आयु तथा हालत के आधार पर नाकारा किया जाता है तथा बदला जाता है।

वित्त वर्ष में परिवर्तन

5331. श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष में परिवर्तन किये जाने के मामले पर पुनर्विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

5332. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए चलाये जा रहे उन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिसके अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए ढग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। यद्यपि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला हिताधिकारियों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को दिए जाने वाले ऋणों के वितरण की नियमित रूप से निगरानी की जाती है तथापि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की महिला ऋणियों से सम्बन्धित आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला हिताधिकारियों को दिए गए ऋणों के अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है और वर्ष 1985-86 में ये अनुपात 9.5 प्रतिशत था जो 1986-87 में बढ़कर 19.5 प्रतिशत हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जून 1988 के अन्त में महिलाओं को दिए गए अग्रिमों की 11.42 लाख ऋण खातों के अधीन कुल बकाया राशि 350.61 करोड़ रुपए थी।

स्वयं रोजगार योजनाओं के लिए बैंक ऋणों पर ब्याज से छूट देना

5333. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वयं रोजगार योजनाओं के लिए दिए गए बैंक ऋणों पर ब्याज से छूट देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ; और

(ग) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने स्वयं रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत केरल में वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान कुल कितना रिण वितरित किया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए बैंक रिनों पर ब्याज माफ करने/ब्याज में कटौती करने के लिए केरल के हिताधिकारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए रिणों पर पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत वार्षिक और अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दरों पर ब्याज लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा 25 प्रतिशत की दर से सब्सिडी दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज की माफी/कटौती के रूप में अन्य किसी तरह की और रियायत देना आवश्यक या उचित नहीं समझा गया है।

(ग) इस समय केरल सहित सभी राज्यों में भारत की दो स्वरोजगार योजनाएं अर्थात् (i) शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना और (ii) शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, चलाई जा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्यों द्वारा दिए गए रिणों के बैंक-वार आंकड़े उसके द्वारा संकलित नहीं किए जाते। केरल राज्य में सभी बैंकों द्वारा वर्ष 1987-88 के दौरान शिक्षित बेरोजगारों की स्वरोजगार योजना और शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए रिणों का विवरण नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए)

योजना व कार्यक्रम	निर्धारित लक्ष्य	मंजूर किए गए ऋण	
		संख्या	राशि
शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना	10,000	9,407	1759.66
शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम	11,222	10,401	510.52

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि वर्ष 1988-89 में मंजूर किए गए रिणों का विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

काजू की खरीद के लिए केरल को सहायता

5334. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल सरकार को वर्ष 1987-88 और 1989-89 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और/अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से काजू की खरीद के लिए कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) इस सम्बन्ध में केरल सरकार को किसी अन्य रूप में दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल सरकार ने काजू के खरीद मूल्य में गिरावट आने के बारे में शिकायतें की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1987-88 या वर्ष 1988-89 में केरल को काजू की गिरियों की प्राप्ति के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है। भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया था कि वह रिण सुविधाओं के लिए केरल सरकार के संस्थानों के आवेदन पत्र पर सकारात्मक रूप से विचार करे। राज्य व्यापार निगम से भी अनुरोध किया गया था कि वह काजू निर्यात में सहायता देने के लिए केरल सरकार के संस्थानों से सम्पर्क करें। केन्द्रीय सरकार को काजू गिरियों की खरीद कीमतें गिरने के सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई शिकायत नहीं मिली है।

अहमदनगर बीड-परलीविजनाथ रेल लाइन

5335. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अहमदनगर बीड-परलीविजनाथ नई रेल लाइन को मंजूरी देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस रेल लाइन पर कार्य कब से शुरू होगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) बीर के रास्ते अहमदनगर से पार्ली बैजनाथ (250 कि० मी०. तक एक नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठते।

मनमाड-पारली रेल लाइन को बदलना

5336. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मनमाड और परली के बीच रेल लाइन को बदलने के लिए धनराशि के आबंटन में वृद्धि करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई हो, तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (घ) 1989-90 के दौरान 15 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं जबकि पिछले वर्ष 5 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। इस परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में आमान परिवर्तन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राजधानी एक्सप्रेस की गति बढ़ाना

5337. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई दिल्ली और बम्बई सैंट्रल के बीच तथा नई दिल्ली और हावड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस की गति बढ़ाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी गति बढ़ाई जाएगी तथा यह गति कब तक बढ़ाई जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) 1989-90 के दौरान दोनों राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों की गति बढ़ाकर 130 कि० मी० प्रति घंटा करने का विचार है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र मे ठाकुरली में मध्य रेलवे बिजलीघर

5338. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाणे जिले में ठाकुरली स्थित मध्य रेलवे बिजलीघर पिछले काफी समय से बन्द पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस बिजलीघर को स्थापित हुए 60 वर्ष से अधिक हो गए हैं और इसने अपनी उपयोगी सेवा पूरी कर ली है। इसे चालू रखना आर्थिक एवं संरक्षा दोनों ही दृष्टियों से व्यावहारिक नहीं है।

करों में रियायतें

[हिन्दी]

5339. **श्री निर्मल खत्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके साथ हाल ही में हुई बैठक में पत्रकार संघ ने करों में रियायतों की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वदेशी पत्रकारों द्वारा विदेशी मुद्रा में अर्जित आय पर पूरी छूट दिए जाने के सुझाव को स्वीकार्य नहीं पाया गया है क्योंकि अन्य कारणों के साथ-साथ एक कारण यह भी है कि इन पत्रकारों को विदेशी पत्रकारों की तुलना में कोई आर्थिक हानि नहीं है।

अयोध्या और पटना के बीच सीधी रेल सेवा

5340. **श्री निर्मल खत्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को अयोध्या और पटना को सीधी रेल सेवा से जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय परिचालनिक संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं है ।

सियालदह-जम्मूतवी एक्सप्रेस गाड़ी को पचरंगा में रोकना

5341. **श्री निर्मल खत्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 51 अप, 52 डाउन सियालदह-जम्मूतवी एक्सप्रेस गाड़ी को पचरंगा रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) में रोकने की कोई मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां । आगामी ग्रीष्म कालीन समय सारण में ठहराव की व्यवस्था की जा रही है ।

काफी का उत्पादन

[अनुवाद]

5342. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान देश में काफी का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान कर्नाटक में काफी का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या वर्ष 1988 के दौरान कुछ पूर्वोत्तर राज्यों ने अपने उत्पादन में वृद्धि की है ;

(घ) क्या कर्नाटक में काफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे किसानों को कोई प्रोत्साहन देने की पेशकश की जा रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के दौरान काफी का लगभग 2.00 लाख टन कुल उत्पादन होने का अनुमान है जिसमें से आशा है कि लगभग 1.39 लाख टन उत्पादन कर्नाटक का होगा ।

(ग) चूंकि अधिकांश काफी पौधे अभी अपनी आरम्भिक उत्पादन अवस्था में हैं इसलिए इस क्षेत्र में काफी उत्पादन अब भी बहुत थोड़ा ही है ।

(घ) और (ङ) विद्यमान और प्रत्याशित रोपणकर्त्ताओं को आवश्यक आर एण्ड डी सहायता देने के अतिरिक्त काफी बोर्ड सम्पूर्ण भारत, के पात्र उपजकर्त्ताओं को अनुदान/विकास सम्बन्धी ऋण आदि का वितरण भी करता है । ये सुविधाएं कर्नाटक में भी उपलब्ध हैं । छोटे-छोटे उपजकर्त्ताओं को सभी ऋण योजनाओं के अन्तर्गत ऋण अधिक मात्रा में तथा ब्याज की न्यूनतम दरों पर दिए जाते हैं । परम्परागत क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के उपजकर्त्ता इन ऋणों के अनुमोदन के लिए साढ़े ग्यारह प्रतिशत की सामान्य ब्याज दर के विपरीत) 7% की विशिष्ट ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के हकदार हैं ।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में बचत

5343. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में बचत बढ़ाने के लिए चालू वर्ष के दौरान सरकार नई योजनाएं बनाने जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) वित्त मंत्री के बजट भाषण में निम्नलिखित स्कीमें शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है :—

(i) गृह ऋण खाता स्कीम ।

(ii) इक्विटी संबोजित बचत स्कीम ।

(iii) राष्ट्रीय बचत पत्र VIII-शृंखला ।

(iv) सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए बचत स्कीम ।

निर्यातकों को सहायता देने के लिए 'जनरल क्लियरिंग हाउस' का प्रस्ताव

5344. श्री शान्ति लाल पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों की शिकायतों को दूर करने के लिए सामान्य निपटान गृह 'जनरल क्लियरिंग हाऊस' स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली निर्यातकों के लिए कहां तक सहायक सिद्ध होगी ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई दीर्घविधि कार्य योजना भी तैयार की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) जी, हां मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात के मुख्य कार्यालयों में तथा संयुक्त मुख्य नियंत्रकों की अध्यक्षता में 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत समितियों का गठन किया गया है । यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि समितियों की महीने में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए जिनमें निर्यातकों की समस्याओं का समाधान किया जाए । इसके अतिरिक्त यह भी अनुदेश दिए गए हैं कि कार्यालयों के अध्यक्ष प्रतिदिन कम से कम एक घण्टा दें तथा निर्यातकों से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत तौर पर मिलें ।

उड़ीसा को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता

5345. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उड़ीसा को मंजूर की गई धनराशि और इस राज्य को वास्तव में दी गई धनराशि के बीच बहुत अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उड़ीसा को कितनी धनराशि मंजूर की गई ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान मंजूर की गई राशि में से वास्तव में कितनी धनराशि दी गई ; और

(घ) स्वीकृत की गई धनराशि और वास्तव में दी गई राशि के बीच अन्तर कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उड़ीसा के लिए मंजूर एवं संवितरित की गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए)

अवधि जुलाई-जून	मंजूर की गई राशि	संवितरित की गई राशि
1985-86	9768	9055
1986-87	10093	9045
1987-88	17978	9667

किसी भी वर्ष किया जाने वाला संवितरण और उस वर्ष और उससे पहले के वर्षों में मंजूर की गई सहायता के सन्दर्भ में किया जाता है। सहायता प्राप्त एककों को मंजूर किए गए ऋणों का संवितरण उनके द्वारा बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार तथा परियोजना के कार्यान्वयन में की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए किस्तों में किया जाता है।

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य अखिल भारतीय सावधि ऋण दात्री संस्थाओं द्वारा संवितरण प्रक्रिया में तेजी लाने के वास्ते ये कदम उठाए गए हैं : ऋण दस्तावेजों का मानकीकरण, अग्रणी संस्था संकल्पना, परियोजना वित्त सहभागिता प्रमाणपत्र योजना, पूरक वित्त आदि।

दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौता

5346. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ अन्य देशों के साथ होने वाले व्यापार से आय पर दोहरे कराधान से बचने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने परिहार्य दोहरे कराधान से बचने के लिए इन देशों के साथ कोई समझौता किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत ने आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए निम्नलिखित 32 देशों के साथ किए गए व्यापक करारों पर हस्ताक्षर किए हैं :—

1. आस्ट्रिया
2. बेल्जियम

3. कनाडा
4. चैकोस्लोवाकिया
5. डेनमार्क
6. फिनलैंड
7. फ्रांस
8. फैडेरल रिपब्लिक आफ जर्मनी
9. यूनान
10. हंगरी
11. इंडोनेशिया
12. इटली
13. जापान
14. केन्या
15. लीबिया
16. मलयेशिया
17. मारिशस
18. नेपाल
19. न्यूजीलैंड
20. नीदरलैंड
21. नार्वे
22. रुमानिया
23. सिंगापुर
24. दक्षिणी कोरिया
25. श्रीलंका
26. स्वीडन
27. सीरिया
28. तनजानिया
29. थाईलैंड
30. संयुक्त अरब गणराज्य
31. युनाइटेड किंगडम

32. जाम्बिया

इन सभी करारों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

इसके अलावा भारत ने निम्नलिखित 17 देशों के साथ सीमित करारों (मुख्यतः नौवहन अथवा वायुयान के संचालन से प्राप्त लाभों के बारे में) पर भी हस्ताक्षर किए हैं :—

1. अफगानिस्तान	(वायु)*
2. आस्ट्रेलिया	(वायु)
3. बल्गारिया	(नौव०)**
4. चैकोस्लोवाकिया	(नौव०)
5. इथियोपिया	(वायु)
6. ईरान	(वायु)
7. जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	(नौव०)
8. कुवैत	(वायु)
9. लेबनान	(वायु)
10. ओमान	(वायु)
11. पोलैंड	(नौव०)
12. पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिप० आफ यमन (यमन)	(वायु)
13. स्विटजरलैंड	(वायु)
14. यू०एस०एस०आर०	(नौव०)
15. संयुक्त राज्य अमेरिका	(वायु)
16. यमन अरब रिपब्लिक	(वायु)
17. युनाइटेड किंगडम	(सम्पदा शुल्क)

भारत दोहरे कराधान के परिहार के लिए करार निष्पन्न करने हेतु निम्नलिखित देशों के साथ बातचीत करता रहा है :—

1. अल्जीरिया
2. आस्ट्रेलिया
3. बांगलादेश
4. ब्राजील
5. बल्गेरिया

*नौवहन

**वायुयान-लाभ

6. फिजी

7. जर्मन डेमोकेटिक रिपब्लिक

8. कुवैत

9. नाइजीरिया

10. पोलैंड

11. फिलिपीन

12. पाकिस्तान (वायु)*

13. स्विटजरलैंड

14. सऊदी अरब (वायु)**

15. स्पेन

16. टर्की

17. संयुक्त राज्य अमेरिका

18. संयुक्त राज्य अमेरिका (वायु तथा नौवहन)

19. संयुक्त राज्य अमीरात

20. संयुक्त अरब अमीरात (वायु)

21. यू०एस०एस०आर०

22. युगोस्लाविया

उपर्युक्त देशों के साथ बातचीत अभी विभिन्न चरणों में।

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार में वृद्धि

5347. **श्रीमति जयन्ती पटनायक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापार में वृद्धि करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो आस्ट्रेलिया ने कौन-कौन से नए क्षेत्रों में व्यापार आरम्भ करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ग) आस्ट्रेलिया के इस प्रस्ताव पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) फरवरी, 1989 में हुई संयुक्त व्यापार परिषद की पिछली बैठक में भारत से औद्योगिक प्रवाह बढ़ाने तथा संवर्धनात्मक उपाय करने के लिए अनेक मदों का पता लगाया गया है जैसे कम्प्यूटर साफ्टवेयर, खनन उपकरण, फिल्म, इंजीनियरी उत्पाद, संसाधित खाद्य सहित कृषि उत्पाद।

(ग) आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री की फरवरी, 1989 में भारत की यात्रा के दौरान दोनों देशों

*वायुयान

**वायुयान तथा नौवहन

के बीच द्विपक्षी व्यापार बढ़ाने के लिए अनेक उपायों पर बात चीत हुई। तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यह प्रस्तावित भी है कि क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की जाएं तथा आस्ट्रेलिया में भारतीय इंजीनीयरी उत्पादों को प्रदर्शन किया जाए। आस्ट्रेलिया भारतीय आटोमोबाइल पार्टस के विनिर्माताओं के मिशन की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है।

बंगलौर और बम्बई के बीच द्रुतगामी गाड़ी

5348. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और बम्बई के बीच उपलब्ध रेल सेवायें इस मार्ग पर यात्रियों की यातायात मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मार्ग पर "शताब्दी एक्सप्रेस" जैसी कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में रह जाते हैं।

(ख) से (घ) परिचालनिक एवं संसाधनों की तंगी के कारण इस समय व्यावहारिक नहीं है।

बंगलौर और केंगेरी के बीच स्थानीय रेलगाड़ियां चलाना

5349. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बंगलौर और केंगेरी के बीच सायंकालीन स्थानीय रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी रेलगाड़ियां चलाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) (क) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय बेंगलूरु और कैंगेरी के बीच 10 जोड़ी दैनिक गाड़ियां उपलब्ध हैं जो वर्तमान स्तर के यातायात के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

बंगलौर और तुमकुर के बीच तीव्र गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी

5350. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और तुमकुर के बीच प्रातः और सायं यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तीव्र गति से चलने वाली एक यात्री रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान स्तर के यातायात के लिए मौजूदा सेवाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

बंगलौर में इंटरनेशनल कंटेनर डिपो

5351. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर में इंटरनेशनल कंटेनर डिपो की स्थापना के लिए एक नया स्थान चुना है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा चुने गए स्थान का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या विश्व बैंक के अधिकारियों ने हाल ही में नए स्थान का दौरा किया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि विश्व बैंक ने नए इंटरनेशनल कंटेनर डिपो के विकास में गहरी रुचि दिखाई है ; और

(ङ) उपर्युक्त परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख), जी हां । अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना करने के लिए बेंगलूरु के निकट व्हाइट फील्ड में एक स्थान चुना गया है ।

(ग) से (ङ) जी, हां । विश्व बैंक मिशन के विभिन्न अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपुओं के लिए अपेक्षित उपस्करों के आयात के लिए वित्त की व्यवस्था करने में दिलचस्पी दिखायी है । विश्व बैंक के अवलोकनार्थ विभिन्न अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं के लिए नक्शे अभिकल्प तथा उपस्करों की मांग का ब्योरा तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है ।

किसानों को ऋण देने के बारे में कर्नाटक सरकार का कार्यक्रम

5352. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक ऋण कार्यक्रम बनाया था और इस कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार के पास सहायता हेतु भेजा था, जैसाकि 8 फरवरी, 1989 के "दक्कन हेरल्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से कोई ऐसा व्यापक ऋण कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित प्रमुख सिंचाई बांध

5353. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माणाधीन प्रमुख सिंचाई बांधों का राज्यवार-ब्योरा क्या है ;

(ख) उन बांधों के नाम क्या हैं जिनका निर्माण कार्य विश्व बैंक की सहायता से हो रहा है और इन बांधों के लिए विश्व बैंक द्वारा आज तक कितनी धनराशि दी गई ; और

(ग) सरकार इन बांधों को निर्धारित समय के अन्तर्गत पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात,

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 34 बांध निर्माणाधीन हैं।

(ख) और (ग) विश्व बैंक की सहायता से निर्माण किए जा रहे बांधों के नाम ये हैं: दमनगंगा, करजन, पानाम, सूखी, वातरक, सिपु सरदार सरोवर (नर्मदा), बांगों, सोन्दूर, चन्दिल, इच्चा, कलाडा और अपर इन्द्रावती। सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक सहायता अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप से राज्यों को दी जाती है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन किया जा रहा है और राज्य सरकारों को निधियों के प्रावधान सहित समय पर किए जाने वाले विभिन्न कार्यान्वयन उपायों, के बारे में सलाह दी जाती है।

सूखे मेवों के लिए आयात लाइसेंस

5354. श्री मोहनभाई पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988-89 के दौरान सूखे मेवों के आयात के लिए कितने आयात लाइसेंस जारी किए गए और ऐसे लाइसेंस किन लोगों/पार्टियों को जारी किए गए ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन लोगों/पार्टियों को ये लाइसेंस जारी किए गए हैं 'प्रीमियम' (अधिमूल्य) लेकर अपना कोटा दूसरे लोगों को बेच देते हैं ;

(ग) क्या सूखे मेवों के मूल्यों में वृद्धि होने का यही मुख्य कारण है ; और

(घ) क्या सरकार का सूखे मेवों के आयात में काला बाजार रोकने के लिए 'ओपन जनरल लाइसेंस, योजना के अन्तर्गत सूखे मेवों के आयात की अनुमति देने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) आयात लाइसेंस के विवरण "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसेज एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एण्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज" में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) चालू आयात नीति और कार्य प्रणालियों के अन्तर्गत, लाइसेंस धारक लाइसेंस द्वारा अनुमति प्राप्त आयातों की व्यवस्था के लिए किसी व्यक्ति को अपना एजेंट नियुक्त कर सकता है। प्रकार के प्राधिकार-पत्र धारक के कार्य आर्डर देने/ऋण पत्र खोलने, मदों के आयात के लिए किए जाने वाले भुगतान की वापसी और लाइसेंस धारक की तरफ से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 147 के संबंध में उन्हें सीमाशुल्क विभाग से क्लियर करवाने तक सीमित है। ऐसी व्यवस्थाओं से लाइसेंस धारक को जिम्मेदारियों से कोई मुक्ति नहीं मिलती है। मेलों के आयात लाइसेंसों की बिक्री की अनुमति नहीं है और इस संबंध में किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ग) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुक्त व्यापार जोनों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री करने संबंधी सिफारिशें

5355. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री निर्यातोन्मुखी एककों और मुक्त व्यापार जोनों संबंधी रिपोर्ट के बारे में 10 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2122 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अनुसंधान और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध परिषद द्वारा यह सिफारिश करने के क्या कारण कारण हैं कि निर्यात प्रोसेसिंग जोन का उत्पादन घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ; और

(ख) सरकार द्वारा इस सिफारिश को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) परिषद ने अपनी एक रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया है कि जोन के निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा खतरे तथा उतार-चढ़ाव पहले ही मालूम हैं। और यदि घरेलू बाजारों तक पहुंच निवेशक की प्राथमिक प्रेरणा है तो पहुंचने के कई अन्य मार्ग भी हैं। उद्योग के अभिवेदनों के कारण एककों की कार्यपालन क्षमता को उन्नत बनाने और उनकी निर्यात क्षमता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से 100% निर्यातोन्मुख एककों और निर्यात संसाधन क्षेत्रों की योजना में परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानी से विचार किया है। सरकार के पूर्व अनुमोदन से मामला दर मामला आधार पर और देशी निवेश और कुल बिक्रियों के अनुपात के अनुसार कुछ विशेष संवेदनशील मदों को छोड़कर अन्य मदों के 25% तक उत्पादन को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचने की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसी बिक्रियों पर प्रचलित दरों पर सीमा शुल्क लगेगा।

केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को ऋण

5356. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कुल कितनी धनराशि के ऋण लिए गए हैं ;

(ख) इन ऋणों में से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखती है ताकि उक्त प्रयोजन के लिए आबंटित धनराशि इसी कार्य पर ही व्यय की जाए ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गड़वी) : (क) वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों की कुल राशि क्रमशः 167.00 करोड़ रुपए (वास्तविक), 252.00 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) तथा 203.00 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन गारंटी रोजगार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता की सम्पूर्ण राशि (100% सहायता अनुदान के

रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए इन कार्यक्रमों के लिए ऋण आवंटित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना मूलतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय सरकार इस कार्यक्रम पर मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक रिपोर्टों के जरिए निगरानी रखती है जिनमें वास्तविक तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन, सृजित परिसम्पत्तियों और सेक्टरों में हुए व्यय के बारे में सूचना दी जाती है। ऐसी एक प्रणाली भी प्रारम्भ की गई है जिसके अंतर्गत क्षेत्र में कार्यों के कार्यान्वयन पर अलग-अलग राज्यों के लिए इलाका अधिकारियों द्वारा नजर रखी जाती है।

विदेशी मुद्रा का भारतीय मुद्रा से अनुपात

5357. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 में विदेशी मुद्रा का भारतीय मुद्रा से ऋण, सहायता और निवेश के मामले में अनुपात क्या था ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : जनता के पास उपलब्ध कुल मुद्रा भंडार की तुलना में देश के बकाया विदेशी ऋण की राशि का अनुपात वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के अन्त में क्रमशः 22.7 प्रतिशत, 27.5 प्रतिशत और 29.9 प्रतिशत था। इसी प्रकार जनता के पास उपलब्ध मुद्रा भण्डार की तुलना में विदेशी सहायता का अनुपात इन वर्षों में क्रमशः 1.7 प्रतिशत, 2.0 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत बैठता है।

मार्च, 1980 के अन्त में, नवीनतम वर्ष जिसके संबंध में विदेशी निवेश के बकाया स्तर के आंकड़े उपलब्ध हैं, भारत में कुल विदेशी निवेश 2219 करोड़ रुपए का था। तथापि, नवीनतम उपलब्ध आंकड़े, अनिवासी भारतीयों को विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत भारतीय कम्पनियों में निवेश के संबंध में जारी में किए गए अनुमोदनों से ही संबंधित हैं। अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए ऐसे निवेशों के अनुमोदनों का मूल्य जनता के पास उपलब्ध मुद्रा भण्डार का वर्ष 1985-86 में 0.2 प्रतिशत, 1986-87 में 0.3 प्रतिशत और 1987-88 में 0.1 प्रतिशत था।

गुवाहटी और डिब्रूगढ़ के बीच रेल सेवा

5358 **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी रेल लाइन को गुवाहटी से डिबरुगढ़ तक बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी तथा भारी वचनबद्धताओं के कारण।

बैंकों में खजांचियों के लिए बीमा योजना

5359. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक में नकदी के लेन-देन के कार्य के दौरान नकदी में कमी हो जाने के वास्तविक मामले की स्थिति में खजांचियों के लिए कोई बीमा योजना प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

आन्ध्र प्रदेश में साधारण बीमा निगम द्वारा धनराशि एकत्र करना

5360. **श्री सी० सम्बु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान साधारण बीमा निगम द्वारा तथा इसी सहायक कंपनियों द्वारा आन्ध्र प्रदेश से कितनी धनराशि एकत्रित की गई है ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य में उक्त निगम/कंपनियों द्वारा पालिसीधारकों के कितने दावों का निपटान किया गया ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में साधारण बीमा उद्योग द्वारा एकत्रित की गई प्रीमियम की कुल राशि तथा निपटाए गए कुल दावों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	एकत्रित किया गया प्रीमियम	निपटाए गए दावों की संख्या
1987	76.67 करोड़ रुपए	79,393
1988	91.31 करोड़ रुपए	92,415

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

5361. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तें किन-किन तारीखों में देय हुई; और इन तारीखों में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या था ;

(ख) किन-किन तारीखों में तत्संबंधी मंजूरी जारी की गई ; और

(ग) वर्ष 1988-89 के लिए कितने अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की अदायगी की गई अथवा देय है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की दो किस्तें 1-7 1988 और 1-1-1989 को देय हुई थीं । इन तारीखों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्रमशः 782 तथा 818 था ।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-7-1988 से मंहगाई भत्ते की संशोधित दरों की स्वीकृति 11-10-1988 को जारी की गई थी । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-1-1989 से देय मंहगाई भत्ते की संशोधित दरों की स्वीकृति अभी जारी नहीं की गई है ।

(ग) 1988-89 के दौरान लगभग 590 करोड़ रुपए के कुल अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की अदायगी की गई है ।

भारत में ए० टी० ए० कारनेट नैटवर्क

5362. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्तुओं को अस्थायी रूप से शामिल करने के लिए "ए० टी० ए० कारनेट" पर सीमाशुल्क कन्वेंशन (ए० टी० ए० कन्वेंशन) पर सहमति व्यक्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) "ए० टी० ए० कन्वेंशन" में शामिल होने का क्या लाभ है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) सरकार ने, वस्तुओं को अस्थायी रूप से शामिल करने के लिए "ए० टी० ए०" कारनेट पर सीमाशुल्क सहयोग परिषद् के सीमाशुल्क अभिसमय (ए० टी० ए० अभिसमय) पर सहमत होने का निर्णय लिया है । इस अभिसमय में, कारनेट की व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आयातित माल की सीमाशुल्क निकासी हेतु सरलीकृत पद्धति की व्यवस्था है जिसे राष्ट्रीय सीमाशुल्क दस्तावेजों के बदले में तथा समय-सीमा के भीतर माल का पुनः निर्यात न कर पा सकने की स्थिति में सीमाशुल्क और अन्य देय शुल्कों के लिए उपयुक्त प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया जाता है । ए० टी० ए० अभिसमय में दी गई सुविधा को भारतवर्ष में भी ऐसे माल के सम्बन्ध में लागू किया जाएगा जिसका आयात अस्थायी रूप से प्रदर्शनियों, मेलों में अथवा ऐसे ही अवसरों पर प्रदर्शित करने अथवा उनका प्रयोग करने के लिए किया गया हो ।

(ग) ए० टी० ए० कारनेट के तहत आयात किए गए माल की सीमाशुल्क द्वारा निकासी तुरन्त की जाती है ताकि बाहर के दूसरे सहभागी देश मेलों, प्रदर्शनियों आदि में अल्प सूचना पर भाग ले सकें । इससे आयातक को सीमाशुल्क के लिए अलग से गारण्टी बायर नहीं करनी पड़ती है जिसकी बाहर के दूसरे सहभागी देशों के लिए आयात देश में व्यवस्था करना कठिन होगा । यही सुविधा ए० टी० ए० कारनेट की व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य देशों को माल भेजने वाले भारतीय निर्यातकों को भी उपलब्ध होगी जो ए०टी०ए० अभिसमय में संविदाकारी पक्ष भी हैं । इससे विदेशों में होने वाली प्रदर्शनियों, मेलों आदि में हमारे भाग लेने में सुविधा होने की आशा है और इस प्रकार इससे हमारे निर्यातों को भी सहायता मिलेगी ।

तमिलनाडु द्वारा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करने का अनुरोध

5363. **श्री के० राममूर्ति** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 1987 में यह अनुरोध किया था कि तमिलनाडु में जल की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की 28 नदी-घाटियों के बारे में अध्ययन किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन नदी-घाटियों के सम्बन्ध में अध्ययन पूरा हो चुका है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) शेष नदी-घाटियों का अध्ययन कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक में पश्चिम में बहने वाली नदियों के 28 बेसिन/उपबेसिनों के जल संतुलन अध्ययन शामिल हैं। जल संसाधन मन्त्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण चार बेसिनों/उपबेसिनों के ये अध्ययन पहले ही पूरे कर चुका है और शेष बेसिनों/उपबेसिनों के अध्ययन आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरे करने का कार्यक्रम है।

कावेरी डेल्टा के लिए विश्व बैंक से सहायता

5364. **श्री के० राममूर्ति** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार के, कावेरी नदी में उपलब्ध जल के समुचित प्रयोग हेतु विश्व बैंक की सहायता से कावेरी डेल्टा के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) सरकार के पास वर्ष 1973 से लम्बित पड़े इस प्रस्ताव को मंजूरी देने में हुई देरी के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) कावेरी डेल्टा आधुनिकीकरण परियोजना को कावेरी जल के बंटवारे के लिए तटवर्ती राज्यों के बीच समझौते के अभाव में सहायता हेतु बैंक को प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में चलाए गए मुकदमें

5365. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमें चलाए जा रहे हैं, यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और श्रेणी-वार कितने मुकदमें दर्ज कराए गए हैं; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान बैंक-वार और वर्ष-वार कितना, धन व्यय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) बैंकों से प्राप्त सूचना से यह पता चलता है कि आमतौर पर बैंक, उन परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें बैंक के हितों की सुरक्षा करना आवश्यक हो, स्वयं अपनी मर्जी से अपने कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमें आरंभ नहीं करते हैं। अलबत्ता, बैंकों को उन कर्मचारियों द्वारा मुकदमेंबाजी में शामिल किया जाता है जो बैंकों को, मुकदकेबाजी में एक पार्टी के रूप में अभियोजित करके न्यायलयों में जाते हैं और ऐसे मामलों मे बैंक, अपने हितों की प्रतिरक्षा/सुरक्षा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 15 राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में, बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों/कर्मचारी यूनियन के विरुद्ध 23 मामले दर्ज करवाये गये और उन पर 2,11,427 रुपये का खर्च हुआ।

बैंकों के उच्चाधिकारियों की यात्राओं पर होने वाला व्यय

5366. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जनरल मैनेजर तक के स्तर वाले उच्चाधिकारियों की यात्राओं पर व्यय हुई कुल धनराशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान जनरल मैनेजर तक के स्तर वाले उच्चाधिकारियों द्वारा की जाने वाली यात्राओं को रद्द किए जाने पर व्यय हुई कुल राशि तथा यात्राएं रद्द किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सार्वजनिक धन के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

*5367. **श्री हरीश रावत :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या और कार्य-भार का का पता लगाने के लिए एक विशेष समिति गठित करने का विचार है ;

(ख) यदि नहीं, तो विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्यभार को कम करने के लिए इस समय क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार जसवन्त सिंह आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने और राज्यों में विभिन्न स्थानों पर उच्च न्यायालय की पीठें स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और इस मामले में विलंब किए जाने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन करने और उनके लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए सरकार ने जनवरी, 1989 में उच्च न्यायालयों के तीन न्यायमूर्तियों की एक समिति का गठन किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जसवन्त सिंह आयोग की सिफारिशों पर संबद्ध राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने निश्चित विचार नहीं भेजे हैं ।

उत्तर प्रदेश में चाय बागानों के लिए योजना

5368. **श्री हरीश रावत :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में नए चाय बागान लगाने की कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितने क्षेत्र में ऐसे चाय बागान लगाये गए हैं ;

(ग) क्या सरकार इन क्षेत्रों में चाय बागान लगाने में वित्तीय और तकनीकी सहायता दे रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त सहायता और दिशा-निर्देश देने के लिए वहां चाय बोर्ड का एक कार्यालय स्थापित करने का है ; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) उत्तर प्रदेश में नए चाय एकक स्थापित करने के लिए चाय बोर्ड से अब तक कोई सुकर स्कीम प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) चाय बोर्ड चाय नर्सरी की स्थापना करके तथा उन्नत किस्म की रोपण सामग्रियों की आपूर्ति करके सहायता प्रदान कर रहा है । इसके अलावा सलाहकार सेवाएं तथा राज्य सरकार के नामितों को तकनीकी प्रशिक्षण भी बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है ।

(ङ) और (च) अप्रैल, 1988 से लखनऊ में चाय बोर्ड के एक कार्यालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है ।

चाय अनुसंधान संस्थान

5369. **श्री हरीश रावत** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के उत्पादन में अनुसंधान और विकास में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय अनुसंधान संस्थान पालमपुर में खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह शाखा अल्मोड़ा में खोलने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) पालमपुर में चाय अनुसंधान संस्थान के नाम से ऐसा कोई संस्थान नहीं है लेकिन वहां पर सी० एस० आई० आर० कम्पलैक्स है जो चाय पर कुछ अनुसंधान भी करता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बाढ़ के कारण हानि

[अनुवाद]

5370. **श्री एच० वी० पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे को बाढ़ के कारण हुई हानि के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस हानि का वर्ष-वार तथा जोन-वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वर्ष 1989 में मसालों का आयात

5371. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1989 में मसाले आयात करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मसालों का और कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब की सिंचाई क्षमता

5372. **श्री कमल चौधरी** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार पंजाब में कुल कितनी सिंचित भूमि थी ;

(ख) आज की तारीख तक पंजाब में कितना भू-क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है ;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में और अधिक सिंचाई परियोजनाएं प्रतिष्ठापित करने के प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उन पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) पंजाब सरकार के अनुसार, 30.50 लाख हैक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र नहर सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है। पंजाब में 1987 की खरीफ और 1987-88 की रबी में की गई वास्तविक सिंचाई 28.44 लाख हैक्टेयर है ।

(ग) और (घ) पूरी की गई अथवा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं/योजनाओं के अतिरिक्त, पंजाब सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को 147.50 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की 5 परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। जबकि एक परियोजना परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई है, तीन परियोजनाओं पर केन्द्रीय जल आयोग ने कुछ टिप्पणियां की हैं, जिनकी राज्य सरकार द्वारा अनुपालना की जानी है और एक परियोजना, अन्तर्राज्यीय परियोजना होने के कारण, के लिए पंजाब सरकार को राजस्थान सरकार से सहमति प्राप्त करनी है ।

कानपुर रेलवे स्टेशन पर टिकटों की बुकिंग में कथित भ्रष्टाचार

[हिन्दी]

5373. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लखनऊ से प्रकाशित 18 जनवरी, 1989 के हिन्दी दैनिक "नवजीवन" में कानपुर रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को ऊंचे दर पर टिकट बेचने वालों का धंधा जोरों पर शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है और यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां। कुछ दलाल लाइसेंसधारी भारिकों की मिलीभगत से जरूरतमंद यात्रियों से अधिक पैसे वसूल करके आरक्षित टिकटों की अनधिकृत रूप से बिक्री में संलिप्त हैं। टिकट जांच, धोखाधड़ी निरोधी तथा सतर्कता दस्तों द्वारा दलालों तथा इन गतिविधियों में संलिप्त अन्य समाज विरोधी तत्वों को पकड़ने के लिए आकस्मिक जांचों में तेजी लाई जा रही है।

रेल लाइन को मोलारपुर पंचमी तक बढ़ाना

[अनुवाद]

5374. श्री गदाधर साहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी सैक्सन में मोलारपुर रेलवे स्टेशन से पश्चिम बंगाल स्थित वीरभूम जिले में पंचमी तक रेल लाइन को बढ़ाने का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा से लूप लाइन के रास्ते अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाना

5375. श्री गदाधर साहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों और यात्री एसोसिएशनों द्वारा काफी अर्से से दोपहर के समय हावड़ा से लूप लाइन के रास्ते अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने की मांग की जाती है क्योंकि हावड़ा से गाड़ी संख्या 327 और 335 के छूटने से पहले और उसके बाद इस लाइन पर कोई भी रेलगाड़ी नहीं चलती है ; और

(ख) यदि हां, तो गाड़ियों के चलने के बीच के समय का अन्तर कम करने और यात्रियों को और अधिक यात्रा सुविधायें देने के लिए नई रेलगाड़ियां आरम्भ करने के बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) परिचालनिक और ससाधनों की तंगी के कारण व्यवहार्य नहीं है।

पुरुलिया-कोटशिला रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

5376. श्री वसुदेव आचार्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बोकारो सिटी को पुरुलिया कोटशिला रेल मार्ग से जोड़ने के लिए इस रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) पुरुलिया-कोटशिला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण किया गया था और रिपोर्ट योजना आयोग को भेज दी गयी थी आयोग ने इस परियोजना को स्वीकृत नहीं किया था चूंकि यह योजना अलाभप्रद आंकी गयी थी।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़

5377. डा० बी० एल० शैलेश :

श्री कमला प्रसाद सिंह :

डा० कृपासिंधु भोई :

श्री सोडे रमैया :

श्री बी० तुलसी राम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 19 मार्च, 1989 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली नार्थ इस्ट एक्सप्रेस के लिए प्लेटफार्म बदल दिए जाने के कारण हुई भगदड़ के परिणामस्वरूप कुछ यात्रियों की मौत और कुछ यात्रियों के घायल हो जाने के बारे में कोई उच्च स्तरीय जांच गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका परिणाम क्या निकला ;

(ग) इस भगदड़ मे कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए तथा इस दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) भविष्य में न केवल राजधानी में बल्कि देश के सभी स्टेशनों पर जहां यात्रियों की भीड़-भाड़ बहुत अधिक है, इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हां। रेलवे ने 3 कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जांच कराने के आदेश दिए हैं।

(ख) जांच प्रगति पर है।

(ग) 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति घायल हुए प्रत्येक घायल व्यक्ति को 1,000 रुपए और मृत व्यक्ति के परिवार को 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है। जांच समिति के निष्कर्षों की जांच के बाद कानून के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान का निर्णय किया जाएगा।

(घ) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

पत्नी की मृत्यु पर अनुकम्पा आधार पर पति को नियुक्त करना

5378. डा० पी० वल्लल पेरुमन :

श्री सीताराम जे० गावली :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि बैंक सेवा के दौरान पत्नी की मृत्यु होने पर उस पर आश्रित पति को नियुक्त अनुकम्पा आधार पर किया जाए, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने जोन-वार संवर्गवार, श्रेणीवार और वर्षवार ऐसी कितनी नियुक्तियां की हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार के मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत किसी मृत महिला बैंक कर्मचारी के पति की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के बारे में तभी विचार किया जा सकता है यदि वह अपनी पत्नी पर पूर्णतया आश्रित है तथा दुर्घटना का बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो ।

(ख) सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने गत 3 वर्षों में अब तक ऐसी किसी नियुक्ति की सूचना नहीं दी है ।

सामान्य सिविल संहिता

5379. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न समुदायों के लोगों से देश में एक ही सामान्य सिविल संहिता तैयार करने और कार्यान्वित करने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है और योजना तैयार कर ली गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार को, देश में एक सिविल सहिता लागू किए जाने के पक्ष और विपक्ष में, व्यक्तियों और संगठनों की ओर से समय-समय पर सुझाव प्राप्त हो रहे हैं । इस विषय में प्राप्त सुझावों के ब्यौरे देना संभव नहीं है । समान सिविल संहिता लागू करने के लिए अल्पसंख्यकों को स्वीय विधियों में परिवर्तन करने पड़ेंगे । इस बारे में सरकार की नीति निरन्तर यह रही है कि अल्पसंख्यकों की स्वीय विधियों में कोई परिवर्तन तब तक प्रभावी न किए जाएं जब तक कि कोई समुदाय स्वयं इसके लिए सार्थक पहल न करे ।

(ग) जी नहीं ।

तम्बाकू निर्यातकर्त्ताओं की समस्याएं

5380. **श्री दौलात सिंह जी जडेजा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को तम्बाकू के निर्यातकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने नियत के लिए गोदामों में अपना तम्बाकू रखने सहित अपनी अनेक समस्याओं का उल्लेख किया है ;

(ख) क्या विद्यमान बीमा सम्बन्धी मार्ग-निर्देश तम्बाकू निर्यात के लिए सहायक नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) भारतीय तम्बाकू एसोसिएशन गुन्टूर ने भारतीय सामान्य बीमा निगम, बम्बई से कुछ संशोधनों के लिए और तम्बाकू जोखिमों के संबंध में अग्नि बीमा के दायित्व लेने हेतु विशेष समाश्वासनों के लिए अनुरोध किया है। भारतीय सामान्य बीमा निगम से अनुरोध किया गया है कि वह वाणिज्यिक लाभ-हानि और निर्यात हितों को ध्यान में रखते हुए उस सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई करे।

दिल्ली और बम्बई को रेल लाइन से जोड़ना

5381. श्री पी० एम० सईद : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और बम्बई को नए रेल रास्ते से जोड़ने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय आरक्षित रखना

5382. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने निर्णय आरक्षित रखे गए और कब-कब ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त निर्णय कब तक दे दिए जाएंगे ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने सूचित किया है कि ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय बाद में दिए जाने हैं, तारीख 31-3-1989 को 953 है।

पुणे और नागपुर में बम्बई उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करना

5383. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुणे और नागपुर में बम्बई उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) मुम्बई उच्च

न्यायालय की एक न्यायपीठ पहले से ही नागपुर में कार्यरत है। पुणे में एक न्यायपीठ स्थापित किए जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) राज्य सरकार ने औरंगाबाद में न्यायपीठ स्थापित करने के पश्चात् इस विषय में अपना कोई विचार व्यक्त नहीं किया है।

कानूनी सहायता सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु सिक्किम को सहायता

5384. **श्री डी० के० भंडारी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानूनी सहायता योजना कार्यान्वयन समिति जन-साधारण का कानूनी ज्ञान बढ़ाने, लोक अदालतों का आयोजन करने, परा-लीगल कार्मिकों को प्रशिक्षण देने, तथा विश्वविद्यालयों तथा विधि कालेजों में कानूनी सहायता केन्द्रों की स्थापना करने हेतु आर्थिक सहायता देती है ;

(ख) यदि हां, तो सिक्किम को वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी सहायता दी जायेगी ;

(ग) क्या समिति का वर्ष 1990-91 में सिक्किम को इस प्रयोजनार्थ दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां। यद्यपि विधिक सहायता कार्यक्रम एक राज्योन्मुखी स्कीम है जिसका वित्तपोषण मुख्यतया राज्य द्वारा किया जाना आशयित है, तथापि जब कभी राज्य विधिक और सलाह बोर्डों द्वारा विधिक सहायता कार्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की मांग की जाती है, यह समिति, उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता करती है।

(ख) अभी तक ऐसी कोई मांग नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सिक्किम में छोटे सिंचाई निर्माण कार्यों की गणना

5385. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सिंचित क्षेत्र सहित छोटे सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की गणना की है ;

(ख) यदि हां, तो सिक्किम में की गई गणना का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस गणना के दौरान छोटे सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए कुछ और क्षेत्रोंका पता लगाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार सिक्किम की कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) सिक्किम के संबंध में परिणामों को संकलित किया जा रहा है।

(ग) लघु सिंचाई कार्यों के और अधिक क्षेत्रों का पता लगाना गणना के अन्तर्गत शामिल नहीं है।

(घ) और (ङ) 25000 रुपए के अनुमोदित केन्द्रीय अनुदान में से 12500 रुपए राज्यों को निर्मुक्त किए गए हैं।

सिक्किम में जीवन बीमा निगम का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना

5386. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का पूर्वी क्षेत्र में अपना क्षेत्रीय कार्यालय है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उस स्थान पर कार्यालय होने के कारण [सिक्किम] में स्थित जीवन बीमा निगम के कार्यालयों को संचार की व्यवस्था न होने और दूरी के कारण महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ;

(घ) क्या सरकार का सिक्किम में जीवन बीमा निगम का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का विचार है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। जीवन बीमा निगम के पूर्वी क्षेत्र में 13 प्रभागीय कार्यालय हैं जो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हैं। इन प्रभागीय कार्यालयों के मुख्यालय कलकत्ता (3 प्रभागीय कार्यालय), गुवाहाटी, कटक, जलपाईगुड़ी, जमशेदपुर, जोरहाट, मुजफ्फरपुर, पटना, संबलपुर, सिल्चर, तथा आसनसोल में स्थित हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) सिक्किम राज्य में गंगटोक में जीवन बीमा निगम की केवल एक ही शाखा है, जिसके अन्तर्गत 3.6 लाख लोग आते हैं तथा जो पालिसीधारकों को सभी सेवाएं प्रदान करती है और जिनका नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण जलपाईगुड़ी प्रभागीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। गंगटोक शाखा द्वारा वर्ष 1987-88 में जारी की गई पालिसियों की कुल संख्या 1087 थी तथा इस शाखा ने 5.35 करोड़ रुपए का नया कारोबार किया। गंगटोक शाखा के अन्तर्गत आने वाली आबादी और जारी की गई नई पालिसियों की संख्या तथा किए गए नए कारोबार

को देखते हुए सिक्किम में नया प्रभागीय कार्यालय खोलने का आर्थिक दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है।

नकदी रिजर्व अनुपात (कैश रिजर्व रेशियो)

5387. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों ने हाल ही में अपने नकदी रिजर्व अनुपात (कैश रिजर्व रेशियो) में अनियमितता बरती है ;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने इन पर क्या जुर्माना लगाया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सांविधिक नकदी अनुपात और नकदी प्रारक्षित अनुपात को नहीं बनाए रख सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि किसी ऐसे बैंक विशेष के कार्यचालन के बारे में ब्यौरा देना वांछनीय नहीं होगा जो सांविधिक नकदी अनुपात या नकदी प्रारक्षित अनुपात में बनाए रखने में असफल रहा हो।

केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय

5388. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने विकेन्द्रीकरण करके देश भर में नदियों के बेसिनों के आधार पर अपने आपको सात क्षेत्रीय कार्यालयों में विभाजित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इनमें से एक क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग का विकेन्द्रीकरण करने तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

गंगा (हुगली) में गाद जम जाने के कारण कलकत्ता पत्तन को खतरा

5389. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा (हुगली) में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में इसके प्रवेश के बाद, गाद जम जाने के कारण गम्भीर समस्या पैदा हो गई है ;

(ख) क्या इससे कलकत्ता पत्तन को भी गम्भीर खतरा पैदा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) फरक्का पोषक

पोषक नहर के माध्यम से भागीरथी-हुगली नदी के जल प्रवाहों में वृद्धि करने से हुगली की नौवहन-क्षमता में सुधार करने तथा कलकत्ता पत्तन को सुरक्षित करने में मदद मिली है।

आन्ध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर सफाई तथा पेयजल की व्यवस्था

5390. **श्री सोडे रमैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वेक्षणों से यह पता लगा है कि आन्ध्र प्रदेश में अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर दूषित जल उपलब्ध कराया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों के लिए कपड़े की खरीद

5391. **श्री वी० श्रीनिवास [illegible]** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे/जोनल रेलवे अपने कर्मचारियों की वर्दी हेतु अत्यधिक मात्रा में गर्म कपड़ा खरीदती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जोनल रेलवे में प्रति वर्ष इसकी कुल कितनी आवश्यकता है ;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के एककों और अन्य गैर-सरकारी एजेन्सियों से कितना-कितना कपड़ा खरीदा गया है ; और

(घ) ऐसी खरीददारी के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और क्या इसे रेलवे में कार्यान्वित किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां। परन्तु थोक खरीद आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से की जाती है।

(ख) कोई वार्षिक मांग नहीं हैं तथा ये मांगें वर्षानुवर्ष भिन्न-भिन्न होती हैं क्योंकि हर वर्ष सभी कर्मचारी ऊनी वर्दी के पात्र नहीं होते।

(ग) लगभग 2.51 लाख मीटर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से तथा 2.39 लाख मीटर प्राइवेट एजेंसियों से।

(घ) सरकारी नीति के अनुसार सभी किस्म के ऊनी वस्त्र सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से ही खरीदने अपेक्षित हैं तथा अन्य स्रोतों से केवल तभी सम्पर्क किया जाता है जब ये इकाइयां मांग को पूरा करने में असमर्थ रहती हैं। ऊनी वस्त्रों की रेलवे की थोक खरीद आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा की जाती है तथा ऐसी सामग्री की मात्र थोड़ी-सी मात्रा आकस्मिक मांग की पूर्ति हेतु रेलें सीधे खरीदती हैं और उस मामले में भी सरकारी नीति का अनुसरण किया जाता है।

आयकर न देने वाले व्यक्ति

5392. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1988 तक ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी ओर एक लाख रुपए से अधिक की आयकर की राशि बकाया है ;

(ख) इन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) दिसम्बर, 1988 तक उनसे कितनी धनराशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) समूचे देश के ऐसे कर-निर्धारितियों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है, जिनके नाम मार्च, 1989 तक एक लाख रुपए अथवा उससे अधिक राशि की आयकर की मांग बकाया थी। लेकिन दिनांक 31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार ऐसे-कर-निर्धारितियों की संख्या 3712 है, जिनकी तरफ दस लाख रुपये से अधिक की राशि का आयकर बकाया है।

(ख) चूक-कर्त्ताओं से आयकर की वसूली करने के लिए किए गए उपायों में ये उपाय भी शामिल हैं—दण्ड लगाना, तीसरी पार्टियों को धारा 226(3) के अधीन गार्निशी आदेश जारी करना ताकि वे चूक-कर्त्ताओं को उनकी तरफ से देय राशि को चुकता करें, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना ताकि कर वसूली अधिकारी परिसम्पत्तियों की कुर्की/बिक्री करके रकम की वसूली कर सकें। चूंकि बकाया मांग का अधिकांश भाग अपीलों/परिशोधन/माफी की याचिकाओं में फंसा हुआ है, इसलिए अपीलीय प्राधिकारियों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अधिकांश मांग वाली अपीलों का शीघ्रातिशीघ्र निपटान करें तथा परिशोधन/माफी वाली याचिकाओं का शीघ्रातिशीघ्र निपटान करने के लिए भी उपाय किए जाते हैं। यथोचित मामलों में, कर-निर्धारितियों को करों की अदायगी किस्तों में करने के लिए प्रशासनिक कार्य योजना में लक्ष्य निर्धारित किए गए है तथा आयकर आयुक्त तथा उनसे ऊंचे ओहदे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित 3712 मामलों में 2502.41 करोड़ रु० की राशि अन्तर्ग्रस्त थी। इस राशि में से 1766.97 करोड़ रुपए की राशि अपीलों में विवादाग्रस्त है अथवा न्यायालय और अन्य प्राधिकारियों ने इस राशि की वसूली पर रोक लगा रखी है। दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 तक 678.39 करोड़ रु० की राशि की वसूली की गई थी/कमी की गई थी।

रेलवे स्टेशनों पर ठेके आवंटित करने के लिए सहकारी समितियां

5393. श्री पी० सेलवेन्द्रन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर खोमचे वालों को खान-पान के अनुबंध आवंटित किए जाने के लिए एक सहकारी समिति से वास्तविक कामगारों की न्यूनतम संख्या 75 निर्धारित करने में कौन से घटकों पर विचार किया गया ; और

(ख) सहकारी समितियों को "बुक-स्टाल" आवंटित करने में इस नीति को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) भारत सरकार के तत्कालीन समुदाय विकास एवं सहकारिता मंत्रालय (अब कृषि मंत्रालय) द्वारा गठित सहकारिता अध्ययन दल ने सिफारिश की थी कि किसी बेंडर सहकारी समिति में कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। बहरहाल, रेल

मंत्रालय ने महसूस करके यह विनिश्चय किया था कि रेलों पर वेंडर एवं खानपान सहकारी समितियों के गठन के लिए कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए क्योंकि इससे प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा ।

(ख) बुक स्टालों की सहकारी समितियों के सम्बन्ध में अध्ययन दल ने कोई सिफारिश नहीं की थी ।

जापान से सहायता के बारे में समझौता

[हिन्दी]

5394. **श्री सरफराज अहमद :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देने पर सहमति व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या जापान की "बुलेट" रेलगाड़ियों की तरह कुछ तीव्र गति की रेलगाड़ियां चलाने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भारत में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली वैसी कुछ रेलगाड़ियां चलाने के लिए जापान से समझौता करने का है जैसीकि आस्ट्रेलिया और जापान के साथ समझौते के अन्तर्गत सिडनी और पर्थ के बीच चलायी जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख), जी नहीं । तथापि जापान इन्टरनेशनल को-आपरेशन एजेन्सी अपनी लागत पर कुछ अध्ययन कर रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

समस्तीपुर डिवीजन में रेलगाड़ी सेवाएं

5395. **श्री राम भगत पासवान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर डिवीजन में रेलगाड़ियों के अनियमित समय से चलने के कारण यात्रियों को असुविधा हो रही है ;

(ख) क्या दिन के समय एक विशेष दिशा की ओर दो रेलगाड़ियों के चलने के समय में बहुत अधिक अन्तर होने और रेलगाड़ी उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को बस से यात्रा करनी पड़ती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बड़ी लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों का समय छोटी लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों के यात्रियों की सुविधानुसार निर्धारित नहीं किया गया है और रेलगाड़ियों के आने के समय के बीच बहुत कम अन्तर है जिसके परिणामस्वरूप यात्री दूसरी रेलगाड़ी को नहीं पकड़ पाते ; और

(घ) यदि हां, तो इस डिवीजन पर जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप रेलगाड़ियों की आवा-जाही के समय को तर्कसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ख) यातायात की मात्रा के अनुरूप विभिन्न खंडों पर गाड़ियों की संख्या पर्याप्त है और स्थानीय तथा भू यातायात को ध्यान में रखते हुए उनकी समय सारणी निर्धारित की गयी है।

(ग) सामान्यतः आरम्भिक और गन्तव्य स्टेशनों की सुविधा, अनुरक्षण/टर्मिनल सुविधा तथा अन्य परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर गाड़ियों के समय निर्धारित किए जाते हैं। व्यवहार्य सीमा तक महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मीटर लाइन की गाड़ियों के मेल की व्यवस्था की जाती है। इस मंडल में छोटी लाइन की कोई गाड़ी नहीं है।

(घ) समय-अनुसूचियों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सभी सुझावों पर यथोचित विचार किया जाता है।

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य योजना

[अनुवाद]

5396. डा० कृपासिंधु भोई :

श्रीमती डी० के० भंडारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक नई व्यापक स्वास्थ्य योजना आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) नई योजना किस तारीख से लागू किये जाने का विचार है ;

(घ) क्या उक्त योजना सेवारत रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू होगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना नाम से एक नयी योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(ख) इस योजना का विकल्प देने वाले को रेलवे अस्पताल तथा रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों में अपनी, अपनी पत्नी तथा विधवा मां की निशुल्क चिकित्सा की तथा आश्रित बच्चों और आश्रित माता-पिता की रियायती दर से चिकित्सा की सुविधा होगी जिसके लिए उन्हें सेवानिवृति के समय लिए गये एक महीने के मूल वेतन के बराबर एक-बारगी भुगतान करना होगा। इस योजना में नामित चिकित्सा अधिकारी द्वारा सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा कालेजों को भेजे गये मामलों में उपचार पर आये खर्च के अंश की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है।

(ग) नयी योजना 28-9-88 को लागू हुई थी।

(घ) जी हां, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद। यह योजना 1-1-89 से पूर्व सेवारत रेल कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक है तथा इस तारीख को या इसके पश्चात् सेवा में आए व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है। विकल्प देने की अन्तिम तारीख 30-6-89 है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

अहमदाबाद और हावड़ा के बीच सुपर फास्ट गाड़ी तथा अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी में सफाई व्यवस्था

5397. श्री सोमजी भाई डामर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और हावड़ा के बीच एक सुपर फास्ट गाड़ी चलाने की कोई मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या वर्तमान अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी में भोजन यान सेवा सहित अन्य सेवाओं में सुधार करने एवं इसे 25 डाउन/26 अप बम्बई दिल्ली डीलक्स गाड़ी के समकक्ष लाने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) परिचालनिक दृष्टि से और संसाधन की तंगी के कारण ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है।

(ग) से (ङ) पैंट्री कारों की कमी के कारण अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी में पैंट्री कार की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । सेवा में सुधार लाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

समस्तीपुर डिवीजन में रेलगाड़ियों से प्रथम श्रेणी की बोगियों का हटाया जाना

[हिन्दी]

5398. श्री राम भगत पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर मण्डल में 95 प्रतिशत रेलगाड़ियों से प्रथम श्रेणी की बोगियां हटा ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार जनहित इन बोगियों को गाड़ियों में फिर से जोड़ने का है, यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस मंडल में लगभग सभी रेलगाड़ियां विलम्ब से चलती हैं, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं । हाल में पहले दर्जे का कोई भी सवारी डिब्बा वापिस नहीं लिया गया है ।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) जी, नहीं ।

दिल्ली वित्त निगम में कथित अनियमितताएं

[अनुवाद]

5399. **श्री निर्मल खत्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1989 के जनसत्ता में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दिल्ली वित्त निगम में तथाकथित अनियमितताओं और कदाचारों के बारे में बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आरोप की जांच का कोई आदेश दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो जांच के आदेश न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली वित्त निगम ने सूचित किया है कि निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा प्रश्न में वर्णित समाचार में उल्लिखित आरोपों की जांच की गई थी तथा आरोप सही नहीं पाए गए।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन

5400. **डा० सी० पी० ठाकुर** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1 जनवरी, 1986 से पहले पटना उच्च न्यायालय के पार्ट -III सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दिल्ली तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के पार्ट-III सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की तुलना में अत्यधिक कम दरों पर पेंशन मिल रही है ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने वर्ष 1988 के निर्णय सी० एम० पी० संख्या 18044 में संशोधित पेंशन का लाभ देने की अनुमति दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) जी, हां। उच्चतम न्यायलय ने वर्ष 1988 को सिविल प्रकीर्ण याचिका सं० 18044 में दिए गए अपने निर्णय द्वारा, पटना उच्च न्यायालय के भाग -III न्यायाधीशों को, दिल्ली उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भाग-III न्यायाधीशों के बराबर ही पुनरीक्षित पेंशन अनुज्ञात कर दी है।

(ग) इस आदेश के कार्यान्वयन का प्रश्न समीक्षाधीन है।

सिंचित भूमि

5401. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कितने क्षेत्रफल भूमि को सिंचित बनाया गया ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के जिले-वार कितने क्षेत्रफल भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहनी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

(हजार हेक्टेयर में)

वर्ष	देश में सिंचाई के अधीन लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र	उत्तर प्रदेश में सिंचाई के अधीन लाई गई अतिरिक्त भूमि
1986-87 (वास्तविक)	2032.29	872
1987-88 (प्रत्याशित)	1935.65	828
1988-89 (लक्ष्य)	3434.13	1321.12

जिला-वार सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती है ।

सब्जियों और फलों का निर्यात

5402. श्री हरिहर सोरेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्जियों और फलों के शत प्रतिशत निर्यात के लिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति विकास सहकारी समिति द्वारा तैयार की गई आकांक्षापूर्ण सहकारी क्षेत्र परियोजना को अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसे मई 1988 में केनरा बैंक से एक शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख फूल और सब्जी परियोजना प्राप्त हुई थी। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इस प्रस्ताव का मूल्यांकन किया गया था जिसका निष्कर्ष यह था कि उक्त परियोजना वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं है ।

औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम का निर्यात संसाधन क्षेत्र के एककों पर लागू किया जाना

5403. श्री मोहन भाई पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक, विकास और विनियमन, अधिनियम, 1951 निर्यात संसाधन क्षेत्र के एककों पर लागू होता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में बाढ़ व चक्रवात से प्रभावित कृषि भूमि

5404. श्री डी० राम गौड़ : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ और चक्रवात से कितनी कृषि भूमि प्रभावित हुई है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण कितनी वित्तीय हानि हुई ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) 1986 से बाढ़ों तथा चक्रवात से प्रभावित औसत कृषि भूमि और इसके परिणामस्वरूप हुई औसत हानि क्रमश: लगभग 582,000 हैक्टेयर और 200 करोड़ रुपए बैठती है ।

———

12.00 मध्यान्ह

(व्यवधान)

श्री पी० पेंचालैया (नैल्लोर) : महोदय, मैं नैल्लोर निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा का अनुसूचित जाति का सदस्य हूं । मुझे बहुत बार अपमानित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दीजिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे राइटिंग में दे दीजिए । बोलने कोई प्रश्न नहीं होता ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । कुछ नहीं बोलना है । अनुमति नहीं दी जाती ।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दीजिए, मैं कंसिडर करूंगा । और कुछ नहीं हो सकता ।

[अनुवाद]

एक सदस्य खोने पर मुझे कोई खुशी नहीं होगी ।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे केवल लिख कर देना है। हां, श्री आचार्य आपकी व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने परसों, गृह मंत्री श्री बूटा सिंह के विरुद्ध एक विशेषाधिकार नोटिस पटल पर रखा था।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। मैं इस पर इस तरह चर्चा नहीं कर सकता। मुझे नोटिस पढ़ना है।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं पहले ही नोटिस दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं हो सकता। अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, यह गलत काम है। मैंने कह दिया कि मैं देखूंगा।

[अनुवाद]

यदि यह ठीक हुआ, तो मैं कार्रवाई करूंगा अन्यथा नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको क्यों एलाऊ करूं। दूसरों से आपका व्यवहार अलहदा क्यों?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कभी किसी को भी अनुमति नहीं दी।

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य : हमारा प्रिविलेज नोटिस है। हम जोरा बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मुझे इसे देखना। मैंने कभी किसी को अनुमति नहीं दी।

[हिन्दी]

मैं आपको कैसे मौका दूं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं वह रिकार्ड का हिस्सा नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देखा लूंगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जबरदस्ती करते हैं। आप भले आदमी हैं।

[अनुवाद]

हालांकि वे अपनी पार्टी के नेता हैं किन्तु वह सभी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे मुझे दें तो मैं वही तो देखने जा रहा हूं।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप गलत काम करते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा मेरी आंखों के सामने कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश में रानिका शोध के कारण हुई मृत्यु के संबंध में मेरे नोटिस का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इसका हवाला दे चुका हूं। मैं सूचना इकट्ठी कर रहा हूं। मैं आपको वापस दे दूंगा।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : लगभग 500 व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ा है। वे सभी जनजातीय लोग हैं। (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इसका हवाला दे चुका हू ।

श्री तम्पन थामस (कैलिकरा) : महोदय, पहले आपने असम में बोड़ो आन्दोलन पर चर्चा की अनुमति दी थी । अब, इस पर चर्चा छिड़ गई है । एक केन्द्रीय एजेंसी·····

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : थामस जी, आप सुन क्यों नहीं लेते हैं ? इससे आपको भी तकलीफ न हो हाऊस का टाइम भी जाया न हो ।

[अनुवाद]

यह पहले ही कार्यसूची में शामिल है ।

[हिन्दी]

कालिंग अटेंशन था । सब लोग चाहते थे कि रूल 193 के अंदर इसे कर लिए जाए । जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी, उसी दिन मैं कर दूंगा ।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस : आपने मुख्य मंत्री का वक्तव्य देखा है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जो हाई पावर्ड कमेटी बनी थी, उसकी रिकमण्डेशन के इम्पलीमेंट किए जाने के बारे में···

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए मैं उस करा दूंगा ।

[अनुवाद]

मैंने इसे करवाया था ।

(हिन्दी)

मैंने आपका कालिंग अटेंशन भी करवा दिया, और भी करवा सकते हैं । आप लिख कर दें, मैं कर दूंगा ।

श्री हरीश रावत : मेरा कालिंग अटेंशन मंजूर कर लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर तो दें ।

(अनुवाद)

श्री अजय मुश्तराम (जबलपुर) : यह उच्च स्तरीय समिति वर्ष 1983 में गठित की गई थी ।

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : मैं करवा दूंगा, आप दे दीजिए ।

(अनुवाद)

श्री अजय मुश्तराम : हमने इस पर वर्ष 1985 में चर्चा की थी ।

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : अगर मेरे बस में कुछ है तो बता दीजिए। अगर मैंने सैंक्शन करना है तो आप मुझे बता दीजिए।

(अनुवाद)

श्री अजय मुशरान : कुछ भी नहीं किया गया है। कार्यान्वयन बहुत ही धीमा है। इस सदन को 3 अप्रैल को दिया गया उत्तर अत्यधिक असन्तोषजनक था। (व्यवधान)

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसा नहीं करना है।

(अनुवाद)

मैं इस तरह चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री देवी घोषाल (बैरकपुर) : महोदय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेताओं ने परसों बंगाल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की पुलिस की मौजूदगी में नृशंस हत्या कर दी।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है। कुछ नहीं हो सकता।

(व्यवधान)*

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय,...

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : आप रोज क्यों ऐसा करने लगते हैं।

(अनुवाद)

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 184 के अधीन औपचारिक नोटिस दे चुका हूं।

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

(अनुवाद)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह औपचारिक नोटिस दे चुका हूं कि सदन को यह मांग करनी चाहिए कि बाकी कागजात हमें, विपक्षी नेताओं को दिखाए जाने चाहिए। उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस देखूंगा।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.17 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 7707/89]

बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1988 और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 दिसम्बर 1987 को समाप्त हुए वर्ष का कार्यकरण संबंधी समेकित प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में वार्षिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतकरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा(4) के अन्तर्गत बैंक आफ इन्डिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1988, जो 2 अगस्त, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/आई एल/88/ए-24 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल०टी० 7708/89]

(2) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण संबंधी समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल०टी० 7709/89]

रबड़ बोर्ड, कोट्टायम का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा और कार्यकरण की समीक्षा आदि तथा कॉफी बोर्ड का वर्ष 1987-18 का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ सिंह) : मैं, श्री प्रिय रंजन दास मुंशी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी (संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब का कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7710/89]

(3) (एक) कॉफी बोर्ड 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड 1987-88 के कार्यकरण की द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कॉफी बोर्ड के वर्ष 1986-87 के सामान्य निधि लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) कॉफी बोर्ड के वर्ष 1986-87 की पूल निधि लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 7711/89]

12.18 म०प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 31 मार्च, 1989 को सभा को सूचित करने के पश्चात् संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र के दौरान पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित आठ विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989

(2) विनियोग विधेयक, 1989

(3) विनियोग (रेल) विधेयक, 1989

(4) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1989

(5) पंजाब विनियोग विधेयक, 1989

(6) पंजाब विनियोयोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989

(7) दिल्ली नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1989

(8) आयकर (संशोधन) विधेयक, 1989

12.18 1/2 म०प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सदन में 10 अप्रैल, 1989 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा।

(1) आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) निम्नलिखित मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान :—

(क) विदेश

(ख) श्रम

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कई बार कहा है कि मुझे यह अधिकार नहीं है और मैं राज्य का कोई भी मामला नहीं उठाऊंगा। माननीय सदस्य जो चाहें कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय मैंने एक नोटिस दिया है। किन्तु आपने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी ओर ध्यान दिया है। मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने पहले भी कुछ किया था और अब भी करूंगा।

श्री अजय मुशरान : महोदय, उन्होंने उत्तर दिया है। दस मंत्रियों ने कुछ सिफारिश की है, किन्तु भारत सरकार के सचिव इसमें विलम्ब कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

श्री अजय मुशरान : मैं आशा करता हूं कि आप मेरे नोटिस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दंडवते जी, प्लीज रोज ऐसा मत करो।

[अनुवाद]

मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह कहिए। ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कई बार ऐसा कहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप नाराज मत होइए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं तो नाराज नहीं हूं।

[हिन्दी]

आप भले आदमी हैं, ऐसा करना अच्छा नहीं लगता।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : गत 2-4-89 को करसी प्रखंड के कल्हारा गांव में लोगों की सारी सम्पत्ति जला दी गई। वहां लोग दाने-दाने के लिए भूख से मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह वहां का काम है । वही करेंगे । जो मैंने इनको बोला है, वही मैं आपको कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कुछ भी नहीं होगा । कोई निवेदन नहीं । श्री पाटिल ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया जाए :

कपास, प्याज, मसाले, अंगूर, सब्जियों तथा अन्य फसलों के लिए कोई दीर्घकालिक नीति नहीं है । ऐसी नीति के अभाव में किसानों को प्रत्येक वर्ष कष्ट उठाना पड़ता है । बैंक ऋण भी किसानों को आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं । इस समय फसल बीमा योजना अत्यन्त चयनात्मक है ।

यह किसानों के लिए बहुत सुखद तथा अनुकूल स्थिति नहीं है । सरकार को फसल तथा इसकी खपत के बारे में प्रतिवर्ष निर्धारण करना चाहिए और फालतू फसल के निर्यात की अनुमति देनी चाहिए । यह नीति किसानों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी ।

इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में और निर्यात के मामले में वास्तविक उपलब्धि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । अतः सब्जियों, फलों तथा कृषि उत्पादों के बारे में दीर्घावधिक निर्यात नीति की जोरदार मांग है । अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दें और एक वर्ष पहले ही निर्यात नीति तथा मूल्यों की घोषणा करें जिससे किसानों को तद्नुसार अपनी फसल की योजना बनाने में सहायता मिलेगी ।

[हिन्दी]

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना) : निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :—

मध्य प्रदेश अभी अन्य प्रदेशों की अपेक्षा काफी पिछड़ा प्रदेश है । चम्बल संभाग का मुरैना जिला तो और भी पिछड़ा है । इसी कारण यहां पर दिन-प्रतिदिन जघन्य अपराध होते रहते हैं । यहां पर न तो विश्वविद्यालय है न यहां पर केन्द्रीय विद्यालय है । न सरकार ने अभी तक खोलने की व्यवस्था की है ।

मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि मुरैना में एक केन्द्रीय विद्यालय तत्काल खोलने की व्यवस्था करें ताकि यहां के बच्चे ऊंचे दर्जे की पढ़ाई कर सकें ।

[अनुवाद]

डा० वसा सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए :—

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई हाई के तटवर्ती कुंओं से तेल तथा प्राकृतिक गैस निकालता है ।

केन्द्रीय सरकार को भारत के महाद्वीपीय क्षेत्र में भूमि, खनिज तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं पर पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है। अतः निवेदन है कि इससे प्राप्त धन में से कुछ भाग रायल्टी के रूप में महाराष्ट्र को दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सरकार को पेट्रो-रसायन उद्योगों के विकास के लिए मराठवाड़ा, विदर्भ के पिछड़े क्षेत्रों को तेल तथा प्राकृतिक गैस सप्लाई करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की मुख्य लाइन से सूरत भुसावाल, इटारसी से नागपुर पाइपलाइन बिछाने पर विचार करना चाहिए।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : कृपया निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

उड़ीसा के गंजाम जिले में भंजनगर और आस्का में दूरसंचार भवन के निर्माण के लिए धन-राशि आवंटित की गई है। निवेदन यह है कि निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए।

इसी प्रकार उड़ीसा के गंजाम जिले के काश्यसूर्यनगर तथा बदागड़ा में डाकघर भवन का निर्माण शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए।

12.22 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री श्रीकांत इले नरसिंहराज वाडियर (मैसूर) : मेरा निवेदन यह है कि निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

भारत सरकार प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कुछ राज्यों के राज्यमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है। दुर्भाग्यवश पिछले 12 वर्षों में कर्नाटक में कोई सड़कमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने निम्नलिखित सड़क मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए एक सूची भेजी है जिनमें कुछ प्रमुख सड़कें हैं :

बंगलौर—मैसूर—नंजनगड—गुंडलुपेट—ऊटी—कोयंबटूर—कारवाड; मैसूर—चिगपल्ला—नागु-मंगलौर—चिकानया—कनावल्ली—हुलियार—बैल्लारी—सिरगुप्पा—शाहापुर—गुलबरगा—हुमनाबाद; और बंगलौर—मैसूर—मरकारा—मंगलौर को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 में जोड़ना—385 कि०मी०

मैं निवेदन करता हूं कि इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए :—

उपाध्यक्ष महोदय, आज पंजाब, केन्द्रीय खाद्य भण्डार में कुल भण्डारण का लगभग 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक योगदान करके देश में अग्रणी है। किन्तु परिश्रम और सूझबूझ का प्रयोग करने के उपरान्त भी आज उसकी आर्थिक अवस्था संकट से उभर नहीं पा रही है। यहां कृषि क्षेत्र में और लोगों के कार्यरत होने की संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं। फलतः बेरोजगार नवयुवकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि जहां एक ओर राज्य के आर्थिक ढांचे को जरजरित कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रान्त के वर्तमान हालातों को भयंकर बनाने में सहायक हो रही है। अतः

आज आवश्यक है कि पंजाब में कृषक को वर्तमान फसलों के स्थान पर अन्य अधिक लाभकारी फसलें पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जैसे बासमती चावल का लाभकारी मूल्य वर्तमान चावल वसूली मूल्य से कम से कम तीन गुना अधिक घोषित करें तथा अच्छे परिष्कृत बीज को कम से कम 20 प्रतिशत कम दाम पर देने की व्यवस्था करें। किसानों को गंदम पर 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष जी, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए।

भारत-नेपाल के संबंध ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और इसी नाते भारत सरकार वहां नमक, पेट्रोल, दवा इत्यादि की आपूर्ति करती आ रही है। भारत-नेपाल व्यापार सन्धि का समय समाप्त हो चुका है। इधर हाल के दिनों में भारत-नेपाल सीमा पर तीन मार्च के बाद पारगमन सन्धि समाप्ति पर आवागमन में काफी दिक्कत का अनुभव हो रहा है। जो व्यवसायी या मजदूर बिहार या उड़ीसा से नेपाल मे जा रहे हैं उन्हें भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

आग्रह है कि भारत-नेपाल सम्बन्ध पर अगले सप्ताह विस्तार से चर्चा हो।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित को शामिल किये जाने का अनुरोध करता हूं :

(1) यद्यपि उड़ीसा में इब घाटी कोयला क्षेत्र में लिपिकीय पदों को भरने के लिए बहुत समय पहले साक्षात्कार हुआ था तथापि कोयला प्राधिकरण के अनुवर्ती आदेश, जिसमें ऐसी भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया है, के कारण परिणाम घोषित किया जा रहा है।

मैं प्राधिकरण से ऐसे प्रतिबन्ध को हटाने और कम से कम उन पदों को तत्काल भरने की मांग करता हूं जिनके लिए साक्षात्कार पहले ही हो चुका है।

(2) उड़ीसा में झारसुगुडा के निकट भारतीय खाद्य निगम के बालीजोनी गोदाम में ठेके के श्रमिकों, जो अभी हड़ताल पर हैं, को सरकार की ठेका प्रणाली को समाप्त करने की घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए विभागीय श्रमिक बनाया जाना चाहिए।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : कृपया निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :—

परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रशंसनीय और अनिवार्य है किन्तु परिवार नियोजन ऑपरेशनों के कारण हुई मौतों की बढ़ती हुई संख्या के बारे में हाल की रिपोर्टों से सभी क्षेत्रों के लोगों में गहरी चिन्ता व्याप्त है। यह आवश्यक हो गया है कि मन्त्रालय भविष्य में होने वाली ऐसी मौतों को रोकने के लिए ठोस योजना तैयार करें।

गर्मी की छुट्टियां आ गई हैं किन्तु रेलवे ने अवकाश के दिनों में विशेष रेलगाड़ियां चलाने के मामले में केरल के मालाबार क्षेत्र की उपेक्षा की है। इससे इस क्षेत्र, जिसमें केरल राज्य की आधी

जनसंख्या वाले पांच प्रमुख जिले हैं, के लोगों को परेशानी हुई है। माननीय रेलवे मन्त्री केरल के उत्तरी जिलों अर्थात् मालाबार के लिए अवकाश के दिनों में विशेष रेलगाड़ी चलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : निम्नलिखित मद अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल की जाए :—

तुंगभद्रा बोर्ड सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है और कर्नाटक के किसानों की ओर से यह शिकायत है कि बोर्ड पानी देने के मामले में ठीक मूल्यांकन नहीं कर रहा है। कर्नाटक सरकार ने तुंगभद्रा बोर्ड को समाप्त करने के लिए लिखा था क्योंकि यह सफेद हाथी है और और उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। कावेरी या कृष्णा नदी के पानी के लिए कोई बोर्ड नहीं है और तुंगभद्रा बोर्ड की भी कोई आवश्यकता नहीं थी।

मैं सरकार से तुंगभद्रा बोर्ड को समाप्त करने और सम्बन्धित सरकारों को पानी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं।

जल-भूतल मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : हम सभी माननीय सदस्यों के सुझावों को कार्य मन्त्रणा समिति के समक्ष रखेंगे।

———

12.28 म०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1989-90

ऊर्जा मंत्रालय—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम ऊर्जा मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी रखेंगे।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चंद्र जैन (बाड़मेर) : ऊर्जा मन्त्रालय की मांगों पर अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं इसलिए टाइम और बढ़ा दिया जाए।

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : कई सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए समय और बढ़ा दिया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं उन्हें बुला रहा हूं। यदि अधिक समय की आवश्यकता है, यदि आप सबको कोई आपत्ति नहीं है, तो हम समय बढ़ा सकते हैं। हम 1.00 बजे मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित करेंगे और 2.00 बजे पुनः समवेत होंगे। क्या सदन को समय बढ़ाए जाने पर सहमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि आप सभी सहमत हैं अतः मैं अन्य सदस्यों को बुलाऊंगा ।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चंद्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष जी, पावर, कोल एंड एनर्जी की जो मांगें प्रस्तुत हुई हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । हमारी केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें तथा प्रदेशों में जो इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड्स हैं वे ऊर्जा की समस्या को हल करने के प्रयास में लगे हुए हैं ।

इस ऊर्जा की समस्या का समाधान सम्पूर्ण तौर से कर सकें जिससे किसानों को अधिक बिजली मिले और उत्पादन बढ़े, उद्योगों को औद्योगिकरण के मामले में आगे ले जाया जा सके, पीने के पानी की समस्या, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, उसको हल कर सकें । इस सम्बन्ध मे केन्द्र सरकार ने जो कदम उठाये हैं वे बहुत ही सराहनीय हैं और केन्द्र सरकार जो योजना बनाती है, जैसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य हैं उनको पूरा किया गया है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य होंगे उन्हें भी हम पूरा कर सकेंगे । बिजली के लिए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि प्लांट लोड फैक्टर को इम्प्रूव करें । इसके लिए समय-समय पर प्रयास किया गया है । इस सम्बन्ध में 1984-85 में 51.10 प्रतिशत, 1985-86 में 52.4 प्रतिशत और 1987-88 में बढ़कर 56.9 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर हो गया है । जबकि छठी पंचवर्षीय योजना के शुरूआत में यह 44.3 प्रतिशत था । इसके लिए जरूरी है कि मशीनरी ऐसी होनी चाहिए जो सुचारू रूप से काम कर सके । अगर मशीनरी सुचारू रूप से नहीं चलती है तो किसी भी तरीके से हम पी० एल० एफ० के बारे में सफल नहीं हो सकते । राजस्थान के अन्दर कोटा में हमने थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया और उसमें प्लांट लोड फैक्टर में 80 प्रतिशत का जो टार्गेट था उससे भी बढ़कर हमने स्तर कायम किया । अगर इंजीनियर्स सुचारू रूप से काम करें, योग्यता से काम करें और प्लांट आधुनिक हो तो हम पी० एल० एफ० में सफल हो सकते हैं । हम बराबर इसके लि प्रयास कर रहे हैं । ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लासेज 1986-87 में 21.50 प्रतिशत था । इस सम्बन्ध में जितनी प्रगति हम चाहते हैं वह नहीं कर सके, क्योंकि ट्रांसमिशन के लासेज के लिए कुछ क्षेत्र इस प्रकार के विस्तृत हैं जैसे हमारा क्षेत्र है जहां ट्रांसमिशन लाइन में बहुत-सा खर्चा आता है । इसलिए राजस्थान के अन्दर ट्रांसमिशन लासेज दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में अधिक हैं, वह स्वाभाविक भी है । क्योंकि जब हम ट्रांसमिशन लाइन बहुत बड़ी खींचते हैं तो उसमें लासेज होते हैं । परन्तु इसमें देखना चाहिए कि बिजली की चोरी को रोका जाये, क्योंकि वह बहुत अधिक होती है । इस सम्बन्ध में सख्त कानून बने हुए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार ठीक से नहीं करती हैं । जो बिजली की चोरी होती है उसमें इंजीनियर्स का भी हाथ होता है, वे भी मिले हुए होते हैं । इसलिए इस सम्बन्ध में ठोस कदम नहीं उठाया जाता है । इसलिए जरूरी है कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार से मानिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि केन्द्र सरकार भी आर० ई० सी० योजनाओं के अन्दर अधिक धनराशि देती है···इसलिए मौनिटरिंग होना बहुत आवश्यक है । मैं यहां राज्य सरकारों से भी विशेष तौर से आग्रह करना चाहूंगा कि वे बिजली की चोरी को रोकने में सहायता करें । आज देश में इण्डस्ट्रियलिस्ट्स बिजली की चोरी करते हैं, किसान बिजली की चोरी करते हैं और दूसरे बहुत से लोग करते हैं । इस चोरी को रोकने की आवश्यकता है तभी हमारे ट्रांसमिशन लॉस और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस रुक पाएंगे, हम सभी प्रदेशों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बिजली की सप्लाई कर पाएंगे और बिजली की कमी काफी हद तक दूर की जा सकती है। नेशनल पावर ग्रिड को मजबूत बनाये जाने की बहुत आवश्यकता है और जब तक रीजनल पावर ग्रिड

मजबूत नहीं होंगे, नेशनल पावर ग्रिड को मजबूत नहीं किया जा सकता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि रीजनल पावर ग्रिडस को मजबूत किया जाये तभी हम नेशनल पावर ग्रिडस को मजबूत कर पाएंगे। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। जिन राज्यों में बिजली का संकट है, बिजली की कमी है, नेशनल पावर ग्रिड होने से उस संकट को जल्दी पार किया जा सकता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रदेश सरकारों और स्टेट्स इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस की लगातार मदद की जा रही है और हर साल हजारों ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राजस्थान का जहां तक सम्बन्ध है, हमारे कई जिलों में काफी गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, सीकर में शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, झुनझुनु जिले में 96 परसेंट गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है परन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र जैसलमेर में यह प्रतिशत मात्र 16 परसेंट है, जहां से मैं प्रतिनिधि हूं। जैसलमेर जिला राजस्थान का महत्वपूर्ण जिला है, स्ट्रैटेजिक टाउन है और अब तो टूरिस्ट सैन्टर भी बन गया है, इतना ही नहीं इन्दिरा गांधी कैनाल भी वहां पहुच गई है, इसलिए यह आवश्यक और जरूरी हो गया है कि जैसलमेर जिले को ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि वह राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में विद्युतीकरण के मामले में सबसे पीछे है। वहां अभी तक 132 के० वी० लाइन भी नहीं बिछायी गई है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस सम्बन्ध में मैं अनेक बार राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन और सैक्रेटरी से मिल चुका हूं, बार-बार उनके नोटिस में लाता रहा हूं परन्तु अभी तक इस दिशा में प्रगति शून्य है। जैसलमेर में अब तक 132 के० वी० लाइन नहीं बनेगी तब तक 33 के० वी० और 11 के० वी० लाइनें नहीं बिछायी जा सकती और उस समय तक ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो सकता। इसलिए ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आप शीघ्र 132 के० वी० लाइन बनाने की व्यवस्था कीजिए। इस लाइन के अभाव में मेरा केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मंत्रियों से मिलकर प्रभाव डालना भी व्यर्थ हो जाता है क्योंकि वहां 132 के० वी० लाइन हो नहीं है। मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इस मसले को राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से टेक-अप करें और कोई तरीका निकाले कि कैसे इस मसले को हल किया जा सकता है, केन्द्रीय सरकार इसमें क्या मदद कर सकती है और जैसलमेर के गांवों का विद्युतीकरण हो सकता है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार रक्षा विभाग भी जैसलमेर में सुरक्षा की दृष्टि से 132 के० वी० लाइन बिछाना चाहता है, मेरा अनुरोध है कि आप रक्षा विभाग से को-आर्डिनेट करके पता लगाये कि किस प्रकार उनके सहयोग से हम वहां 132 के० वी० लाइन बना सकते हैं और कैसे जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा किया जा सकता है, ताकि जैसलमेर जिले के ग्रामों में बिजली पहुंचाई जा सके। तो जैसलमेर जिले का विकास हो सके और ग्रामीण विद्युत की दृष्टि से वह भी आगे बढ़ सके। जैसलमेर जिले की घनी आबादी के जो गांव हैं जो 5-5 हजार और 7-7 हजार की आबादी के गांव हैं, जो ग्राम पंचायतों के मुख्यालय हैं और जो हर दृष्टि से प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, परन्तु वहां विद्युत की व्यवस्था न होने से वहां की प्रगति में, विकास में बाधा पहुंची है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जैसलमेर जिला जो विद्युत की दृष्टि से पीछे है, उस सम्बन्ध में आप कदम उठायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि बीकानेर जिले में

बरसिंगसर में लिग्नाइट निकला है। नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन ने इस सम्बन्ध में 220 मेगावाट के प्लांट को स्थापित करने की एक योजना बनाई है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि बाड़मेर जिले में कपूर्डो और जालेपा में 20 करोड़ मिलियन का भण्डार लिगनाइट का निकला है और उससे भी अच्छी क्वालिटी का है। मैं बार-बार इस बारे में प्रेस करता हूं लेकिन अभी तक हमने इस बारे में पूरा डिटेल्ड सर्वेक्षण भी नहीं किया है। इस संबंध में अब डिटेल्ड सर्वेक्षण कम्पलीट होने को है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके जल्दी से जल्दी प्रस्तुत की जानी चाहिए। वहां के लिए पॉवर हाउस की योजना बनाएं और वहां पर पांच हजार मैगावाट की कैपिसिटी का पावर हाउस बन सकता है। अतः हमारे राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों, कपूर्डी और जालेपा में पावर हाउस बनाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। इसलिए इस बारे में कदम उठाए जाने चाहिएं। अभी जो इस सम्बन्ध में कदम उठाए हैं, विशेष तौर से सोलर इनर्जी बायोटेक, फोटो वोल्टेक और सौर ऊर्जा के बारे में हमारे जैसलमेर जिले के अन्दर कुछ क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग का कार्य हो चुका है। मैं यह चाहता हूं कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले के अन्दर इस कार्य को और बढ़ाया जाए, तो हमारी विद्युत के बारे में जो समस्या है, उसका काफी हद तक निदान हो सकता है।

एक योजना सौर ऊर्जा की 15 मैगावाट की हमारे जोधपुर में स्थापित करने के लिए है, लेकिन अभी तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सौर ऊर्जा का जो 30 मैगावाट का प्लांट स्थापित करना है, इस संबंध में जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाएं ताकि ऊर्जा की दृष्टि से वहां पर 30 मैगावाट का पावर हाउस बन सके यदि यह बन जाता है तो हमारे रेगिस्तानी क्षेत्रों को बहुत बड़ी सहूलियत मिल सकती है। विंड इनर्जी के बारे में भी सबसे ज्यादा विंड वहां अवेलेबल है। परन्तु इस बारे में भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गुजरात में तो कुछ कदम उठाए गए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में कदम उठाना चाहिए क्योंकि विंड इनर्जी के जरिए हमारी लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, वहां उन वैल्स पर विंड इनर्जी की व्यवस्था हो जाती है तो इससे बहुत बड़ी सहूलियत किसानों को मिल सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि कम से कम 10 घंटे बिजली यहां के किसानों को मिले, लेकिन सरकार अभी तक यह व्यवस्था नहीं कर पाई है। अब तो यह है कि कहीं 6 घन्टे और कहीं 8 घन्टे बिजली मिलती है। यह अति आवश्यक है कि किसानों को 10 घन्टे बिजली मिले और खास तौर पर मेरे क्षेत्र में यह डिमांड है। गत साल 6 हजार सिंचाई के कुंए बाड़मेर जिले में बने। जैसलमेर में 1000 सिंचाई के कूंए बने, उनके लिए बिजली के कनैक्शन की बहुत ज्यादा मांग है और इस मामले में राजस्थान सरकार दूसरे जिलों को और हमारे जिलों को बराबर समझ रही है। हमारे जिले पिछड़े हुए हैं और बिजली के कनैक्शन देने से हमारे परिवारों का पालन-पोषण हो जाता है और अकाल की स्थिति हल हो जाती है। इस संबंध में भी हमने बार-बार कोशिश की लेकिन राजस्थान सरकार हमें इसमें पूरा सहयोग नहीं दे रही है। जब केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को मदद दे रही है तो हम चाहते हैं कि उन पर दबाव डालकर हमें सिंचाई के कुंओं के लिए बिजली के कनैक्शन दिलाए जाएं।

इन्हीं प्वाइन्ट्स को रखते हुए मैं विद्युत और ऊर्जा मंत्रालय की डिमांड्ज का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत

उत्पादन में प्रशंसनीय सुधार हुआ है किन्तु जहां तक दक्षिण क्षेत्र का संबंध है स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। दक्षिण के बहुत से राज्य अभी भी विद्युत के अभाव में पीड़ित हैं और मेरा राज्य कर्नाटक भी इनमें से एक है। जैसाकि माननीय मंत्री महोदय जानते हैं, कर्नाटक में बिजली की लगभग 30 प्रतिशत कमी है। महोदय, मैं श्री साठे और श्री कल्पनाथ राय को इस संबंध में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए बधाई देता हूं। किन्तु उन्हें उन राज्यों पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जहां विद्युत की कमी है। महोदय, मैं श्री कल्पनाथ राय का प्रत्येक राज्य की विद्युत आवश्यकता पर तैयार की गई पुस्तक, जिसे सांसदों में बांटा गया है, के लिए धन्यवाद करता हूं। अब आवश्यकता इस बात की है कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अपना सारा ध्यान उन राज्यों की ओर लगाया जाना चाहिए जहां विद्युत की कमी है और उनकी समस्या का समाधान करें। एक समाधान तो यह है कि उन्हें राष्ट्रीय ग्रिड के काम को शीघ्र पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। मैं जानता हूं कि सरकार पहले ही इस संबंध में कदम उठा चुकी है। क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड तो पहले ही हैं। सरकार को तथा ऊर्जा मंत्रालय को यह देखना चाहिए कि राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना यथाशीघ्र की जाए। मैं माननीय मंत्री को यह बता दूं कि हाल ही में मैंने एक प्रेस कटिंग देखी है जिसमें माननीय मंत्री श्री साठे ने यह कहा है कि उचित प्रबंध द्वारा 30 प्रतिशत ऊर्जा बचाना संभव है। सरकार ने इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? माननीय मंत्री ने उस वक्तव्य में यह भी कहा है कि एक प्रतिशत ऊर्जा बचाकर हम 200 करोड़ रुपये बचा पायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि ऊर्जा की खपत के सही प्रबंध को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबंध की ओर दिलाना चाहूंगा। कल ही माननीय मंत्री ने वाद-विवाद के बीच में बोलते हुए सदन में कहा था कि राज्य विद्युत बोर्डों की हानि बहुत अधिक है। यह 2000 करोड़ रुपए से अधिक है। यदि राज्य विद्युत बोर्ड उचित रूप से प्रबंध करें तो इस 2000 करोड़ रुपए की हानि को विद्युत का अधिक उत्पादन करने में लगाया जा सकता था अर्थात् लगभग 2000 मैगावाट विद्युत उत्पादित की जा सकती है। किन्तु, दुर्भाग्य से विद्युत का प्रबंध ठीक ढंग से नहीं किया जाता। राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार किया जाना चाहिए। यह देखना मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि, राज्य सरकारों द्वारा इन बोर्डों की कार्यप्रणाली की देखरेख के साथ-साथ ये बोर्ड ठीक ढंग से कार्य करें। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री श्री कल्पनाथ राय को एक सुझाव देना चाहूंगा कि बहुत से राज्य विद्युत बोर्डों में इसलिए घाटा हो रहा है क्योंकि वे कृषि क्षेत्र को रियायती दरों पर विद्युत दे रहे हैं। कर्नाटक भी एक ऐसा ही राज्य है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन राज्यों को, जो कि कृषकों को रियायती दर पर विद्युत सप्लाई करते हैं, आर्थिक सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार कृषकों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने की स्थिति में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार राज्यों को आर्थिक सहायता देगी? विद्युत उत्पादन की लागत 60 पैसे प्रति यूनिट बनती है किन्तु कृषक केवल 10 पैसे प्रति यूनिट देते हैं। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में इसकी उत्पादन लागत 60 पैसे प्रति यूनिट है जबकि वे इसे 10 पैसे प्रति यूनिट बेचते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इससे राज्य विद्युत बोर्ड को कितना नुकसान उठाना पड़ता है।

दूसरी बात मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि आपको यह देखना चाहिए कि राज्य विद्युत बोर्ड उपयुक्त लोगों द्वारा संचालित किया जाता है या नहीं। यह बहुत ही आवश्यक है, और आपको हर राज्य से यह शर्त रखनी चाहिए कि विद्युत बोर्ड का संचालन सक्षम व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। अगर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति होगी तो राज्य विद्युत बोर्ड का प्रबंधन भी निश्चित रूप से बेहतर होगा।

एक अन्य सुझाव मैं यह देना चाहूंगा—श्री कल्पनाथ राय—मैं यह नहीं जानता कि आपने इन सारी चीजों का अनुपालन किया है या नहीं। मैं आपका ध्यान राज्य की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं इस बात पर बल देकर कहूंगा कि मंत्रालय को ऊर्जा की कमी वाले राज्यों पर ध्यान देना चाहिए। कर्नाटक में यह कमी 30 प्रतिशत है। मेरा कहना यह है कि आपको राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य विद्युत बोर्ड की लम्बित योजनाओं, खासकर वह योजना जिन्हें पूरा करने में कम समय लगता है, उसे तुरन्त स्वीकृति मिलनी चाहिए। जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है, मैं कुछ परियोजनाओं के बारे में जिक्र करना चाहूंगा और माननीय मन्त्री महोदय से इसे जल्द स्वीकृति देने का आग्रह करूंगा। पहली तो 'शिव समुद्रम रन-आफ द रीवर प्रोजैक्ट' है जो करीब 270 मेगावाट ऊर्जा की है। आपने इसे स्वीकृति प्रदान की है तथा इसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, लेकिन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इसे स्वीकृति नहीं प्रदान की है। इसमें किसी भी जलाशय का अवरुद्ध होना अन्तर्ग्रस्त नहीं है, जहां तक इस परियोजना का सम्बन्ध है तो इससे अन्तर्राज्यीय मतभेद नहीं होगा और मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए, आपको इस परियोजना को स्वीकृति देनी चाहिए।

दूसरी लम्बित परियोजना शिवसमुद्रम सीजनल ऊर्जा योजना। इसमें भी किसी तरह के जलाशय का अवरुद्ध होना अन्तर्ग्रस्त नहीं है और इसे पूर्णतया राज्य सरकार के खर्चे पर बनाया जाएगा। एक-मुस्त समझौते के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार तमिलनाडु में ऐसी परियोजना के निर्माण के लिए तैयार है। आपको अपने पद का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस शिवसमुद्रम सीजनल ऊर्जा योजना को स्वीकृति प्रदान की जाए।

अन्य बात यह है कि, हमें इस बात की खुशी है कि सोवियत सहायता से एक ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना मंगलौर में की जा रही है। इसमें शीघ्रता करनी चाहिए।

एक-दूसरी परियोजना रायचूर ताप विद्युत संयंत्र है। यहां पर कोयला की समस्या है। यह दुर्भाग्य की बात है कि रायचूर ताप विद्युत संयंत्र को कोयले की नियमित आपूर्ति ना होने के कारण अक्सर बन्द रहना पड़ता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि वे सम्बन्धित अधिकारियों से बात कर यहां कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था करें।

यहां पर मैं 50 से 60 मेगावाट क्षमता वाली दो या तीन परियोजनाओं के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा जोकि मंत्रालय के पास लम्बित पड़ी हैं। मैं माननीय मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वे इन परियोजनाओं के नाम नोट कर लें। पहला तो वृन्दावन जल-विद्युत परियोजना है। यह 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजना है। यह स्वाभाविक है कि इसे स्वीकृति चाहिए। एक-दूसरी परियोजना अलमट्टी बांध बिजलीघर है। यह भी एक छोटी परियोजना है। एक 'कटला और पलना डाइवरसन' योजना है। वह भी लम्बित पड़ी है। इसके अतिरिक्त एक और परियोजना कबीनी बांध बिजलीघर है।

ये सब कर्नाटक राज्य की परियोजनायें हैं जो लम्बित पड़ी हैं और मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इसकी जल्द स्वीकृति के लिए कोशिश की जाय।

मैं इस सम्बन्ध में दो या तीन विचार और रखना चाहूंगा।

महोदय, एक मुद्दा जिसे दूसरे सदस्यों ने भी उठाया है, वह विद्युत पारेषण का नुकसान होना। यह दुर्भाग्य की बात है कि विद्युत पारेषण का नुकसान हमारे देश में सबसे ज्यादा है और इसका राष्ट्रीय औसत 21.3 है। कुछ राज्यों को छोड़कर, करीब-करीब सभी राज्यों को विद्युत पारेषण में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। आप इस सम्बन्ध में सभी विद्युत बोर्डों को लिख रहे हैं और यह उम्मीद करते हैं कि उनके कार्यनिष्पादन में सुधार होगा। आप उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करना चाहते हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोषण का कम से कम नुकसान हो। लेकिन दुर्भाग्यवश, इसमें ज्यादा कमी नहीं की जा सकी है और यह नुकसान अभी भी हो रहा है।

दूसरा मुद्दा ऊर्जा के संरक्षण का है। आपके वक्तव्य के अनुसार, ऊर्जा के संरक्षण से हम 30 प्रतिशत ऊर्जा बचा सकते हैं। दूसरा यह है कि विद्युत पारेषण की हानि को कम किया जाए। अगर इन दोनों चीजों का प्रबन्ध ठीक ढंग से किया गया तो मुझे विश्वास है कि उन्हें अन्य किसी भी परियोजना की जरूरत नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप राज्य विद्युत बोर्डों को पूरी सहायता प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि विद्युत पारेषण की हानि में कमी की जाए।

जहां तक कर्नाटक का प्रश्न है, तो ज्यादातर हमारी परियोजनायें, जल-विद्युत परियोजनायें हैं। एक समय भारत के विद्युत नक्शे में कर्नाटक का दूसरा स्थान था। लेकिन दुर्भाग्यवश इसका स्थान अब 13वां हो चुका है और क्योंकि हम जल-विद्युत परियोजना के ऊपर निर्भर करते हैं जिसकी सफलता मानसून पर निर्भर करती है। इसलिए मैं आपसे कर्नाटक की इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द स्वीकृति के लिए आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती मनोरमा सिंह (बाका) : मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में आज बोल रही हूं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने सारे संसद सदस्यों के विचार अपने क्षेत्र के बारे में मांगे और सारे विचारों को उन्होंने एक पुस्तिका बनाकर सारे मैम्बरों को भेजी है, मैं इसके लिए मंत्री जी की आभारी रहूंगी। उन्होंने बहुत ध्यान रखकर उस किताब को बनाया है।

अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं और कुछ सुझाव मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि ग्रामीण विद्युतिकरण के बारे के जो कदम भारत सरकार ने उठाया हैं, वह बहुत ही सराहनीय है लेकिन ग्रामीण विद्युतिकरण में बहुत सारी खामियां हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहती हूं। आज भी पदाधिकारी ग्रामीण विद्युतिकरण को एक सिलसिलेवार तरीके से नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि विद्युतिकरण के बीच में गांव छूट जाते हैं। दो चार बार मैंने मुख्य अभियन्ता से इसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि रेवेन्यू विलेज करके करते यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इसमें रेवेन्यू विलेज का क्या मतलब है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जब गांव छूट जाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही खराब जनप्रतिनिधि पर पड़ती है।

सिंचाई से बिजली का सम्बन्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके बीच में तालमेल होना बहुत ही

आवश्यक है। मेरा क्षेत्र पहाड़ी इलाका है और अधिकतर सिंचाई लिफ्ट इर्रीगेशन से होती है। बहुत सी जगह लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम बना दी गई लेकिन विद्युतीकरण के अभाव में वह बेकार पड़ी हुई हैं इसलिए तालमेल होना बहुत ही आवश्यक है। मेरे पूर्ववर्ती वक्ता जैन साहब ने ठीक ही कहा कि गांवों में विद्युत की चोरी को रोका जाय और किसान तथा व्यावसायिक लोगों को विद्युत देने की प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की जाय।

बहुत से गांवों में ट्रांसफार्मर एकदम खराब पड़े हुए हैं, मेरे निवेदन करने के बावजूद इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, इसका कारण है कि ट्रांसफार्मर बहुत ही कम क्षमता के मुहैया कराए जाते हैं। बड़े गांवों में अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर मुहैया कराये जायें, इनकी बेहद कमी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित की जाती है। मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 म०प० पर पुनः समवेत होगी।

1.00 म०प०

(तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

2.12 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.12 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1989-90 —[जारी]

ऊर्जा मंत्रालय—[जारी]

[अनुवाद]

श्री एन०वी०एन० सोमू (मद्रास उत्तर): महोदय, क्या अब मन्त्री जी जवाब देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह 2.30 म०प० पर जवाब देंगे। श्रीमती मनोरमा सिंह अपना भाषण जारी रखेंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती मनोरमा सिंह (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में चर्चा चल रही थी। ग्रामीण विद्युतीकरण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि राज्य सरकार को अधिक से अधिक सक्षम बनाया जाये, क्योंकि बहुत स्थानों पर बिजली के खंभे गाड़ दिये जाते हैं, लेकिन सामान की कमी की वजह से विद्युतीकरण नहीं हो पाता। मेरे क्षेत्र बांका अनुमण्डल में 1985 में 1200 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक 600-650 गांवों में ही विद्युतीकरण हो पाया है। हरिजन आदिवासियों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें भी अभी तक सफलता

प्राप्त नहीं हुई है। इसी तरह से कहल गांव और कोयल गांव में दो प्रोजेक्ट स्वीकृत थे जिनका काम 1990 तक पूरा हो जाना था। कहल गांव में 1984 में काम शुरू हो गया है और 1990 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन अभी तक इसमें संतोषजनक प्रगति नहीं है। कहल गांव थर्मल पावर के लिए किसानों से जमीन अधिगृहीत की गई, लेकिन उनको उचित मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। वहां पर हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का प्रावधान भी था, उसको भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। मैं भागलपुर जिले से आती हूं, लेकिन नियुक्ति बाहर के लोगों की की जा रही है, भागलपुर और मुंगेर पिछड़े इलाके हैं, लेकिन बंगाल के लोगों को बुलाकर वहां नियुक्त किया जा रहा है। मैं बंगाल के लोगों की विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, बेकारी बहुत है, इसलिए इसमें वहां के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कोयलकारो के बारे में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि 1980 में यह योजना बनी थी, उस समय इसकी अनुमानित लागत 300 करोड़ थी जोकि अब 1100 करोड़ हो गई है। इस योजना के लिए आदिवासियों की जमीनें ली गई हैं, इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि इस योजना को शीघ्र चालू किया जाए। कर्णपुर थर्मल पावर स्टेशन को प्रधानमन्त्री की घोषणा के अनुसार स्वीकृत कराया जाए। अन्त में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि बिहार को उपेक्षित न समझा जाए और वहां के लिए सुपर थर्मलपावर योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहती हूं कि देवगढ़ इण्डस्ट्रियल एरिया है। बिजली की आपूर्ति नहीं होने के कारण 36 लघु उद्योग बन्द हो गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार को लिखा गया है। ऐसे बेरोजगार युवक, जिन्होंने लघु उद्योग चलाए हैं, उनके लिए बिजली की आपूर्ति की जाए ताकि वे अपना गुजर-बसर कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं कि मुझे बोलने का समय दिया।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष जी, समय कम होने के कारण मैं सबसे पहले ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। थर्मल पावर स्टेशन कांटी या थर्मल पावर स्टेशन बरौनी का हो जिसमें कोयले की तस्करी बड़े पैमाने पर होती थी, इसी सदन में इस बारे में मैंने आपसे बार-बार मांग की कि इसके लिए कारगर कदम उठाए जाएं। आपने कारगर कदम उठाये इसके लिए मैं साठे साहब को बधाई देना चाहता हूं। इसके बाद बिहार की विद्युत उत्पादन क्षमता निश्चित रूप से बढ़ी है। कांटी थर्मल पावर स्टेशन से सीवान, गोपालगंज और उ० प्र० के अधिकांश जिलों की समस्या का निदान कर सकते थे। इसमें कृषि के लिए विशेष प्राथमिकता थी। लाख कोशिश करने के बावजूद भी कांटी थर्मल पावर स्टेशन की पूरी यूनिट चालू नहीं कर पाए। आपने कहा था कि सन् 86 तक कांटी थर्मल पावर की पूरी यूनिट चालू कर पाएंगे। इसके साथ-साथ अन्य राज्यों की हालत को भी देखें तो आज भी बिहार की विद्युत क्षमता कम है और भविष्य में भी उत्पादन क्षमता कम रहेगी।

कोयल-कारो परियोजना आपने हाथ में ली और वह परियोजना कागजों तक ही सीमित रह गई। उस परियोजना के लिए आप कोई कारगर कदम नहीं उठा सके। छोटा नागपुर और झारखंड में काम जोरों पर चल रहा है, जब तक वहां की समस्या का निदान नहीं कर पाएंगे, तब तक लाख कोशिश करें बिहार में विद्युत क्षमता बढ़ाना सम्भव नहीं है। श्रीमती गांधी ने सोचा था कि ग्रामीण बैंकों का जाल बिछाकर और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देहातों में गरीबों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाया जायेगा उसी प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से अधिक से अधिक गरीब तबके के लोगों

को बिजली मुहैया कराए। मैं गोपालगंज से आता हूं। गांवों में यह हालत है कि पोल है तो तार नहीं है और कहीं पर तार है तो पोल नहीं है और कहीं पर कुछ हो नहीं है। गांव के लोग तार काटकर कपड़े पसारने का काम कर रहे हैं। बिहार में ट्रान्सफारमर की बहुत कमी है। जब ट्रांसफारमर जल जाता है तो कम से कम छह-सात महीने तक प्रयास के बावजूद भी वह नहीं लग पाता है। आपका लक्ष्य था कि हर खेत को भविष्य में बिजली देंगे और ट्यूबवैल बेकार पड़े हुए हैं उन्हें ठीक करेंगे। हमारी उत्पादन क्षमता कम से कम 36 हजार टन मैगावाट होनी चाहिए। जब तक नए थर्मल पावर स्टेशन बिहार में मंजूर नहीं करेंगे तब तक बिजली देने का लक्ष्य सफल नहीं होगा। बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री श्री भागवत झा आजाद ने माफिया के विरुद्ध कारगर कदम उठाया और बड़े-बड़े माफिया लोगों को जेल में बन्द किया। उम्मीद है कि नए मुख्य मंत्री भी जब तक माफिया पर काबू नहीं करेंगे तब तक बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाना सम्भव नहीं है। यहां गफूर साहब भी बैठे हुए हैं, इनके मुख्यमंत्रित्व काल में भी मैंने कहा था कि एक कलेक्टर सक्सेना जी ने जब माफिया के विरुद्ध कोयले के मामले में कारगर कदम उठाये तो उनका स्थानांतरण करा दिया गया और जब माफिया लोगों ने दस लाख रुपये उनके रूबाउन्ड में फेंके। कल्पनाथ जी ने जो सुझाव दिया उससे हमारी आशा बंधी है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार प्रदेश में माफिया के विरुद्ध कार्यवाही करने में आप पीछे नही हटेंगे और साथ ही वहां पर आप नये पावर स्टेशंस का निर्माण करेंगे तभी बिहार में विद्युत के उत्पादन में और बढोतरी हो सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं।

कुमारी कमला कुमारी (पलामू) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए इस पर मैं आपको धन्यवाद देती हूं। ऊर्जा के विषय में मुझे सबसे पहले यह कहना है कि हमारे मंत्री महोदय ने जो आवटन किया है वह सक्षम है, कितने दिनों से विकास का कार्य नहीं हुआ उसमें बढ़ोत्तरी होगी। ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिससे देश का विकास पूर्णतः निर्भर करता है। चाहे हम उद्योग के क्षेत्र में देखें, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में देखें, ऊर्जा बहुत जरूरी है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के मामले में भी ऊर्जा की नितान्त आवश्यकता है। इसलिए यदि बिजली रहेगी तो पम्प चलेंगे और जब मानसून नहीं होगा तो उससे तो खेती बचाई जा सकती है और खेती उगाई जा सकती है। इससे सिंचाई का कार्य भी होता है। इन्हीं सब कार्यों को लेकर ऊर्जा का महत्व बढ़ जाता है। रेल के क्षेत्र में भी ऊर्जा की खपत है, उद्योग और कृषि के मामले में भी ऊर्जा की खपत है। यदि इन चार-पांच स्थानों पर ऊर्जा को लिया जाये तो इससे हम देश का विकास कर सकते हैं। अभी मनोरमा बहन नार्थ कोल योजना के बारे में कह रही थीं। यह 1980 में चंद्र शेखर प्रसाद जी जब ऊर्जा मन्त्री थे उस समय लगाई गई थी तब इसकी लागत करीब 80 करोड़ थी और आज ये दुगुनी हो गई है। इस तरह से यदि समय बढ़ता गया और यह पूरी नहीं हुई तो इसकी लागत और अधिक हो जायेगी तथा इसे बनाया जाना मुश्किल होगा। मुझे यह कहना है कि बिहार की आवश्यकता को देखते हुए हिन्दुस्थान में जिस प्रकार ऊर्जा की कमी है, हम लोगों को बायोगैस को अधिक इस्तेमाल में लेना चाहिए। इससे हमारी ऊर्जा की खपत को राहत मिल सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का विकास होना चाहिए, जिससे हमारे कृषि मजदूर लाभान्वित हो सकें और कृषि का उत्पादन बढ़ सके। साथ ही हमारे जो ग्रिड हैं वे ऐसी जगह लगाये जाएं जिससे अधिक से अधिक से गांव कवर हो सकें। इससे ग्रामीण जनता लाभान्वित हो सकेगी। तीसरी बात यह है कि हमारे जो ट्रान्सफारमर लगाये जाते हैं वह कम क्षमता के लगाये जाते हैं और वह जल जाते हैं। इसलिए अधिकांश गांवों को लेकर अधिक क्षमता के ट्रान्सफारमर लगाये जाएंगे तो जलेंगे नहीं। इससे आगे राहत मिल सकती है और विकास का कार्य हो सकता है। हम मन्त्री जी से आग्रह करेंगे कि वह नार्थ कोल

योजना को जल्दी पूरा करवायेंगे तो काफी राहत हो सकती है और इससे उत्पादन जल्दी हो सकना है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी आभारी हूं और ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण, आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर समस्याओं में से एक तक सीमित रखूंगा जो भूमि धंसाव की समस्या है। पिछले सौ सालों और उससे भी ज्यादा समय से आसनसोल-रानीगंज क्षेत्रों में जमीन के भीतर अत्यधिक खुदाई के कारण जमीन के बड़े भाग के भीतर कोयला निकालने के बाद सुरंगों और कुओं को यूंही छोड़ दिया गया है। इन अप्रयुक्त सुरंगों को रेत और पत्थरों से भरे बिना या और कोई सुरक्षा उपाय किये बिना ही छोड़ देने के कारण इसके ऊपर बसे घनी आबादी वाले औद्योगिक क्षेत्र रानीगंज और आसनसोल को भी खतरा पैदा हो गया है।

रानीगंज और आसनसोल क्षेत्र में भूमि धंसान की समस्या की जांच के लिए अनेक समितियां नियुक्त की गई थी और उन्होंने अनेक सिफारिशें भी की थी। लेकिन भारत-सरकार द्वारा इनमें से किसी भी सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया। ऊर्जा मन्त्रालय के अनुसार रानीगंज और आसनसोल के खान क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के भवन निर्माणों पर विधानों द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध ठीक ढंग से, गम्भीरता से तथा सख्ती से नहीं लागू किया जा रहा है। समस्या यह है कि यद्यपि कुछ लोगों को खान सुरक्षा महानिदेशक के द्वारा असुरक्षित घोषित किया गया है पर उस क्षेत्र को निर्दिष्ट नहीं किया गया है क्योंकि उनके पास भूमि का कोई रिकार्ड नहीं है। इसलिए, इन क्षेत्रों में कानूनों द्वारा भवन निर्माण पर लगायी गयी रोक तथा इसे इन क्षेत्रों को खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा असुरक्षित घोषित करने के बाद सख्ती से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। कोयला खान कर्मचारियों के रहने के लिए इ०सी०एल० द्वारा भवन निर्माण किया जा रहा है। यह एक गम्भीर समस्या है। अगर तुरन्त कोई कदम नहीं उठाया गया तो इस क्षेत्र में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैंने आज से तीन साल पहले इस क्षेत्र का दौरा किया था। अनेक जगहों पर मैंने पाया कि भूमि में दरार पड़ गई है और जमीन के नीचे से धुआं निकल रहा है।

यह बताया गया है कि उस क्षेत्र में भूमि धंसान के लिए कुछ मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन वह राशि नाममात्र की है। जब तक भारत सरकार द्वारा रानीगंज शहर, जिसको इससे गंभीर खतरा है के लिए मास्टर प्लान तैयार करके वहां की जनसंख्या का पुनर्वास किया जाता तब तक इस मुआवजे से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। रानीगंज कोयला खान सबसे पुरानी खान है। इसलिये, झरिया खान की तरह ही यहां पर भी एक मास्टर प्लान तैयार कर शहर को इस खतरनाक स्थान से दूसरी जगह बसाना होगा।

रेत और पत्थरों से इसे भरने की एक प्रक्रिया सी०एम०पी०डी०आई० द्वारा विकसित की गई है। यह एक हाइड्रो-न्यूमेटिक' उपाय है। रानीगंज क्षेत्र के धंसाव की समस्याओं को सुलझाने के लिए यह उपाय उपयोग में लाया जा सकता है।

जैसा मैंने कहा है कि ई० सी० एल० द्वारा रिकार्ड को ठीक ढंग से नहीं रखा जाता है। भूमि खनन कार्यों के लिए उपयोग में लायी जा रही है ; कोयला भूमितल से निकाला जा रहा है पर राज्य

सरकार को इसकी कोई रॉयलटी नहीं दी जा रही है क्योंकि उनके पास रिकार्ड नहीं हैं। बिना उपयुक्त अधिग्रहण के, ई० सी० एल० द्वारा जमीन की खुदाई करके कोयला निकाला जा रहा है पर राज्य सरकार को उसे देय रॉयलटी नहीं दी जा रही है।

इस संबंध में, मैं प्रधान मंत्री के उस कथन का याद दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने शांती निकेतन में कुछ विद्यार्थिओं द्वारा उठाये गए बकरेश्वर संयंत्र का जिक्र करने पर कहे थे कि पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा ऊर्जा समस्या को व्यवस्थित प्रबंध नहीं किया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल का संयंत्र भार राष्ट्रीय स्तर से नीचे है।

महोदय, मैं वर्ष 1988-89 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से हवाला देते हुए, पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार के विरुद्ध प्रधान मंत्री जी ने जो मिथ्या आरोप लगाए हैं, उसका प्रतिवाद करना चाहता हूं। रिपोर्ट में यह कहा गया है :

> "एन० टी० पी० सी० के प्लांट लोड फैक्टर में 70.2 प्रतिशत से 64.9 प्रतिशत की कमी मुख्यत: संयंत्रों के रख-रखाव में कमी और उनके बंद रहने के कारण हुई। राज्य के संयंत्रों का औसत प्लांट लोड फैक्टर जो गत वर्ष 51.9 प्रतिशत था, घट कर 49.1 प्रतिशत रह गया। केवल आठ राज्यों आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अप्रैल-दिसम्बर, 1988 के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक प्लांट लोड फैक्टर बरकरार रहा।"

आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है। अत: प्रधान मंत्री ने कल जो कहा वह सच नहीं है। यह कथन तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह रानीगंज और आसनसोल कोयला खनन क्षेत्रों की जटिल समस्या के समाधान हेतु कुछ करें। वन क्षेत्र में कभी भी तबाही हो सकती है। लगभग 5 लाख लोग उस क्षेत्र में कार्यरत हैं।

[हिन्दी]

श्री सलाउद्दीन (गोड्डा) : उपाध्यक्ष जी, मैं अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसिर समय में खत्म करना चाहूंगा। ऊर्जा मंत्रालय का मूल्यांकन करने के लिए आपको नापतोल कर के मूल्यांकन करना होगा। नापतौल कर के ही हम ऊर्जा मंत्रालय पर किसी प्रकार का आरोप लगा सकते हैं या उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसकी नापतौल का सबसे बेहतरीन तरीका यह होना चाहिए कि इसकी ओ० एम० एस० और पी० एल० एफ० को देखना चाहिए और इनमें तुलना करनी चाहिए तभी हमें वास्तविकता का पता लगेगा। इस संबंध में हम पिछले दो-तीन साल की तुलना करें तभी हमें पता लगेगा कि इस विभाग में प्रगति हुई है या नहीं। ओ० एम० एस 1.11 है। इसमें वृद्धि हुई है पिछले सालों के मुकाबले में और जो लॉस हमारा करीब 700 करोड़ रुपए का था, उसमें भी कमी आई है। जहां तक प्रोडक्टिविटी का सवाल है, हम यह अनुमान कर सकते हैं कि 1.94 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि जहां पी० एल० एफ० की तुलना करेंगे पिछले दो वर्षों में पी०एल० एफ० की नैशनल एवरेज काफी बढ़ी है। जैसाकि हमारे आचार्य जी ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट में पी० एल० एफ० जरूर कम है, लेकिन जो हमारे नैशनल थर्मल पॉवर हैं, उनमें जो कार्य चल रहा है, वह काफी संतोषजनक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लॉस कम हुआ है। हर दृष्टिकोण से हम देखें, तो ऊर्जा मंत्रालय ने काफी अच्छा काम किया है। इस मंत्रालय का काम और मंत्रालयों

जैसा नहीं है कि पूरे देश के संबंध में एक ही तरह का कानून बना दें। यहां तो ई० सी० एल० की और सी० सी० एल० की सब की अलग-अलग समस्याएं हैं उसके नेचर अलग-अलग हैं। हर स्टेट की प्रॉब्लम्स हैं। कहीं लेबर प्रॉब्लम्स है, कहीं मैनेजमैंट प्रोब्लम्स है। सब जगह की अलग-अलग प्रौब्लम्स हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी मैथौन आपरेशन एरिये का हैडक्वार्टर कलकत्ता में है जो कि किसी भी प्रकार न्यायपूर्ण नहीं है। उसके साथ ही संथाल परगना एरिये का सबसे बड़ा कोल बैल्ट है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अन्य रेल बजट अलग करते हैं, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एनर्जी बजट भी अलग से रखें। यह इसलिए कि रेल मंत्रालय के बाद सबसे बड़ा मंत्रालय एनर्जी का है, इसमें 7 लाख के करीब एम्पलाई हैं, इन-डायरेक्ट 10 लाख के करीब हैं। रेल मंत्रालय में करीब 17 लाख एम्प्लाई हैं और एनर्जी में करीब-करीब पौने 7 लाख एम्प्लाई हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि मैथौन आपरेशनल एरिए का हैडक्वार्टर मैथौन में ही लाया जाए और संथाल परगना का अलग जोन बना दिया जाए। वह अलग बैल्ट है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : धन्यवाद, महोदय। आरम्भ में, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने ऊर्जा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद में भाग लिया है।

कुल मिला कर सभी ने यह भावना व्यक्त की है कि ऊर्जा मंत्रालय के विभागों ने यह अच्छा कार्य किया है। निःसन्देह, कोई भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। बहुत कुछ किया जाना बाकी है क्योंकि महोदय, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमा अनन्त है।

जब भी मैं ऊर्जा के विषय में सोचता हूं, तो मैं अपने लोकाचार और विरासत को स्मरण किए बिना नहीं रह सकता जिसमें ऊर्जा के समूचे प्रश्न पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया है। मानव सभ्यता की कहानी मानव द्वारा ऊर्जा की खोज उसके इस्तेमाल और ज्ञान की कहानी है। आग की खोज लेकर अंतरिक्ष ऊर्जा के इस्तेमाल तक मानव न केवल बिजली या कम्प्यूटरीकृत बल्कि ऊर्जा के एक बुनियादी तत्व, जिसे मानव बुद्धि कहा जाता है, के इस्तेमाल से बहुत आगे बढ़ गया है। परन्तु उस का भी अभी पूर्ण इस्तेमाल नहीं हो रहा है और यदि मानव अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने का निर्णय करलें तो मुझे कोई शक नहीं है कि ऊर्जा के स्रोत इतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं कि हम समस्त मानवता के जीवन को सुधारने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। महोदय, मैं अपने संतों की वाणी का स्मरण करता हूं :

"ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं
जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा
मा गृधः कस्य स्विद्धनम्॥"

[अनुवाद]

समस्त ब्रह्माण्ड ऊर्जा में व्याप्त है। मानव के लिए एक सलाह है: "लालची मत बनो, सोचो कि तुम्हारे पास समस्त सम्पदा है और लोभी मत बनो।"

कई वर्षों बाद गुरू नानक देव ने कुछ कहा था :

[हिन्दी]

"अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे,

एक नूर ते सब जग उपज्या, कौन भले कौन मंदे ।"

[अनुवाद]

पहले ऊर्जा पैदा हुई और ऊर्जा से समस्त विश्व तथा सभी चीजें पैदा हुईं । इसलिए अहंकार मत करो । कौन बड़ा है और कौन छोटा ?

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : उस समय बसंत साठे जी ऊर्जा मंत्री नहीं थे ।

श्री बसंत साठे : जब मैं देखता हूं कि हम में अभी भी कई तरह की भावनाएं हैं और हम सभी पर दुनियादारी के दोष लगाने की कोशिश करते हैं तो मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि ऊर्जा के इस प्रश्न पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए । यही मेरा लक्ष्य है ।

ऊर्जा स्रोतों में, मैं सर्वप्रथम कोयले को लूंगा जो हमारी जानकारी में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है । इस देश में कोयले के अपार भण्डार हैं । एक क्षेत्र विशेष—बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों मे यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । तमिलनाडु और राजस्थान में लिग्नाइट पाया जाता है । पिछले सैकड़ों वर्षों से हम इन स्रोतों का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं । परन्तु महोदय, यह जानकर आश्चर्य होता है कि आजादी के बाद भी वर्ष 1973-74 में कोयले का राष्ट्रीयकरण किए जाने तक, अधिकतम उत्पादन केवल 70 मिलियन टन था । कई लोग हमारे देश की उपलब्धियों का न्यूनांकलन करते हैं और टीका-टिप्पणी करते हैं । कभी-कभी हम स्वयं भी ऐसा करते हैं । परंतु यदि हम कुछ बुनियादी आंकड़ों को देखें तो उससे प्रत्येक देशभक्त भारतीय गर्व महसूस करेगा । राष्ट्रीयकरण के उपरान्त उत्पादन में वृद्धि तो देखिए । इस देश के सभी प्रगतिवादी तथा समाजवादी लोगों की मांग थी कि हमें इस बुनियादी क्षेत्र अर्थात् कोयले का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए । इस क्षेत्र में हुई प्रगति को देखिए । वर्ष 1973 के बाद से अब तक हमने कोयला उत्पादन में 10 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि की है जोकि 1973 में 70 मिलियन टन था । क्या यह उपलब्धि नहीं है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, केवल एक मिनट ।

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे : आते ही प्वाइंट ऑफ आर्डर ।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : एक समय था जब आपने राष्ट्रीयकरण की आलोचना की थी । मुझे यह देखकर बहुत खुशी है कि अब आप इसकी प्रशंसा कर रहे हैं ।

श्री बसंत साठे : अब सुनिए । किसने आलोचना की थी । 'आप' से आपका क्या अभिप्राय है ? मैंने कभी भी राष्ट्रीयकरण की आलोचना नहीं की । मैं इस बात को साफ करूंगा । आज भी मैं कहूंगा कि राष्ट्रीयकरण की आलोचना का लक्ष्य केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे राष्ट्रीयकृत उपक्रम कुशलतापूर्वक कार्य करें । मुझे बस यही कहना है । क्या आपको इस बात पर कोई आपत्ति है ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, इन्हें भ्रम है। आप केवल संसदीय प्रणाली की आलोचना करते हैं।

श्री वसंत साठे : क्या वह संसदीय प्रणाली से भी भ्रमित है? मैं मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहता। कोयले पर ही विचार किया जाए।

महोदय, 1300 मैगावाट की अधिष्ठापित क्षमता से 58,000 मैगावाट की अधिष्ठापित क्षमता प्राप्त करना, 3000 गांवों के विद्युतीकरण से शुरू होकर 4,15,000 गांवों का विद्युतिकरण करना, 25,000 पम्पसेटों की तुलना में 67 लाख पम्पसेट लगाना—जोकि हमारी हरित क्रान्ति का आधार है—क्या यह कोई उपलब्धि नहीं है? यह ऐसी उपलब्धि है जिस पर सभी को गर्व होना चाहिए।

परन्तु मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो निरन्तर यह कहते रहे हैं कि हमें अभी बहुत कुछ करना है। जब हम विश्व के दूसरे देशों के साथ अपनी तुलना करते हैं तो हमारी स्थिति क्या है? जब हम तुलना करते हैं हम महसूस करते हैं कि हमें अभी कितनी मंजिलें तय करनी हैं। इसीलिए हमें विश्व व्याप्त वास्तविकताओं का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करना है।

मैंने प्रायः यह कहा है और मैं फिर कहूंगा कि जहां तक विद्युत का प्रश्न है, ऊर्जा के रूप में बिजली ही समस्त प्रगति, चाहें वह कृषि के क्षेत्र में हो या औद्योगिक या आर्थिक क्षेत्र में, का आधार है। विश्वभर में यह एक मानदंड है कि किसी देश विशेष में बिजली के रूप में प्रति व्यक्ति कितनी ऊर्जा उपलब्ध है। जहां तक विश्व के विकसित देशों का सम्बन्ध है, वहां प्रति व्यक्ति 7000 के० डब्ल्यू०एच० ऊर्जा उपलब्ध है। अमरीका में यह मात्रा 10,000 के०डब्ल्यू०एच० है। कनाडा, स्वीडन और कुछ अन्य देशों में यह 12,000 के०डब्ल्यू०एच० से भी अधिक है। कई अन्य विकासशील देशों में भी यह 1000 के०डब्ल्यू०एच० से अधिक है। परन्तु भारत में हमारी उन उपलब्धियों के बावजूद, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, प्रति व्यक्ति उपलब्धता 200 के०डब्ल्यू०एच० है। जरा गौर कीजिए, यदि हम अपने देश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं, और विश्व के दूसरे देशों के बराबर आना चाहते हैं तो हमें अभी बहुत कुछ करना है। मानव की शक्ति सहित इस देश की समस्त शक्ति केवल इसी कार्य पर लगानी है। हम अपनी शक्ति घरेलू झगड़ों में व्यर्थ नहीं गंवा सकते। मैं प्रायः यही विनम्र निवेदन करता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कौन-सी शक्ति?

श्री वसंत साठे : जब मैंने आध्यात्मिक शक्ति का जिक्र किया, जो सभी शक्तियों में श्रेष्ठ है, उस समय आप यहां नहीं थे। आप इसका समर्थन नहीं करेंगे। श्री रेड्डी, आपका कुछ अन्य 'आत्माओं' से कुछ सम्बन्ध है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं सुलझा हुआ आदमी हूं।

श्री वसंत साठे : अतः मेरा निवेदन है कि जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, यदि हम पूरी स्थिति को देखें तो आज इसमें मुख्य बाधा कोयले की उत्पादकता में सुधार करने की है। कृपया इसे महत्व दीजिए। यहां तक कि राष्ट्रीयकरण के बाद भी यह मुश्किल बनी हुई है। आज उत्पादकता को एक ही तरीके से अर्थात् आउटपुट-मैन-शिफ्ट से मापा जाता है। भूमिगत खदानों के मामले में आउटपुट-मैन-शिफ्ट पर अलग से विचार करना होगा क्योंकि आउटपुट-मैन-शिफ्ट में अन्तर होता है। खुले मुहाने वाली खदानों में, मशीनी उपकरणों के कारण ऐसा है। यहां तक कि अब भूमिगत खदानों

में भी आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं, किन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद भी हमें जिस मुख्य घटक को ध्यान में रखना है वह यह है कि यद्यपि हमने यह निर्णय लिया था कि सामाजिक उद्देश्यों को देखते हुए हम किसी की छटनी नहीं करेंगे अपितु जहां भी सम्भव होगा हम रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस प्रक्रिया में क्या हुआ ? कोल इंडिया में, राष्ट्रीयकरण के समय श्रमिकों की संख्या पांच लाख से कम थी। आज, अकेले कोल इंडिया में 6.1 लाख श्रमिक हैं। सिंगरैनी में करीब डेढ़ लाख से 2 लाख तक श्रमिक हैं। कृपया इस पर विचार कीजिए कि सभी देशों में जहां आउटपुट-मैन-शिफ्ट है भूमिगत खादानों में प्रतिदिन प्रति श्रमिक 2 टन से अधिक कोयला निकाला जाता है। चीन में भी ऐसा ही है। मैं यह उदाहरण अपने कई ऐसे मित्रों को दे रहा हूं जो यह सोचते हैं कि चीन हर तरह से आदर्श है। ठीक है। तब इसकी जांच कीजिए। भूमिगत खदानों के मामले में चीन में ओ०एम०एस० 2 टन से अधिक है और राष्ट्रीयकरण के बाद से आज तक भारत में भूमिगत खादानों में ओ०एम०एस० आधे टन से भी कम है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : क्यों ?

श्री वसंत साठे : देख लीजिए। मैं यही कह रहा हूं। हम एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं, ऐसा क्यों है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : रिपोर्ट में यह बताया गया है। बेहतर होगा कि आप मुद्दे पर आइये।

श्री वसंत साठे : गीता जी, क्या करना चाहिए ?

जब तक उत्पादकता में सुधार लाने का निर्णय नहीं लेते, इसकी जिम्मेदारी श्रमिकों तथा प्रबंधकों की होना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं है कि प्रबन्धक श्रमिकों पर आरोप लगाएं और श्रमिक प्रबन्धकों पर।

मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। पिछले 3-4 वर्षों के दौरान, हमने इसमें सुधार लाने का प्रयास किया है, और हम औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार लाने में काफी हद तक सफल भी हुए हैं। श्रमिकों के साथ हमारे सम्बन्धों में इतना सुधार आया है कि आज श्रम दिवसों की हानि न्यूनतम रह गई है। पिछले दो वर्षों में—हमारे मित्रों द्वारा कराई गई राजनैतिक हड़तालों को छोड़कर—प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच किसी विवाद के कारण शायद ही कोई हड़ताल हुई हो। मेरे मित्र श्री माधव रेड्डी और सम्भवतः श्री जयपाल रेड्डी भी जानते हैं कि सिंगरैनी में 1984 से पहले, 300 दिनों में 500 बार हड़ताल हुई। वहां न्यूनाधिक रूप से अराजकतापूर्ण स्थिति थी। उत्पादन 14 मिलियन टन पर स्थिर हो गया था। इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। मात्र वार्तालाप से। इसका कारण यह भी हो सकता है कि मुझे श्रमिक संघ का अनुभव है, जब हम वहां गए और हमने सभी श्रमिक संघों को, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया और एक साथ बैठकर यह निर्णय लिया कि यहां हम एक संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र बनाएंगे और आपस में बातचीत न कर पाने के कारण विवाद बना रहे ऐसा नहीं होना चाहिए—पूरी स्थिति ही बदल गई। अतः उसके बाद से राजनीति से प्रेरित दंगों के एक-दो ही उदाहरण हैं। किन्तु कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि सिंगरैनी में पूरी स्थिति में इतना परिवर्तन आया है कि उत्पादन बढ़कर अब 18 मिलियन टन हो गया है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि लक्ष्य 20 मिलीयन टन रखा गया था, जो पूरा नहीं किया जा सका। जैसाकि मैंने कहा कि इसके अलावा और भी कई कारण हैं।

जहां तक सामान्य औद्योगिक सम्बन्धों का सम्बन्ध है, वे अच्छे रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन अधिक हुआ है. उत्पादकता में सुधार आया है और इसी के फलस्वरूप इस वर्ष 194 मिलीयन टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। किन्तु हमें उपभोक्ता की संतुष्टि से स्वयं को परखना होगा। अन्ततः उत्पादन ही सब कुछ नहीं है, मुख्य बात है उपभोक्ता की संतुष्टि। मुझे याद है, जब मैंने इस मन्त्रालय में पदभार संभाला था तब इस सदन तथा हर जगह, कोयले का कम मात्रा में प्रयोग करने वालों द्वारा, ईंट भट्ठे वालों द्वारा, चूड़ी उद्योग द्वारा और लघु उद्योगों द्वारा शिकायतें की जाती थीं। किन्तु हमने जो नीति अपनाई, वह यह थी कि हमने उनके प्रतिनिधियों को बुलाया, उनके साथ बातचीत की तथा उनके उद्योगों के आस-पास ही डिपो बना दिए और इसका ध्यान रखा कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में कोयला मिले। पिछले 3-4 वर्षों से हमें उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। सॉफ्ट कोक भी एक महत्वपूर्ण घटक है जिसका पश्चिम बंगाल और बिहार से अत्यधिक सम्बन्ध है। मुझे एक सुझाव देना है। हमने सॉफ्ट कोक का मूल्य पिछले 8 वर्षों से 175 रुपए टन पर स्थिर रखा हुआ है, यद्यपि इसकी कीमत में निरन्तर वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप व्यापारियों और अन्य दलालों द्वारा बेचा जाने वाला कोयला उपभोक्ता को 600 रुपए टन से भी अधिक पर मिलता है। हम इसे 175 रुपए टन की कीमत पर बेच रहे हैं। इस बीच का फायदा कौन उठा रहा है? इसका फायदा बिचौलियों को हो रहा है। मेरा निवेदन है कि हम एक योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं। हम उन्हें स्टोम कोयला देंगे। इसे भाव में, अथवा जहां इसकी उपभोक्ता को सीधे सप्लाई की जाती है, लोगों द्वारा या उपभोक्ता द्वारा सॉफ्ट कोक में परिवर्तित किया जा सकता है हम इसे मुक्त कर सकते हैं, हम इस पर से नियंत्रण हटा सकते हैं, जहां तक सॉफ्ट कोक का सम्बन्ध है, यदि ऐसा किया जाता है तो आप पाएंगे कि बिचौलियों द्वारा किया जाने वाला शोषण बन्द हो जाएगा और जनता को, उपभोक्ता को बहुत कम मूल्य पर सॉफ्ट कोक उपलब्ध हो सकेगा। आज ऐसे निहित स्वार्थ पैदा हो गए हैं जो कोयले के उपभोक्ताओं का तथा उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं इसी कारण सॉफ्ट कोक का उत्पादन कम हो रहा है। मैं आपके समक्ष यही एक पहलू रखना चाहता था।

जहां तक कल्याण सुविधाओं का सम्बन्ध है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोयला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसने कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद उल्लेखनीय प्रगति की है। श्री अनिल बसु, श्री दामोदर पाण्डे और श्री राम प्यारे पनिका जैसे माननीय सदस्यों ने विशेषरूप से कल्याण गतिविधियों के बारे में कहा। मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से हमने केवल कोल इंडिया के कर्मचारियों को आवास, जल आपूर्ति, चिकित्सा और अन्य कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1240 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

3.00 म० प०

1984-85 में उन्हें 98 करोड़ रुपये दिए गए जबकि 1975-76 में उन्हें 12 करोड़ रुपए दिये गए थे और अब यह राशि 12 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से बढ़कर 236 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो गई है। कोयला कंपनियां इन गतिविधियों पर 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर सकती हैं।

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग) : आपने तीन वर्ष की अवधि के आंकड़े दिए हैं। किन्तु तीन वर्षों के दौरान क्या स्थिति रही? चूंकि इसके लिए बजट में आवंटन कम हुआ, इसलिए इसमें कितनी कटौती की गई है। इन तीन वर्षों के आंकड़े आप स्वयं देख लीजिए। आपने यही आंकड़े दिए हैं।

श्री वसंत साठे : मैंने आपको पिछले वर्ष, 1987-88 से आंकड़े दिए हैं, कोयला कम्पनियों ने 236 करोड़ रुपये खर्च किए। कोयला कम्पनियां 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च कर सकती हैं। दामोदर जी, 1988-89 में यह खर्च कम नहीं हुआ है।

श्री अनिल बसु : आप अपने अधिकारियों द्वारा दिए आंकड़े पर ही भरोसा कर रहे हैं। किन्तु हम इसी क्षेत्र में हैं और हम जानते हैं कि कौन-सी कल्याण गतिविधियां चल रही हैं। अतः कृपया हमें भी विश्वास में लीजिए।

श्री वसंत साठे : ठीक है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : समझौता हुआ था। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मैंने जो आंकड़े नोट किए हैं, वे मैं आपको दे सकता हूं।

मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मै इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि हमने उनके पूरे कल्याण का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। मैं स्वयं ऐसा कह रहा हूं। लेकिन हमें तुलना करके देखना चाहिए कि हम कहां थे और अब कहां पहुंच गए हैं। हमें इसमें सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जहां तक आवास का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयकरण के समय 1,18,366 मकान उपलब्ध थे। अब यह संख्या करीब 3 लाख है और इसे और आगे बढ़ाना है तथा हमारा उद्देश्य इस शताब्दी के अन्त तक 70 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करना है। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि यह सम्भव नहीं है कि आप रातों-रात उन्हें मकान और अन्य सब उपलब्ध करा दें। यह सम्भव नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। एक तरफ तो आपको हानि है, कोयला क्षेत्र को घाटा हो रहा है और दूसरी तरफ आप उनके कल्याण पर अधिक राशि खर्च नहीं कर सकते। आप—चोर को कहें चोरी कर और साध को कहें जागता रह—ऐसा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे : आपने तीन साल में तीन हजार मकान बनाये और तीन लाख से अधिक मकान आपको बनाने हैं। कितने दिन में यह काम पूरा होगा ?

श्री वसंत साठे : जब आपकी प्रोफेब्लिटी बढ़ेगी, तब बनेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं...

[अनुवाद]

एक माननीय अवस्य : इसे उत्पादकता से जोड़िये।

श्री वसंत साठे : जी हां, यही मैं करना चाहता हूं।

उसके लिए कोयला क्षेत्र और हमारे सभी मुख्य सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को आत्मनिर्भर, अपने आप में सक्षम और अपने लिए स्वयं संसाधन उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। केवल तभी हम कल्याण कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन खर्च करने में समर्थ होंगे। यही मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं। लेकिन जहां तक जल आपूर्ति का सम्बन्ध है यह कहना पर्याप्त है कि राष्ट्रीयकरण के समय केवल 2,27,300 जनसंख्या को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध थी आज हम लगभग 20 लाख लोगों को पीने का पानी मुहैया करा रहे हैं। इसमें निराशा की कोई बात नहीं है।

श्री अनिल बसु : छः लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है अगर आप प्रति परिवार के हिसाब से पांच व्यक्तियों को लें तो 30 लाख लोग हो जाते हैं।

श्री बसंत साठे : जी हां, 20 लाख लोगों को हमने पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करायी है और दस लाख लोगों को पीने का पानी और उपलब्ध कराना है।

श्री अनिल बसु : राष्ट्रीयकरण के 13 वर्षों पश्चात् भी आप श्रमिकों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सके हैं।

श्री बसंत साठे : हम पीने का पानी कितने लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं ? हमने 2 लाख से 20 लाख तक की वृद्धि की है।

श्री अनिल बसु : उस आंकड़े पर आप विश्वास कर रहे हैं—लेकिन किस आधार पर ?

श्री बसंत साठे : : आप किस पर विश्वास करेंगे ? मैं केवल आंकड़ों पर भरोसा कर सकता हूं जो मैंने अपनी कम्पनियों से प्राप्त किये हैं। अगर आपके पास अन्य कोई आंकड़े हैं तो आप मुझे दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें अपने आंकड़े दीजिए उन्हें उन आंकड़ों को सत्यापित करने दीजिए।

श्री बसंत साठे : वहां एक जे०बी०सी०आई० है। हम हमेशा इन मामलों पर अपने केन्द्रीय मजदूर संघ के नेताओं से चर्चा करते रहते हैं और इसके लिए एक स्थायी संगठन है। हम उनसे चर्चा करते रहते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कृपया कोई व्यवधान न डालिए।

श्री बसंत साठे : जैसाकि मैं कह रहा था, जहां तक कोयला उत्पादन का सम्बन्ध है यद्यपि हमने पर्याप्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, फिर भी कीमतें ऊंची हैं आज यह लगभग 250 रुपये प्रति टन है। लेकिन अधिकांश कीमतें···(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : आपने 243 रुपये कहा था···(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : वर्तमान नई वृद्धि से यह 249/- रुपये हो जायेगा।

महोदय, जहां तक कोयले के अन्त उत्पाद के वास्तविक मूल्य का सम्बन्ध है आपको उपकर बीच में जोड़ना होगा। पहले यह केवल रायल्टी थी। अब बिहार और पश्चिम बंगाल ने इस उत्पादन में इतना अधिक उपकर जोड़ दिया है जिससे लागत काफी बढ़ जाती है—केवल उपकर जोड़ने से जो लगभग 40 प्रतिशत है। इसके पश्चात् आप भाड़ा जोड़ते हैं। अतः बिजलीघर या कोई भी उपभोक्ता क्यों न हो, जब तक यहां पहुंचता है तो कीमत 600 रुपये से अधिक हो जाती है···(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : केवल भाड़ा जोड़ा जाता है लेकिन लागत में उपकर शामिल होता है···(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : जी नहीं, जहां तक कोयला कम्पनी का सम्बन्ध है, मुहानों पर कीमत में उपकर शामिल नहीं होता। रायल्टी, उपकर, बिक्री कर और अन्य कर इसमें बाद में जोड़े जाते हैं···(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसमें भाड़ा समकरण है···(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : भाड़ा समकरण, हम कोयले में ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हमें नुकसान होगा···(व्यवधान) गीता जी, क्या आप भाड़ा समकरण का समर्थन कर रही हैं ? कोयले में कोई भाड़ा समकरण नहीं है। ऐसा केवल स्टील में है। राष्ट्रीयकरण से पहले यह था। हमने ऐसा नहीं किया। अन्यथा बिहार और पश्चिम बंगाल को सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता···

(व्यवधान)

महोदय, मैं उत्पादकता के बारे में बात कर रहा था। मैं निवेदन करता हूं कि पिछले दो वर्षों में ओ०एम०एस० में थोड़ा सुधार हुआ है। लेकिन मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। यह देश और यहां के लोग संतुष्ट नहीं हो सकते क्योंकि जब हमें विश्व में बाहर प्रतियोगिता करनी पड़ती है तो जैसाकि मैंने कहा भूमिगत उत्पादन प्रति व्यक्ति शिफ्ट कम से कम दो टन तक करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रबन्ध व्यवस्था, श्रमिकों और प्रत्येक व्यक्ति को संगठित करना होगा और जैसाकि मैंने कहा था कि मैं एक भी व्यक्ति की छंटनी करने में विश्वास नहीं करता हूं। वास्तव में जहां तक खनकों का सम्बन्ध है, जो भूमिगत कार्य करते हैं समर्थ और योग्य होना चाहिए जो इस कार्य को जानते हों। अब हम "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ योजना" को शुरू कर रहे हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हाल ही में किए गए समझौते में सभी केन्द्रीय मजदूर संघों ने समझौते पर मित्रभाव से हस्ताक्षर किये थे जिसमें "सेवानिवृत्त लाभ योजना" भी शामिल है या जिसे "पेंशन योजना" कहा गया है···(व्यवधान)

श्री लक्ष्मन थामस (मवेलिकरा) : यह तो उन्हें पैसा देकर निकालना ही हुआ।

श्री बसंत साठे : नहीं, हम निकालना नहीं चाहते। हम किसी को भी बाहर करना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग वृद्ध हो गए हैं और भूमिगत कार्य नहीं कर सकते वहां हम एक योजना शुरू कर रहे हैं जहां उनके आश्रित या उनके प्रतिनिधि जो युवा हैं और उनके स्थान पर कार्य कर सकते हैं और यह व्यक्ति अच्छे पारिश्रमिक और राशि प्राप्त करके जा सकता है···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : वह सांसदों पर भी लागू होगा।

श्री बसंत साठे : मुझे विश्वास है ऐसा धीरे-धीरे होगा। लेकिन जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा है, वे लोग जो खानों में काम नहीं कर रहे हैं, वे लोग जो भूमिगत परिश्रम नहीं कर रहे हैं लेकिन जो मेहनत का काम नहीं करते उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है अन्ततः इसका 'ओ०एम० एस०' पर प्रभाव पड़ता है और इसमें कमी होती है। अगर आपका उत्पादन या उत्पादकता सबसे कम है और उत्पादन लागत अधिकतम है तो क्या आप प्रतियोगी विश्व में बने रह सकते हैं। चाहे यह कोयला, इस्पात, विद्युत या कोई अन्य क्षेत्र हो विशेषतया बुनियादी क्षेत्र में क्या हम ऐसा कर सकते हैं ? आप प्रतियोगी कैसे बन सकते हैं ? इसीलिए हमें उन प्रगतिशील देशों जैसे चीन, आदि से स्वयं की तुलना करनी चाहिए। उन्होंने भूमिगत खानों में 97 प्रतिशत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है उनका प्रति व्यक्ति न्यूनतम उत्पादन 2.1 टन है। हमें 2 नहीं तो कम से कम 1.5 तक का लक्ष्य तो प्राप्त करना ही चाहिए। लेकिन यहां हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। प्रबन्ध व्यवस्था श्रमिकों पर आरोप लगायेगी, श्रमिक प्रबन्ध पर आरोप लगाएंगे मंत्री विपक्ष पर आरोप लगाएगा और विपक्ष मंत्री पर आरोप लगाएगा और परिणामस्वरूप हमारा उत्पादन 0.54 टन पर स्थिर हो जाएगा और हमारी उत्पादन लागत लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसे नहीं चलेगा। हम सबको मिलकर एक कार्यवाही का समर्थन करना चाहिए। जबकि एक तरफ हम अपने श्रमिकों के साथ पूरा न्याय करना चाहते हैं,

श्रमिकों को भी सभी स्तरों पर पूरा हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा, यह संसद और इस देश के लोग बुनियादी वस्तुओं के उत्पादकों से, उत्पादन में सर्वोत्तम लागत लाभ अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करने की आशा करते हैं। उसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि हमें भूमिगत खानों में अपनी उत्पादकता में सुधार करना चाहिए। अब हम मशीनीकृत 'लांग वाल' प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हम इस उपकरण पर काफी निवेश कर रहे हैं। अगर हम इसका उचित इस्तेमाल नहीं करते तो पूंजीगत लागत बढ़ जाएगी और सफलता नहीं मिलेगी। यह भूमिगत खानों के बारे में है।

मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि विशेषतया यह पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित है, हम आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोयला खानों के विकास में 990 करोड़ रुपए खर्च करेंगे लेकिन मुझे सबसे अधिक चिन्ता इस बात की है कि पश्चिम बंगाल सरकार भूमि अर्जित करने में हमारी सहायता नहीं कर रही है। अगर आपके पास भूमि नहीं है तो कोयला कहां से मिलेगा ?

श्री अनिल बसु : आप भूमि अर्जित किए बिना कोयला निकाल रहे हैं।

श्री वसंत साठे : क्या आप कोई उदाहरण देंगे ? अगर आप देंगे तो मैं उसे ढूंढने का प्रयास करूंगा और आपको बताऊंगा।

श्री अनिल बसु : मैं आपको अवश्य भेजूंगा।

श्री वसंत साठे : उस क्षेत्र के बारे में मैं नहीं जानता। आपको काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि आप कोयला खनन का कार्य शुरू नहीं कर रहे हैं। आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि आपको कोयले पर उपकर और रायल्टी नहीं मिल रही है। आप इस बात को महसूस नहीं करते। सोनपुर बजारी के बारे में, मेरे माननीय मित्र श्री अनिल बसु और गीता जी भली प्रकार जानते हैं कि मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों से भूमि लेने के बारे में लगातार बातचीत की है। लेकिन वे भूमि अर्जित करने में समर्थ नहीं हुए हैं। हम क्या कर सकते हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या आप वन भूमि के कारण केन्द्रीय सरकार से मंजूरी प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री वसंत साठे : यहां वन सम्बन्धी कोई समस्या नहीं है यहां अन्य सभी मंजूरियां मिल गई हैं। वे सहमत नहीं हो रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि भूमि से बेदखल किए गए प्रति व्यक्ति को खान में नौकरी दी जाए।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यही आपका भी फार्मूला था।

श्री वसंत साठे : ओह, आप आ चुके हैं।

श्री नारायण चौबे : जी हां।

श्री वसंत साठे : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नारायण चौबे : यह आपका भी फार्मूला था। परन्तु अब आप अपने ही फार्मूले से फिर रहे हैं।

श्री वसंत साठे : नहीं, हम अपने फार्मूले से फिर नहीं रहे हैं मुझे यह कहना चाहिए। खान के लिए आवश्यक अंग अर्थात् कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या संगत मसला है। उदाहरणतया यदि किसी विशेष खान में कार्य आरम्भ किया जाता है और आधुनिक प्रौद्योगिकी और मशीनीकरण से वहां

10 लाख टन कोयला निकलता है, और मान लीजिए उस खान के लिए आपको लगभग 300 श्रमिकों की आवश्यकता है—मैं सैद्धान्तिक रूप से एक प्रस्ताव रख रहा हूं—वास्तव में ऐसा होता है जिस समय भू-स्वामी को यह पता लगता है कि कोयले के लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाने वाला है तो वे उसे बेच देते हैं अथवा उसे खंडों और उपखंडों में बांट देते हैं यदि 3 एकड़ भूमि है तो उसे आधे-आधे एकड़ में बांटा जाता है अथवा एक एकड़ भूमि को ही चार व्यक्तियों में बांटा जाता है। क्योंकि वे जानते हैं कि भूमि से बेदखल प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना पड़ेगा क्योंकि नीति ऐसी ही थी। अब होता यह है मान लीजिए भूमि से बेदखल व्यक्ति 800 हैं और यदि यह आग्रह किया जाता है कि आपको 800 व्यक्तियों को काम पर लगाना है तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि आरम्भ से ही वह खान अलाभकारी बन जाएगी। आप उस खान में कभी भी मितव्ययतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते···(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : एक मिनट, महोदय। मुख्य समस्या यह है···(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : श्री अनिल बसु, कृपया मेरी पूरी बात सुनिए। मैं आपके हित में कुछ बात कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है।

श्री वसंत साठे : मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे मेरे भाषण में बीच-बीच में हस्तक्षेप करने की बजाय पहले मेरी पूरी बात सुनें और उसके बाद भाषण के अन्त में वे मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि हमारी योजना यह है कि भूमि से बेदखल व्यक्तियों के हित में हम उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहते। वे जो भी प्रस्ताव रखते हैं हम यही कहते हैं कि 'ठीक है'। भूमि से बेदखल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले हम बाजार दर पर मुआवजा देते हैं अर्थात् भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर पर मुआवजा देते हैं और दूसरे, राज्य के राजस्व रिकार्ड अधिकारियों से प्रमाणित, उस भूमि से उस परिवार अथवा उस व्यक्ति को होने वाली आय को हम स्वीकार कर लेते हैं और उस आय के अलावा हम उसे 100 रुपए प्रतिमाह अधिक धनराशि देते हैं। मान लीजिए उसकी एक अथवा दो एकड़ भूमि से उसे 200 रुपए अथवा 300 रुपए की प्रतिमाह आय है तो हम उस राशि में 100 रुपए और जोड़कर उसे उस भूमि से अपनी आजीविका छिन जाने के कारण मुआवजे के रूप में प्रतिमाह आजीवन अदायगी करते हैं। केवल यही नहीं हम उसे घर के लिए जमीन खरीदने और मकान बनाने के लिए भी धन देने को तैयार हैं। इसके अतिरिक्त हम उसे अपना कोई अन्य व्यवसाय अथवा राज्य सरकार के सहयोग से कोई उद्योग लगाने के लिए प्रशिक्षण देने के मामले में सहायता करने के लिए भी तैयार हैं। संक्षेप में मानवता के आधार पर हम उस व्यक्ति की पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। परन्तु भगवान के लिए हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोयला खनन को अलाभकारी बनाया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से अन्ततः इस देश इसकी उत्पादकता और उत्पादन में कोई लाभ नहीं होगा। यह हमारा निवेदन है।

इसके साथ ही अब खुले खनन की बात आती है। आजकल हमारा 60 प्रतिशत कोयला खुली खानों से उत्पादित किया जाता है। हमने पूंजीगत उपकरणों—बेलचों ड्रैग लाइन, डम्पर इत्यादि के रूप में भारी मात्रा में धनराशि निवेश की है। इस क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए निवेश किए जा चुके

हैं। परन्तु जब तक इन उपकरणों का पूरी क्षमता से समुचित उपयोग नहीं किया जाता, उनका रख-रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जाता और जब तक हम यह आग्रह नहीं करते कि उत्पादन सभी आदानों और पूंजी तथा श्रम लागत के अनुरूप होना चाहिए तब तक हमें कोई फल प्राप्त नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक उपकरण का अपना उत्पादन-मानक है। ठीक है, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अथवा उस देश में जहां उपकरण को लाया गया है यदि उस उपकरण से 16 टन कोयला प्रतिदिन निकाला जा रहा था तो आप कह सकते हैं कि भारत में गर्म जलवायु और अन्य कारणों से इसे घटाकर 14 टन अथवा 12 टन किया जा सकता है। मैं यह तो समझ सकता हूं। परन्तु यदि हम खुली खान से 6 अथवा 7 टन से कम कोयला निकालते हैं तो हम न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि मेरा मुख्य निवेदन पुनः यही है कि यदि हम इस विश्व में अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहते हैं तो हमें प्रतिस्पर्धा करनी होगी और सभी मूलभूत ढांचों में हम काफी पीछे हैं और लागत के आधार पर अपने आपको स्पर्धा से बाहर निकाल रहे हैं। ऊंची लागत का प्रमुख कारण यह है कि हमने मूलभूत ढांचे को बहुत महंगा और निषेधात्मक बना दिया है। ऊंची लागत के कारण आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना जिसका उल्लेख उन्होंने वर्ष 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया था, आजकल निरर्थक लगता है। हमने यह सोचा था कि सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर हम अतिरिक्त उत्पादन कर लेंगे और तत्पश्चात् उसका उपयोग लोगों के कल्याण के लिए करेंगे। परन्तु यदि आप यह कहते हैं कि हम अतिरिक्त उत्पादन नहीं करेंगे, समाजवाद के नाम पर अतिरिक्त उत्पादन की आवश्यकता नहीं है तो यह समाजवाद को नकारना है। यह समाजवाद बिल्कुल नहीं है। अतः आपको यह पता चलेगा कि हमारे सभी प्रमुख मूलभूत ढांचों में गतिरोध की स्थिति है जिसमें हमारी लागत बहुत अधिक है और इसीलिए यदि कोयला महंगा हो जाता है तो एक मूल आदान आदान महंगा हो जाता है तो बिजली महंगी हो जाती है। यदि बिजली महंगी हो जाती है तो कृषि आदानों में राजसहायता देनी पड़ती है। उद्योग में आदान महंगा हो जाता है और इस एक प्रकार के कुचक्र में प्रत्येक वस्तु महंगी हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री साठे क्या आप अपने भाषण को 5 मिनट में समाप्त कर देंगे अथवा आप अधिक समय लेंगे···

श्री वसन्त साठे : महोदय, मैं विद्युत के मामलों को नहीं निपटा रहा हूं क्योंकि मेरी सहयोगी कल विद्युत के मामलों को विस्तारपूर्वक निपटा चुके हैं। परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं और मैं 5 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। महोदय, इस सदन में मेरे सभी मित्रों और सहयोगियों ने अपने राज्य से सम्बन्धित कुछ परियोजनाओं के बारे में मुद्दों को उठाया है और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से लिखित उत्तर दूंगा क्योंकि मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उन परियोजनाओं के बारे में ईमानदारीपूर्वक कार्य कर रहे हैं। यदि समय उपलब्ध होगा तो मैं उन मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण दूंगा जिसका उन्होंने उल्लेख किया है।

श्री नारायण चौबे : एन०पी०सी०सी० श्रमिकों के बारे में क्या स्थिति है? आपने दो वर्ष पहले उदारतापूर्वक विवादों को निपटा दिया था। अब आप उनके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या आप उन पर ध्यान देने से डरते हैं?

श्री वसन्त साठे : यह कहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद कि मैंने उनकी समस्याओं को निपटा दिया है। आप पुनः प्रबन्धकों के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से समस्या का समाधान हो जाएगा। श्री चौबे आपके सहयोग से हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे।

श्री नारायण चौबे : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री बसंत साठे : महोदय, जहां तक बिजली का सम्बन्ध है मैं इस सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम पन-बिजली तथा तापीय बिजली के उत्पादन के बीच फिर से ताल-मेल स्थापित करना चाहते हैं । जहां तक ताप बिजली क्षेत्र का सम्बन्ध है हम खानों के मुहानों से कोयले की ढुलाई बेहतर बनाने पर बल दे रहे हैं । जहां तक सुपर ताप विद्युत केन्द्रों का सम्बन्ध है दक्षिण में कर्नाटक में मंगलौर, केरल में कयामकुलम, कर्नाटक में रायचूर आन्ध्र तथा तमिलनाडु (लिगनाइट) इन सभी क्षेत्रों में हम विभिन्न परियोजनाएं लगा रहे हैं । हमारा विचार आठवीं पंच-वर्षीय योजना में 38 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है जिसमें से 9100 मेगावाट बिजली पनबिजली क्षेत्र में 700 मेगावाट आणविक क्षेत्र में तथा तापीय विद्युत क्षेत्र में पैदा की जायेगी । यह हमारी योजना है । हम देश में बिजली उत्पादन के लिए भारी मात्रा में निवेश करने जा रहे हैं । परन्तु महोदय, जहां तक निवेश का सम्बन्ध है, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि बिजली परियोजनाएं महंगी होती जा रही हैं । आजकल एक हजार मेगावाट क्षमता वाले एक सुपर विद्युत संयंत्र को स्थापित करने में मोटे तौर पर कम से कम 1500 करोड़ रुपये लागत आयेगी ।

एक माननीय सदस्य : गत वर्ष यह एक हजार करोड़ रुपये थी ।

श्री बसंत साठे : गत वर्ष लागत एक हजार करोड़ रुपये से कुछ अधिक थी। परन्तु लागत में वृद्धि हुई है । सामान्य मुद्रास्फीति से यह लागत अगले कुछ वर्षों में बढ़कर 2000 करोड़ रुपये हो जायेगी । अपने सीमित ससाधनों से कोई भी राज्य इतना अधिक निवेश नहीं कर सकता । देश के किसी भी भाग में ताप विद्युत अथवा पन विद्युत संयत्र स्थापित करने के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र के संसाधनों को लगाना पड़ता है । यह वास्तविकता है । मेरे माननीय मित्र इस बात पर विचार करेंगे कि हम इन परियोजनाओं को एक राज्य के दृष्टिकोण से विचार नहीं कर सकते । इस बारे में प्रादेशिक दृष्टिकोण, उस भाग के सम्पूर्ण क्षेत्र के लाभ और संसाधन जुटाने के बारे में भी विचार करना पड़ता है ।

महोदय, बक्रेश्वर परियोजना की बात करते हुए मैं यह कहूंगा कि इस बारे में काफी गलत-फहमी पैदा की गई है । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं इसे एक राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता ।

एक माननीय सदस्य : फिर आप क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : मैं आपको बताऊंगा । मैं व्यक्तिगत रूप से पश्चिम बंगाल गया था मैंने वहां यह कहा था और आज भी मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि पहले इस परियोजना के बारे में किसी स्तर पर एक केन्द्रीय परियोजना के रूप में विचार नहीं किया गया । यह मूलतः राज्य की परियोजना थी । राज्य सरकार ने कहा था कि वे इसके लिए संसाधन एकत्रित करेंगे । हमने और योजना आयोग ने इसे मंजूरी दे दी थी । परन्तु राज्य के मुख्यमंत्री, ने स्वयं आकर मुझे बताया कि राज्य द्वारा संसाधन जुटाना सम्भव नहीं है । उस समय इस परियोजना की क्षमता 630 मेगावाट थी । इससे राज्य सरकार पर काफी बोझ पड़ता । उन्हें कम से कम लगभग 850 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाने पड़ते । मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा "साठे जी भरसक प्रयास करने पर भी हम इतने संसाधन नहीं जुटा सकते ।" सम्पूर्ण सातवीं पंचवर्षीय योजना में उन्होंने विद्युत उत्पादन के लिए 127 करोड़ रुपए का आबंटन किया है । अब उन्होंने यह कहा है कि देखिए यह प्रावधान केवल बक्रेश्वर के लिए नहीं है । हम

इतने अधिक संसाधन नहीं जुटा सकते। पांच वर्ष की अवधि में हम भरसक प्रयास करने पर भी लगभग 400 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। अतः उन्होंने यह आग्रह किया कि क्या हम इस परियोजना के लिए विदेशों से धनराशि प्राप्त कर सकते हैं? एक वाणिज्यक प्रस्ताव के तौर पर हम पहले भी यह कह चुके हैं और मुझे इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि यदि कोई राज्य परियोजना बहुदेशीय अथवा वाणिज्यक है तो उसके लिए विदेशों से ऋण लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप धनराशि लें और राज्य को दे दें। इसमें क्या समस्या है? (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : कृपया सुनिए। मैं उन्हें सुन रहा था, मैं उनसे झगड़ा नहीं कर रहा हूं।

महोदय, देखिए चाहे यह ओ०सी०ई०एफ०, विश्व बैंक या ए०डी०ए० अथवा अन्य एजेंसी हो, सभी राज्यों में राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत इन एजेंसियों द्वारा सभी 800 मेगावाट की परियोजनाओं को धनराशि दी जा रही है। हम इस पर आपत्ति नहीं कर रहे, लेकिन जब परस्पर एक राज्य से दूसरे राज्य को ऋण का मामला होता है, तो हमें देश में एक नीति बनानी होती है और हम सारे देश के लिए एक समान नीति अपना रहे हैं और आप इसकी सराहना करेंगे कि हमने केरल, कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा आदि सभी राज्यों पर यही नीति लागू की है। महोदय, यह नीति क्या है? हम कहते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य को ऋण का उपयोग उन्हीं परियोजनाओं में होगा जो केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत चलाई जानी हैं। इस कारण से एन०टी०पी०सी० है। और यही वजह है कि जब रूस से ऋण का प्रस्ताव आया···

श्री अनिल बसु : आपने कब निर्णय लिया?

श्री बसंत साठे : इस बारे में काफी समय पहले निर्णय लिया गया और राज्य को बता दिया गया था। हमने अपनी परियोजना बकरेश्वर के लिए विशेष रूप से सोवियत सरकार को सहायता देने के लिए कहा। वे इस पर सहमत हो गए। हमने कहा कि हम यह कार्य एन०टी०पी०सी० की परियोजना के रूप में करेंगे। मैं पश्चिम बंगाल सरकार की आन्तरिक राजनैतिक दबाव के बारे में तो नहीं जानता लेकिन इस स्थिति में राज्य सरकार ने कहा, "नहीं, आप यह केन्द्रीय परियोजना के रूप में नहीं कर सकते; हम यह राज्य परियोजना के रूप में करना चाहते हैं और आप परस्पर सहयोग में मिले इस सारे ऋण को हमें दे दें।"

मैंने कहा, "मुझे बहुत अफसोस है···"

श्री अनिल बसु : यह सारी धनराशि नहीं बल्कि स्वीकृत राशि—75%।

श्री बसंत साठे : सम्पूर्ण से अभिप्राय है जो कुछ भी स्वीकार्य है। लेकिन परस्पर सहयोग के मामले में एक नीति के रूप में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेंगे?

श्री बसंत साठे : 5 मिनट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा 5 मिनट की अवधि बढ़ाने के लिए सहमत है?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप पूर्ण कैसे करेंगे ? आप अभी विद्युत पर तो बोले ही नहीं हैं ।

श्री अनिल बसु : आपको गैर-परम्परागत ऊर्जा, विद्युत के बारे में अभी बोलना है । 5 मिनट में यह पूर्ण करना संभव नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह भाषण जारी रखना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री नारायण चौबे : वह 5 मिनट में पूरी बात नहीं कह सकते ।

[हिन्दी]

साठे साहब, यह होगा नहीं, आप सोमवार को बोलिए ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का सम्बन्ध है, उन्हें सरकरी मत कीजिए । वह अगली बार अपना भाषण जारी रखें ।

श्री वसंत साठे : महोदय, ठीक है । मैं सोमवार को अपना भाषण जारी रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपना भाषण सोमवार को जारी रखें ।

---

32 म० प०

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि अध्यक्ष को आन्ध्र प्रदेश के नेल्लौर निर्वाचन-क्षेत्र से सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री पी० पेंचालैया का इस आशय का पत्र आज प्राप्त हुआ है कि उन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है । अध्यक्ष ने उनका त्याग-पत्र आज, 7 अप्रैल, 1989 से स्वीकार कर लिया है ।

3.33 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

63वां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही को लेंगे । विधायी कार्य । श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर बोलें ।

[हिन्दी]

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 5 अप्रैल, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए तिरेसठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 5 अप्रैल, 1989 को प्रस्तुत किए गए तिरेसठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब पुरःस्थापित किए जाने के लिए विधेयक रखें।

3.34 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 316 में संशोधन)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.34 1/2 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 316 में संशोधन)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 7-4-1989 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

3.35 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 198 में संशोधन)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.35 1/2 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 123 तथा 213 में संशोधन)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान ने और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.36 म० प०

अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक*

(नई धारा 2क से 2झ का अन्तःस्थापन)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

*दिनांक 7.4.1989 के भारत के राजपत्र असाधारण—भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.36 1/2 म० प०

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2 आदि में संशोधन)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.37 म० प०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 107 तथा 109 का लोप)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुरा) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.37 1/2 म० प०

दंड विधि संशोधन (निरसन) विधेयक*

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1932 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

*दिनांक 7-4-1989 के भारत के राजपत्र असाधारण—भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरुभाई मेहता। अनुपस्थित।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अनुपस्थित। श्री एस० एम० गुरड्डी, अनुपस्थित।

3.38 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 31 का अन्तःस्थापन)

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शरद दिघे : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.38 1/2 म० प०

असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री बालासाहिब विखे पाटिल द्वारा 25 नवम्बर, 1988 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :

"कि असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मनोज पांडे अपना भाषण जारी रखेंगे। अनुपस्थित।

श्री सोमनाथ रथ।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : हालांकि मैं असंगठित श्रमिकों के लिए विधेयक लाने के पीछे जो भावना है, उसका स्वागत करता हूं, किन्तु इस विधेयक में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए असंगठित श्रमिकों की सहायता हेतु इसमें प्रतिपादित तथ्यों का मैं समर्थन नहीं करता।

90 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में सबसे पहले हमारे प्रिय प्रधान मंत्री ने यह मुद्दा अन्तर्राष्ट्रीय निकाय के समक्ष उठाया और उन्होंने वहां भी कहा कि चूंकि हमारे 90 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं, यह एक विश्व-व्यापी समस्या है, इसलिए उनकी दशा में सुधार हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। हमारे मंत्रालय ने भी असंगठित श्रमिकों के मसले पर नए सिरे से विचार किया है और वास्तव में श्रम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में कृषि एवं गैर कृषि

*दिनांक 7-5-1989 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खंड 2, में प्रकाशित।

क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए दो उप-समितियां नियुक्त की गई है। उन्होंने अपना प्रतिवेदन श्रम मंत्रालय को दे दिया है। इस मसले पर विशेषकर कृषि क्षेत्र में कार्यरत असंगठित श्रमिको के बारे में चर्चा हुई थी। बेशक इस संबंध में अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम असंगठित श्रमिकों के संरक्षण के लिए अन्य बहुत से कानून बनायें। सवाल इस बात का है कि हम केन्द्र एवं राज्यों के स्तर पर मौजूदा कानूनों को किस प्रकार बेहतर ढंग से कार्यान्वित करते हैं।

महोदय, वर्ष 1983 में आप्रवास अधिनियम विदेश जाने वाले श्रमिकों की दशा सुधारने तथा आप्रवासियों की वापसी पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। किन्तु मेरा कथन यह है कि यह वांछित स्तर का नहीं है। आज भी विदेश जाने वाले हमारे मजदूरों का शोषण किया जाता है। विदेशों में जाने वाले श्रमिकों के लिए वहां जाने के दो रास्ते हैं। एक यह कि विदेशों को भारत से मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा यह कि भारत, विशेषकर दिल्ली तथा बम्बई की भवन निर्माण कम्पनियों को विदेशों में निर्माण कार्य के लिए श्रमिकों की आवश्कता होती है तो वे उन्हें वहां भेजते हैं। अधिनियम में, कहा गया है कि जिन श्रमिकों को बाहर भेजा जाता है उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे पास पंजीकृत ठेकेदार भी हैं जो मजदूरों को विदेश भेज सकते हैं और वे 1500 रुपए तक के लगभग वसूल कर सकते हैं किन्तु वास्तव में इन निर्माण कम्पनियों ने, जो अपने ठेके के कार्यों में मजदूरों को भारत से विदेश भेज रही हैं, देश में शिमला, पंजाब आदि विभिन्न भागों में निर्माण कार्य अपने हाथ में ले रखा है। वे कुछ अजीब-सी बात करते हैं। विभिन्न राज्यों में अनेक अपने उप-ठेकेदार है। वे मजदूरों को दिल्ली लाते हैं और यहां से उन्हें उन विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है जहां उनका निर्माण कार्य चल रहा होता है। जब वे मजदूरों को यहां लाते हैं तो उन्हें यह झांसा दिया जाता है कि उन्हें विदेश भेजा जाएगा। उनसे हजारों रुपए वसूल किए जाते हैं। लगभग दो दिन पूर्व, इस संबंध में एक प्रश्न भी हुआ था। सदनों के दोनों पक्षों के सभी सदस्यों ने शिकायत की थी कि इनका शोषण किया जा रहा है। उनसे 10000-15000 रुपए वसूले जा रहे हैं। उन्हें दिल्ली आदि स्थानों पर लाने वाले उप-ठेकेदार भारत में इस मुख्य निर्माण कम्पनियों के ठेकेदारी के कार्य में लगे होते हैं और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। उन्हें केवल यही झांसा दिया जाता है कि उन्हें एक न एक दिन विदेश भेजा जाएगा। ये मजदूर अपनी भूमि और सम्पत्ति बेच कर उप-ठेकेदार को 10000-15000 रुपए विदेश जाने के लिए देते हैं। वे अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में कार्य करते हैं। हम नहीं जानते मजदूरों का क्या होता है। विशेषकर उड़ीसा से ऐसी अनेक शिकायतें मिली हैं। माननीय मंत्री इस बारे में भलीभांति जानते हैं मैंने भी उनका ध्यान आकर्षित किया है। वहां मजदूर मर भी गए हैं। वे वहां परेशान हैं। किंतु नाम के लिए भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। और दिल्ली की सड़कों पर हजारों ऐसे मजदूर घूम रहे हैं, जिनसे बड़ी-बड़ी रकम हथिया ली गई है और उन्हें विदेश नहीं भेजा गया। कुछ माह पूर्व ऐसा ही हुआ था और मामला श्रम मंत्री की जानकारी में लाया गया था। नोएडा में उड़ीसा से लगभग 700 मजदूर लाए गए थे और उनसे 7000 रुपए इकट्ठे किए गए थे। उन्हें ब्राजील भेजने के लिए आश्रम में रखा गया था किन्तु उन्हें वहां नहीं भेजा गया। बाद में इनके साथ मार-पीट की गई तथा उन्हें वहां से बाहर फेंक दिया गया। अतः श्रम मंत्रालय को न केवल कानून ही बनाने चाहिए बल्कि उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायतों का संतोषजनक ढंग से निपटान हो। जब भी कोई शिकायत करता है तो वे कहते हैं, "हमने कानून बना दिया है और अब आप शिकायत करते हैं।" ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। यदि हम ईमानदारी से इन बेबस मजदूरों की सहायता करना चाहते हैं तो हमें

इसके अनुरूप काम करना चाहिए और उन्हें केवल शिकायत करने के लिए ही नहीं छोड़ देना चाहिए। वे किसके पास शिकायत करें ? उनकी शिकायत कौन सुनेगा ? श्रम विभाग में एक व्यक्ति श्री डंडर हैं। तीन वर्ष पहले उन्होंने इन श्रमिकों के लिए काम करना शुरू किया। श्रम विभाग ने स्वयं ही अपराधियों को पकड़ा। मैं जानता हूं कि उड़ीसा से दो-तीन मजदूर सरदारों को गिरफ्तार किया गया और उन व्यक्तियों से सैकड़ों पारपत्र बरामद किए गए और मुकदमें शुरू हुए। बाद में एक मामला वापिस ले लिया गया। यह अत्यंत दुःखद बात है। मजदूरों का शोषण करने वाले व्यक्ति फिर से सिर उठा रहे हैं। वे अब दिल्ली में भी काफी सक्रिय हैं।

एक अन्य बात जिसकी ओर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह कान्टीनेन्टल निर्माण कम्पनियों के बारे में है, जिन्होंने मजदूरों से धन हथिया लिया है तथा अपने गैर-कानूनी कार्यकलापों को छुपाने का अन्य ढंग अपनाया है। वे कुछ मजदूरों को भेज रहे हैं। ये उप-ठेकेदार संसद सदस्यों के माध्यम से शोषित मजदूरों के नाम ले लेते हैं और सीधे निर्माण कम्पनियों को पत्र लिखते हैं कि "कृपया उन्हें विदेश भेजें।" वास्तव में इन मजदूरों से काफी धन हथिया लिया गया है। मजदूर संसद सदस्यों के पास आते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाता है। उन्हें बताया जाता है, "उन्हें एक पत्र देने दीजिए और मैं आपको विदेश भेज दूंगा।" मेरे पास संसद सदस्यों एवं भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा इन कम्पनियों को भेजे गए ऐसे पत्रों की अनेक प्रतियां है और कम्पनियां इन पत्रों का सहारा ले लेती हैं और वे कहते हैं, कि "हम क्या कर सकते हैं ?" इन परिस्थितियों मे न केवल श्रमिकों का शोषण होता है बल्कि हमें भी, जोकि लोगों के प्रतिनिधि हैं, बदनामी मिलती है। अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि दिल्ली में इन सभी कॉन्टीनेंटल निर्माण कम्पनियों को एक परिपत्र भेजा जाए कि वे कोई भी पत्र स्वीकार न करें···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा के लिए आवंटित समय पहले ही समाप्त हो चुका है। यदि सभा सहमत हो तो हम और दो घंटे के लिए समय बढ़ा सकते हैं। यदि आप सब सहमत हैं तो मैं दो घन्टे का समय बढ़ा देता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

श्री सोमनाथ रथ : श्रम मंत्रालय से इन निर्माण कम्पनियों को एक परिपत्र भेजा जाए कि वे विदेश भेजे जाने के लिए किसी श्रमिक के नाम की सिफारिश करने वाले किसी गैर-सरकारी पत्र पर कार्यवाही न करें।

दूसरी ओर, मेरा यह सुझाव है कि यदि संसद सदस्यों को अपने चुनाव क्षेत्रों की ओर से कुछ सिफारिशें करनी हैं तो वे सीधे माननीय मन्त्रियों अथवा मंत्रालय से ऐसा कर सकते हैं। मैं यह भी मांग करता हूं कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि इन श्रमिकों का शोषण किसने किया है। अब भी इस काम में वे अपने सम्बन्धियों को लगाते हैं और ये शिकमी ठेकेदार और बिचौलिए धन ऐंठते हैं। माननीय मंत्री को यह जांच करानी चाहिए यदि वह वास्तव में इस बात के इच्छुक हैं कि असंगठित श्रमिकों का बचाव केवल प्रवासी अधिनियम अथवा दूसरे अधिनियम पारित करके तथा उन्हें असहाय छोड़ देने से ही नहीं किया जाना चाहिए।

कई घटनाएं हुई हैं। एक मामले में, यहां दिल्ली में कान्टीनेन्टल कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने भारी

धनराशि ऐंठी है। जब श्रमिकों का परिश्रमिक भारत में उनके रिश्तेदारों को देने के लिए इन कम्पनियों के जरिए यहां आया तो उसमें से 10% कटौती कर ली गई। श्रम मंत्रालय ने श्री टंडन के नेतृत्व में उस गिरोह को धर दबोचा और 7 लाख रुपये जब्त किए गए और सीधे उन श्रमिकों के रिश्तेदारों को भेज दिये गये। उस जांच का क्या हुआ ?

मंत्री महोदय ने कहा है कि इन मामलों की जांच कराई जायेगी और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। ये निर्माण कम्पनियों तथा शिकमी ठेकेदार श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हैं। उनके विरुद्ध आयकर कानून के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि इन श्रमिकों की मजदूरी के करोड़ों रुपए इन बिचौलियों ने हड़प कर लिए हैं। यह एक विशेष प्रश्न है जो मैं पूछ रहा हूं। यदि माननीय मंत्री ऐसा चाहते हैं तो मैं उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा अथवा उसे सभा पटल पर रख दूंगा। दस्तावेजों से यह ज्ञात हो जायेगा कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं और किनके साथ उनकी सांठ-गांठ है। मेरे विचार में मंत्री महोदय जवाब देते समय मुझे इस विषय में जानकारी देंगे।

यह ऐसा विषय है जिससे पूरा देश चिन्तित है। दूसरे देशों, उदाहरण के तौर पर कोरिया, चीन इत्यादि के श्रमिक जो खाड़ी देशों को जा रहे हैं. वे भारतीय श्रमिकों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यदि हम अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं और उन देशों, के साथ स्पर्धा नहीं करते हैं तो हम जो विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं हमें वह नहीं मिलेगी। आंकड़ों से जो श्रम मंत्रालय ने दिए हैं, निःसंदेह यह ज्ञात होता है कि बाहर जाने वाले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। परन्तु हमें इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। विभिन्न राज्यों में जनशक्ति निगम हैं। केन्द्र में भी एक जनशक्ति निगम होना चाहिए। इन सभी श्रमिकों को राज्यों के जनशक्ति निगमों के माध्यम से तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए ताकि वे बिचौलियों के हाथों शिकार न हों। जैसाकि मैंने कहा है, हमें विदेशों में अधिक श्रमिक भेजने चाहिए, विशेषतौर पर खाड़ी देशों में ताकि हमें विदेशी मुद्रा और रोजगार मिले। इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए श्रम मंत्रालय को यह देखना चाहिए कि श्रमिकों का यह शोषण न हो और अधिक श्रमिक विदेश जायें।

बाल श्रमिक एक विश्वव्यापी तथ्य है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार इनकी संख्या 52.58 मिलियन है परन्तु वास्तव में इनकी संख्या अधिक है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कुल बाल श्रमिकों की संख्या का एक तिहाई भाग भारत में है, असंगठित श्रमिक शक्ति में 15 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिक 11 प्रतिशत हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है हालांकि अन्य राज्यों में भी बाल श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है। यदि बच्चों को अधिक संख्या में पाठशालाओं में भेजा जाये तो बाल श्रमिक समस्या कम हो जाएगी। तत्कालीन श्रम मंत्री श्री संगमा की अध्यक्षता वाली एक समिति ने फैजाबाद का दौरा किया था। उन्होंने पाया कि किस प्रकार बाल श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है और उन्हें तंग किया जा रहा है। वे अस्वास्थ्यकर दशाओं में कार्य करते है। अतः हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम उन्हें शिक्षित करें और उनके मां-बाप को नौकरियां प्रदान करें। जब तक उनके माता-पिता को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अथवा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत नौकरियां तथा आय के साधन प्रदान नहीं किए जाते तब तक माता-पिता अपने

बच्चों को जीविकोपार्जन के लिए काम पर भेजने के लिए बाध्य होंगे। अतः यह समस्या देश की सामाजिक-आर्थिक समस्या के साथ जुड़ी हुई है।

अब मैं महिला श्रमिकों पर आता हूं। दिल्ली में भवन निर्माण कार्य में कोई भी यह देख सकता है कैसे वे अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ काम पर आती हैं और उन्हें लगभग सात रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। ये क्षेत्र हैं जहां श्रम मंत्री को असंगठित श्रमिकों के बारे में सोचना चाहिए।

श्रम मंत्रालय ने बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियों पर अधिक बल दिया है और उन्होंने वहां सामूहिक आवास योजना, डिस्पेंसरियों, अस्पतालों इत्यादि के रूप में किये जाने वाले कार्यों की एक सूची दी है परन्तु बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां केवल कुछ कस्बों तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ही हैं। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदू के पत्ते आदिवासी तथा हरिजन महिलायें तोड़ती हैं और उन्हें अभी तक कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। इसलिए हमें केवल कुछ कस्बों में ही, जहां बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है, सुरक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए अपितु हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। माननीय मंत्री को राज्यों के मुख्य मंत्रियों से सलाह करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाखों श्रमिकों को जो तेंदू पत्ते तोड़ने का काम करते हैं, सुरक्षा मिले। जब तक उन्हें संरक्षण नहीं दिया जाता तब तक उस पूरे क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों को संरक्षण नहीं मिलेगा।

ये कुछ उदाहरण हैं जो मैंने दिए हैं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री उनकी ओर ध्यान देंगे : हमारा उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को संगठित क्षेत्र में लाना होना चाहिए ताकि उनमें सौदेबाजी की क्षमता हो। संगठित क्षेत्र सौदेबाजी कर सकता है क्योंकि उनके संगठन हैं जबकि बाल श्रमिकों तथा महिला श्रमिकों और दूसरे श्रमिकों के पास सौदेबाजी की क्षमता नहीं होती है क्योंकि उनके पास कोई संगठन नहीं है। अतः संगठित क्षेत्र की अपेक्षा इस क्षेत्र को अधिक संरक्षण तथा अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता हूं क्योंकि इसमें केवल इस बात पर विचार किया गया है कि हमारे पास कुछ धनराशि होनी चाहिए और कुछ परिश्रमिक इस धनराशि में से दिया जाना चाहिए। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाना चाहिए और विशेष कार्यवाही की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

4.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : मान्यवर, असंगठित मजदूरों की दुर्गति की कोई सीमा नहीं है। दिनभर मेहनत मशक्कत करने के बाद, खून-पसीना एक करने के बाद उनके परिवार को सूखी रोटी नहीं मिलती, मैं यह कहूं कि लाज ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलते तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी स्थिति को देखने के लिए कहीं दूरबीन की आवश्यकता नहीं है, इनकी दुर्दशा दिल्ली में ही देखी जा सकती है।

4.01 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

यहां पर झुग्गियों में रहने वाले लोगों की स्थिति देखी जा सकती है, दिनभर मेहनत करने के

बाद भी इनकी यह स्थिति है, चाहे ठेकेदार के मजदूर हों, मकान बनाने वाले मजदूर हों, गठरियों ढोने वाले, ठेला खींचने वाले, रिक्शे खींचने वाले या छोटे-छोटे कल कारखानों में काम करने वाले लोग दिनभर काम करने के बाद शाम को जाकर छोटी-छोटी झुग्गियों में भेड़-बकरियों की तरह रहते हैं। उनके पास रोशनी, आवागमन, पढ़ाई-लिखाई, दवादारू का कोई प्रबंध नहीं है। ऐसी स्थिति का खामियाजा बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को भोगना पड़ रहा है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को भूख की ज्वाला शांत करने के लिए, रोजी रोटी की खोज में दिल्ली आना पड़ता है। दिल्ली में वे कल कारखानों में 200-250-300-350 रुपये महीने की नौकरी करते हैं और अपना किसी तरह से पेट पालते हैं, इसके बावजूद सबसे ज्यादा खेदजनक बात यह है कि उनको हिकारत की नजर से देखा जाता है। जिन लोगों का देश के विकास में इतना योगदान है, जिन्होंने अपना खून-पसीना बहाकर, अपने पेट को बांधकर इतना काम किया है, उनको अगर हिकारत की नजर से देखा जाए तो यह बड़ी खेदजनक स्थिति है। यह केवल दिल्ली में नहीं, पंजाब और हरियाणा की हरितालो जो दिखाई पड़ती है, उसके पीछे भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों का हाथ है, लेकिन उनका किस तरह से शोषण होता है, इसकी तफसील में न जाकर में इतना ही कहूंगा कि 8 घंटे के बजाए 14-16 घंटे वे काम करते हैं, मैंने यह भी सुना है कि उनकी चाय में अफीम की मात्रा डाल दी जाती है ताकि वे नशे में ज्यादा समय काम करते रहें और जब वे उधर से घर लौटते हैं तब उनकी जेब खाली रहती है। यह बात एक जगह के असंगठित मजदूरों की नहीं है, बल्कि देश में जितने भी असंगठित मजदूर हैं उनकी यह स्थिति है। आज ऐसे मजदूरों की संख्या 80 प्रतिशत है और इसमें 80 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। बिहार में 350-400 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, इनमें 75-80 प्रतिशत हरिजन और गिरिजन हैं। ये सब लोग मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं, उनका कोई संगठन नहीं है। हम सब जानते हैं कि कृषि मजदूर का जीवन कृषि से बंधा हुआ है, इसलिए जब तक कृषि का विकास नहीं होगा तब तक उनका जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। कृषि के विकास से मेरा यह मतलब नहीं है कि कृषि के लिए समय से पानी, उन्नत बीज उन्नत खाद या खेती करने वालों को फसल का लाभकारी दाम दिया जाए, बल्कि मेरा मतलब यह है कि जब तक भूमि सुधार का काम नहीं होगा तब तक खेती की समस्या का समाधान नहीं होगा। आजादी के जमाने में भूमि सुधार आंदोलन का नारा लगता था कि जमीन उसको दी जाए जो जोतेगा और आज भी वही नारा है। मैं चाहूंगा कि जमीन जो जोते उसी को मिलनी चाहिए। बिहार में ढाई एकड़ से कम जोतने वालों की संख्या सौ में से 63 है और उनके पास जो कुल जमीन है खेती करने वाली उसका 13 प्रतिशत है। जिनके पास पन्द्रह एकड़ से ज्यादा जमीन है उनकी संख्या तीन प्रतिशत है और उनके पास कुल जमीन का 26 प्रतिशत है। स्थिति विचित्र है, जो जोतनेवाला है उसके पास जमीन नहीं है और जो जोतने वाला नहीं है उनके पास जमीन है। जिस जमीन से हम सोना ले सकते थे, जिस जमीन से हम विकास कर सकते थे, वह जमीन ऐसे लोगों के हाथ में है जिनको जमीन से इतना ही मतलब है कि उनका मालिकाना हक जमीन पर रहे। खेती में उनकी रुचि नहीं है। वे मानते हैं कि खेती का काम लाभकारी नहीं है इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा अपनी पूंजी दूसरे कामों में लगाते हैं। अगर कोई जमीन वाला खेती करता भी है तो वह छोटे से दायरे में सघन खेती करने की कोशिश करता है और बाकी जमीन बटाईदारी में दे देता है। खेतीहर मजदूरों में एक तबका बंधुआ मजदूरों का भी है। मैं जिम्मेदारी से निवेदन करना चाहता हूं कि अकेले बिहार में आज भी 32 प्रतिशत बंधुआ मजदूर हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वे अपनी मरजी से मालिक के खिलाफ कहीं चले जाएं। उसके मन में भय रहता है कि जो जमीन उसके परिवार को मालिक ने दी

है वह न छीन जाए। अगर वह दूसरी जगह जाएगा तो विपत्ति का पहाड़ उस पर गिर जायेगा, ऐसा भय नंगे मालिक का रहता है। इसी वजह से वह मालिक के कर्ज में पुस्त दर पुस्त दबा रहता है। जो दूसरे की जमीन में खेती करता है, फसल उगाता है, उसके बावजूद भी उसके घर में वह फसल नहीं जाती है क्योंकि मालिक का जो कर्ज होता है, उसको चुकाने में ही उसकी सारी फसल चली जाती है और भविष्य के लिए कर्ज हेतु उसे मालिक के सामने हाथ पसारना पड़ता है। जब तक भूमि सुधार का काम नहीं होगा, भूमि का पुनर्वितरण नहीं होगा तब तक खेतीहर मजदूरों की दशा नहीं सुधर सकती है। असंगठित मजदूरों की संख्या सौ में अस्सी है। मैं निवेदन करूंगा कि असंगठित मजदूरों के जीवन में सुधार लाने के लिए, उनको अपने पैरों खड़ा होने का अवसर देने के लिए सरकार को भूमि सुधार का कानून मुस्तैदी से लागू करना पड़ेगा। सरकार यह कह सकती है कि खेतीहर मजदूरों तथा गांव में रहने वाले मजदूरों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कई तरह की योजनाएं चालू की हैं। जैसे एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० में मैं मानता हूं सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन आपके यहां आंकड़े जो भी आए हों, जब आप मूल्यांकन करेंगे तो पायेंगे कि परिणाम बड़ा निराशाजनक है। इसमें जो सबसे बड़ा घपला हो रहा है वह यह है कि आम तौर से किसी मजदूर को जो आप गेहूं देते हैं वह मजदूरी में नहीं दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता है कि गेहूं की कीमत बाजार में ज्यादा है। जो काम कराने वाले लोग हैं, वे सरकार के गोदामों से गेहूं उठाकर उसे बाजार में बेच देते हैं और मजदूर को पैसा और गल्ला दोनों नहीं मिलाकर, केवल पैसा देते हैं। यह भेदभाव गांवों में भी चल रहा है। वहां पर जो भी अपने यहां मजदूर को रखते हैं वे कोशिश करते हैं कि उसे गल्ला न देना पड़े। इस स्थिति से आपको वाकिफ रहना पड़ेगा कि मजदूर को केवल पैसा ही नहीं, बल्कि साथ-साथ गल्ला भी मजदूरी में मिले। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता जो माननीय सदस्य हैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैं आपकी मंशा से सोलह आने सहमत हूं, लेकिन आपकी जो मंशा है उसकी पूर्ति इस विधेयक से नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस विधेयक को वापिस लेकर काफी सोच-विचार करने के बाद एक ऐसा व्यापक विधेयक लायें जिसमें सारी समस्याओं के समाधान के उपाय निहित हों। सरकार को भी चाहिए कि इन तमाम स्थितियों का जायजा लेने के बाद वह एक ऐसा विधेयक लाये कि सारे देश में जो असंगठित मजदूर हैं उनको उनकी दुर्गति से मुक्ति मिल सके।

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : माननीय सभापति महोदय, श्री पाटिल द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उससे सहमत हूं, लेकिन साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उनका जो प्रस्ताव है वह काफी नहीं है। शासन को उसकी बुनियाद पर मुकम्मल कानून बनाना चाहिए तभी जाकर हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। असंगठित मजदूरों की जब हम बात करते हैं तो मेरे दिमाग में आता है उन गरीब, मुफलिस, बेहाल मजदूरों का ध्यान जो इस देश की बीड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। असंगठित मजदूरों की जब हम बातें करते हैं तो मेरा दिमाग जाता है चूने और भट्टों में काम करने वाले मजदूरों की ओर, जिनका खून चूस-चूस कर उन भट्टों के मालिक अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और जिनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। कभी-कभी लगता है कि न कोई कानून है और न कोई शासन है, न ही कोई विभाग है, केवल जंगल का कानून है जहां भेड़ियों को इन्सान का खून चूसने की छूट दे दी गई है। असंगठित मजदूरों की जब हम बात करते हैं तो मेरा दिमाग जाता है शर्म और लज्जा के साथ उन पब्लिक अण्डरटेकिंग्स

की तरफ जहां पर मैनेजमैंट ने ठेकेदारों की प्रथा को लागू कर रखा है, हालांकि ये भारत सरकार की संस्थाएं हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि श्रम मंत्रालय में हमारे दुबे जी जैसे वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री मौजूद हैं, जिनका सारा जीवन मजदूरों के उद्धार में काम करते हुए गुजरा है। उनका साथ देने के लिए हमारे मंत्रालय में उप मंत्री श्री आर० के० मालवीय जी हैं, जिनकी काम करने की दिलचस्पी और निष्ठा से मैं पूरी तरह परिचित हूं। ये दोनों बधाई के पात्र हैं और ये चाहते हैं कि वे अपने मंत्रालय को एक नई दिशा दें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनके मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारी जब फील्ड में जाते हैं, जिनका काम आपकी नीतियों को सही रूप से लागू कराना है, वे अपने काम करने में पूरी तरह से असफल हैं, ईमानदार नहीं हैं, उनमें गम्भीरता और निष्ठा नहीं है···इस बात को मैं पूरे सबूत के साथ सदन के सामने रखना चाहता हूं। अभी मैंने आपसे बीड़ी मजदूरों की समस्याओं के बारे में बात की। मैं यहां सतना पार्लियामैंटरी कांस्टीट्यूएंसी से चुनकर आता हूं और मेरे जिले के आसपास रीवा, शहडोल, सीधी आदि मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहां तेंदू पत्ता तोड़ा जाता है। अभी पिछली मध्य प्रदेश सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया है, जिसके लिये वह बधाई की पात्र है क्योंकि राष्ट्रीयकरण हो जाने से हमें उम्मीद हो गयी है कि अब मजदूरों का खून चूसना बहुत हद तक रुक जायेगा, यदि उस नीति को ईमानदारी के साथ लागू किया गया, पालन किया गया और वहां किसी प्रकार की राजनीति उसके अंदर नहीं आयी। लेकिन जब तक तेंदूपत्ते का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तो कोई वहां देखने वाला नहीं था कि तेंदूपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों, बीड़ी बनाने वाले मजदूरों की क्या दुर्दशा है, किस तरह वे रहते हैं, उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, क्या उनकी हालत है, समाज में उनका क्या स्थान है। किसी ने उनके स्वास्थ्य, उनके परिवार या उनके बच्चों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, देखने की तकलीफ नहीं उठायी। आज भी बदकिस्मती से वे उसी कहानी के शिकार हैं।

अभी मैंने यहां चूना भट्टों में काम करने वाले और सीमेंट फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों के बारे में बात की। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मेरे क्षेत्र में इन मजदूरों की संख्या भी बहुत बड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे यहां सीमेंट के जिस कारखाने का लाइसेंस भारत सरकार ने दिया है, जहां अपनी लेबर यूनियन मौजूद है, वहां असंगठित मजदूर किस प्रकार आ गये, वहां अन-आर्गेनाइज्ड लेबर किस तरह हो सकती है। इसे बदकिस्मती की दास्तान ही कहा जायेगा कि भारत सरकार के कानून के द्वारा सीमेंट फैक्टरियों में काम करने वाले प्रत्येक मजदूर के लिए जो न्यूनतम मजदूरी मुकर्रर की गयी है, मिनिमम वेजेज फिक्स किये गए हैं, जो काफी हद तक मुनासिब भी है, यदि उतनी मजदूरी हर मजदूर को मिलती है तो वह लोग अपना जीवन कुछ आराम के साथ गुजार सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हर कारखाने में कुछ मजदूर सरकारी या शासकीय रूप से कारखाने की लिस्ट पर होते हैं, जिनका सम्बन्ध लेबर यूनियन से होता है, उनके अलावा बहुत बड़ी संख्या में वे मजदूर होते हैं जो कारखाने में लिस्टेड नहीं होते बल्कि किसी ठेकेदार द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। यदि सीमेंट फैक्टरीज में काम करने वाले मजदूर की न्यूनतम मजदूरी आपने 3.5 रुपया फिक्स की है तो ठेकेदार जिन मजदूरों को लाता है, उन्हें मुश्किल से 1.5 रुपए दिए जाते हैं और बाकी राशि ठेकेदार और मैनेजमैंट दोनों मिलकर खा रहे हैं और मजदूरों का इस तरह खून चूसा जा रहा है। इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा लज्जा और शर्म की बात यह है कि भारत के स्टील मंत्रालय के अन्तर्गत बोकारो स्टील प्लांट आता है, बोकारो के पत्थर की कुछ माइन्स मेरे पार्लियामैंटरी क्षेत्र में हैं, जहां का पत्थर

बोकारो प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है, और मैं चार साल से बराबर ध्यानाकर्षण के जरिए, भाषणों के जरिये, सवालों के जरिये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा हूं परन्तु ऐसा लगता है कि न हमारा स्टील मंत्रालय और न लेबर मंत्रालय इस ओर कोई ध्यान देना चाहता है, किसी ने उस ओर देखने की कोशिश नहीं की कि भारत के उस बोकारो स्टील प्लांट में दो प्रकार के मजदूर कैसे एंगेज किए जा रहे हैं। वहां कुछ मजदूर तो ऐसे हैं जिन्हें मैनेजमैंट के द्वारा नियुक्त किया गया है, उन्हें तो वही मजदूरी मिलती है, जो आपने मुकर्रर की है लेकिन दूसरे बड़ी संख्या में वे मजदूर हैं जो बदकिस्मती से किसी ठेकेदार द्वारा भारत सरकार के उस पब्लिक अंडरटेकिंग में लाये गये हैं और उन्हें आधी मजदूरी भी नहीं दी जाती। जब मैंने लोकसभा में इससे सम्बन्धित प्रश्न किया तो उसका ऐसा धुंआ-भरा जवाब दे दिया गया, जिससे उसका सही मकसद खत्म हो गया, बल्कि उल्टा जवाब देने की यहां कोशिश की गयी। मैंने यहां भाषण में कहा, डिमांड्स में बोलते हुए कहा, लेकिन आज तक बोकारो स्टील प्लांट की पत्थर की खानों में जो मजदूर काम करते हैं, मुझे शर्म आती है, जब लोग मुझसे पूछते हैं, आखिर यह क्या कारण है, आखिर इस अत्याचार को, अन्याय को दूर नहीं करा पाए, तो मेरे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं होता। यही हाल हमारे यहां जो टाटा, बिड़ला के सीमेंट के कारखाने हैं, उनमें जो मजदूर काम करते हैं, उनकी हालत है। यदि आप वहां पर उन मजदूरों को जाकर देखें, उनके रहन-सहन की हालत को देखें, उनके जीवनयापन को देखें, तो कोई नहीं कह सकता है कि वे आजाद मुल्क के आजाद नागरिक हैं, जिनको पूरे सम्मान के साथ जीवन बिताने का अधिकार दिया हुआ है। बहुत से ऐसे आरोप हैं कि पत्थर की खानों में काम करते-करते मजदूर दबकर मर जाते हैं, कि लेकिन उनकी लाश तक निकालने की कोशिश नहीं की जाती है। उनकी लाश दबा दी जाती है। इसलिए कि यदि लाश पाई जाती है, तो क्लेम बनेगा, मैनेजमैंट के ऊपर मुकदमा चलेगा, उनके जो वारिस हैं, परिवार में बच्चे हैं, वे क्लेम मांगेंगे। इसलिए लाश को पत्थरों में दबा दिया जाता है। यह आज 1989 में हो रहा है। यह हम सब के लिए शर्म की बात है। मैं चाहूंगा कि इस पर वे खासतौर से ध्यान दें और निष्ठावान आफीसर वहां भेजकर इस अन्याय को, इस अत्याचार को समाप्त कराने की कोशिश करें, वरना भविष्य में जब भी इस बारे में पूछा जाएगा, तो यही कहा जाएगा कि दुबे जैसा निष्ठावान मंत्री इस मन्त्रालय में बैठा हुआ था, तब वह प्रशासन चल रहा था और तब भी यह अत्याचार, यह अन्याय बंद नहीं हुआ। इसलिए मेरा आपसे खासतौर से निवेदन है कि इस तरह आप गंभीरता से ध्यान दें।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से अभी बात की गई उन मजदूरों की, जिनको विदेश में काम करने के लिए हमारे रिक्रूटिंग एजेंट बाहर भेजते हैं। जितने मजदूरों के हित में, और बोगस रिक्रूटिंग फर्म्स को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, रोकथाम करने के लिए, आपने उपाय उठाए हैं और कदम उठाए हैं, मैं उनका पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। लेकिन सभापति जी, एक महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक और प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं कि अब से 3-4 साल पहले की यह बात है कि चाहे वह ईराक हो, या कुवैत हो या सउदी अरेबिया हो, वहां मजदूरों में काम करने वालों की सबसे अधिक संख्या भारत के रहने वालों की थी। भारतीय नागरिकों की थी, लेकिन 5 साल के बाद आज आप वहां का इतिहास देखें, तो भारतवासी आज वहां तीसरे और चौथे नंबर पर आ गए हैं। अब वहां पाकिस्तान के, बंगलादेश के लोग आ गए हैं। वहां फिलीपीन्स के लोग आ गए हैं और यहां तक है कि अब तो चायना ने भी निर्णय लिया है कि चायना

अपनी लेबर, अपने मजदूर इस कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने वाला है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस देश में इतनी भयंकर गरीबी है, जिनको आप पूरा काम नहीं दे सकते, जिनको आप अच्छा वेतन नहीं दे सकते, तो उनको कम से कम वहां तो ज्यादा से ज्यादा तादात में जाने दें। अगर आप आपके नियमों में ऐसा परिवर्तन करें और आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, इनको जहां मौका मिलता है, उन नियमों का अपने हित में इस्तेमाल करते हैं, जहां इनका इंटरेस्ट होता है, वहां इस्तेमाल करते हैं, इनको अलग हटाते हुए आप कोई ऐसा रास्ता निकालें जो वास्तव में जरूरतमंद लोग जाने वाले हैं, उनको जाने का मौका मिले, ताकि आपके देश में गरीबी और बेरोजगारी दूर हो और साथ-साथ भारत को बहुत बड़ी संख्या में फारेन एक्सचेंज मिलता रहे, विदेशी सरमाया भी हमारे देश में आता रहे। मैं चाहूंगा मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

अभी दो हफ्ते पहले, सभापति महोदय, मुझे बाम्बे जाने का अवसर मिला और मैंने वहां देखा, दो-चार नहीं, सौ-दो सौ नहीं, हजारों लोग अपनी सम्पत्ति बेचकर, प्रापर्टी बेचकर, जमीन मकान बेचकर, बम्बई के अन्दर पड़े हुए हैं। हजारों लोग बिहार से, मध्य प्रदेश से, यू० पी० से हैं, उनके पास पासपोर्ट है, एन० ओ० सी० है, वीजा है, और जाने के सारे डाक्युमेंट्स होने के बावजूद भी वह विदेश नहीं जा पा रहे हैं, इराक सऊदी अरेबिया, इसलिए कि लेबर मिनिस्ट्री ने वापसी का टिकट मांगा है उन लोगों से जो उनको एम्पलाय करने वाले हैं, नौकरी देने वाले हैं। मैं आपकी पालिसी से पूरी तरह सहमत हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि जो लोग अपना सब कुछ बेचकर बम्बई में मौजूद हैं, उनको आप आत्महत्या करने का अवसर न दें, कोई टैम्परेरी आपका एडजस्ट हो, आप कोई रास्ता निकालें ताकि जो बम्बई में पड़े हुए हैं, उनको जाने का अवसर मिल जाए क्योंकि वह सरमाया, सम्पत्ति सब कुछ बेचकर वहां चले गए हैं। अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो केवल समुद्र में डूबने के अलावा और कोई चारा उनके लिए नहीं रहेगा। आप अपनी पालिसी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएं और ऐसे हालात पैदा करें कि सही जैन्यिन लोगों द्वारा शीघ्र रिक्रूट हों और भारत सरकार कोई सही एजेन्सी बनाकर इस काम को अपने हाथ में ले। आपका निरीक्षण का आफिस जो भारत में है, उसे यहां नहीं बल्कि विदेश के किसी शहर में रखें चाहे जद्दे में, दुबई में या कुवैत में, ताकि वहां पर वह हमारे मजदूरों की हालत का अध्ययन कर सके और जो अन्याय, अत्याचार और बेईमानी विदेशों में लोग करते हैं, वह उसकी रोकथाम कर सके और जिम्मेदार कार्यवाही कर सके। तभी आप इस देश से गरीबी को दूर कर सकते हैं।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया और मैं श्रमी जी से चाहूंगा कि हमारी सरकारी संस्थाएं, जिस तरह ठेकेदारी की प्रथा लागू है, इस तरह चल रही हैं, इस पर वह ध्यान देंगी, गौर करेंगी और सख्ती के साथ ऐसे कदम उठाएंगी कि सालों का फैला हुआ यह अत्याचार और अन्याय समाप्त हो जाए और मजदूरों को सुख की फिजा में जिंदगी बिताने का मौका मिल जाए। अगर यह नहीं होगा तो मजदूर अधिक इन्तजार नहीं करेगा। जो शांति वह चाहते हैं, कानून-नियम और अहिंसा के द्वारा उनको अपना अधिकार मिल जाए, संरक्षण हो जाए लेकिन बहुत दिनों तक यह अहिंसा और कानून, कोई उनको रोकने वाला बाकी नहीं रहेगा और उसके बाद पूरी क्रांति होगी।

मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे वक्त न आने दे और ऐसे कदम उठाए कि इन कानूनी माहौल में उनके अधिकार बच जाएं, उनको पूरा संरक्षण हो और टाटा, बिरला और कुछ पूंजीपति जो उनका खून चूस रहे हैं, उससे उनका बचाव हो सके।

شری عزیز قریشی (ستنا) : مانیئے سبھاپتی مہودے۔ شری پاٹل دوارا جو پرستاؤ پرستوت کیا گیا ہے میں اس سے سہمت ہوں لیکن ساتھ ہی یہ بھی نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اُن کا جو پرستاؤ ہے وہ کافی نہیں ہے۔ شاسن کو اسکے بنیاد پر مکمل قانون بنانا چاہیئے تبھی جاکر ہمارے اُدّیشیہ کی پورتی ہو سکتی ہے۔ اسنگٹھت مزدوروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میرے دماغ میں آتا ہے ان غریب مُفلس بے حال مزدوروں کا دھیان جو اس دیش کی بڑی انڈسٹری سے جُڑے ہوئے ہیں اور جنکی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اسنگٹھت مزدوروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میرا دماغ جاتا ہے چونے اور بھٹّوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی اور جنکا خون چوس چوس کر ان بھٹّوں کے مالک اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں اور جنکی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ نہ کوئی قانون ہے اور نہ کوئی شاسن ہے نہ کوئی وِبھاگ ہے کیول جنگل کا قانون ہے جہاں بھیڑیوں کو انسان کا خون چوسنے کی چھوٹ دیدی گئی ہے۔ اسنگٹھت مزدوروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میرا دماغ جاتا ہے شرم اور لجّا کے ساتھ ان پبلک انڈرٹیکنگس کی طرف جہاں پر مینیجمینٹ نے ٹھیکہ داری کی پرتھا کو لاگو کر رکھا ہے حالانکہ یہ بھارت سرکار کی سنستھائیں ہیں۔ یہ ہمارا سوبھاگیہ ہے کہ شرم منترالیہ میں ہمارے دوبے جی جیسے وَرِشٹھ اور انوبھوی منتری موجود ہیں جنکا سارا جیون مزدوروں کے اُدّھار میں کام کرتے ہوئے گذرا ہے۔ انکا ساتھ دینے کیلئے ہمارے منترالیہ میں اُپ منتری شری آر کے مالویہ جی ہیں جنکی کام کرنے کی دلچسپی اور نِشٹھا سے میں پوری طرح پرچِت ہوں۔ یہ دونوں بدھائی کے پاتر ہیں۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منترالیہ کو ایک نئی دِشا دیں۔ لیکن دُربھاگیہ کی بات ہے کہ ان کے منترالیہ میں کام کرنے والے اَدھیکاری جب فیلڈ میں جاتے ہیں جنکا کام آپ کی نیتیو کے

سے روپ سے لاگو کرانا ہے وہ اپنے کام کرنے میں پوری طرح سے اسپھل ہیں ایماندار نہیں ہیں۔ انمیں گمبھیرتا اور نشٹھا نہیں ہے۔ اس بات کو میں پورے ثبوت کے ساتھ سدن کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ سے بیڑی مزدوروں کی سمسیاؤں کے بارے میں بات کی۔ میں یہاں ستنا پارلیمنٹری کانسٹی چیونسی سے چن کر آتا ہوں اور میرے ضلع کے آس پاس ریوا شہڈول سیدھی آدی مدھیہ پردیش کا بہت بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں تیندو پتہ توڑا جاتا ہے ابھی پچھلی مدھیہ پردیش سرکار نے اسکا راشٹریہ کرن کر دیا ہے جس کے لئے وہ بدھائی کی پاتر ہے۔ کیوں کہ راشٹریہ کرن ہو جانے سے ہمیں امید ہو گئی ہے کہ اب مزدوروں کا خون چوسنا بہت حد تک رک جائے گا اور وہاں کسی پرکار کی راجنیتی اس کے اندر نہیں آئی۔ لیکن جب تک تیندو پتے کا راشٹریہ کرن نہیں ہوا تھا تو کوئی وہاں دیکھنے والا نہیں تھا کہ تیندو پتے توڑنے والے مزدوروں بیڑی بنانے والے مزدوروں کی کیا دردشا ہے کس طرح وہ رہتے ہیں انہیں کتنی مزدوری ملتی ہے کیا انکی حالت ہے سماج میں ان کا کیا استھان ہے۔ کسی نے ان کے سواستھ، ان کے پریوار یا ان کے بچوں کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا، دیکھنے کی تکلیف نہیں اٹھائی۔ آج بھی بدقسمتی سے وہ اسی کہانی کے شکار ہیں۔

ابھی میں نے یہاں چونہ بھٹی میں کام کرنے والے اور سیمنٹ فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے بارے میں بات کی۔ سو بھاگیہ سے یا دربھاگیہ سے میرے چھیتر میں ان مزدوروں کی سنکھیا بھی بہت بڑی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے یہاں سیمنٹ کے جس کارخانے کا لائسنس بھارت سرکار نے دیا ہے جہاں اپنی لیبر یونین موجود ہے وہاں اسنگٹھت مزدور

کس پرکار آ گئے وہاں اَن آرگنائزڈ لیبر کس طرح ہو سکتی ہے۔ اسے بدقسمتی کی داستان ہی کہا جائیگا کہ بھارت سرکار کے قانون کے دوارا سیمینٹ فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہر ایک مزدور کے لئے جو کم سے کم مزدوری مقرّر کی گئی ہے منیمم ویجز فکس کئے گئے ہیں جو کافی حد تک مناسب بھی ہیں اگر اتنی مزدوری ہر مزدور کو ملتی ہے تو کوئی اپنا جیون کچھ آرام سے ساتھ گذار سکتے ہیں۔ لیکن دُربھاگیہ کی بات یہ ہے کہ ہر کارخانے میں کچھ مزدور سرکاری یا شاسکیہ کارخانے کی لسٹ پر ہوتے ہیں جن کا سمبندھ لیبر یونین سے ہے ان کے علاوہ بہت بڑی سنکھیا میں وہ مزدور ہوتے ہیں جو کارخانے میں مین لسٹیڈ نہیں ہوتے بلکہ کسی ٹھیکیدار دوارا سپلائی کئے جاتے ہیں۔ اگر سیمینٹ فیکٹریز میں کام کرنے والے مزدور کی کم سے کم مزدوری آپ پینتیس روپے فی کس کی ہے تو ٹھیکیدار جن مزدوروں کو لاتا ہے اُنہیں مشکل سے پندرہ روپے دئے جاتے ہیں اور باقی راشن ٹھیکیدار اور مینجمینٹ دونوں ملکر کھا رہے ہیں اور مزدوروں کا اِسطرح خون چوسا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں اس سے بھی زیادہ لجّا اور شرم کی بات یہ ہے کہ بھارت کے اسٹیل منترالیہ کے انترگت بوکارو اسٹیل پلانٹ آتا ہے بوکارو کے پتھر کی کچھ مائینس میرے پارلیمینٹری چھیتر میں ہوتے جہاں پتّھر بوکارو پلانٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور میں چار سال سے برابر کویسچن کے ذریعہ، بھاشنوں کے ذریعہ، سوالوں کے ذریعہ سرکار کا دھیان اِس اور آکرشت کرا رہا ہوں پرنتو ایسا لگتا ہے کہ نہ ہمارا اسٹیل منترالے اور نہ لیبر منترالے اس اور کوئی دھیان دینا چاہتے ہیں کسی نے اس اور دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ بھارت کے اس بوکارو اسٹیل پلانٹ میں دو پرکار کے مزدور کیسے اینگیج کئے جا رہے ہیں۔ وہاں کچھ مزدور تو ایسے ہیں جنہیں مینجمینٹ کے دوارا

نیوکت کیا گیا ہے انہیں تو وہی مزدوری ملتی ہے جو اپنے معمولی ہے لیکن دوسرے بڑی سنکھیا میں وہ مزدور ہیں جو بدقسمتی سے کسی ٹھیکیدار دوارا بھارت سرکار کے اس پبلک انڈرٹیکنگ میں لائے گئے ہیں اور انہیں آدھی مزدوری بھی نہیں دی جاتی۔ جب میں نے لوک سبھا میں اس سے سمبندھت پرشن کیا تو اسکا ایسا ادھورا جواب دیا گیا جس سے اسکا صحیح مقصد ختم ہوگیا بلکہ الٹا جواب دینے کی یہاں کوشش کی گئی میں نے یہاں بھاشن میں کہا ڈیمانڈس میں بولتے ہوئے کہا لیکن آج تک بوکارو اسٹیل پلانٹ کی پتھر کی کھانوں کی جو مزدور کام کرتے ہیں مجھے شرم آتی ہے جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آخر یہ کیا کارن ہے آخر اس اتیہ چار کو دور نہیں کرا پائے تو میرے پاس ان کے لئے کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہی حال ہمارے یہاں جوٹاٹا برلا کے سیمنٹ کے کارخانے ہیں ان میں جو مزدور کام کرتے ہیں انکی حالت ہے۔ یدی آپ وہاں پر اُن مزدوروں کو جا کر دیکھیں ان کے رہن سہن کی حالت کو دیکھیں۔ ان کے جیون یاپن کو دیکھیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ آزاد ملک کے آزاد ناگرک ہیں جن کو پورے سمّان کے ساتھ جیون بتانے کا ادھیکار دیا ہوا ہے۔ بہت سے ایسے آدمی ہیں کہ پتھر کی کھانوں میں کام کرتے کرتے مزدور دب کر مر جاتے ہیں لیکن اُنکی لاش تک نکالنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ اُن کی لاش دبا دی جاتی ہے۔ اس لئے کہ یدی لاش لائی جاتی ہے تو کلیم بنے گا مینجمینٹ کے اوپر مقدمہ چلے گا۔ ان کے جو وارث پریوار میں بچے ہیں وہ کلیم مانگیں گے۔ اس لئے لاش کو پتھروں میں دبا دیا جاتا ہے۔ یہ آج ۱۹۸۹ میں ہو رہا ہے وہ ہم سب کے لئے شرم کی بات ہے۔ میں چاہوں گا کہ اسپر وہ خاص طور سے دھیان دیں اور نشٹھاوان آفیسر وہاں بھیجکر اس انیائے کو اس اتیاچار کو سمپت کرانے کی کوشش کریں ورنہ بھوشیہ میں جب بھی اس بارے میں پوچھا جائیگا تو یہی کہا جائے گا کہ ردی جیسا نشٹھاوان

اس منترالے میں بیٹھا ہوا تھا تب وہ پرشاسن چلا رہا تھا اور وہ تب بھی یہ اتیاچار کو یہ اتیاچار بند نہیں ہوا۔ اس لئے میرا آپ سے خاص طور سے نویدن ہے کہ اس طرف آپ گمبھیرتا سے دھیان دیں۔

سبھاپتی مہودے اس پرکار سے ابھی بات کی گئی ان مزدوروں کی جنکو ودیش میں کام کرنے کے لئے ہمارے ریکروٹنگ ایجنٹس باہر بھیجتے ہیں جتنے مزدوروں کے ہت میں اور بوگس ریکروٹنگ فرم کو روکنے کیلئے نینترن کرنے کیلئے روک تھام کرنے کے لئے آپنے اپائے اٹھائے ہیں میں انکا پورا پورا سمرتھن کرتا ہوں۔ لیکن سبھاپتی جی یہ مہتوپورن بات آپ کے مادھیم سے مانیئے منتری جی تک اور پرشاسن تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اب سے تین چار سال پہلے کی یہ بات ہے کہ چاہے کہ وہ عراق ہو یا کشل اسٹیٹ ہو یا کویت یا سعودی عربیہ ہو یہاں مزدوروں کے کام کرنے والوں کی سب سے ادھک سنکھیا بھارت کے رہنے والوں کی تھی۔ بھارتی ناگرکوں کی تھی، لیکن پانچ سال کے بعد آج آپ وہاں کا اتہاس دیکھیں تو بھارت واسی آج وہاں تیسرے اور چوتھے نمبر پر آگئے ہیں۔ اب وہاں پاکستان کے، بنگلہ دیش کے لوگ آگئے ہیں۔ وہاں فلپنس کے لوگ آگئے ہیں اور یہاں تک کہ چائنا نے بھی نرنے لیا ہے کہ چائنا اپنی لیبر، اپنے مزدوران کنٹریز کو ایکسپورٹ کرنے والا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہونگا کہ جس دیش میں اتنی بھینکر غریبی ہے جنکو آپ پورا کام نہیں دے سکتے جن کو آپ اتنے ویتن نہیں دے سکتے تو انکو کم سے کم وہاں تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں جانے دیں۔ اگر آپ کے نیموں میں ایسا پریورتن کریں اور آپ کی جو بیوروکریسی ہے نوکرشاہی ہے انکو جہاں موقع ملتا ہے ان نیموں کا اپنے ہت میں استعمال کرتے ہیں جہاں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں استعمال کرتے ہیں ان کو الگ ہٹاتے ہوئے آپ کوئی ایسا راستہ نکالیں [illegible] جانے والے ہیں انکو جانے کا موقع ملے تاکہ آپ کے دیش کو

عربی اور بیروزگاری دور ہو اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کو بڑی سنکھیا میں فارن ایکسچینج ملتا رہے۔ وہ دیشی سرمایہ بھی ہمارے دیش میں آتا رہے۔ میں چاہوں گا کہ منتری جی اس اور دھیان دیں۔

ابھی تو دو ہفتہ پہلے سبھاپتی مہودے مجھے بمبئی جانے کا اوسر ملا ا
میں نے وہاں دیکھا دو چار نہیں سو دو سو نہیں ہزاروں لوگ اپنی سمپتی بیچ کر پراپرٹی بیچکر زمین مکان بیچکر بمبئی کے اندر پڑے ہیں۔ ہزاروں لوگ بہار سے، مدھیہ پردیش سے یوپی سے ہیں ان کے پاس پاسپورٹ ہے، این او سی ہے ویزا ہے۔ اور جانے کے سارے ڈاکیومینٹس ہونے کے باوجود بھی وہ ودیش نہیں جا پا رہے ہیں، عراق، سعودی عرب اس لئے کہ لیبر منسٹری نے واپسی کا ٹکٹ مانگا ہے لوگوں سے جو ان کو ایمپلائی کرنے والے ہیں نوکری دینے والے ہیں۔ میں آپکی پالیسی سے پوری طرح سہمت ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ جو لوگ اپنا سب کچھ بیچکر بمبئی میں موجود ہیں انکو آپ آتم ہتیا کرنے کا اوسر نہ دیں کوئی ٹیمپوریری آپ کا ایکشن ہو آپ کوئی راستہ نکالیں تاکہ جو تنگدستی میں پڑے ہوئے ہیں ان کو جانے کا اوسر مل جائے کیوں کہ وہ اپنا سرمایہ سمپتی سب کچھ بیچکر وہاں چلے گئے ہیں۔ اگر ان کی طرف دھیان نہیں دیا گیا تو کیول سمندر میں ڈوبنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ان کے لئے نہیں رہے گا۔ آپ اپنی پالیسی میں کرانتی کاری پریورتن لائیں اور ایسے حالات پیدا کریں کہ صحیح جینوین لوگوں کے دوارا لوگ ریکروٹ ہوں اور بھارت سرکار کوئی صحیح ایجنسی بنا کر اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے۔ آپ کا نرکشن کا آفس جو بھارت میں ہے اسے یہاں نہیں بلکہ ودیش کے کئی شہروں میں رکھیں، جدہ میں، دوبئی میں یا کویت میں تاکہ وہاں پر وہ ہمارے مزدوروں کی حالت کا ادھین کر سکے اور جو انیتی اتیاچار اور بے ایمانی ودیشوں میں لوگ کرتے ہیں وہ اس کی روک تھام کر سکے اور خلاف کارروائی کر سکے، تبھی آپ اس دیش سے غریبی کو دور کر سکتے ہیں۔

میں آپکا آبھاری ہوں کہ آپنے سمے دیا اور میں منتری جی سے
چاہوں گا کہ ہماری سرکاری سنستھائیں جسطرح ٹھیکیداری کی پرتھا لاگو ہے چل
رہی ہے اس پر وہ دھیان دینگی غور کرینگی اور سختی کے ساتھ ایسے قدم اٹھائیں گی
کہ سالوں کا پھیلا ہوا یہ اتیاچار اور انیائے سماپت ہوجائے اور مزدوروں کو سکھ کی
فضا میں زندگی بتانے کا موقع ملے گا ۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو مزدور اَدھک انتظار نہیں کریگا ۔
جو شانتی وہ چاہتے ہیں قانون، نیم اور اہنسا کے دوارا انکو اپنا ادھیکار مل جائے ۔
سنرکشن مل جائے مگر بہت دنوں تک یہ اہنسا اور قانون کوئی اس کو روکنے والا
باقی نہیں ملے گا اس کے بعد پوری کرانتی ہوگی ۔

میں چاہوں گا کہ سرکار ایسا وقت نہ آنے دے اور ایسے
قدم اٹھائے کہ اس قانونی ماحول میں ان کے ادھیکار بن جائیں ۔ انکو پورن سنرکشن ہو
اور ٹاٹا برلا اور دوسرے پونجی پتی جوان کا خون چوس رہے ہیں اُن سے ان کا بچاؤ
ہو سکے ۔ ختم ۔]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, असंगठित मजदूर, श्रम मंत्रालय और यूनियन के क्षेत्र में काम करने वाले दोनों वर्गों के लिए चुनौती का विषय है। जितने संगठित क्षेत्र में मजदूर हैं, वह कुल मजदूरों का 10 प्रतिशत है। उन 10 प्रतिशत की वकालत करने और उनके हितों की देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता भी हैं, सरकार की अपनी मशीनरी भी है, लेकिन जो असंगठित मजदूर हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है, करीब 19 करोड़ के लगभग हमारे देश में असंगठित मजदूर हैं, उनके कल्याण की बात करने के लिए कोई ऐसी मशीनरी हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाए हैं जिससे हम कह सकें कि सुव्यवस्थित तरीके से सरकार के द्वारा जितने कानून पास किए गए हैं, जितनी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जितने उपलब्ध किए गए हैं, वह सब उन तक पहुंच पाए हैं।

मैं यह नहीं कहूंगा कि श्रम मंत्रालय या उसमें बैठने वाले लोगों का ध्यान असंगठित मजदूरों की तरफ नहीं गया है। उनका ध्यान गया है और बहुत सारे कानून भी पास हुए हैं, अगर हम उन सब कानूनों को ईमानदारी से पूरे तरीके से लागू कर पाते तो मैं समझता हूं कि आज जो स्थिति है, उससे बिल्कुल भिन्न स्थिति होती। मगर दुःख का विषय यह है कि कानून बनाने का काम आपके पास है, कार्यान्वयन के लिए कोई आपके पास ऐसी मशीनरी या एजेंसी नहीं है। यदि आप कोई एजेंसी बनाना भी चाहें तो वह सारे देश के अन्दर इतनी अधिक फैली हुई है जिसको आप कर नहीं सकते। आप तो केवल मानिटरिंग का ही काम कर सकते हैं यानी एक गाईड और फिलॉसफर का ही काम कर सकते

हैं। दुःख की बात है कि राज्यों की मशीनरी जो इस काम में लगी हुई है वह ठीक से काम नहीं कर पाती है ।

महोदय, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर दूंगा क्योंकि हमारे मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी जी बैठे हैं और उन्होंने अपना बिल आज यहां पेश करना है। हमारे मित्रों ने विस्तार से इस बात को कहा कि असंगठित मजदूर किन-किन क्षेत्रों में हैं। मैं 2-3 क्षेत्रों की तरफ ही मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो घरेलू मजदूर हैं । इन घरेलू मजदूरों की संख्या बहुत बड़ी है। इसी दिल्ली के अन्दर लगभग 70 हजार के करीब घरेलू मजदूर हैं। पुलिस वैरिफिकेशन मालिक करवाता है। अगर किसी के घर में छोटी सी वारदात हो जाये तो उनको पकड़ लिया जाता है लेकिन मालिक उसको क्या दे रहा है, उसकी भलाई के बारे में क्या सोच रहा है इसको देखने वाला कोई नहीं है । बड़े-बड़े जो फाइव स्टार होटल हैं—जैसे कि मौर्या और ताज। वहां होटल के मालिक उन लोगों को एक्सप्लायट करते हैं और बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लायट कर रहे हैं। जब वह संगठित होकर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। छोटे छोटलों में तो उनकी दशा बहुत खराब है। रात-रात भर उनसे काम करवाते हैं। आप हलवाइयों की दुकानों में चले जायें। आपको पता लग जायेगा कि वह किस प्रकार उनसे बुरा वर्ताव करते हैं । उनके ऐसे व्यवहार को देखकर दिल दहक जाता है। जो बड़ी सिटीज हैं वहां तो आपको कोई तरीका निकालना चाहिये जिससे कि इस वर्ग के मजदूरों को आइडेंटिफाई किया जा सके। कंस्ट्रक्शन में लगे मजदूरों और हाऊस बिल्डिंग व रोड कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूरों की दशा तो बहुत बुरी है। उनको अगर चोट लग जाये या कहीं उंगली कट जायें तो उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। कोई जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं सौंपी हुई है। अगर इस दिशा में आपका कोई तौर-तरीका है तो वह इतना महंगा और इतना अधिक समय लेने वाला है कि उसका न्याय मिलते ही वह बिल्कुल असहाय हो जाता है। आपकी इस क्षेत्र में जो कौंसिल बनी हुई हैं उनके पास इतने कम अधिकार हैं कि उससे कोई काम नहीं बन पाता है। अगर आप उन कौंसिलों में किसी सक्षम अधिकारी को भी बैठा दें तो वह भी वहां सफल साबित नहीं हो पायेगा। उनके पास अधिकार बहुत कम हैं। वह मालिक को फोर्स नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसके पास वैधानिक अधिकार नहीं हैं जिसके जरिए वह मालिक को दबाव में डाल सकें। मालिक के पास सबसे बड़ी ताकत पैसे की है और उस पैसे की ताकत के सामने सब असहाय हो जाते हैं।

माननीय पाटिल साहब ने एक अच्छा सुझाव यह दिया कि जितनी भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या पब्लिक सैक्टर हैं यदि उनके पैसे पर सैस लगा कर कुछ पैसा जमा कर सकें तो वह पैसा इन मजदूरों की भलाई के काम में लगाया जा सकता है। जिन मजदूरों को निकाल दिया जाता है या जो बुढ़ापा आने के बाद काम करने के लायक नहीं होते हैं वह पैसा उनके काम में भी लगाया जा सकता है।

हर जिले के अन्दर लेबर कौंसिलें बननी चाहिए। इस कौंसिल में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों या फिर उनमें सरकारी अधिकारी हों जोकि सर्वेक्षण कराने का काम करें। आप यह काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी करवा सकते हैं। इससे जितने भी असंगठित मजदूर बीड़ी उद्योग, कालीन बनाने के काम, चूड़ियां बनाने के काम या दूसरे छोटे-मोटे कामों में लगे हुए हैं उनका पता आसानी से लगाया जा सकेगा। अगर इन सब के आंकड़े हमारे पास रहेंगे तो उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि किसकी जिम्मेवारी है या कौन उसका मालिक है और कोई उनके साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा है, मजदूरी उनका

मालिक दे रहा है या नहीं, या फिर दूरी कोई गलती कर रहा है तो उसमें उसका पकड़ा जा सकेगा। जिस प्रकार से आपने उपभोक्ता कौंसिलें बनायी हुई हैं यदि इसी लेवल पर यह कौंसिलें बन जाए तो अवेयरनैस पैदा होगा। आज सबसे बड़ी जरूरत अवेयरनैस पैदा करने की है। यदि ट्रेड यूनियन का कोई कार्यकर्त्ता उनमें काम करता है और वह बिल्डिंग में और भट्टे में काम करने वाले मजदूरों को जब इकट्ठा करता है तो कुछ समय बाद यह पता लगता है कि वह 6 महीने के बाद किसी दूसरी जगह चला गया है। इस पर हम समझते हैं कि जो हमें राजनीतिक उपलब्धि होनी है या फिर हमारी पार्टी को कोई उपलब्धि होनी है वह नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं हमारे कम्युनिस्ट भाई चाहे लेबर के लिए कितनी ही बात करें लेकिन वह भी इस कार्य में सफल साबित नहीं हुए हैं। दूसरे और कोई ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग नहीं कर पा रहे, इसलिए कि नैट आउटपुट आदमी को निल नजर आ रही है इसलिए वह नहीं कर पा रहे तो मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें वालेण्टरी एजेंसी को शामिल करके डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर कुछ ऐसी काउंसिल बनाइए, स्टेट लेविल पर काउंसिल बनाइए जो वालेण्टरी तरीके से मोनीटर करने का काम करें, देखने का काम करें और साथ-साथ आपके जो लेबर आर्गेनाइजेशंस हैं, जिनकी यह जिम्मेदारी है कि ऐसे मामले वे निपटाएं, उनको कोई ऐसा दण्डात्मक अधिकार दीजिए कि वे उन लोगों को दण्ड दे सकें, पैनेलाइज कर सकें।

मैं इसी निवेदन के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, यह जो बिल आया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिल लाकर इसको चर्चा का विषय बनाया गया है और लोक सभा में बराबर यह चर्चा होती रहती है लेकिन चर्चा के बाद इसमें कोई कार्यवाही नहीं होती है और स्थिति जैसे की तैसे रह जाती है।

हमारे देश के अन्दर असंगठित श्रमिकों की तादाद बहुत ज्यादा है, आज 80 प्रतिशत श्रमिक असंगठित हैं और 80 में से 60 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं और 20 प्रतिशत क्वेरर और भट्टों पर काम करने वाले और बाल श्रमिक हैं। संगठित श्रमिक तो अपनी मांगें संघर्ष के जरिये, अपनी यूनियन के जरिये मनवा लेते हैं लेकिन असंगठित मजदूरों का बेचारों का शोषण हो रहा है। इस बारे में मंत्री जी जानते हैं और वह तीन साल तक बिहार के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, असंगठित श्रमिकों की स्थिति से वह पूर्ण अवगत हैं और आज वे मजदूरों के मंत्री बने हुए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि एक कानून जो आपने बाल श्रमिकों के लिए बनाया था, वह कानून दिवालिएपन का था, उस कानून से क्या बाल श्रमिकों को कोई लाभ हुआ? आपने कानून बनाया था कि मजदूर बच्चों से जो आदमी काम लेगा, उसको पनिश किया जायेगा, उसको सजा दी जाएगी लेकिन आज वह कानून कहां है। आज हिन्दुस्तान के सारे लोग समझते हैं और मजदूर भी समझते हैं कि यह लोक सभा कानून बनाने वाली एक संस्था बनी हुई है लेकिन यह कानून को लागू नहीं करा सकती है, यह कितना मखौल हो रहा है। मैंने उस वक्त भी यह कहा था कि यह कानून तभी लागू होगा, जब छोटे-छोटे बच्चों के माता-पिता जो 5 वर्ष की उम्र में ही पेट भरने के लिए उनको किसी किसान के यहां, किसी दुकान में या कालीन बुनने वालों को दे देते हैं, वैसे बच्चों का सर्वे कराया जाय और उनकी जवाबदेही सरकार ले और उनकी पढ़ाई-लिखाई, खाने-पीने, कपड़े की व्यवस्था करे तो जो मजदूरों की बात हम करते रहते हैं, उसमें से अधिकांश बातें समाप्त हो जायेंगी और वह बच्चा मजदूर न होकर देश का एक अच्छा नागरिक बन सकता है लेकिन सरकार को कोई

चिंता नहीं है। सरकार यह कहती है कि हम समाजवादी व्यवस्था लायेंगे तो क्या यही समाजवादी व्यवस्था है कि आज एक मानव के बच्चे के साथ दुकान में क्या सुलूक हो रहा है··· बहुत सी महिलायें भट्टों पर काम करती हैं। महिलायें जो भट्टों पर काम करती हैं, उनके साथ क्या अत्याचार होता है, यह बात अभी-अभी अखबारों में आई है। जहानाबाद में छः महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और आज वह होस्पिटलाइज्ड है। उनको कोई देखने वाला नहीं है। अगर आज उनकी यूनियन होती तो सरकार को चने चबा देती। लेकिन उसकी यूनियन न रहने के कारण कोई बोलने वाला नहीं है। यही स्थिति जहानाबाद की है और वहां पर भट्टे पर काम करने वाली महिलाओं के साथ तीन कांड हुए हैं, सामूहिक बलात्कार किया गया है। कहां है आपका कानून ? अगर आपका कानून होता तो यह स्थिति न होती। जिसका जो मन चाहता है, वही करता है। मैं पिछले चार बरसों से देख रहा हूं कि सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। कहां कानून लागू करते हैं, कहीं लागू नहीं कर रहे हैं। यही हालत खेतिहर मजदूरों की है। खेतीहर मजदूर बहुत तादाद में बाहर जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और जगहों पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ? क्योंकि उनका शोषण हो रहा है। आज वे अपना पेट भरने के लिए जा रहे हैं। गांवों में आज खेतिहर मजदूर खेतों में काम नहीं करना चाहते हैं। आखिर इस बारे में आपको सोचना चाहिए। बिहार में जो जमीन है, वह अलाभ कर है। वहां जो जमीन है, वह फायदा देने वाली जमीन नहीं है। इसलिए वहां मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। इतने बरसों में आपने कृषि के अन्दर क्या उन्नति की है ? यदि आपने कृषि के अन्दर उन्नति की होती, जैसी कि पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने की है, तो बाहर जाने वाले लाखों की तादाद में खेतीहर मजदूर नहीं जाते और हमारा बिहार भी सबसे उच्च कोटि पर रहता। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, वहां तो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई रहती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने सामाजिक और आर्थिक आधार दिया है। हम सामाजिक और आर्थिक आधार को ठीक नहीं कर सकते हैं और यहां पर बहस चला सकते हैं, अनवरत चला सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो कानून माननीय सदस्य द्वारा लाया गया है, उसको आपको मान लेना चाहिए। मानकर इन लोगों के फायदे के लिए और भी जो काम करना है, वह आपको करना चाहिए, ताकि इनका शोषण न हो सके और आपके कानून का जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो सके। आपने देखा होगा, बहुत से लोग क्रशर पर काम करते हैं। जो लोग क्रशर पर काम करते है, उनका शोषण हो रहा है। क्रशर पर काम करते-करते उन का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मिट्टी उनके शरीर के अन्दर सांस द्वारा चली जाती है और चन्द ही दिनों में वे मर जाते हैं। हर जगह क्रशर चल रहे हैं, लेकिन आप उनका पता नहीं लगा सकते हैं। वे इंसान नहीं हैं, हैवानों की तरह से उनसे काम लेते हैं। आप दिल्ली में बैठ कर बहुत लम्बी-लम्बी बातें करते हैं। दिल्ली में आप देखें लाखों-लाख मजदूर देहात से आकर 300-400 और 250 रुपए तक काम कर रहे हैं। क्या यह शोषण नहीं हैं। क्या किसी की जीविका तीन सौ रुपए में चल सकती है। ये सारी चीज आपके आंखों के सामने हो रही है, और हम बहस का मुद्दा बनाए हुए हैं।

मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इन चीजों को देखें और जो विधेयक माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसको सर्वसम्मति से पास कर लें, जिससे कि इन असंगठित मजदूरों की जिन्दगी में सुधार हो। इस शोषण से इन लोगों को मुक्ति दिलाई जाए। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

*श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंह पुर) : सभापति महोदय, मैं श्री बालासाहिब विखे पाटिल द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन हूं। करतामाननीय सदस्य श्री पाटिल द्वारा प्रस्तुत विधेयक में देश में असंगठित श्रमिकों के लिए एक कल्याण निधि बनाने की मांग की गई है। यह एक उपयोगी विधेयक है। इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते समय कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं भी इस विधेयक पर कुछ शब्द बोलना चाहता हूं।

महोदय, एक अनुमान के अनुसार देशभर में लगभग 2740 लाख असंगठित श्रमिक विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। उनमें से कुछ कृषि फार्मों में लगे हुए हैं कुछ उद्योगों में लगे हुए हैं, कुछ परियोजना स्थलों पर लगे हुए हैं और कुछ निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। वे देश में कुल श्रमिक का 90% हैं। यह खेदजनक बात है कि इन असंगठित श्रमिकों को एक समान दर पर पारिश्रमिक नहीं मिलता है। यह अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग है। मान लीजिए एक श्रमिक, जो दिल्ली में कार्यरत है, को 50 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, यदि वही श्रमिक कटक या भुवनेश्वर में कार्य करता है तो उसे 20 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। इसके अतिरिक्त छोटे कस्बों में कार्यरत श्रमिकों को बड़े शहरों में कार्यरत श्रमिकों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक मिलता है। चाहे यह छोटा कस्बा हो या बड़ा कस्बा हो श्रमिकों का हर जगह या तो ठेकेदारों द्वारा या मालिकों द्वारा शोषण हो रहा है। उन्हें पूरे वर्ष काम नहीं मिलता है। जब उनके पास कोई कार्य नहीं होता है तो उन्हें पारिश्रमिक नही मिलता है। ऐसे दिनों में उन्हें परिवार का पेट भरने के लिए कुछ नहीं मिलता है। अतः इन असंगठित श्रमिकों की व्यथा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह उन्हें संरक्षण प्रदान करे। उन्हें उन दिनों में भी पारिश्रमिक मिलना चाहिए जब उनके पास कोई काम न हो।

महोदय, मैं कृषि मजदूरों के संबंध में बात कहना चाहूंगा। हजारों ऐसे श्रमिक हैं जो खेतों में काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। वे संगठित नहीं हैं। अलग-अलग राज्यों में कृषि मजदूरी में अन्तर होता है। भारत सरकार को श्रमिकों के लिए चाहें वे उड़ीसा, बिहार अथवा किसी अन्य राज्य में काम करें एक समरूप मजदूरी दर निश्चित करनी चाहिए। बड़े जमींदारों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। उन्हें प्रतिदिन काम नहीं मिलता है। अतः वे साहूकारों से ब्याज की उच्च दर पर ऋण लेते हैं। अपनी सीमित मजदूरी के कारण वे ऋण चुका पाने में असफल रहते हैं। अतः वे पूरे वर्ष तकलीफ झेलते हैं। जमींदारों और साहूकारों से उन्हें बचाया जाना चाहिए।

महोदय, पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें बनायी जाती हैं। उन क्षेत्रों में काम करने वाले लोग साफ दिल होते हैं। अतः ठेकेदार हमेशा उनका शोषण करते हैं। ये गिरीजन भी संगठित नहीं हैं। ठेकेदारों के शोषण से उनकी रक्षा की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक योजनायें हैं। उनमें से कुछ ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित इन योजनाओं के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिक मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के हैं। उनके लिए निश्चित की गई मजदूरी उन्हें नहीं दी जाती है। अधिकारीगण और ठेकेदार उनसे काम करवाते हैं

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

और बही खाते में जो वे मजदूरी लिखते हैं उससे कम मजदूरी उन्हें देते हैं। यह अव्यवस्था अवश्य बन्द की जानी चाहिए क्योंकि असंगठित श्रमिक गरीब होते हैं और समाज के कमजोर वर्ग के होते हैं। हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में अनेक योजनायें कार्यान्वित कर रही है। जैसाकि आप जानते हैं कि दूरदराज क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी अशिक्षित होते हैं और ठेकेदार उनका शोषण करते हैं। उनमें अपने नियोजनों के विरुद्ध एक शब्द कहने का भी साहस नहीं होता है। इस करण ही ये सीधे और भोले-भाले असंगठित आदिवासी पीड़ा झेलते हैं। उन्हें उचित रूप में आश्रय और न्याय दिया जाना चाहिए।

हस्तकरघा श्रमिक भी असंगठित श्रमिक होते हैं। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में लगे ग्रामीण कारीगर और श्रमिक भी संगठित नहीं होते हैं। उन्हें पूरे वर्ष काम नहीं मिल पाता है। अधिकांश दिनों मे वे घर में यूं ही बैठे रहते हैं। इन दिनों वे बहुत परेशानी में रहते हैं। अतः असंगठित श्रमिकों को पूरे वर्ष काम उपलब्ध कराने के लिए सरकार को कुछ योजनायें कार्यान्वित करनी चाहिए।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर बहुत से लोग असंगठित तरीके से काम करते रहते हैं। उनमें कम आमदनी वाले वर्ग को कुछ सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी रोजी रोटी कमाने के काबिल हो सकें।

महोदय, मैंने श्री पाटिल के विधेयक का अध्ययन किया है। श्री पाटिल के विधेयक के खण्ड 4 में कहा गया है कि उन संगठित श्रमिकों, जिनकी आमदनी एक हजार प्रति माह से कम नहीं है, की तनख्वाह में से एक प्रतिशत राशि कम कर दी जाए और उस राशि को संगठीत श्रमिक कल्याण कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। श्री पाटिल का सुझाव अच्छा होते हुए भी व्यवहारिक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः इसे अनिवार्य नहीं कर दिया जाना चाहिए। श्रमिक इच्छापूर्वक कोष में दान दे सकता है। इस सन्दर्भ में मैं यह परामर्श देना चाहूंगा कि कल्याण कोष में केन्द्र सरकार को और राज्य सरकारों को बराबर-बराबर सहायता देनी चाहिए। इस विधि से कल्याण कोष में एक अच्छी रकम जमा हो सकती है। अपनी जरूरत के समय असंगठित श्रमिक इस कल्याण कोष से कुछ सहायता ले सकते हैं। इस तरीके से हम असंगठित श्रमिकों की मदद कर सकते हैं।

महोदय, यह खुशी की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी असंगठित श्रमिकों के कल्याण के मसले पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। उन्होंने देश के प्रत्येक भाग का भ्रमण किया है। उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान दिए गए भाषणों में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि असंगठित श्रमिकों की रक्षा हर कीमत पर की जायेगी। वह चाहते हैं कि असंगठित श्रमिकों को पूरे वर्ष आमदनी उपलब्ध कराने के लिए स्थायी तौर पर उपाय किए जाने चाहिए। इस सन्दर्भ में मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा। मेरे विचार में नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए। उस सम्मेलन में राज्य श्रम मंत्री को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए और इन असंगठित श्रमिकों की रक्षा के लिए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। शोषण की समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए। असंगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकारों को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिएं। शोषण से असंगठित श्रमिकों की रक्षा करने लिए और जरूरत होने पर उन्हें कानूनी सहायता के लिए उपबन्ध करने वाला एक विस्तृत विधेयक सरकार को इस सभा में लाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस विधेयक

को श्री पाटिल ने नेक ईरादे से पेश किया लेकिन इस प्रकार का गैर-सरकारी विधेयक लाखों असंगठित श्रमिकों को स्थायी सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता है। इस विधेयक को पेश करने वाले के नेक इरादों की मै सराहना करता हूं। इसके साथ ही मैं श्री पाटिल से इस विधेयक को वापस ले लेने का अनुरोध करता हूं। मैं सरकार से भी जल्द से जल्द एक विस्तृत विधेयक लाने के लिए अनुरोध करना चाहूंगा।

महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने देने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : सभापति महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमें आशा है कि सरकार एक संपूर्ण बिल इस पर लाएगी, इस प्रकार का आश्वासन हमको चाहिए।

असंगठित मजदूरों की संख्या आज दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे हमारे देश में बेकारी बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे असंगठित मजदूरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज इस देश में पौने दो लाख कारखाने बंद हैं, हर साल इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ रही है और कारखाने बंद हो रहे हैं, रोजगार के संस्थान कम होते जा रहे हैं। भारत सरकार की पालिसी के अनुसार रिक्रूटमेंट पर बेन है, रेलवे, पी० एण्ड टी०, बैंक आदि जगहों में रिक्रूटमेंट बंद है। यह ठीक है कि लेबर प्रोडक्टीविटी बढ़नी चाहिए, अन्यथा हमारा देश कंपीट नहीं कर सकेगा, लेकिन देश में करोड़ों लोग बेकार हैं, दस करोड़ लोग बेकार हैं, उस देश में योरोप और अमरीका जैसा स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे तो सर्वनाश होगा और हो रहा है। आज इस देश में असंगठित मजदूरों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर भी भरती नहीं हो रही है। असंगठित मजदूरों की आज हालत बहुत खराब है। आज रेल में, डिफेंस, पी० एण्ड टी०, कोल इंडिया आदि पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले आदमी के लिए पूरे देश में एक वेतन-क्रम है, लेकिन अगर कोई दिल्ली में मिट्टी काटता है तो उसको 40 रुपए मिलते हैं, वही मिट्टी कोई बनारस में काटता है तो उसको 25 रुपए मिलते हैं, पटना में 20 रुपए मिलते हैं, जबकि सामान का भाव एक है, इसका कोई प्रबंध है या नहीं है। इसका अवश्य कोई प्रबंध होना चाहिए। अभी हमारे साथियों ने कहा कि स्टील, सीमेंट, कोल इंडिया आदि पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले, आर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों का सब जगह एक सा वेतन है तो फिर जो पत्थर खोदते हैं, ईंट बनाते हैं, उनके लिए सब जगह मिनिमम वेज की व्यवस्था क्यों नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सामान का भाव ज्यादा है, लेकिन यह तो नहीं होना चाहिए कि मिनिमम वेज कलकत्ता में 20 रुपए हो और जमशेदपुर में 15 रुपए हो, इसका कोई प्रबंध होना चाहिए। राज्य सरकारों के श्रम मंत्रियों के साथ बैठकर इसको अवश्य करना चाहिए।

अभी 2-4 बातें कही गईं, असंगठित मजदूर की सबसे अधिक दुर्गति ईंट भट्टों में है। सारा साल वहां काम नहीं होता। बरसात नहीं होगी तो काम होगा, बरसात होगी तो काम बंद हो जाएगा। इनके शोषण को देखने वाला कोई नहीं है। गांवों से दूर-दूर ये लोग काम करते हैं, लोकल लोगों से इनका कोई संबंध नहीं होता। वहां के मजदूरों से कोई संबंध नहीं होता, कोई रांची से आता

है, कोई गया से आता है, इनकी भाषा भी वहां के लोग नहीं समझते । न पंचायत, न पार्टी कोई इनको देखने वाला नहीं है । बस जब कभी किसी को चन्दा लेना होता है तो वह भट्टा मालिक के पास आता है, किसी पार्टी को चन्दा चाहिए या रामनवमी आदि त्यौहारों का चंदा चाहिए । इस तरह से ये लोग मेक्सीमम सफर कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि भट्टा मजदूरों के लिए कुछ विशेष प्रबंध किया जाना चाहिए, यह बहुत जरूरी है ।

5.00 म० प०

[श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

अगर आरगेनाइज्ड फैक्टरी में लेबर सप्लाई करना है, बोकारो में और सभी फैक्ट्रीज में ऐसा है कि उनको कैजुअल लेबर कांट्रेक्ट पर काम करने के लिए चाहिए । यह बताईए कि क्या वह कांट्रेक्ट पर कर सकता है और जो मजदूर काम करेगा उसकी नौकरी तुरन्त ही पक्की हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता । यह नहीं हो सकता और न आप कर सकते हैं । लेकिन जो मिनिमम वेज हैं, वह उसको क्यों नहीं मिल सकती । इसलिए नहीं होता क्योंकि मिलीभगत होती है । आप बड़े अनुभवी ट्रेड यूनियन लीडर हैं, आप सब कुछ जानते हैं ।

[अनुवाद]

भारत के श्रमिक संघ के अनुभवी नेता होने के कारण आप इन चीजों को जानते हैं । चूंकि आप इस समय इस कार्य को कर रहे हैं अतः आप कृपया उस कारखाने में जहां श्रमिक लगाये जाते हैं न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कुछ करें । यह धनराशि अदक्ष श्रमिकों को प्रतिमाह मिलने वाली धनराशि से कम नहीं होनी चाहिए और इसकी गणना अनेक कार्य दिवसों से की जानी चाहिए । उन कारखानों में असंगठित श्रमिकों को आसानीपूर्वक कुछ सुविधायें दी जा सकती हैं ।

[हिन्दी]

खाली शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है । हम लोग भी अन-आरगेनाइज्ड लेबर के लिए बहुत रोते हैं । लेकिन एक समस्या है और वह यह कि अलकोहलिज्म बढ़ता जा रहा है । उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पीने में चला जाता है । उसके लिए आप संगठित रूप से विभिन्न पार्टियों को बोल सकते हैं कि जो कमाता है उसको खाने में लगाए, कम से कम चावल खरीदे जिससे कि अल्कोहलिज्म के खिलाफ लड़ा जा सके । इसके लिए विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न ट्रेड यूनियन हैं जैसे इन्टक, एटक सी० एम० एस० आदि उनको बोला जा सकता है कि हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं । अलकोहलिज्म की वजह से उसका बहुत नुकसान होता है और उसकी हैल्थ खराब हो जाती है । कानून आप बनाइए लेकिन कानून लागू करने का औजार भी होना चाहिए । जो अन-आरगेनाइज्ड मालिक है वह भी जानता है कि दुबे जी का कानून कुछ नहीं कर पाता, उसको कराने की शक्ति दूसरी जगह पर है ।

[अनुवाद]

एक विवाद को पहले समझौते द्वारा निपटाने की कोशिश की जाती है, फिर मुकदमा और तब वह न्यायालय में जाता है । आपको विचार करना चाहिए कि क्या श्रम विभाग को कुछ अधिक

अधिकार दिए जा सकते हैं। वर्तमान में विवादों के निपटारे के लिए कोई प्रभावकारी मशीनरी नहीं है। अभी पहले समझौते की कोशिश की जाती है, फिर मुकदमा और फिर वह न्यायालय में जाता है।

[हिन्दी]

अन-आरगेनाइज्ड लेबर के लिए कोई डिस्प्यूट होने जाएगा तो वह मार खायेगा, गुंडागर्दी होगी और खून हो जाएगा। डिस्प्यूट से शुरू करके ट्रिब्यूनल में जाने में बहुत समय लगता है। काम खत्म तो पैसा हजम। मजदूर तो कहीं का कहीं चला जाएगा। लूटमार करके चले गए, कोई देखने वाला नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतना आसान नहीं है, सोचिए क्या हो सकता है। अगर आप हमारे से पूछेंगे तो मैं भी जवाब नहीं दे सकता। यह बहुत बड़ी समस्या है। काम खत्म होने पर कोई नहीं मिलेगा। इसका क्या होगा, इसको जरा देखें कि किस फ्रेम वर्क के अन्दर हमारा देश चल रहा है। आप जानते हैं नीम का पेड़ है तो उसमें आम नहीं होगा। हम लोग एक तो पूंजीपति माहौल की सरकार के अन्दर हैं, आप चाहे पसन्द करें या न करें इसे···

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : नीम के पेड़ में कलम लगाओगे तो आम हो जाएगा।

श्री नारायण चौबे : अगर नीम के पेड़ में कलम लगाओगे तो वह भी तीता हो जायेगा। यह एक मौलिक प्रश्न है। आपको देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको गम्भीर होना चाहिए। मैं आपको हमारी तरह से कह सकता हूं कि इस दिशा में जो भी आप करना चाहेंगे हम आपको अपनी सेवा देंगे और आपका साथ देंगे। जो मेरे साथी बिल लाये हैं वह अच्छे आदमी हैं और मजदूरों के हितों के रक्षक हैं। मैं उनका साथ दूंगा, लेकिन आप ठोस बातें बतायें जिससे हम हिचकिचायें नहीं और आपका हिम्मत से साथ दे सकें।

श्री मोतीलाल सिंह (सीधी) : सभापति महोदय, पाटिल साहब ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो बिल प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। आज असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्या वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में असंगठित मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय है। असंगठित मजदूर खेतों में भी किसानों के साथ काम करते हैं, सड़कों पर भी काम करते हैं, वनों में भी काम करते हैं और भी कई क्षेत्रों में ये लोग काम करते हैं। हर जगह असंगठित मजदूर पाए जाते हैं, लेकिन जहां तक उनकी सुविधा की बात है, उनको कितनी मजदूरी मिल सकती है यह कोई निर्धारित नहीं है। शासन से जो न्यूनतम मजदूरी तय हुई है वह भी पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि राज्यों में भी अलग-अलग मजदूरी का प्रावधान किया गया है। एक मजदूर के लिए किसी राज्य में दस रुपए या ग्यारह हैं तो दूसरे राज्य में पन्द्रह रुपए या सोलह रुपए हैं, यह एक विसंगति है। शासन से जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी है वह भी उनको प्राप्त नहीं हो रही है। यही कारण है कि 14 साल से कम उम्र के भी बाल मजदूर आपको मिल जायेंगे, क्योंकि एक मजदूर दस-ग्यारह रुपए में अपना और अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। जिसके कारण उसके बच्चों को भी मजदूरी के लिए जाना पड़ता है और वे स्कूल में नहीं जा सकते हैं। अपने देश में सामाजिक और आर्थिक विसंगति इसी वजह से है कि जो मजदूर वर्ग है वह केवल काम करता है और अपने जीवन यापन के लिए ही जुटा रहता है और सामाजिक तथा आर्थिक स्तर को उठाने के लिए

आगे कदम नहीं बढ़ाता। आप तो असंगठित और संगठित दोनों मजदूरों के बीच में रह चुके हैं, उनकी मुसीबतों को जानते हैं। जो संगठित मजदूर हैं वे अपनी आवाज अपनी यूनियन के माध्यम से उठाते हैं और अपना हक प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन असंगठित मजदूरों का जहां तक सवाल है वह इससे अछूते रह जाते हैं। ठेकेदारी प्रथा में मजदूरों का भरपूर शोषण किया जाता है। उनको जिस मजदूरी पर लगाया जाता है वह निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। यहां-तक कि काम करने के बाद उनको वहां से भगा दिया जाता है और उनकी मजदूरी देना तो दूर की बात है। यही कारण है कि चूने के भट्टों, में, ईंटों के भट्टों में सड़क पर जो काम करने वाले हैं या दूसरी जगह अपना गांव और राज्य छोड़कर, काम करने के लिए जाते हैं यह सोचकर जाते हैं कि शायद वहां मजदूरी ज्यादा मिलेगी जिससे हम अपने परिवार का पालन-पोषण अच्छे ढंग से कर सकेंगे···लेकिन असंगठित मजदूरों की स्थिति सब जगह एक जैसी है, चाहे वे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाएं, बिहार से पंजाब जाएं या कहीं और जाएं, सब जगह उनका शोषण होता है, उनकी स्थिति वैसी ही रहती है। हमारे देश में आज जितने भी खेतिहर मजदूर हैं, सरकार ने वैसे उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है, लेकिन कहीं किसी मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं मिलती, आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए। हमारी सरकार ने काम देने के लिए, उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए उन्हें ऊपर उठाने के लिए एन० आर० ई० पी० जैसे अनेकों स्कीमें चलायी हुई हैं परन्तु देखने में यह आता है कि इन योजनाओं से उन गरीबों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है जो गांवों में रहते हैं। इस सहायता का लाभ कुछ लोग आपस में मिलजुल कर उठा रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय की ओर तत्काल ध्यान दिया जाए और कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि मजदूरों को उचित मजदूरी मिल सके, और उनका शोषण रुक सके।

मैं जानता हूं कि श्रम मंत्रालय में कुछ समितियां बनायी भी गयी हैं, जिनके माध्यम से आप सर्वेक्षण करा रहे हैं कि मजदूरों पर होने वाले अत्याचार कैसे कम किए जा सकते हैं, उनकी समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकते है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। खेतिहर मजदूर चाहे आज किसी भी स्तर पर काम कर रहा है, वह असंगठित मजदूरों की श्रेणी में आता है। असंगठित मजदूरों की आज हमारे देश में बहुत बुरी दशा है। उनके बच्चों के लिए न कहीं शिक्षा की व्यवस्था है न उनके परिवार के स्वास्थ्य रक्षा का कोई इंतजाम। आज देश के हर मजदूर के लिए आवासीय व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे अपना मकान या झोंपड़ी खुद बना सकें। शासन की नीति होते हुए भी इन लोगों को कहीं मकान या आवासीय प्लाट नहीं मिल पाते। कई राज्यों में गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए जमीन आवंटित की जाती है, उनके नाम से मकान बनाए भी जाते हैं लेकिन बरसात आने से पहले वे मकान ढह जाते हैं। ये गरीब लोग उन मकानों में जाकर रह नहीं सकते। हमारे शासन की योजनाओं की स्थिति यह है कि जिन गरीब और पिछड़े वर्ग के कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए वे बनायी गयी हैं, उनसे किसी गरीब मजदूर को लाभ नहीं हो रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि उसकी योजनाओं का लाभ उन गरीब मजदूर को क्यों नहीं मिल रहा है। इसके लिए ठोस कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है ताकि सरकार के बीस सूत्रीय कार्यक्रम और दूसरी योजनाओं का लाभ बीड़ी मजदूर और दूसरे लोगों को मिल सके, जिनके लिए वे बनायी गयी हैं। बिना कारगर कदम उठाए यह सम्भव नहीं है। कानून बना देने से ही कुछ होने वाला नहीं है। कानून तो यह भी है कि 14 वर्ष का कोई बालक किसी खदान में काम नहीं कर सकता,

लेकिन आज स्थिति यह है कि अपने भरण-पोषण के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए 14-15 साल के अनेकों लड़के आपको खदानों में काम करते हुए मिल जाएंगे। उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है।

मैं समझता हूं कि मजदूर और गरीब लोगों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कानून बना देने से उनका उतना फायदा नहीं मिल पाएगा, उन कानूनों पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है। हमें ध्यान देना होगा कि उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए जो मीडिया या मशीनरी लगी है, वे अपना कार्य ठीक ढंग से करें और हर वर्ग के मजदूर और गरीबों को योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाने की व्यवस्था करें। मजदूरों में हर वर्ग के मजदूर हो सकते हैं, हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग आदि, हर कौम के मजदूर हो सकते हैं लेकिन आज स्थिति यह है कि एक तरफ हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को विशेष सुविधाएं दिए जाने की बात करते हैं, लेकिन गांवों में उनकी स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आता। हमने बैंकों के जरिये उनके स्व-रोजगार की व्यवस्था की है, ऋण देने की व्यवस्था की है ताकि बेरोजगार गरीब तबके के लोगों को राहत मिल सके, वे बैंकों से सहायता लेकर अपना खुद का कोई रोजगार आरम्भ कर सके लेकिन बैंकों से उन्हें सहायता ही नहीं उपलब्ध हो रही है। हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी योजनाओं का लाभ उन व्यक्तियों को मिले, जिनके लिए वे योजनाए बनायी गयी हैं। आपके मंत्रालय को परीक्षण करना होगा ताकि इस देश के असंगठित मजदूरों की भलाई के काम आरम्भ किए जा सके। आपका मंत्रालय इस समय जो काम कर रहा है, उसमें और तीव्रता लाने की आवश्यकता है।

विदेशों में जाकर मजदूरी करने के लिए यहां से कुछ ठेकेदारों द्वारा जो लोग भेजे जाते हैं, वैसे तो कई माननीय सदस्य उस विषय में बोल चुके हैं कि विदेशों में ले जाने पर उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है, उनका भरपूर शोषण होता है, उनसे पैसा लेने के बाद ही यहां से भेजा जाता है या पैसा लेने के बाद भी नहीं भेजा जाता। बहुत से लोग दिल्ली में घूमते रहते हैं और यहां तक कहते हैं कि फलां आदमी हमें घर से बुलाकर लाया है, हमसे पैसा लिया है, लेकिन आज तक वह विदेश नहीं भेजा गया है। इसका कोई निदान नहीं हो सका है। वे लोग भटकते फिरते हैं। उनके पास पैसा कहां से आता है। वे लोग अपनी जमीन, मकान बेचकर आते हैं। जब तक हम उन कमियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक उन लोगों को राहत नहीं मिल सकती है। खाली कानून बनाते रहेंगे और यहां इतनी महत्वपूर्ण चर्चा कर के सिर्फ ऐसे ही रह जाएंगे, तो उससे उनका भला होने वाला नहीं है। इसका फायदा उनको तभी मिल सकता है जब आप कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर देंगे। जो लोग खदानों में काम करते हैं, आप उनके बारे में जानते हैं। जो विशेष सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, आज वे उनको नहीं मिल पा रही हैं। जो मजदूर ऐसी जगहों में काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी दवाई के लिए, अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं हैं। पीने का पानी नहीं है। रहने के लिए मकान नहीं है। मजदूरों को चाहिए क्या, मजदूरों को दो टाइम खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए मकान, दवा के लिए अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल, पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, इन सब चीजों की उनको मुश्किल हो रही है। इसलिए इनको पूर्ण करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, पाटिल जी जो विधेयक, लाए हैं, वह तो प्राइवेट विधेयक है, मैं आपके माध्यम

से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार की तरफ से एक ऐसा बिल लाएं ताकि उस पर अच्छे ढंग से चर्चा हो सके और इसको कारगर बनाने के लिए कानून बनाएं ताकि असंगठित मजदूरों को और देश में रहने वाले सभी प्रकार के मजदूरों को फायदा मिल सके जो आज तक इन सुविधाओं से वंचित रहे हैं, वे इन सुविधाओं से वंचित न रहें।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, यह विधेयक लाने के लिए मैं श्री पाडिल को बधाई देता हूं। वास्तव में यह विधेयक देश में संगठित और संगठित श्रमिकों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करता है। गतवर्ष यह असंगठित श्रमिकों का वर्ष था जैसाकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने घोषणा की थी। केन्द्रीय श्रमिक संगठन द्वारा उस समय सक्रिय कदम उठाए गये थे। लेकिन अभी स्थिति यह है कि इस देश की कुल कार्य शक्ति का 80 प्रतिशत अभीसंगठित होना बाकी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। संगठित केन्द्रीय श्रमिक संगठनों में से एक के अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री हैं। अतः वे स्थिति जानते हैं। केन्द्रीय श्रमिक संघ जो यहां मामलों का फैसला करता है, 20 प्रतिशत से भी कम का प्रतिनिधित्व करता है और 80 प्रतिशत अभी भी संगठित श्रमिक संघों के दायरे से बाहर हैं। संगठित श्रमिकों और असंगठित श्रमिकों के बीच बड़ी असमानता है। अतः श्रम से सम्बन्धित मामले भी समरूप नहीं हैं। मैं महसूस करता हूं कि इन कानूनों को कार्यान्वित करने में हम दृढ़ इरादों के अभाव के कारण समाज में व्याप्त सामंतवादी प्रकृति की आनुवांशिकता अभी भी हमारे देश की वर्तमान व्यवस्था में बनी हुई है। अभी तक हमारे यहां वही ढांचा वर्तमान है। वहां कितने संवर्ग हैं? 80 प्रतिशत कार्यशक्ति संगठित नहीं है और यह समाज के निम्न स्तर से उत्पन्न होती है क्योंकि जिन लोगों के पास जीविकोपार्जन के साधन नहीं हैं, पर्याप्त आय नहीं है और जिन्दगी चलाने के लिए इस प्रकार का कोई नियम नहीं है और उन्हें कम मजदूरी दी जाती है। उन लोगों के लिए जो व्यवसाय करते हैं, उत्पादन के साधनों पर जिनका नियंत्रण है, जो एक दिन में एक लाख या एक मिलियन रुपए पा सकते हैं ऐसे लोगों के लिए यह कुछ असंगठित नहीं है और वे चीजों का प्रबन्ध कर सकते हैं जबकि 80 प्रतिशत कार्यशक्ति के पास जो असंगठित हैं उनकी मजदूरों के अलावा कुछ भी नहीं है। राजनीति से हट कर हमें इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी भी प्रकार यह असमानता दूर हो जाए। यह विधेयक समस्या की चर्चा सिर्फ सतही तौर पर करता है। यह विधेयक सिर्फ उस समस्या को उजागर करता है जिससे हम सम्बद्ध हैं। यह समस्या की चर्चा उनके बाहरी रूप में करता है अर्थात् एक कल्याण कोष संचित करने की बात करता है और उनके लिए इसका उपयोग करने की चर्चा करता है। इससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा।

एक अच्छा कानून बनाया और लागू किया जाना चाहिए जिससे कि वास्तव में लोग सुरक्षित रहें। पूर्णतः शोषित वर्ग को इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पंजे से मुक्त करना है। इस उद्देश्य के लिए एक प्रभावकारी कानून की आवश्यकता है। यह कल्याण कोष एक सहानुभूति की तरह है एक योजना है जिसके द्वारा कुछ सहायता दी जाती है और कुछ धनराशि इसके लिए जमा रहती है। सिर्फ यह समस्या ही नहीं है। जहां परिवर्तन करना होता है, जहां श्रम की वास्तविक गरिमा, संविधान में जिसकी गारंटी दी गयी है, को श्रमिकों का अधिकार बनाना होता है वहां समस्या और गंभीर हो जाती है।

क्या श्रमिकों के लिए श्रम की कोई गरिमा है ? संगठित श्रमिक वर्ग कुछ हद तक श्रम की गरिमा ही प्राप्त कर सकते है । लेकिन असंगठित श्रमिक वर्ग की समस्याओं पर ध्यान देने पर हम पाते हैं कि उनकी कोई गरिमा नहीं है । मुख्य रूप से असंगठित श्रमिक कौन हैं ? कृषि श्रमिक, वे ही असंगठित हैं । वे दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं । वे अनेक नियोजकों के साथ काम करते हैं । घरेलू नौकर असंगठित क्षेत्र का एक अन्य वर्ग है । इनकी संख्या मेरे विचार से एक मिलियन है । हाल ही में मैंने एक विधेयक घरेलू श्रमिकों के हित के लिए सभा में पुरःस्थापित किया है । प्रत्येक परिवार जो उसको मजदूरी देने में समर्थ है एक नौकरानी या नौकर रख सकता है । उनकी नौकरी के शर्तें क्या हैं ? यह एक अन्य किस्म की दासता है । वे बंधुआ मजदूर जैसे हैं । इसी तरह की स्थिति उनकी है जो या तो बागान कार्य में लगे हैं या जो खेतों में काम करते हैं । भाड़े के मजदूर अभी भी असंगठित हैं । देश के हर भाग में भवन निर्माण का कार्य चल रहा है ; लेकिन मजदूर प्रायः असंगठित ही रहते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है । उसके लिए किसी भी प्रकार का कानून नहीं बनाया गया है । ठेकेदार और दलाल अपने निहित स्वार्थों के लिए मजदूरों का उपयोग करते हैं, उनकी सेवाएं लेते हैं और अन्त में उन्हें हटा देते हैं ।

वास्तविकता यह है कि देश की जनसंख्या के एक बड़े भाग का उपयोग और नियंत्रण उन लोगों द्वारा अपने उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जो धन की अदायगी कर सकते हैं । वे उनका शोषण करने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं । इस विधेयक से मुझे इसी बात का पता चलता है कि इससे उनके शोषण पर प्रकाश डाला गया है । लेकिन इस स्थिति से कैसे निपटा जाय ? इसके लिए एक कल्याण निधि के शुरू करने का भी सुझाव दिया गया है । मेरे विचार से यह मांग एक दान है । दान से ज्यादा यह उनका हक है, अधिकार है; जिसके लिए वे उसके हकदार हैं । लेकिन हम उनको उनका अधिकार देने में असफल रहे हैं । यह एक वास्तविकता है । यह जरूरी नहीं कि इसे कोई दान या किसी व्यक्ति के अहसान के रूप में शुरू किया जाय । यह इस देश के श्रमिक वर्गों का अधिकार है जो कि अपने हिस्से के लिए अपना खून और पसीना, देश के लिए बहाते हैं । क्या यह सरकार ऐसा करने को तैयार है ? इस समस्या को इस दृष्टकोण से देखते हुए एक विधेयक पेश किया जाय जिससे लोगों को उनका अधिकार मिल सके । इन छोटे-मोटे अधिकारों के बारे में कोई व्यक्ति परेशान नहीं होता ।

संसद जैसे मंच से श्रमिकों को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि वे किसी भी व्यक्ति के कृपापात्र नहीं हैं । वे अपने अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, जिसे उन्होंने पाना है । वे इसके लिए चुप नहीं रहेंगे । उन्हें संगठित करने का मुख्य उद्देश्य यही है । आपके विधेयक का भी मुख्य ध्येय यही होना चाहिए । एकत्रित निधि के द्वारा श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन्हें यह समझाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए कि उनके अधिकारों का नियोक्ता द्वारा सम्मान नहीं किया जाता है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है । वास्तविकता तो यह है कि कानून के द्वारा जो अधिकार उन्हें प्राप्त है उसे भी नियोक्ता द्वारा छीन लिया जाता है । नियोक्ता न केवल श्रमिकों के अधिकारों को छीनते हैं बल्कि अपने दायित्व से भी बच निकलते हैं । वे इन तथ्यों से अनभिज्ञ हैं । इस दिशा में असंगठित श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए कुछ उपायों की आवश्यकता है । इसके लिए किसी मंच की आवश्यकता है । मेरे विचार से श्रमिकों को कल्याण निधि की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसका उपयोग श्रमिकों के अधिकार के बारे में शिक्षित करना तथा ऐसी व्यवस्था करना है जिससे कि कामगार यूनियनों के अभाव में श्रमिकों में जागरूकता लायी जा

सके और अगर कोई उनको उनके अधिकारों से वंचित करता है तो ऐसा मंच यह राशि श्रमिकों में बांट सके । यह उनके हाथों को मजबूत बनाने के लिए उपयोग में लायी जानी चाहिए ना कि उनके व्यक्तिगत कल्याण के लिए । इस अन्तर को समझना होगा ।

मेरा निवेदन है कि नियोक्ता को उत्तरदायी बनाना होगा । जो व्यक्ति श्रमिकों के कार्य से सीधा लाभान्वित होता है उसे ही श्रमिकों के हितों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए । नियोक्ताओं के बीच यह भावना व्याप्त है कि वे विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं इसलिए उनके लिए किसी अन्य व्यक्ति को काम करना होगा । लेकिन ऐसा नहीं है । इसके लिए हमें श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करना होगा और नियोक्ता के ऊपर कर लगाना होगा जिसका उपयोग स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए । अगर ऐसा किया गया तो इस विधेयक का कुछ लाभ होगा ।

महोदय, इस सम्बन्ध में केरल के दो विशिष्ट उदाहरण हैं । इसमें मेरा खुद का अनुभव है । मैं जब विद्यार्थी था तब मुझे श्रमिक वर्गों के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था । मैंने कालेज के सचिवालयी कर्मचारियों को संगठित किया था । जब मैं 20 वर्ष से कम आयु का था तब ही मुझे रेलवे प्लेटफार्म पर सामान उतारने और चढ़ाने वाले श्रमिक संघ का प्रेजीडेंट नियुक्त किया गया था । यह 1958 की बात है । लेकिन उस वक्त कोई नियम-कानून नहीं थे । एक दिन एक मजदूर की लकड़ी का लट्ठा चढ़ाते समय मृत्यु हो गई । तब इन्होंने अपने आप को संगठित किया और बातचीत करनी शुरू कर दी । उस समय कोई भी व्यक्ति आगे आकर इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने और उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए आगे नहीं आया । तब श्रमिकों ने एक ओर मृत व्यक्ति को तथा दूसरी ओर लकड़ी के लट्ठे को रखकर काम बन्द कर दिया और बातचीत शुरू कर दी । रेलवे ने कहा कि हमने तुम्हें काम पर नहीं लगाया है । जिलाधिकारी ने भी अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया । अन्त में एक श्रमिक पर इसकी जिम्मेदारी डाली गई जिसने मुआवजे की अदायगी के लिए काम करना स्वीकार किया । लेकिन श्रमिक इससे संतुष्ट नहीं हुए । उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी । अन्त में गुलाब के लट्ठों के मालिक आगे आये जो इसे विदेश भेजना चाहते थे । श्रमिक संघ ने मालिक से पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की और बाद में उसे वह देना पड़ा । इसके बाद से श्रमिकों ने अपनी मजदूरी स्वयं तय करनी शुरू कर दी और इसका एक हिस्सा कल्याण निधि, बोनस, उदान इत्यादि में देने लगे । वे 10 पैसा प्रति रुपया इस निधि के लिए इकट्ठा करने लगे । कुछ समय के बाद यह राशि बढ़कर लाखों रुपये हो गई । श्रमिकों को इस बात का गर्व था कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में कल्याण निधि है और वे इसका उपयोग करने में सक्षम हैं । मैं पिछले लगभग 30 सालों से उनका नेता हूं । मुझे उन पर गर्व है । इस प्रकार का अनुभव श्रमिक-संघ के आंदोलन में ही सम्भव है जहां लोग अपने लाभ के लिए अपने आप को संगठित करते हैं, कानून बनाते हैं और उसका कार्यान्वयन करते हैं । इसके बाद ही केरल सरकार ने ताड़ी श्रमिकों के लिए एक कल्याण निधि शुरू की । वे प्रत्येक श्रमिक से वे धन लेते हैं । प्रत्येक रुपए में से कल्याण निधि का अंश देना पड़ता है । यह एक अच्छी राशि हो गई है । अब वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी इस कल्याण कारी निधि समिति के प्रभारी अधिकारी के पद के लिए प्रयत्नशील रहते हैं क्योंकि वहां बहुत ज्यादा रुपए हैं । देश के विभिन्न भागों से करोड़ों रुपए एकत्रित किए जा रहे हैं । इसका निर्धारण इसी तरह से किया गया है । सरकार के विभिन्न कार्यकलापों के लिए भी वे रुपया देते हैं क्योंकि वहां प्रत्येक रुपए के लिए कुछ भाग दिया जाता है । इसी तरह ताड़ी श्रमिक कल्याण निधि है । वे लोग

असंगठित श्रमिक हैं। वे नारियल के पेड़ों पर चढ़कर ताड़ी एकत्र करते हैं। वे इसी तरह काम करते हैं। उनके पास एक कल्याण निधि है जो उनकी मजदूरी से इकट्ठी की जाती है। ताड़ी श्रमिकों की कल्याण निधि में बहुत ज्यादा राशि इकट्ठी हो गई है। केरल सरकार भी इस निधि से अपने विकास कार्यक्रम के लिए ऋण लेती है। अगर इस दिशा में प्रयोग किये जायें तो आश्चर्यजनक कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में एक विनियमन होना चाहिए। नियम और विनियमन को बनाए रखने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए जिससे कि दोनों पहलुओं को इसमें शामिल किया जा सके—उदाहरणार्थ : कल्याण विधि की स्थापना और श्रमिकों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना। कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी इस मामले में काम शुरू कर दिया है। कुछ राज्यों के विधानमण्डलों ने भी इस सम्बन्ध में नियम और विनियमन पारित किये हैं—उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र ने मराठवाडी अधिनियम लागू किया है। पत्तनों में काम करने वाले जो लोग भारतीय खाद्य निगम में ढुलाई और लदाई का काम करते हैं उनको इससे लाभ होगा। महाराष्ट्र में यह आश्चर्यजनक रूप से सफल हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह प्रणाली बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य भारत के किसी और हिस्से में नहीं है। इस प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं है। लोग वहां काम पर जाते हैं और गुलामों की तरह काम करते हैं। वे महसूस करते हैं कि नियोक्ता ही उनका भगवान और संरक्षक है। वे उनसे बातचीत नहीं करते हैं। जो कुछ उन्हें दिया जाता है, वे उसे ही मजदूरी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यह प्रणाली कठोर कानूनों द्वारा ही बदली जा सकती है और यह हमारा प्रमुख कर्तव्य है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम देखें कि जो लोग काम करते हैं उन्हें लाभ हो। समाज में इस तरह की भावना है कि यदि कोई डाक्टर या वकील है तो वह बड़ा आदमी है। उपर्युक्त उपायों द्वारा श्रमिकों में अपने कार्य के प्रति गौरव की भावना अभी लायी जानी बाकी है : मैं अमेरिका और कनाडा में अपने कुछ अनुभवों को बताना चाहूंगा। सफाई कर्मचारियों को अधिकतम मजदूरी दी जाती है। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार कबाड़ी और सफाई कर्मचारी को 10 डालर मिलते हैं जबकि एक डाक्टर को 6 डालर और इन्जीनियर को 5 डालर मिलते हैं। हाथ से काम करने वाले औरों के मुकाबले ज्यादा काम करते हैं और उन्हें वहां लाभ भी मिलता है। श्रमिकों में वहां यह भावना है कि वहां समानता है और हर कोई समान है। वह कार में सफर करता है और डाक्टर का अभिनंदन करता है। वह उसके साथ प्रार्थना में भाग लेता है। उनके समाज में एक तरह की समानता कायम है। यहां तक कि चीन में भी एक प्रणाली है, वे अपने कार्य का विभाजन करते हैं। मैं एक गांव में गया, जिसे 'वूजो' कहते हैं। वहां लोग एक इकाई बना लेते हैं और 'कम्यून' बनाकर काम करते हैं। वे इसी तरह रहते हैं। मुझे इसराईल में एक और तरह का अनुभव प्राप्त हुआ। वहां लोग 'किबुप' और 'मुसावे' में रहते हैं। दोनों में ही वहां वास्तविक समानता है। वहां एक श्रमिक संघ आन्दोलन है जिसे 'हिस्ट्रादून' कहा जाता है। जनसंख्या के 60 प्रतिशत लोग एक श्रमिक संघ के सदस्य हैं। जो व्यक्ति बस चलाता है, जो व्यक्ति खेतों में काम करता है, दोनों ही श्रमिक संघ के सदस्य हैं। एक व्यक्ति शिक्षक होते हुए भी श्रमिक संघ का सदस्य है। जनसंख्या के साठ प्रतिशत लोग हिस्ट्रधूत नामक श्रमिक संघ के सदस्य हैं। वहां पर श्रमिकों को सम्मान का अत्यधिक आदर होता है। एक तुच्छ कार्य करने में कोई भी स्वयं को कभी भी निम्न नहीं समझता है। लेकिन हमारे समाज में हम अभी भी सामन्तवादी युग में रह रहे हैं; हमारा ऐसा दृष्टिकोण है। हम ऐसा करना जारी रखे हुए हैं और श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। हमें इसे समाप्त करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्री विखे पाटिल द्वारा लाया गया विधेयक सहायक है। मैं इस मुद्दे पर इसका स्वागत करता हूं। फिर भी मैं सरकार से और कामकाजी वर्ग के साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त

माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि ऐसा व्यापक विधेयक लाएं जिसमें सभी सम्बन्धित उपाय निहित हों और जो हमारी जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए और हम एक समतावादी समाज बना सकें।

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री बिखे पाटिल जी द्वारा जो असंगठित श्रम कल्याण निधि विधेयक प्रस्तुत किया गया है; मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं सबसे पहले जो मजदूर जंगलों में काम करते हैं, वन श्रमिक के रूप में उनके बारे में कहना चाहता हूं। इन लोगों का संगठन न होने से उनका शोषण होता है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये मजदूर 12 महीने काम करते हैं। रोपने से लेकर कटाई तक, हर क्षेत्र में ये मजदूर काम करते हैं। जंगलों में लगातार काम चलता रहता है। लगातार जब काम चलता रहता है, तब भी उन मजदूरों के साथ जिस ढंग से सुविधा मिलनी चाहिए, लेबर एक्ट के मुताबिक, उस ढंग से उनको कुछ भी नहीं मिलता है। वन ग्रामों में लगातार, दिन-रात काम लेने के बाद भी उनके लिए कोई अस्पताल या दवा-दारू की व्यवस्था नहीं है। इस ढंग से वहां लेबर का शोषण होता है। फिर मानवता के रूप में उनके लिए जो प्रावधान है, उसका भी उनको मुआवजा नहीं मिलता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दुर्घटना हो जाती है। लकड़ी काटते हुए लठ उनके ऊपर गिर गया या लठों को जंगल से जब डिपो पर लाते हैं और वहां पर अलग-अलग साइज के लठ इकट्ठे करते हैं, जिससे कि बाद में आक्शन ठीक तरीके से हो सके, ऐसे मौके पर भी मजदूरों की चोट लग जाती है और कभी-कभी तो वे मर भी जाते हैं। ऐसी स्थिति होने पर भी उनके लिए दवा-दारू का इन्तजाम करें या अपनी गाड़ी में अस्पताल तक पहुंचा दें, तो दवा-दारू का इन्तजाम हो सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। इस ढंग से दुर्घटना में किसी की कोई सहायता नहीं है। बस्तर जिले में तो जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, वहां खेतिहर मजदूर हैं। खेतिहर मजदूरों की पूरी की पूरी संख्या वनों के अन्दर काम करती है। खेती में जैसे काम खत्म हो जाता है, तो अपनी जीविका के लिए उनको वहां काम करना पड़ता है। लेकिन वे दूसरी जगह नहीं जाते हैं, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, यू० पी० और बिहार के इधर-उधर जाते हैं। हमारे बस्तर के मजदूर कभी भी काम के लिए दूसरी जगह नहीं जाते क्योंकि जैसे ही खेती से फुर्सत हुई, खेती से उनको राहत मिली, वन विभाग में वे पूरे का पूरा काम मिल जाता है जैसे कटाई का काम है या ढुलाई का काम है। इस प्रकार के कामों में जो लगे हुए हैं और लगातार काम करते जा रहे हैं, उनके लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि बीमारी या किसी प्रकार का मौका आए, तो वन विभाग से थोड़ी उनको सहायता देनी चाहिए, उनका इलाज करना चाहिए। इस ढंग से मजदूरों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, वे बिल्कुल अपढ़ हैं। हर काम के लिए उनको निश्चित मजदूरी मिलती है कि इतना काम करेंगे, तो इतनी मजदूरी मिलेगी और इतने घन मीटर लकड़ी कटेंगे, तो इतने रुपए मिलेंगे और इतने घन मीटर लकड़ी इकट्ठा करेंगे, तो इतना रुपया मिलेगा। यह सब निश्चित है लेकिन अपढ़ मजदूर होने के कारण पूरे दिन अगर उनसे काम कराते हैं, तो घन मीटर के हिसाब से मजदूरी नहीं देते हैं लेकिन उसके अनुसार जो ज्यादा मजदूरी बनती है, वह उसको नहीं मिलती है क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि कितने घन मीटर लकड़ी काटी है या इकट्ठी की है। इस प्रकार से मजदूरों का शोषण होता है और

शोषण के कारण डिपो में, बस्तर जिले में जो बाजार में, लकड़ी बेचने का काम करते हैं उसको उत्पादन विभाग कहा जाता है और वन विभाग के उत्पादन विभाग में लोग बहुत चाव के साथ जाते हैं क्योंकि वहां पर बोली लगती है और उसमें वे पैसा कमाते हैं। अगर वहां पर छः महीने काम कर दिया, तो यदि फोरेस्ट गार्ड है, तो वह मोटरसाईकिल तैयार कर लेता है और यदि वह रेंजर है, तो गाड़ी तैयार कर लेता है या कार तैयार कर लेता है और यदि 5 साल वे वहां पर रह गए, तो बिल्डिंग बना लेते हैं। इस ढंग से उन लोगों की जो मजदूरी है, उसका शोषण किया जा रहा है और क्योंकि वे अपढ़ हैं, इसलिए उनका शोषण हो रहा है। यदि वहां पर लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कायदा कानून बनाया जाए, जिससे उनकी मजदूरी प्रोटेक्ट हो सके, तो हम उनको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और जंगलों को बचा भी सकते हैं। इस समय जंगलों का क्या हाल हो रहा है। वन विभाग के लोगों की कमजोरी के कारण, वन विभाग के लोग हमारे लोगों को जंगलों में लकड़ी कटाने के लिए ले जाएंगे और उनसे चोरी कराते हैं और अगर पकड़े गये, तो उन पर चोरी का इल्जाम लग जाता है और इसके लिए यदि कोई मजदूर कुछ बोलता है, तो दूसरे दिन उसका काम बन्द करा देंगे। यह इसलिए होता है कि उनको विश्वास नहीं जमता कि कोई ऐसा संगठन है, कोई ऐसी ताकत है, जिसको वे यह बात बता सकें और सही बात सामने आ जाए। कोई ऐसा संगठन होता, कोई ऐसी ताकत उसको दिखाई देती है, कोई ऐसा कायदा-कानून उसे दिखाई देता है, तो वह यह सोच सकता है कि यह जो गलत काम हमसे कराया जा रहा है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और जंगलों को बचाने की कोशिश करेंगे। आज तो जो जंगलों के रक्षक हैं, वे ही भक्षक बन रहे हैं और उसके लिए लेबर का उपयोग कर रहे हैं। अगर कोई मजदूर आना-कानी करता है, तो दूसरे दिन उसको कोई काम नहीं मिलता है। इस प्रकार की परेशानी उनके सामने है।

दूसरी बात यह है कि यदि मान लो कि कहीं बता भी दिया, तो अदालत के और दूसरे तमाम चक्कर खड़े हो जाएंगे और उसमें उनको बहुत परेशानी होगी। इसलिए वे उसमें विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। इस ढंग से जंगलों की जो कटाई हो रही है, उसको रोकने के लिए यदि कोई कायदा-कानून बनाएं, तो जिस रफ्तार से और जिस तेजी से पेड़ों को काटा जा रहा है, उसको आप रोक सकते हैं। आज पर्यावरण की देश में भयावह स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का यदि कायदा-कानून बने, तो उससे आप लेबर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वही लेबर आपके जंगलों को बनाने का काम भी कर सकता है और उनके बचाने में मददगार हो सकता है। देश के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आपको पेड़ लगाने की जरूरत है और वे पेड़ इन्हीं से लगवाने पड़ेंगे।

इस प्रकार के जो लेबरर हैं, जोकि वनों में काम करते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। न उनकी कोई यूनियन है, न उनका कोई संगठन है। हमारे देश में जो कारखाने हैं उनमें सभी में मजदूरों के संगठन हैं लेकिन जंगलो के मजदूरों का कोई संगठन नहीं बन रहा है। इसी कारण से भी जंगल के मजदूरों का शोषण होता है। जंगल विभाग के लोग चोरी भी कराते हैं और मजदूरों का शोषण भी करते हैं। जंगलों में पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। जंगल में मजदूरों का उपयोग करके चोरी की जाती है। अगर वहां कोई कायदा-कानून हो तो जंगल की रक्षा भी हो सकती है और वहां चोरी भी रुक सकती है। इससे पर्यावरण की जो स्थिति बिगड़ रही है वह भी बिगड़ने से बच सकती है। अगर वहां कायदा-कानून हो तो हम जंगल में जो मजदूर काम कर रहे हैं उन मजदूरों को सही ढंग से मजदूरी भी दिला सकते हैं।

कायदा-कानून बनाकर हम उन मजदूरों के लिए दवा-दारू का भी इन्तजाम कर सकते हैं। उन मजदूरों से जब हम श्रमिक के रूप में रात-दिन काम ले रहे हैं तो उनके लिए दवा-दारू का भी इन्तजाम होना चाहिए, उनके पीने के पानी की भी प्रोपर व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए स्कूल वगैरह का भी प्रबन्ध होना चाहिए। वहां स्कूल बहुत कम हैं। वहां अस्पताल का होना भी बहुत जरूरी है जिससे कि उन मजदूरों की ठीक से दवा-दारू हो सके। वे लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहां कीचड़ होती है और पानी भी अच्छा नहीं होता। इससे जंगलों में मलेरिया वगैरह की बीमारी भी उन्हें अक्सर लगती रहती है। जहां ऐसी स्थिति में हजारों मजदूर काम करते हैं वहां सरकार को अपनी तरफ से दवा-दारू और अस्पताल का इन्तजाम करना चाहिए। इन मजदूरों की पूरी दवा-दारू करके उनसे पूरा लाभ लेना चाहिए।

जो जंगल कट रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए। रातों-रात जंगल कटते हैं। जो मजदूर वहां काम करते हैं उनको रोजी भी नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है कि जिस तरह भारत में काम करने वालों के लिए और जगह कायदे-कानून बने हुए हैं उसी तरह के कायदे-कानून वहां के लिए भी बनाएं जिससे कि इनका शोषण रुके और हम इन मजदूरों का लाभ जंगलों को बचाने के काम में ले सकें।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब बढ़ाया हुआ समय भी समाप्त हो चुका है। क्या सभा एक घण्टे के लिए अवधि और बढ़ाने के लिए सहमत है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देशवरी दुबे) : जी, हां। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विभिन्न विचारों पर सरकार को उत्तर देने के लिए अवधि एक घंटा और बढ़ा दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य : अवधि एक घंटा और बढ़ा दी जाए।

सभापति महोदय : यह सभा की सर्वसम्मति है कि इस वाद-विवाद के समय में एक घण्टा और बढ़ा दिया जाए। श्री महावीर प्रसाद यादव बोलें।

श्री महावीर प्रसाद यादव (माधीपुरा) : शुरू में मैं यह बहुत अच्छा विधेयक लाने के लिए श्री पाटिल का धन्यवाद करता हूं। यह विधेयक असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु एक कोष खोलने से संबंधित है। यह बहुत अच्छा विधेयक है। इससे श्री पाटिल के अच्छे व्यवहार, दयालुता और सहानुभूति का पता लगता है। लेकिन मैं इस विधेयक पर पूर्णतया सहमत न होते भी बोलूंगा। भारतीय स्थिति की वास्तविकता के सन्दर्भ में यह विधेयक कितना युक्तिसंगत और व्यावहारिक है ? हर बार जब भी कोई विधेयक लाया जाता है तो विपक्ष के माननीय सदस्य सरकार की आलोचना करते हैं। यह अच्छी बात है कि आलोचना हो। लेकिन आलोचना रचनात्मक, लाभदायक तथा पूर्वाग्रह के बगैर होनी चाहिए। सरकार कुछ कार्य कर रही है। उदाहरण के लिए सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए कुछ किया था अर्थात् महिला और बाल श्रमिक सहित असंगठित श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया था। निम्नलिखित उपाए किए गए हैं। नवम्बर 1988 में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 37वें सत्र में अन्य मामलों के साथ-साथ कृषि मजदूरों से सम्बन्धित मामलों तथा असंगठित क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण श्रम कानूनों पर विचार किया गया था।

मैं इसे उद्धृत कर रहा हूं :

"(2) भवन निर्माण उद्योगों में लगे श्रमिकों की कार्य की शर्तों, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य को नियमित करने के उद्देश्य से एक विधेयक 5-12-88 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया है।

(3) महिला कामगारों के लिए कार्योन्मुख परियोजनाओं हेतु चार स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान के रूप में 1.35 लाख रुपए दिए गए हैं।

(4) कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर कार्य करने के लिए छः स्वयंसेवी संगठनों को 9.39 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी और राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति की आठ परियोजनाओं के लिए 37.28 लाख रुपए की धनराशि दी गई है।"

सरकार ने इन उपायों का प्रस्ताव किया था अथवा इन्हें लागू किया है। लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि सरकार जो कुछ भी कर रही है उस पर आपत्ति की जा रही है और गड़बड़ी पैदा की जा रही है। मैं जानता हूं कि हमारे श्रम मंत्री बिहार से आ रहे हैं। रोहतास उद्योग किन कारणों से विफल हुआ ? मैं उनकी पार्टी का नाम नहीं लूंगा लेकिन श्रमिक संघों में कुछ लोगों ने महात्मा गांधी के इस नारे को बदल दिया है :

"रघुपति राघव राजा राम,
सबको सन्मति दे भगवान्।"

इसे बदलकर यह कर दिया है :

"रघुपति राघव राजा राम।
पूरा पैसा आधा काम।"

यदि ऐसा रवैया रहेगा तो सरकार जो भी कार्य करेगी वह विफल ही होगा। मैं श्री पाटिल के इस कार्य की अत्यधिक प्रशंसा करता हूं। लेकिन उन्हें भारतीय स्थिति पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। भारत की आबादी 80 करोड़ है और इसका क्षेत्र साढ़े बारह लाख वर्ग मील तक फैला है। भारत जितना सीमित क्षेत्र तथा इतनी अधिक जनसंख्या और बाहरी तथा आन्तरिक समस्याओं से जूझता विश्व में कोई दूसरा देश नहीं है जो भारत की तरह प्रगति कर रहा है। विपक्ष में हमारे माननीय सदस्य इस बात पर गौर नहीं करते हैं। चाहे यह कोयला क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र जहां भी आप देखेंगे वहां श्रमिक संघ हैं। वे उनका शोषण कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री नारायण चौबे कह रहे थे कि श्रमिकों को असमान मजदूरी दी जा रही है और उनका शोषण किया जा रहा है। क्या सभी विपक्षी सदस्य इसके लिए तैयार हैं कि सारे देश भर में हड़तालों पर रोक लगा दी जाए ? वे ऐसा नहीं कर सकते। वे संविधान को उद्धृत करते हुए कहेंगे कि हड़तालें श्रमिकों का जन्मसिद्ध अधिकार हैं। लेकिन वे यह भी जानते हैं कि सरकार ने कुछ आवश्यक सेवाओं में हड़तालों पर रोक लगा रखी है।

असंगठित श्रमिकों अथवा संगठित श्रमिकों के कल्याण में सुधार होगा। मैं श्रम मन्त्रालय के कार्यनिष्पादन बजट से पढ़ूंगा। पृष्ठ 1 पर यह कहा गया है :

"रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगारों की संख्या, यह जरूरी नहीं कि वे सभी बेरोजगार हैं, दिसम्बर 1987 की तुलना में दिसम्बर 1988 में 30.2 मिलियन से घटकर 30.1 मिलियन हो गई है।"

इससे पता लगता है कि यह देश कैसी कठिनाई का सामना कर रहा है जहां लाखों शिक्षित युवक प्रति-माह 300 रुपये वेतन वाली नौकरी के लिए भी मारे-मारे फिर रहे हैं। आप दिल्ली में कहीं जाइए, आप पाएंगे कि एम० ए०, एम० एससी० डिग्रीधारी बहुत कम वेतन वाली नौकरी की भी तलाश कर रहे हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस श्रमिक समस्या के कारण भारत इस समय कितनी बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। हमारी श्रमिक समस्या एक विशेष राज्य की समस्या नहीं है, यह तो राष्ट्रीय समस्या है और इस माननीय सभा के सभी सदस्यों को अपनी पार्टियों के सम्बन्ध के बगैर स्थिति की वास्तविकता देखनी चाहिए। वे रूस, अमरीका, जर्मनी और जापान की बात करते हैं। लेकिन भारतीय स्थिति इनसे कुछ भिन्न है। यहां पर एक महिला की जनन क्षमता औसतन छः बच्चे है जबकि जर्मनी या इंग्लैंड में यह एक महिला एक बच्चा है। इस प्रकार भारतीय स्थिति अन्य देशों की तुलना में बिल्कुल भिन्न है। इसलिए भारतीय परिस्थिति की तुलना अन्य देशों की परिस्थिति से नहीं करनी चाहिए। विश्व में भारत ही अकेला देश है जिसकी इतनी अधिक समस्याएं हैं, और भारत की श्रमिक समस्या सबसे अधिक विकट है।

विपक्षी पार्टियां श्रमिक समस्याओं या राष्ट्रीय समस्याओं का हल शांतिपूर्वक तरीके से नहीं करना चाहती हैं। वे अव्यवस्था तथा गड़बड़ उत्पन्न करना चाहते हैं, वे बोलने की स्वतन्त्रता को जारी रहने नहीं देना चाहते हैं। मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूं। क्या भारत से अधिक स्वतन्त्रता किसी अन्य देश में है? अन्य देशों में लोग हमारे जितना स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं बोल सकते। हमारे पूर्वजों ने हमें यह संविधान दिया था जिसमें बोलने की स्वतन्त्रता की गारंटी दी गई थी। इसलिए मेरा यह मत है कि सभी पार्टियां, चाहे वे सत्ता पक्ष की हैं या विपक्ष की हैं, रचनात्मक रूप में विचार करे, और आलोचना हो लेकिन यह रचनात्मक हो।

सभापति महोदय : आप अब अपना भाषण रोक दें। आप अगली दफा अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

6.00 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 29क आदि का अन्तःस्थापन)

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*दिनांक 7-4-1989 के भारत के राजपत्र असाधारण—भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[अनुवाद]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

[अनुवाद]

6.00 म०प०

तत्पश्चात्, लोक सभा सोमवार, 10 अप्रैल, 1989/20, चैत्र 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : चौधरी मुद्रण केन्द्र, श्रीराम मार्ग मौजपुर, दिल्ली-110053